



वार्षिक प्रतिवेदन

2014-15



पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एनएएससी काम्पलैक्स, डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली-110012

www.plantauthority.gov.in

विषय-सूची

आमुख	v
आभार ज्ञापन	vii
विशिष्ट सारांश	ix
1 सामान्य पृष्ठ भूमि	1
2 पौधा किस्म रजिस्ट्री की प्रगति	5
3. कृषकों के अधिकारों से संबंधित क्रियाकलाप	49
4. डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास	59
5. भारतीय पौधा किस्म जरनल, पौधा किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर और प्रकाशन	77
6. डेटाबेसों, इंडस, एनओआरवी और वैबसाइट का विकास	79
7. प्रशाशनिक मामले	81
8. प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम	83
9. प्राधिकरण के सामान्य क्रियाकलाप	99
10. अंतरराष्ट्रीय सहयोग	115
11. प्राधिकरण के वित्तीय विवरण 2014–15	119
12. नागरिक आचार संहिता	123
अनुबंध	
I पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के सदस्य (31 मार्च 2015 को)	125
II प्राधिकरण के स्वीकृत पद	126
III मानव संसाधनों का विवरण (मुख्यालय तथा शाखा कार्यालय)	127
IV वर्ष 2014–15 के दौरान विद्यमान डीयूएस केन्द्रों को जारी की गई निधियों का विवरण	128
V वर्ष 2014–15 के दौरान नए डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं को जारी की गई निधियों का विवरण	130
VI वर्ष 2014–15 के दौरान फील्ड जीन बैंक (बैंकों) को जारी की गई निधियों का विवरण	132
VII वर्ष 2014–15 के दौरान विभिन्न संगठनों के लिए जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु दी गई वित्तीय सहायता	133
VIII कृषक किस्मों के फसलवार और जोनवार आवेदन	137
IX पंजीकरण अधीन फसल प्रजातियां	140
X वर्ष 2014–15 के दौरान प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये पंजीकरण प्रमाण–पत्र	142
XI संक्षिप्तियां	180



डॉ. आर.आर. हंचिनाल

अध्यक्ष

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
नई दिल्ली



आमुख

मुझे पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी और एफआरए), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की वर्ष 2014–15 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है। प्राधिकरण का उद्देश्य पौधा किस्मों की सुरक्षा, कृषकों और पादप प्रजनकों के अधिकारों के लिए एक प्रभावी वैधानिक प्रणाली उपलब्ध कराना है। प्राधिकरण का अधिदेश पौधा किस्मों, कृषकों के अधिकारों व पादप प्रजनकों की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी वैधानिक प्रणाली उपलब्ध कराना तथा बीज उद्योग व किसानों को उनके द्वारा पौधों की नई किस्मों के विकास के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों को उपलब्ध कराने तथा उसके संरक्षण व सुधार में किए गए योगदान को मान्यता प्रदान करना है। प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण प्रमाण—पत्र दिया जाना कंपनी/व्यक्ति विशेष के स्वामित्व के लिए एक वैधानिक युक्ति है जिससे अनुसंधान एवं विकास में निवेश को बढ़ावा मिलता है तथा बीज उद्योग की वृद्धि में सुविधा प्रदान करने और वाहित गुणों से युक्त नई किस्मों के विकास को प्रेरित करने का अवसर प्राप्त होता है, ताकि किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज/रोपण सामग्री की उपलब्धता व उनका उत्पादन सुनिश्चित हो सके। भारत कुछ पहले उन देशों में से है जिन्होंने सुजेनेरिस प्रणाली पर अपने राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुसार पीपीवी और एफआर अधिनियम को लागू किया है। इस अधिनियम से हमारे विश्व व्यापार संगठन के बैद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित व्यापार के पहलुओं (ट्रिप्स) पर किए गए समझौते के अंतरराष्ट्रीय दायित्वों की आईटीपीजीआरएफए के अनुसार प्रतिबद्धताओं की पूर्ति होती है।

प्राधिकरण ने पिछले लगभग एक दशक के दौरान पौधा किस्मों के संरक्षण, कृषकों, अनुसंधानकर्ताओं और पादप प्रजनकों के अधिकारों के लिए प्रभावी प्रणाली हेतु और पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक ढांचा सफलतापूर्वक उपलब्ध कराया है। प्राधिकरण ने पौधा किस्मों की विभिन्न श्रेणियों की सुरक्षा के लिए प्रणाली व प्रक्रियाएं सृजित की हैं तथा पौधा किस्म रजिस्ट्री, राष्ट्रीय जीन बैंक, फील्ड जीन बैंक, परीक्षण के लिए डीयूएस नेटवर्क स्थापित किए हैं; विद्यमान किस्मों, सामान्य ज्ञान की किस्मों (वीसीके) का डेटाबेस सृजित किया है और किस्में पंजीकृत की हैं। प्राधिकरण ने समय—समय पर विभिन्न प्रकाशनों का प्रकाशन किया है जैसे भारतीय पौधा किस्म जरनल, समाचारिका, तकनीकी बुलेटिन, विभिन्न क्षेत्रों पर पम्फलेट, प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न। इसके साथ ही प्राधिकरण के क्रियाकलापों और गतिविधियों पर लघु वृत्त चित्र या डाक्यूमेंटरी फिल्में तैयार की गई हैं। किसानों को उनकी किस्मों के पंजीकरण में सहायता पहुंचाने के लिए कृषक कोष्ठ स्थापित किया गया है तथा पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण व टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्राधिकरण ने विद्यमान 79 प्रजातियों से आगे बढ़ते हुए 92 फसलों, प्रजातियों के पंजीकरण तक विस्तार किया है।

वर्ष 2014–15 के दौरान डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं के नोडल व सह—नोडल वैज्ञानिकों के साथ जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़ में डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई ताकि उनके द्वारा किए गए विकास का जायजा लिया जा सके और उनकी समस्याओं को, यदि कोई हो, तो हल किया जा सके। प्राधिकरण ने रिकॉर्ड संख्या में अर्थात् 361 प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जो देशभर में फैले विभिन्न संस्थानों/स्वयं सेवी संगठनों के


माध्यम से कृषि विज्ञान केन्द्रों के नेटवर्क के घनिष्ठ सहयोग से आयोजित हुए। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विशेष रूप से कृषि जैवविविधता के हॉट स्पॉट क्षेत्रों में जागरूकता पर एक विशेष अभियान चलाया गया। प्राधिकरण ने अनेक स्थानों पर आयोजित किसान मेलों व किसान उत्सवों में भाग लिया जिनमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली; चित्तूर, केरल; डीआरआई, चित्रकूट; कृषि विज्ञान केन्द्र, गोंडा और प्रगति मैदान, नई दिल्ली शामिल हैं। इनमें प्राधिकरण ने विभिन्न प्रदर्शनियों, पोस्टरों व चार्टों, प्रकाशनों तथा पम्पलैट्स व फ्लायर्स के माध्यम से अपने क्रियाकलापों को दर्शाया। यह साहित्य सभी को निशुल्क बांटा गया। रिपोर्टर्धीन वर्ष के दौरान अनेक विदेशी अंतिथियों ने प्राधिकरण का दौरा किया तथा भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने रोम व लंदन में आयोजित बैठक में भाग लिया। प्राधिकरण ने 'पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार 2012–13' के लिए सफल आवेदकों की सूची को अंतिम रूप दिया है और 'कृषक सम्मानों एवं पुरस्कारों 2012–13' के लिए पात्र आवेदकों पर विचार किया जा रहा है।

मुझे प्राधिकरण की वृद्धि या विकास के लिए माननीय केन्द्रीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी द्वारा दिए गए कुशल मार्गदर्शन व निर्देशन के लिए आभार व्यक्त करते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है। मैं माननीय कृषि राज्य मंत्री श्री मोहन भाई कल्याणजी भाई कंडारिया तथा डा. संजीव बालयान, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री द्वारा प्राधिकरण के प्रति दिखाई गई गहन रुचि के प्रति आभार प्रकट करते हुए भी प्रसन्नता हो रही है।

मैं, श्री सिराज हुसैन, सचिव, कृषि संस्करण एवं कृषक कल्याण विभाग; डॉ. एस. अय्यर्पन, सचिव, डेयर व महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा दिए गए मार्गदर्शन, नेतृत्व एवं निरंतर सहायता के लिए उनका ऋणी हूं। मैं श्री अविनाश कुमार श्रीवास्तव, अपर सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग व श्री राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव (बीज) का प्राधिकरण में उनकी गहन रुचि तथा बहुमूल्य सहायता के लिए आभारी हूं। मैं प्राधिकरण के उन माननीय सदस्यों व अन्य अधिकारियों के योगदानों की सराहना करता हूं जिन्होंने प्राधिकरण को नई ऊँचाइयों तक पहुंचाने में सहायता की है तथा समर्पण के साथ विभिन्न समितियों/कार्य बलों को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।

मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के डीयूएस केन्द्रों के नोडल अधिकारियों को प्राधिकरण को इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अथक निःस्वार्थ सेवाएं व निरंतर सहायता प्रदान करने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं असीम सदभावों के साथ कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय; भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, आई.सी.एफ.आर.ई, सी एस आई आर, विधि एवं न्याय मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को समय—समय पर सहायता व मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो व उनके प्रभागों को प्राधिकरण द्वारा समय—समय पर सौंपे गए दायित्वों को सफलतापूर्वक निर्वाहित करने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं अपने प्रतिष्ठित बैंकों अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक व सिंडिकेट बैंक को उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं और सहायताओं के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं सीएजी का समय पर उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता, मार्गदर्शन व दिशानिर्देश के लिए अत्यंत आभारी हूं।

मैं वार्षिक प्रतिवेदन को समय पर तैयार करने के लिए सम्पादन दल की सराहना करता हूं और उसे बधाई देता हूं।



(आर.आर. हंचिनाल)

आभार ज्ञापन

मैं पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. आर.आर. हंचिनाल का प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन 2014–15 को तैयार करने में उनके द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सहायता, प्रेरणा, उत्साह तथा व्यापक विचारों के लिए हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा।

मैं श्री डी.एस. मिश्रा, संयुक्त पंजीकार का प्राधिकरण की पिछले चार वर्षों के प्रतिवेदनों की पांडुलिपि को लिखने, उसका संकलन करने व उसे तैयार करने में उनके द्वारा किए गए गंभीर प्रयासों के लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं श्री दीपल राय चौधरी, संयुक्त रजिस्ट्रार का प्राधिकरण की वार्षिक प्रतिवेदन के लिए उनकी आलोचनात्मक टिप्पणियां तथा बहुमूल्य सुझाव देने के लिए उनकी सराहना करता हूँ।

मैं प्राधिकरण के सभी रजिस्ट्रारों का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने में दिए गए आवश्यक योगदान के लिए उनका धन्यवाद देता हूँ। मैं गुवाहाटी तथा रांची स्थित कार्यालय के दोनों उप रजिस्ट्रारों, श्री ए.सी. शर्मा, उप पंजीकार, गुवाहाटी तथा श्री उमाकांत दुबे, उप पंजीकार रांची, श्री डी.आर. राजगणेश और श्री रवि रमन प्रधान, विधिक सलाहकारों, डॉ. डी.एस.पिलानिया, तकनीकी सहायक, सुश्री शिप्रा माथुर, श्री श्याम नारायण, श्री संजय गुप्ता, श्री अरविन्द कुमार राय, सभी कम्प्यूटर सहायकों तथा विशेष रूप से रजिस्ट्री के अन्य अधिकारियों के प्रति इस प्रतिवेदन में योगदान देने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अन्य परामर्शकों से सर्व श्री टी.डी. तिवारी, रोशन लाल और बी.के. बंसल को भी धन्यवाद देता हूँ। डॉ. अमित दीक्षित, श्री सुनीत कुमार, श्री रवीन्द्र कुमार, श्रीमती विजया चौधरी, श्रीमती मनीषा, सुश्री ज्योति जायसवाल, श्रीमती डा. जसबीर मदान तथा सभी पौधा किस्म परीक्षकों द्वारा किए गए सराहनीय कार्य के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। मैं श्रीमती भावना ओहरी, श्री बी.बी. डावर, श्री सुनील कुमार, सुश्री नीता और श्री याद राम को नियमित योगदान करने तथा अनुसंचिवीय सहायता प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूँ।

प्राधिकरण के 2014–15 के प्रतिवेदन के टंकण, फार्मेटिंग तथा इसे सुंदर स्वरूप प्रदान करने में समयबद्ध रूप से सचिवीय सहायता के लिए श्री जतिन कुमार, कार्यालय सहायक को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। प्राधिकरण कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से प्राप्त होने वाली सहायता और सहयोग के लिए भी इन्हें धन्यवाद देता है।

हम पीपीवी और एफआर प्राधिकरण द्वारा भा.कृ.अ.प., राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा आईसीएफआरई के विभिन्न संस्थानों/केन्द्रों पर डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं के साथ इस अवधि के दौरान बने सम्पर्क को सराहते हैं तथा इस वार्षिक प्रतिवेदन को तैयार करने में समय पर दिए गए उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं।

2/१५१

आर.सी.अग्रवाल
महा पंजीकार

विशिष्ट सारांश

भारत विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार से जुड़े पहलुओं पर समझौते (ट्रिप्स) के सदस्यों में से एक है। ट्रिप्स के अनुच्छेद 27(3)(ख) में यह कहा गया है कि सदस्यों को सूक्ष्मजीवों के अतिरिक्त पौधों और पशुओं व गैर-जीवविज्ञानी और सूक्ष्म जीवविज्ञानी प्रक्रियाओं के अतिरिक्त पौधों या प्राणियों के उत्पादन के लिए अनिवार्य जीवविज्ञानी क्रियाओं को अपनाने की स्वतंत्रता है और इसके लिए उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता। तथापि, ये सदस्य या तो पेटेंट द्वारा या प्रभावी सु जेनेरिस प्रणाली द्वारा अथवा इन दोनों के माध्यम से पौधा किस्मों की सुरक्षा के लिए प्रावधान उपलब्ध कराएंगे। भारत ने 2001 में पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (पीपीवी और एफआर अधिनियम) (2001 का 53) सु जेनेरिस प्रणाली अपनाकर लागू किया। पीपीवी और एफआर अधिनियम का मुख्य उददेश्य आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करना तथा कृषकों और पादप प्रजनकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए पौधा किस्मों की सुरक्षा हेतु एक प्रभावी प्रणाली की स्थापना करना है। यह एक अनूठा अधिनियम है जिसमें जहां एक ओर खाद्य एवं कृषि के लिए पादप अनुरूपिक संसाधनों पर अंतरराष्ट्रीय संधि की भावना को पूरा किया गया है, वहीं दूसरी ओर उपोव, 1978 के समझौते के प्रावधानों को भी पूरा किया गया है। इसमें राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार प्रजनकों तथा कृषकों के अधिकारों के बीच एक संतुलन रखा गया है। इस अधिनियम के उददेश्य से 11 नवम्बर, 2005 को पीपीवी और एफआर प्राधिकरण की स्थापना हुई। प्राधिकरण ने पौधा किस्मों के पंजीकरण, कृषकों के अधिकारों, राष्ट्रीय जीन निधि, राष्ट्रीय जीन बैंक आदि सहित अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित कीं।

अब तक भारत सरकार ने पीपीवी और एफआर प्राधिकरण की अनुशंसाओं पर पौधा किस्मों के पंजीकरण हेतु 92 फसल प्रजातियों को अधिसूचित किया है जिसे अनुबंध IX में दर्शाया गया है। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान प्राधिकरण ने 33 वंश प्रजातियों को अधिसूचित किया है। भारतीय पौधा किस्म जरनल में नए वंशों/प्रजातियों के लिए 20 डीयूएस दिशानिर्देश प्रकाशित किए गए हैं। ये फसल प्रजातियां पुष्टों, फलों जिनमें सूखे फल व मेरे, सब्जियां, बीज मसाले, अनाज, पेय तथा वानिकी किस्में शामिल हैं, का प्रतिनिधित्व करती हैं।

प्राधिकरण ने चार श्रेणियों अर्थात् नई (344), विद्यमान (188) और कृषक किस्में (1717) तथा अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्मों (2) के अंतर्गत कुल 2251 आवेदन प्राप्त किए। सर्वाधिक आवेदन कृषक श्रेणी (1718) के अंतर्गत प्राप्त हुए जिसमें कृषक द्वारा प्रस्तुत एक नई किस्म भी शामिल है जिसके बाद क्रमशः निजी (393) और सार्वजनिक (140) श्रेणियों के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों का स्थान था। सर्वाधिक आवेदन अनाजों (1159) के मामले में प्राप्त किए गए जिसके पश्चात् क्रमशः सब्जियों (279), दालों (222), मोटे अनाजों (195), तिलहनों (142), रेशा फसलों (88), मसालों (67), फलों (61) तथा अन्य (38) का स्थान था। सर्वाधिक आवेदनों के साथ पंजीकरण की सूची में चावल का सर्वोच्च स्थान था (1097) जिसके बाद क्रमशः मक्का (132), कपास (81), अरहर (53), बाजरा (50), आम (48), गेहूं (47), बैंगन (46) और भिण्डी (37) का स्थान था।

ईवीआरसी (विद्यमान किस्म अनुशंसा समिति) ने बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत अधिसूचित विद्यमान किस्म की श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण के उददेश्य से 102 आवेदनों को अनुशंसित किया है। इन 102 किस्मों में से 46 भा.कृ.अ.प. की 41 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की और 15 निजी क्षेत्र की हैं। जन सामान्य की सूचना के लिए अनुशंसित किस्मों के पासपोर्ट आंकड़े भारतीय पौधा किस्म जरनल में प्रकाशित किए गए ताकि प्रकाशन के 90 दिनों के अंदर यदि कोई आपत्ति हो तो उसे दाखिल किया जा सके।

खरीफ 2013 और रबी 2013–14 के दौरान विभिन्न डीयूएस परीक्षण केन्द्रों में प्रथम वर्ष विभिन्न फसलों की 485 प्रत्याशी किस्मों का परीक्षण किया गया। इनमें 236 नई किस्में, 188 सामान्य ज्ञान की किस्में और 61 कृषक किस्में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त नई श्रेणी के अंतर्गत आने वाली 208 किस्में परीक्षण के दूसरे वर्ष में थीं। नई किस्म की श्रेणी के अंतर्गत 79 प्रत्याशी किस्मों ने डीयूएस परीक्षण के दो वर्ष पूरे कर लिए हैं। प्राधिकरण ने देश के विभिन्न भागों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के संस्थानों में स्थित नई परियोजनाओं सहित 133 डीयूएस केन्द्रों को सहायता प्रदान की है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं को डीयूएस परीक्षण करने, डीयूएस मानदंडों/परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास करने व प्रजनन अनुरक्षण के लिए प्रयोगशाला व खेत सुविधाओं को सबल बनाने के लिए लगभग रूपये 624.47

लाख की राशि जारी की गई। जिसे अनुबंध IV, V & VI में दर्शाया गया है।

रिपोर्टर्धीन अवधि के दौरान जारी किए गए 842 प्रमाण पत्रों में से 111 नई श्रेणी के, 215 विद्यमान अधिसूचित, 55 विद्यमान वीसीके और 461 कृषक श्रेणी के अंतर्गत थे। (अनुबंध X) सर्वाधिक प्रमाण—पत्र चावल के मामले में जारी किए गए (540) जिसके पश्चात क्रमशः ज्वार (48), सरसों (41), कपास (35), सूरजमुखी (29), गेहूं (27), मूँगफली (21), आलू (13), मक्का, अरहर और बाजरा (प्रत्येक के 08), मूँग और सोयाबीन (प्रत्येक के 7), बैंगन और नारियल (प्रत्येक के 6), चना (05), उड्ड, दाल मटर और कुसुम (प्रत्येक के 4), राजमा और अलसी (प्रत्येक के 3), अरण्ड, तोरिया, टमाटर और हल्दी (प्रत्येक के 2) तथा बंदगोभी, लहसुन, पटसन, मसूर, भिण्डी, तिल और गन्ना (प्रत्येक के 1) का स्थान था। प्राधिकरण के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में पौधा किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर रखा जाता है और इसकी प्रति गुवाहाटी तथा रांची में भी है। विद्यमान, नई और कृषक श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत सभी किस्मों को कथित रजिस्टर में उचित रूप से दर्ज किया गया।

प्राधिकरण ने सुरक्षित किस्मों के बीजों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जीन बैंक स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त डॉ. बाला साहेब सावंत कोंकण विद्यापीठ, धपोली, महाराष्ट्र; बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची, झारखण्ड; अलैंगिक/वानस्पतिक प्रवर्धित फसलों के लिए क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केन्द्र, मशोबरा, डॉ. वाई.एस.परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत), सोलन, हिमाचल प्रदेश तथा केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर में शुष्क क्षेत्र प्रजातियों के लिए चार फील्ड जीन बैंक स्थापित किए गए हैं।

प्राधिकरण ने अपने पंजीकरण को विस्तार देने के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए अनेक कार्यबल समितियां स्थापित की हैं। इन फसलों में आंवला, चौलाई, बेल, बांस, पान लता, कार्नेशन, लोबिया और गिनी घास, मिर्ची, कुकरबिट, चिराँजी, खजूर, जीमीकंद और तारो, जामुन, रतनजोत, करंज, नोनी, नीम, जई, चीड़, पैपरिका, लघु मोटे अनाज, पालक और तोरी, स्वीट पेपर, इमली और शीशम शामिल हैं।

प्राधिकरण ने डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार डेटाबेस विकसित किए हैं और भारतीय सूचना प्रणाली (इंडस) का अनुरक्षण किया है। इसने राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली के सहयोग से भारत की अधिसूचित व जारी किस्मों के डेटाबेस का अनुरक्षण भी किया है (एनओआरवी) तथा यह अधिकांश इसी प्रकार की संदर्भ किस्मों के चयन के लिए इन डेटाबेसों का अनुरक्षण कर रहा है। प्राधिकरण अपने पोर्टल के विकास पर नजर रखे हुए है जिसमें विषय—वस्तु प्रबंध

प्रणाली के सभी क्रियाकलाप उपलब्ध होंगे ताकि रोल आधारित पहुंच के साथ त्वरित ढंग से वैब साइट का अनुरक्षण किया जा सके।

रिपोर्टर्धीन अवधि के दौरान प्राधिकरण की दो बैठकें हुईं जिनमें तकनीकी—विधिक और प्रशासनिक मामलों पर अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिसमें पंजीकरण के लिए विद्यमान अधिसूचित किस्मों को स्वीकृति प्रदान करना, प्राधिकरण के वार्षिक लेखे का अनुमोदन तथा पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार, 2012–13 प्रदान करने से संबंधित मामले भी शामिल हैं।

प्राधिकरण के विधिक कोष्ठ ने भारत के विभिन्न न्यायालयों में दायर मुकदमों की पैरवी की। रिपोर्टर्धीन अवधि के दौरान प्राधिकरण के विरुद्ध 36 मुकदमे लंबित थे जिनमें से 9 का निपटारा किया गया और 27 मुकदमे लंबित हैं। भारत के राजपत्र में चार अधिसूचनाएं प्रकाशित हुईं जिनमें 33 वंशों/प्रजातियों को अधिसूचित किया गया। सूचना के अधिकार (आर टी आई) प्रकोष्ठ ने आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत या तो प्रत्यक्ष रूप से या अन्य विभागों द्वारा हस्तांतरित होकर आए 21 आवेदन प्राप्त किए। मांगी गई सूचना निर्धारित समय—सीमा में उपलब्ध कराई गई। इसी प्रकार, प्राधिकरण से संबंधित 2 संसद प्रश्नों पर कार्रवाई की गई तथा उनके उत्तर का मसौदा समय पर कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग को भेजा गया।

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के कृषक कोष्ठ ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कृषकों के अधिकारों को कार्यान्वित किया तथा देशभर में प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए विभिन्न संस्थाओं, डीयूएस केन्द्रों, जैडपीडी, कृषि विज्ञान केन्द्रों और स्टेक होल्डरों को धनराशि उपलब्ध कराई। प्राधिकरण ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली तथा प्रगति मैदान, नई दिल्ली सहित विभिन्न स्थानों पर आयोजित किसान मेलों, उत्सवों, कृषि मेलों में भाग लिया, ताकि विभिन्न पण्धारियों के बीच पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत कृषकों के अधिकारों, किस्मों के पंजीकरण जिसमें किसान किस्में भी शामिल हैं, से संबंधित सूचना का प्रचार—प्रसार किया जा सके। भू—प्रजातियों सहित परंपरागत और कृषक किस्मों के पंजीकरण के लिए किसानों को प्रेरित करने हेतु उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। भा.कृ.अ.प. नेटवर्क की कृषि विज्ञान केन्द्र प्रणाली को सहायता प्रदान की गई। पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार (2012–13) के लिए पात्र आवेदनों को अंतिम रूप दिया गया। देश के महत्वपूर्ण समाचार—पत्रों के साथ प्राधिकरण की वैबसाइट पर विज्ञापनों के माध्यम से पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कारों 2013–14 के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए। प्राधिकरण से कृषि, सहकारिता एवं

कृषक कल्याण विभाग ने विभिन्न तकनीकी मामलों में परामर्श लिया जिसमें द्विपक्षीय सहयोग, आईटीपीजीआरएफए, सीबीडी, उपोव, डब्ल्यूआईपीओ से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मामले तथा अन्य अंतराष्ट्रीय समझौते / करार भी शामिल हैं।

रिपोर्टर्धीन अवधि के दौरान डॉ. आर.आर. हंचिनाल ने शासकीय बैठकों के संबंध में मैक्रिसको तथा रोम का दौरा किया। एक जर्मन प्रतिनिधि मंडल भारत आया और उसने पौधा किस्मों की सुरक्षा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के साथ एक बैठक आयोजित की। डॉ. कैंट जे. ब्राडफोर्ड, विशिष्ट प्राध्यापक, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, यूएसए ने प्रोफेसर आर.आर. हंचिनाल से एक औपचारिक मुलाकात की। डॉ. संजय राजाराम जो भारत में जन्मे मैक्रिसकन नागरिक हैं और जिन्हें प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार 2014 प्रदान किया गया है, ने 23 जून 2014 को पीपीवी और एफआर प्राधिकरण का दौरा किया।

प्राधिकरण ने 2014–15 के दौरान कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार से अनुदान सहायता के रूप में 1600 लाख रुपये प्राप्त किए जिनमें से 1585.98 लाख रुपयों का 31 मार्च 2015 तक उपयोग हुआ और पिछले वर्ष गैर खर्च हुए 14.11 लाख रुपये को समायोजित करते हुए 0.09 लाख रुपये शेष हैं। प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जाने के लिए कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग को समय पर अप्रेषित किया गया। वर्ष 2014–15 के लिए प्राधिकरण के वार्षिक लेखों को अंतिम रूप दिया गया, उनकी निर्धारित समय—सीमा में लेखापरीक्षा हुई तथा निश्चित समय—सीमा में संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जा सके।

वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखों को प्राधिकरण की दिल्ली में आयोजित 24वीं बैठक में दिनांक 26 नवम्बर 2015 में स्वीकृति प्रदान की गयी।

1. सामान्य पृष्ठभूमि

पादप प्रजनन मानव जाति के अस्तित्व को बनाए रखने तथा उसके विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पादप आनुवंशिक संसाधन पौधों की नई किस्में विकसित करने के लिए कच्ची सामग्री हैं। पादप प्रजनक कृषि तथा बागवानी में मूल अनुसंधान प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में आवश्यक सम्पर्क के रूप में कार्य करते हैं। यदि पादप प्रजनन को विद्यमान किस्मों में आनुवंशिक स्तर के छोटे परिवर्तनों को बनाए रखने के लिए जारी रखना है और यदि इससे जननद्रव्य संसाधनों पर और अधिक उत्तरदायित्व आ जाता है तो यह दीर्घावधि वित्तीय सहायता पर निर्भर होगी। इसके साथ ही इसके अंतर्गत अनुसंधान, शिक्षा, नियोजन और परिदृश्य के लिए भी वित्तीय संसाधनों को उपलब्ध कराना होगा। पादप प्रजनन के लिए और अधिक धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, ताकि जीवविज्ञानी संसाधनों का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके और अधिक से अधिक पर्यावरणीय संतुलन के साथ कृषि की उत्पादकता को बढ़ाए रखना सुनिश्चित किया जा सके। पादप प्रजनकों के अधिकार ऐसे पर्यावरण को सृजित करने का साधन हैं जिनमें निजी निवेशक जननद्रव्य तथा प्रौद्योगिकी संसाधनों के लिए दीर्घावधि आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ—साथ पादप प्रजनकों के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जा सके। पादप प्रजनकों के अधिकारों से अनेक विधियों से संसाधनों के निवेश पर अधिक लाभ प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हो सकती है।

आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों की उपयुक्त किस्में उत्पन्न करने में पादप प्रजनकों और कृषक समुदायों द्वारा पादप प्रजनन में नवोन्मेष की कानूनी सुरक्षा को लागू करने, अनुसंधान के लिए निवेश उपलब्ध कराने, व्यापार को बढ़ावा देने तथा पादप आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग को नियमित करने के लिए कानूनी सुरक्षा दिलाना आवश्यक है। पादप प्रजनकों के अधिकारों को लागू करके पौधा किस्मों की सुरक्षा का मुद्दा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड (गैट) के अंतर्गत विशेष रूप से ध्यान में लाया गया था जिसके परिणामस्वरूप 1995 में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की स्थापना हुई। भारत ने डब्ल्यूटीओ के बौद्धि क संपदा अधिकार के व्यापार से संबंधित पहलुओं (ट्रिप्स) संबंधी समझौते की पुष्टि की है। अतः इससे यह अपेक्षा की गई थी कि यह पौधा किस्मों की सुरक्षा से संबंधित कथित समझौते के अनुच्छेद 27(3) (ख) से संबंधित प्रावधानों को लागू करे।

भारत सरकार ने आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नई पौधा किस्मों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए तथा पौधा किस्मों, कृषकों व पौधा प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सुजेनेरिस प्रभावी प्रणाली की स्थापना के लिए पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (पीपीवी और एफआर) अधिनियम, 2001 (2001 का 53) में लागू किया। पीपीवी और एफआर नियमावली 12 सितम्बर 2003 में अधिसूचित की गई और इसे समय—समय पर संशोधित किया गया। अंततः अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने इस अधिनियम की धारा 3 की उप—धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 11 नवम्बर 2005 को राजपत्र अधिसूचना सं 1588(ई) के द्वारा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की।

1.1 पीपीवी और एफआर अधिनियम के उद्देश्य

उक्त अधिनियम के उद्देश्य हैं :

- ❖ पौधा किस्मों, कृषकों और प्रजनकों के अधिकार की सुरक्षा और पौधों की नई किस्मों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी प्रणाली की स्थापना।
- ❖ नई पौधा किस्मों के विकास के लिए पादप आनुवंशिक संसाधन उपलब्ध कराने तथा किसी भी समय उसके संरक्षण व उसके सुधार में किसानों द्वारा दिए गए योगदान के संदर्भ में किसानों के अधिकारों को मान्यता देना व उन्हें सुरक्षा प्रदान करना।
- ❖ नई पौधा किस्मों के विकास के लिए सार्वजनिक व निजी, दोनों क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के लिए निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु पादप प्रजनक के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करना।
- ❖ देश में बीज उद्योग की प्रगति को सुगम बनाना जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों तथा रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

1.2 अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

यह अधिनियम एक सुजेनेरिस प्रणाली पर आधारित है और इस दृष्टि से अनूठा है कि इसमें प्रजनकों, किसानों, कृषक समुदायों व अनुसंधानकर्ताओं के अधिकारों को पूर्ण मान्यता दी गई है। इसके अंतर्गत किसी प्रजनक या उसके अधिकारी, उसके एजेंट या लाइसेंसी को पंजीकृत किस्म के बीज को उत्पन्न करने, बेचने, उसका विपणन करने, वितरण करने, आयात और निर्यात का एकमात्र अधिकार प्राप्त है। जहां तक कृषकों के अधिकारों का संबंध है, यह अधिनियम

कृषकों को किस्म उगाने वाले, संरक्षक और प्रजनक के रूप में मान्यता प्रदान करता है और यह प्रावधान कराता है कि कृषक किस्मों को पंजीकृत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में पंजीकृत किस्म के अनिवार्य लाइसेंस का उस स्थिति में प्रावधान है जब बीज/रोपण सामग्री उपयुक्त मूल्य अथवा मात्रा में जन-सामान्य को उपलब्ध न कराई गई हो। कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह अथवा कोई संगठन लाभ में भागीदारी का दावा कर सकता है, बशर्ते कि पादप आनुवंशिक सामग्री उसकी हो तथा उसने पंजीकृत किस्म के विकास में भागीदारी की हो। अनुसंधानकर्ताओं को प्रयोग अथवा अनुसंधान करने के लिए किसी भी पंजीकृत किस्म के उपयोग करने का अधिकार है तथा ऐसी किस्म का उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा किस्म के आरंभिक स्रोत के रूप में अन्य किस्मों के सृजन के उद्देश्य से किया जा सकता है। भारत वह विशिष्ट देश है जहां कृषकों के अधिकारों को स्थापित करने व सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विधान को लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत कृषक समुदाय के भूत/विगत, वर्तमान तथा भावी योगदानों को मान्यता प्रदान की गई है तथा इसमें कृषक समुदायों/कृषकों को कृषि-जैव विविधता के संरक्षण में किए गए उनके योगदानों के लिए पुरस्कृत करने का अवसर भी उपलब्ध कराया गया है।

1.3 पीपीवी और एफआर प्राधिकरण

प्राधिकरण एक निकाय कारपोरेट है जिसका वैधानिक दर्जा है तथा इसे चल तथा अचल सम्पत्तियों को अधिगृहीत करने, बनाए रखने तथा उनके निपटान का अधिकार है और साथ ही इसके लिए ठेका करने का भी अधिकार है तथा इस संबंध में यह कोई भी कानूनी कार्यवाही कर सकता है अथवा इस पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह सोसायटीज ब्लॉक, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र परिसर, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, दूसरा तल, टोडापुर गांव के निकट, नई दिल्ली में किराए के भवन में कार्य कर रहा है। 31 मार्च 2015 को प्राधिकरण का एक अध्यक्ष तथा 15 सदस्य हैं।

1.4 पौधा किस्मों का पंजीकरण

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने पंजीकरण हेतु 92 फसल प्रजातियों के विशिष्टता, एकरूपता तथा स्थायित्व (डीयूएस) परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया है। जिसमें अनाज, दालें, मोटे अनाज, तिलहन, मसाले, सब्जियों, पुष्प तथा रेशा फसलें शामिल हैं। प्राधिकरण ने रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान (31 मार्च 2015 तक) पौधा किस्मों (नई, विद्यमान अधिसूचित और कृषक किस्म की श्रेणी में) के अंतर्गत 842 पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए हैं। और

अधिक आवेदकों को आकर्षित करने के लिए प्राधिकरण विभिन्न स्टेकहोल्डरों के लाभ के लिए नियमित रूप से जागरूकता तथा क्षमता निर्माण संबंधी कार्यक्रम आयोजित करता है।

पीपीवी और एफआरए द्वारा आवेदकों द्वारा प्रत्याशी किस्मों के दावों के सत्यापन, प्रजनन अनुरक्षण, बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित संदर्भ/उदाहरण किस्मों/किस्मों के अनुरक्षण, प्रजनन व प्रगुणन संबंधी आवेदकों के दावों की पुष्टि के लिए फसल विशिष्ट डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार किस्मगत गुणों का डेटाबेस सृजित करने के लिए देशभर में डीयूएस परीक्षण केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त फसल विशिष्ट केन्द्रों में प्रत्याशी किस्मों के डीयूएस परीक्षण किए जा रहे हैं। डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार रिकॉर्ड किए गए आंकड़े और विश्लेषण के लिए इन केन्द्रों द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाते हैं। प्राधिकरण ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के परामर्श से आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सक्षम फसल प्रजातियों की पहचान की है तथा डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास के लिए परियोजनाओं को सहायता भी प्रदान की है। प्राधिकरण ने अपना राष्ट्रीय जीन बैंक तथा देशभर में फील्ड जीन बैंक स्थापित किए हैं। यह नियमित रूप से भारतीय पौधा किस्म जरनल प्रकाशित कर रहा है तथा मुख्यालय और अपने शाखा कार्यालयों में पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर का रखरखाव कर रहा है।

1.5 पादप प्रजनकों के अधिकार

प्रजनकों का अधिकार इस अधिनियम का अत्यंत प्रमुख प्रावधान है जिसका भारतीय कृषि तथा वैशिक परिदृश्य के संदर्भ में दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना है। प्रजनक को भी अपनी किस्म के विरुद्ध अंतिम सुरक्षा का अधिकार है ताकि, पंजीकरण हेतु आवेदन दाखिल करने तथा प्राधिकरण द्वारा अंतिम निर्णय लेने के बीच की अवधि के दौरान किसी तीसरे पक्ष द्वारा कोई गलत कार्य न किया जा सके। इसी प्रकार, अनुसंधानकर्ताओं को भी अधिकार दिए गए हैं। तथापि, किसी नई किस्म का बार-बार उपयोग करने पर उस पंजीकृत किस्म के प्रजनक से प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक होता है। जैसा कि इस अधिनियम में उल्लेख है पौधा किस्मों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है और इसमें किसी नई किस्म के मामले में विशिष्टता, एकरूपता तथा स्थायित्व (डीयूएस) की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रणाली के प्रमुख सिद्धांत का अनुपालन किया जाता है। कोई भी व्यक्ति निम्न श्रेणियों के अंतर्गत किसी भी किस्म के पंजीकरण हेतु आवेदन दे सकता है :

- ❖ अधिनियम की धारा 29(2) के अंतर्गत विशिष्टीकृत ऐसे गणों या प्रजातियों की नई किस्म
- ❖ विद्यमान किस्म,
 - बीज अधिनियम 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित,
 - सामान्य ज्ञान की किस्म (वीसीके)
- ❖ कृषक किस्म
 - किसानों द्वारा उनके खेत में परंपरागत रूप से उगाई गई और विकसित की गई किस्म,
 - ऐसी वन्य संबंधी या भू-प्रजाति है जिसके बारे में किसानों को सामान्य ज्ञान है।
- ❖ अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म (ई डी वी)

1.6 कृषकों के अधिकार

अधिनियम में कृषकों को निम्न अधिकार उपलब्ध कराए गए हैं :

- ❖ **बीज का अधिकार** : अपनी फसल से अपने बीज को बचाकर रखने, उसे बुआई, पुनः बुआई, आदान-प्रदान करने और अन्य किसानों के साथ साझीदारी करने या बेचने का अधिकार बशर्ते कि वह किसान किसी सुरक्षित किस्म के ब्रांडेड बीज की बिक्री न करे [धारा 39 (1)(iv)]।
- ❖ **अपनी किस्मों के पंजीकरण का अधिकार** : किसानों द्वारा विकसित या संरक्षित परंपरागत किस्में या उनके द्वारा विकसित नई किस्में मान्यता की पात्र हैं [धारा 39 (1)(i)]।
- ❖ **क्षतिपूर्ति का अधिकार** : यदि पंजीकृत किस्म स्वामी/प्रजनक द्वारा किए गए दावों को पूरा नहीं करती है तो उसे इस कारण हुई क्षति की क्षतिपूर्ति मांगने का अधिकार है [धारा 41]।
- ❖ **तर्कसंगत बीज मूल्य का अधिकार** : किसानों को तर्कसंगत और लाभदायक मूल्य पर पंजीकृत किस्म के बीज को प्राप्त करने का अधिकार है। जब यह शर्त पूरी नहीं होती है तो संबंधित किस्म पर प्रजनक के एक मात्र अधिकार को संबंधित अनिवार्य लाइसेंसिंग के अंतर्गत निलंबित कर दिया जाता है और प्रजनक को बीजोत्पादन, वितरण तथा सक्षम वैधानिक क्षेत्र में किस्म की बिक्री का अधिकार नहीं रहता (धारा 47)।
- ❖ **पुरस्कार एवं सम्मान का अधिकार** : जो किसान पादप आनुवंशिक संसाधनों के चयन और परिरक्षण के माध्यम से आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों और उनके वन्य संबंधियों के सुधार के साथ भू-प्रजातियों

के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण में कार्यरत हैं, उन्हें पुरस्कार व सम्मान प्राप्त करने का अधिकार है [धारा 39 (1)(iii) और 45]।

- ❖ **लाभ में भागीदारी का अधिकार** : नई पौधा किस्मों के प्रजनन के लिए कृषक किस्मों की महत्वपूर्ण भूमिका के मामले में (धारा 26)।
- ❖ **अज्ञानता में हुए उल्लंघन के प्रति सुरक्षा** : यदि कोई किसान न्यायालय के समक्ष यह प्रमाणित कर सकता है कि वह किसी अधिकार के उल्लंघन के समय अधिकार के विद्यमान होने या उसके अस्तित्व के बारे में अज्ञान था तो जैसा कि पीपीवी और एफआर अधिनियम में कहा गया है, उसके विरुद्ध कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं की जाएगी (धारा 42)।
- ❖ **कृषक किस्म का प्राधिकृतिकरण** : यदि कृषक किस्म चाहे वह विद्यमान हो या नई, उसका उपयोग किसी अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म के विकास के लिए स्रोत सामग्री के रूप में किसी तीसरे पक्ष द्वारा किया जाना है तो कृषक को इसके वाणिज्यीकरण के लिए पूर्व प्राधिकरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी (धारा 43)।
- ❖ **शुल्क से छूट** : पीपीवी और एफआर अधिनियम के अंतर्गत किसानों को किस्मों के पंजीकरण हेतु; विशिष्टता, एकरूपता और स्थायित्व (डीयूएस के लिए परीक्षणों); तथा पीपीवी और एफआर प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली अन्य सेवाओं; और इसके साथ-साथ न्यायालयों/न्यायाधिकरणों आदि में उल्लंघन तथा अन्य कारणों से संबंधित वैधानिक कार्यवृत्तों के लिए सामान्य रूप से अदा किए जाने वाले शुल्क तथा अन्य भुगतानों से छूट प्राप्त है (धारा 44)।

1.7 किस्मों का पंजीकरण

किसी पौधा किस्म और इसके नाम के पंजीकरण के लिए आवेदन निम्न श्रेणियों में दिया जा सकता है :

- ❖ **नई किस्म (N)** : यदि कोई किस्म अपनी पंजीकरण हेतु आवेदन दाखिल करने की तिथि से एक वर्ष से कम अवधि के लिए वाणिज्यीकृत की गई है तो यह नई किस्म है।
- ❖ **विद्यमान किस्म (EV)** : इसमें निम्नलिखित श्रेणियां हैं :
 - क. **बीज अधिनियम, 1966** की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित विद्यमान किस्म : बीज अधिनियम 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित किस्में इस श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण की पात्र हैं।

ख. कृषक किस्म (FV) : कृषकों द्वारा विकसित और उनके खेतों में परंपरागत रूप से उगाई गई जिसमें वे वन्य संबंधी या भू-प्रजातियां या किस्में भी शामिल हैं जिनके बारे में किसानों को सामान्य ज्ञान है।

ग. सामन्य ज्ञान की किस्म (VCK) : जो बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित नहीं की गई है और एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए वाणिज्यीकृत श्रृंखला में हैं।

घ. सार्वजनिक क्षेत्र की किस्म : ये पंजीकरण की पात्र नहीं हैं क्योंकि ये पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र में हैं।

❖ अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्म (EDV) : वह किस्म जो मुख्यतः आरंभिक किस्म या आरंभिक किस्म से व्युत्पन्न किसी किस्म से विकसित की गई हो जिसमें ऐसे अनिवार्य गुण व्यक्त हुए हों जो ऐसी आरंभिक किस्म के जीनप्ररूप के संयोग या जीनप्ररूप से विकसित हुए हों।

1.8 किस्मों के फील्ड परीक्षण की अवधि

आवेदन पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जाता है और आवेदक को डीयूएस परीक्षण शुल्क जमा कराना होता है। वांछित शुल्क और बीज प्राप्त करने के पश्चात् किस्म को डीयूएस परीक्षण करने के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र भेजा जाता है। डीयूएस परीक्षण केन्द्र की अवधि निम्नानुसार है :

क. नई किस्में : दो स्थानों पर दो समान फसल वर्ष

ख. कृषक किस्म और वी सी के : दो स्थानों पर एक फसल मौसम

ग. बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित विद्यमान किस्म : डीयूएस परीक्षण नहीं किया जाता है लेकिन किस्म की ईवीआरसी समिति द्वारा जांच की जाती है जो इसके पंजीकरण की सिफारिश करती है।

घ. ई डी वी : डीयूएस परीक्षण अनिवार्य नहीं है लेकिन डीयूएस मानदंडों की पुष्टि के लिए फील्ड परीक्षण किया जाता है।

डीयूएस परीक्षण परिणाम प्राप्त होने के बाद आवेदन पर फिर कार्रवाई की जाती है और यदि दावा किए गए गुण तथा डीयूएस परीक्षण में ज्ञात किए गए गुण समान होते हैं तो उस किस्म का विज्ञापन किया जाता है। यदि दावा किए गए गुण और डीयूएस परीक्षण द्वारा निर्धारित गुण भिन्न होते हैं तो आवेदक को आवेदन में संशोधन करने की आवश्यकता होती है।

आवेदन को भारतीय पौधा किस्म जरनल में विज्ञापित किया जाता है जिसमें प्रकाशन की तिथि से 3 माह की अवधि तक आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं। यदि कोई आपत्ति दाखिल नहीं होती है या कोई विरोध दर्ज नहीं कराया जाता है या दाखिल की गई आपत्ति को रद्द कर दिया जाता है तो आवेदन का पंजीकरण किया जाता है। सुरक्षा की अवधि निम्नानुसार है :

1.9 सुरक्षा अवधि तथा सुरक्षा के लिए पात्र फसलें / प्रजातियां

फील्ड फसलें – 15 वर्ष

वृक्ष और लताएं – 18 वर्ष

बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित विद्यमान किस्म : बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत अधिसूचना की तिथि से 15 वर्ष।

सुरक्षा के लिए पात्र फसलों / प्रजातियों की संख्या—92

1.10 प्रजनक को दिए गए अधिकार

पंजीकरण से कृषक को किसी किस्म के नाम को उत्पन्न करने, बेचने, उसका विपणन करने, आयात—निर्यात करने का एकमात्र अधिकार मिल जाता है और कृषक पंजीकृत किस्म के बीज को किसी भी रूप में प्रयुक्त कर सकता है, बशर्ते कि वह ब्रांडेड न हो।

1.11 कृषकों / कृषक समुदायों को पुरस्कार

पीपीवी और एफआर नियमावली, 2003 के नियम 70(2)(क) के साथ पढ़े जाने वाले अधिनियम की धारा 45(2) में विशेष रूप से कृषि जैवविविधता हॉट स्पॉट्स के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों व उनके वन्य संबंधियों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार तथा परिरक्षण में लगे आदिवासी तथा ग्रामीण समुदायों के किसानों, किसान समुदायों को राष्ट्रीय जीन निधि से सहायता प्रदान करने तथा पुरस्कृत करने का प्रावधान है। इन प्रावधानों को परिचालित करने के लिए 2009–10 से **पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार प्रारंभ** किया गया है। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष अधिकतम पांच पुरस्कार दिए जाते हैं। जिसमें ₹ 10 लाख नकद उद्धरण तथा स्मृति चिन्ह दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त 10 व्यक्तिगत **पादप जीनोम संरक्षक कृषक प्रतिदान** जिसमें प्रत्येक को एक लाख रुपये नकद, उद्धरण तथा स्मृति चिह्न दिए जाते हैं और 20 **पादप जीनोम संरक्षक कृषक सम्मान** प्रमाण—पत्र भी किसानों को दिए जाने आरंभ किए गए। पुरस्कार विजेताओं का चयन किसी विशेषज्ञ वैज्ञानिक के नेतृत्व में अत्यधिक व्यापक विशेषज्ञों / वैज्ञानिकों की समिति द्वारा किया जाता है।

2. पौधा किस्म पंजीकरण की प्रगति

2.1 फसल प्रजातियों के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का प्रकाशन

केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनी शक्तियों का निर्वहन करते हुए वर्ष 2014–15 के दौरान पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण अधिनियम, 2001 के तहत किस्मों के पंजीकरण के लिए उपयुक्त 33 फसलों को उनके वंश तथा प्रजातियों के साथ अधिसूचित किया गया (तालिका 1) जिनका विवरण नीचे प्रस्तुत है।

तालिका 1 : पंजीकरण के लिए अधिसूचित वंश / प्रजातियां

क्र. सं.	अंग्रेजी नाम	हिन्दी नाम	वानस्पतिक नाम
1	Almond	बदाम	पूनस डलिक्स (मिल.) डी.ए. बैब
2	Apple	सेब	मैलस डोमेस्टिका बॉर्क
3	Apricot	खुबानी	पूनस आर्मेनियाका एल.
4	Indian jujube (Ber)	बेर	जिजिफस मॉरीटिआना लैंक
5	Bottle Gourd	लोकी (धिया)	लेजीनेरिया सिसिरेरिया (मोल) स्टैण्डल
6	Bitter Gourd	करेला	मोमोर्डिका चार्स्ट एंड एल.
7	Barley	जौ	हार्डियम वल्नोर एल.
8	Casurina	जंगली सरू	कैजुआरीना जंगहुनिआना मिक.
9	Cucumber	खीरा	कुकुमिस सैटाइवस एल.
10	Coriander	धनिया	कोरिएन्ड्रम सैटाइवम एल.
11	Cherry	चेरी	पूनस ऐवियम एल.
12	Grapes	अंगूर	वाइटिस उप प्रजाति
13	Eucalyptus	सफेदा	यूकैलिप्टस ट्रेटिकॉर्निस सिम
14	Eucalyptus	सफेदा	यूकैलिप्टस कोमाडुलेन्सिस डिहम्ब
15	Fenugreek	मेथी	ट्राइगोलेना फीनम-ग्रीकम एल.
16	Orchid	आर्चिड	कैटलिया लिंडल
17	Orchid	मोथआर्चिड	फैलियोनॉप्सिस ब्लूम
18	Pear	नाशपाती	पायरस कम्प्यूनिस एल.
19	Pumpkin	कद्दू	कुकुरबिटा मोस्केटा डच एक्स पॉयर

क्र. सं.	अंग्रेजी नाम	हिन्दी नाम	वानस्पतिक नाम
20	Pomegranate	अनार	प्यूनिका ग्रेनेटम एल.
21	Walnut	अखरोट	जुगलैन्स रेगिया एल.
22	Tea	चाय	कैमेलिया साइनेन्सिस
23	Tea	चाय	सी. असमिका स्पैलैजियो कैलिक्स
24	Tea	चाय	कैमेलिया असमिका
25	Acid Lime	नींबू	सिट्रस ऑण्टीफोलिया स्विंगल
26	Mandarin	संतरा	सिट्रस रेटीकुलेटा ब्लांको
27	Sweet Orange	मौसमी	सिट्रस साइनेन्सिस (एल) ऑस्ब्रेक
28	Bougainvillea	बोगनविलिया	बोगेनविलिया कॉम. एक्स जस
29	Banana	केला	मुसा उप-प्रजाति
30	Canna	कैना	कैना एल.
31	Gladiolus	ग्लेडिओलस	ग्लैडिओलस एल.
32	Muskmelon	खरबूजा	कुकुमिस मिलो एल.
33	Watermelon	तरबूज	सिट्रलस लेनेटस (थम्ब) मैन्स्फ

ये फसल प्रजातियां अनाज, सब्जियाँ, फलों, फूलों, पेय, बीजीय मसालों तथा वन्य प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्राधिकरण के पंजीकरण दायरे को बढ़ाने से उपरोक्त वंश एवं प्रजातियों को कानूनी संरक्षण प्रदान होगा और साथ ही इन फसलों में कृषि के विविधीकरण एवं व्यापार को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

2.2 प्राप्त आवेदन


प्राधिकरण को कुल 2,251 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें कि अधिनियम के तहत पौधा किस्म संरक्षण के लिए कुल 56 फसलों का प्रतिनिधित्व था (चित्र 1 एवं 2)। आवेदन, नई किस्मों (343), प्रचलित अथवा विद्यमान किस्मों (189), किसान द्वारा विकसित किस्मों (1717) तथा अनिवार्यत उत्पन्न किस्मों (EDV) (02) से संबंधित थे।

तालिका 2 : प्राधिकरण में प्राप्त आवेदन की स्थिति

श्रेणी—वार प्राप्त आवेदन	सेक्टर—वार प्राप्त आवेदन
नई	343
प्रचलित	189
ईडीवी	02
सार्वजनिक	140
निजी	393
किसान	1718

श्रेणी—वार प्राप्त आवेदन		सेक्टर—वार प्राप्त आवेदन	
किसान	1717	कुल	2251
कुल	2251		

वर्ष के दौरान कुल 56 वंश/प्रजातियों के पंजीकरण



चित्र 1 : श्रेणीवार प्राप्त आवेदन

चित्र 2 : सेक्टर—वार प्राप्त आवेदन

के लिए प्राप्त आवेदन कुल 28 पौधा परिवार से संबंधित थे (तालिका 3) जिनका विवरण इस प्रकार है :

तालिका 3 : पंजीकरण के लिए प्राप्त पौधा परिवारों के साथ फसलों की सूची

क्र. सं.	पौधा परिवार	फसलें
1	पोयसि	गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार अथवा सोरधम, गन्ना एवं जौ
2	फेबीएसी	चना, अरहर, मटर, मूँग, उड्ढ, राजमा, सोयाबीन, मसूर एवं मूँगफली
3	मालवेसी	कपास एवं भिण्डी
4	टिलिएसी	पटसन अथवा जूट
5	सोलोनैसी	बैंगन, टमाटर एवं आलू
6	ब्रैसिकेसी	भारतीय सरसों, तोरिया, बंदगोभी एवं फूलगोभी
7	जिंजिबेरेसी	छोटी इलायची, हल्दी एवं अदरक
8	एसटीरेसी	सूरजमुखी एवं कुसुंभ
9	यूफोरबीएसी	अरण्डी
10	एनाकार्डियासि	आम
11	एरीकेसी	नारियल
12	एमारॉयलीये	प्याज
13	रोजेसी	गुलाब एवं सेब
14	पाईपरेसी	काली मिर्च
15	पिडेलियासिये	तिल
16	आर्किडेसी	आर्किड
17	लिनिएसी	अलसी
18	एलियासि	लहसुन
19	रुटासि	नींबू एवं माल्टा
20	म्यूसासि	केला
21	कुकुरबिटासि	करेला, लौकी, खीरा, कदू
22	एंपिएसी	धनिया

क्र. सं.	पौधा परिवार	फसलें
23	फेबेसी	मेथी
24	रेहनासिये	भारतीय जुजुबे (बेर)
25	लिथ्रासिये	अनार
26	लैमियासिये	पोदीना
27	विटासिये	अंगूर
28	जगलैण्डसिये	अखरोट

अनाज, गौण अनाज अथवा कदन्न, दलहन, तिलहन, व्यावसायिक फसलों, सब्जियों, मसालों, फूलों तथा फलों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। सबसे अधिक आवेदन अनाज (1291) के लिए जबकि इसके उपरान्त कमशः सब्जी (298), दलहन (203), तिलहन (158), रेशा फसलें (88), गौण अनाज अथवा कदन्न (63), फल (63) एवं अन्य (88) के लिए प्राप्त हुए जिनका विवरण नीचे तालिका 4 में दर्शाया गया है।

तालिका 4 : पंजीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों का फसल—वार विवरण

फसलें	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	किसान द्वारा विकसित किस्म	कुल
नींबू	-	-	02	02
सेब	-	-	01	01
केला	-	-	02	02
जौ	-	03	12	15
करेला	03	21	10	34
उड्ढ	-	-	33	33
काली मिर्च			01	01
लौकी अथवा धिया	01	09	21	31
बैंगन	04	20	22	46
बंदगोभी	01	09	02	12
अरण्डी	-	-	04	04
फूलगोभी	-	03	04	07
चना	-	-	35	35
नारियल	15	-	01	16
धनिया	-	-	11	11
खीरा	02	06	10	18
द्विगुणित कपास	04	-	-	04
मेथी	-	-	08	08
मटर	02	-	17	19
लहसुन	04	-	12	16
अदरक	-	-	18	18

फसले	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	किसान द्वारा विकसित किस्म	कुल
अंगूर	-	-	04	04
मूँग	-	-	27	27
मूँगफली	03	-	03	06
भारतीय जुजुबे (बेर)	-	-	02	02
सरसों	02	05	25	32
तोरिया	01	-	17	18
पटसन या जूट	02	-	05	07
राजमा	-	-	24	24
मसूर	-	-	31	31
अलसी	01	-	22	23
मक्का	08	51	73	132
आम	-	-	48	48
मिन्थॉल पोदीना	-	-	01	01
भिण्डी	12	19	06	37
प्याज	08	-	04	12
आर्किंड	-	-	01	01
बाजरा	02	44	04	50
अरहर	-	04	49	53
अनार	-	-	01	01
आलू	-	05	09	14
कद्दू	-	-	21	21
चावल	30	68	999	1097
गुलाब	-	04	01	05
कुसुम्म	01	-	02	03
तिल	02	-	17	19
छोटी इलायची	-	-	02	02
सोरधम	-	06	07	13
सोयाबीन	11	-	04	15
गन्ना	03	-	11	14
सूरजमुखी	00	22	-	22
मौसमी	-	-	01	01
त्रिगुणित कपास	04	73	-	77
टमाटर	05	16	10	31
हल्दी	-	-	27	27
अखरोट	-	-	01	01
गेहूं	09	05	33	47
कुल	140	393	1718	2251

पंजीकरण की सूची में सबसे अधिक आवेदन चावल (1097) के थे वहीं इसके उपरान्त कमशः मक्का (132), कपास (81), अरहर (53), बाजरा (50), आम (48), गेहूं (47), बैंगन (46), भिण्डी (37) तथा चना (35) के आवेदन प्राप्त हुए।

2.3 नई / अनिवार्यतः उत्पन्न किस्मों का पंजीकरण

वर्ष 2014–15 के दौरान प्राप्त कुल 343 नई किस्मों के आवेदनों में से जहां 40 आवेदनों को सार्वजनिक क्षेत्र/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के अंतर्गत, 302 आवेदनों को निजी क्षेत्र के अंतर्गत और केवल एक आवेदन को किसानों की किस्म के तहत नई श्रेणी में दर्ज कराया गया। निजी क्षेत्र से ईडीवी के दो आवेदन भी प्राप्त हुए। नई/ईडीवी किस्म के अंतर्गत दर्ज आवेदनों की जांच पौधा किस्म पंजीकरण द्वारा की गई और जहां जरूरी था, वहां स्पष्टीकरण मांगे गए। यह पाया गया कि अधिकांश स्पष्टीकरण आमतौर पर किस्मों की बिक्री के साक्ष्य, पैतृक सामग्री के कानूनी तौर पर उपार्जन के साक्ष्य, पैतृक सामग्री के स्रोत, तकनीकी प्रश्नावली (समूह/विशिष्ट/अन्य गुण), वंशावली/वंशकम, प्रजनन तकनीकों, तथा संदर्भ किस्मों के साथ तुलना आदि से संबंधित थे। समयबद्ध रीति में पंजीकरण की प्रक्रिया को सुचारू बनाने और उसमें तेजी लाने के लिए जरूरी विवरण के बारे में प्रजनकों को परिचित कराने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा अनेक स्तरों पर कार्य किया जा रहा है। अभी तक, पंजीकरण के दो आवेदनों को रद्द किया गया है। बीज अधिनियम, 1966 के तहत इसकी अधिसूचना की तारीख से संरक्षण अवधि के 15 वर्ष पूरे होने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के एक आवेदन को भी संरक्षण से हटाया गया है। सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वालीं अभ्यर्थी किस्मों के आवेदनों को पंजीकरण एवं डीयूएस की जांच के लिए निर्धारित शुल्क जमा कराने के लिए कहा गया है और साथ ही फसल विशिष्ट डीयूएस जांच दिशानिर्देश के अनुसार बीज विशेषण रिपोर्ट के साथ बीज सामग्री की निर्दिष्ट मात्रा को जमा कराने के लिए कहा गया है। इसलिए, दो स्थानों पर दो एक जैसे फसल मौसम के लिए डीयूएस जांच करने हेतु संबंधित केन्द्रों को बीज नमूने भेजे गए।

2.4 प्रचलित किस्मों का पंजीकरण

प्रचलित किस्में जिनमें बीज अधिनियम, 1966 के अनुच्छेद 5 (1966 का 54) के तहत अधिसूचित किस्में अथवा किसानों द्वारा विकसित की गई किस्में या फिर ऐसी किस्म शामिल होती है जिसके बारे में आमतौर पर जानकारी उपलब्ध रहती है। अधिनियम में यह परिभाषित किया गया है कि एक किसान का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कि

- (i) स्वयं फसलों की खेती करता है, अथवा
- (ii) किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से खेती कराकर सीधे तौर पर फसलों की खेती की निगरानी करता है, अथवा
- (iii) वन्य प्रजातियों अथवा पारम्परिक किस्मों को किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर संयुक्त रूप से संरक्षित अथवा परिरक्षित करता है, अथवा
- (iv) चयन के माध्यम से तथा उनके उपयोगी गुणों की पहचान करके वन्य प्रजातियों अथवा पारम्परिक किस्मों में मूल्य वर्धन करता है।

किसान की किस्म अथवा किसानों द्वारा विकसित किस्म का तात्पर्य एक ऐसे वन्य संजात अथवा किसी किस्म की प्रजाति से है जिसके बारे में किसान के पास प्रचलित जानकारी होती है। प्रचलित अथवा सामान्य जानकारी की किस्म (वीसीके) का तात्पर्य एक ऐसी किस्म से है जिसे बीज अधिनियम, 1966 के तहत जारी तथा अधिसूचित नहीं किया गया है लेकिन प्रकाशनों के माध्यम से इसे दस्तावेजी रूप दिया गया है और यह किस्म की परिभाषा को संतुष्ट करती है अथवा (ii) अभ्यर्थी किस्म की किस्मों के अधिकारिक रजिस्टर में प्रविष्ट होनी चाहिए अथवा वह इस प्रक्रिया में होनी चाहिए, अथवा (iii) अभ्यर्थी किस्म में एक संदर्भ संकलन शामिल किया जाना चाहिए या फिर प्रकाशन में इसका सटीक वर्णन किया गया हो, अथवा (iv) किसी भी अन्य साधन अथवा कारण से किस्म की प्रचलित जानकारी होनी चाहिए तथा पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय किस्म, खेती अथवा विपणन के अंतर्गत होनी चाहिए।

रिपोर्टर्धीन अवधि के दौरान, प्रचलित किस्मों के अंतर्गत पंजीकरण के लिए कुल 1906 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें अधिसूचित श्रेणी में 84, प्रचलित जानकारी वाली किस्म में 105 तथा किसानों की किस्म में 1717 आवेदन प्राप्त हुए। अधिनियम के तहत पीपीवी एंड एफआर विनियमन, 2006 के विनियमन 6 के अनुसरण में प्राधिकरण द्वारा बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत जारी किस्मों के आवेदनों की जांच के लिए तथा पंजीकरण हेतु इन किस्मों की उपयुक्तता पर रजिस्ट्रार को सिफारिश करने के लिए एक विद्यमान किस्म अनुशंसा समिति (ईवीआरसी) गठित की गई।

2.4.1 अनिवार्यतः उत्पन्न किस्म (ईडीवी) पर विशेषज्ञ समिति

सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 6 अक्टूबर, 2015 तक अनिवार्यतः उत्पन्न किस्म (ईडीवी) के पंजीकरण पर प्रोफेसर बी.एस. डिल्लों, कुलपति, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना के नेतृत्व में गठित समिति को बनाए रखने का अनुमोदन किया गया। ईडीवी श्रेणी में कुल एक सौ

अठहत्तर आवेदन प्राप्त हुए और वीआईसीएच-5 बीजी-II के नामकरण के साथ कपास किस्म के केवल एक आवेदन को पंजीकरण का प्रमाण—पत्र प्रदान किया गया। एक जैसे नामकरण होने के कारण दो आवेदनों को निरस्त कर दिया गया। शेष 175 आवेदनों में से 112 आवेदनों की जांच प्रारंभिक किस्मों (IVs) के साथ तुलना करते हुए कीट नाशीजीव प्रतिरोधिता के लिए Bt जीन की प्रभावशीलता जांचने के लिए गई।

2.4.2 प्रचलित किस्म संस्तुति समिति (ईवीआरसी)

प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त किस्मों के पंजीकरण हेतु जांच एवं सिफारिश करने के लिए एक सात सदस्यीय ईवीआरसी गठित की गई। इस समिति में अध्यक्ष के रूप में डॉ. ए.आर. पाठक, कुलपति, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय; सदस्य के रूप में डॉ. के. ई. लावण्डे, पूर्व कुलपति, डॉ. बीएसकेकेवी, दपोली; डॉ. जी.एन. हजारिका, अनुसंधान निदेशक, असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट; डॉ. बी.सी. विरक्तमठ, पूर्व परियोजना निदेशक, डीआरआर, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद; डॉ. बी. सिंह, परियोजना समन्वयक (सब्जी), आईआईवीआर, वाराणसी; डॉ. एम. रामासामी, सीएमडी, रासी सीड़स (प्रा.) लि. तथा किसान प्रतिनिधि के रूप में बीजापुर, कर्नाटक के श्री प्रकाष गौड़ा एस. पाटिल को शामिल किया गया। रिपोर्टर्धीन अवधि के दौरान, ईवीआरसी द्वारा अपनी तीन बैठकों में बीज अधिनियम, 1966 के तहत अधिसूचित प्रचलित किस्म श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण के प्रयोजन हेतु कुल 102 आवेदनों की सिफारिश की गई। कुल 102 किस्मों में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 46, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की 41 तथा निजी क्षेत्र की 15 किस्में शामिल थीं। सिफारिश की गई किस्मों की फसलवार स्थिति इस प्रकार है :

तालिका 5 : ईवीआरसी द्वारा पंजीकरण के लिए सुझाई गई फसलों / किस्मों की स्थिति

क्र. सं.	फसल	संख्या	क्र. सं.	फसल	संख्या
1	उड्ड	2	15	मूंगफली	7
2	लौकी	1	16	भारतीय सरसों	4
3	ब्रेड गेहूं	1	17	राजमा	1
4	बैंगन	1	18	मक्का	1
5	बंदगोभी	1	19	भिण्डी	10
6	फूलगोभी	1	20	प्याज	4
7	चना	2	21	बाजरा	3
8	नारियल	6	22	तोरिया	1
9	द्विगुणित कपास	4	23	चावल	22

क्र. सं.	फसल	संख्या	क्र. सं.	फसल	संख्या
10	चर्तुगुणित कपास	5	24	सोयाबीन	11
11	झुरूम गेहूं	2	25	गन्ना	1
12	मटर	2	26	टमाटर	5
13	लहसुन	2		कुल	102
14	मूँग	2			

हितधारकों की जानकारी के लिए और साथ ही प्रकाशन के 90 दिनों के भीतर किसी भी प्रकार की आपत्ति को आमंत्रित करने के लिए सुझाई गई किस्मों का पासपोर्ट डाटा प्लांट पौधा किस्म जरनल (पीवीजे) में प्रकाशित कराया गया। इसके उपरान्त, आवेदकों को संरक्षण की अवधि के दौरान राष्ट्रीय जीनबैंक में मध्यम अवधि के भण्डारण के लिए बीज सामग्री की निर्दिष्ट मात्रा जमा कराने के लिए कहा गया।

प्रचलित किस्मों के पंजीकरण को बीज अधिनियम, 1966 जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/राज्य कृषि विश्वविद्यालय/अन्य अनुसंधान संगठनों/उद्योगों में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (एनएआरएस) के अंतर्गत फसल किस्मों मुख्यतः प्रजाति के संरक्षण हेतु एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, के तहत अधिसूचित किया गया और अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) के तहत बहु स्थानिक परीक्षणों में जांचा गया। इन किस्मों को कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत कार्य कर रही केन्द्रीय बीज समिति (सीएससी) द्वारा जारी किया जा चुका है। यह एक प्रकार से मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत पौधा प्रजनकों के अथक लाभ को मान्यता प्रदान करता है और इस प्रावधान को बढ़ाकर, पौधा प्रजनक/संस्थान अपनी किस्मों का कानूनी रूप से संरक्षण कर सकते हैं, लाइसेंस दे सकते हैं और इससे राजस्व/रॉयलटी अर्जित कर सकते हैं जो कि भावी अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में मददगार हो सकते हैं।

क्र. सं.	फसल	आवेदनों की संख्या
1.	अनाज	25
2.	रेशा	9
3.	गौण अनाज	4
4.	तिलहन	23
5.	रोपण	6
6.	दलहन	9
7.	गन्ना	1
8.	सब्जियां	25
	कुल	102

2.5 किस्मों के पंजीकरण की प्रगति

वर्ष 2014–15 के दौरान, प्राधिकरण द्वारा कुल 32 फसल प्रजातियों के लिए पंजीकरण हेतु 842 प्रमाण—पत्र जारी किए गए जिनका विवरण तालिका 6 (अनुलग्नक –XI) में नीचे प्रस्तुत है।

तालिका 6 : फसलवार जारी प्रमाण पत्रों का विवरण

क्र. सं.	फसल	प्रमाण पत्रों की संख्या	क्र. सं.	फसल	प्रमाण पत्रों की संख्या
1	उड्डद	04	18	मक्का	08
2	बैंगन	06	19	भिण्डी	01
3	बंदगोभी	01	20	बाजरा	08
4	अरण्डी	02	21	अरहर	08
5	चना	05	22	आलू	13
6	नारियल	06	23	चावल	540
7	कपास	35	24	कुसुम	04
8	मटर	04	25	तिल	01
9	लहसुन	01	26	सोरघम	48
10	मूँग	07	27	सोयाबीन	07
11	मूँगफली	21	28	गन्ना	01
12	सरसों	41	29	सूरजमुखी	29
13	तोरिया	02	30	टमाटर	02
14	पटसन या जूट	01	31	हल्दी	02
15	राजमा	03	32	गेहूं	27
16	मसूर	01		कुल	842
17	अलसी	03			

सबसे अधिक प्रमाण—पत्र चावल (540) में एवं तदुपरान्त कमशः सोरघम (48), सरसों (41), कपास (35) तथा सूरजमुखी (29) में जारी किए गए। वर्ष 2014–15 के दौरान जारी किए गए पंजीकरण के कुल 842 प्रमाण—पत्रों में से नई श्रेणी, प्रचलित अधिसूचित, प्रचलित वीसीके तथा किसान श्रेणी से संबंधित कमशः 111, 215, 55 एवं 461 प्रमाण—पत्र थे।

2.6 डीयूएस परीक्षण केन्द्र

2.6.1 अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना, जोधपुर

बाजरा में डीयूएस परीक्षण के लिए अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना नोडल केन्द्र है। अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना, जोधपुर तथा एमपीकेवी, राहुरी में डीयूएस विशेषताओं के लिए बी वंशक्रम (21), आर वंशक्रम (17) तथा संकर (22)

सहित कुल साठ किस्मों का अध्ययन किया गया और उनका (केवल बी तथा आर वंशकम) का रख—रखाव किया गया जिसका विवरण इस प्रकार है :



तालिका 7 : प्रजनन/लक्षणवर्णन के रख—रखाव की प्रगति

प्रजाति का नाम	किस्मों की संख्या	स्रोत (स्वयं द्वारा जारी/भाकृअनुप/राकृषि)
बाजरा	60	संकर (सार्वजनिक एवं निजी) तथा सार्वजनिक एवं इकीसेट से पैतृक वंशकम/बी वंशकम को जारी करना

खरीफ 2014 के दौरान डीयूएस परीक्षण किया गया। अखिल भारतीय समचित बाजरा अनुसंधान परियोजना, जोधपुर तथा एमपीकेवी, राहुरी में बाईस संदर्भ/तुलनात्मक किस्मों के साथ दूसरे वर्ष के लिए कुल उन्नीस अभ्यर्थी किस्मों और पहले वर्ष के लिए कुल छत्तीस अभ्यर्थी किस्मों का परीक्षण किया गया जिसका कि विवरण इस प्रकार है :

तालिका 8 : डीयूएस परीक्षण के तहत किस्मों की प्रगति

फसल	नई		कुल	मॉनीटरिंग की तारीख	अध्यक्ष
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष			
बाजरा	34	25	59	1 अक्टूबर, 2014	डॉ. एच. पी. यादव, परियोजना समन्वयक

बाजरा के संबंध में दर्ज किए गए आवेदनों और प्रमाण—पत्रों की स्थिति इस प्रकार है :

तालिका 9 : नई/प्रचलित अधिसूचित/किसान की किस्म

फसल	बीज अधिनियम, 1966 (1992 से) के तहत अधिसूचित किस्म	पंजीकरण के लिए दर्ज आवेदन	जारी प्रमाण—पत्र	टिप्पणी
बाजरा	65 ,केवल सार्वजनिक क्षेत्र)	45	33	लम्बित : 5 विचारणीय नहीं : 3 निर्णय नहीं किया गया : 4

2.6.2 बीज प्रौद्योगिकी अनुसंधान इकाई (एसटीआरय), एमपीकेवी, राहुरी

एमपीकेवी, राहुरी द्वारा डीयूएस परीक्षण के लिए सोरघम, बाजरा तथा चने को चिन्हित किया गया। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान डीयूएस परीक्षण की प्रगति इस प्रकार है :

तालिका 10 : डीयूएस परीक्षण की प्रगति

फसल	नई		कुल	संदर्भ	मॉनीटरिंग की तारीख	मॉनीटरिंग दल
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष				
खरीफ ज्वार	10	9	20	25	29 सितम्बर, 2014	डॉ. जे.वी. पाटिल : अध्यक्ष डॉ. हरि प्रसन्ना:
रबी ज्वार	4	3	7	9	27 जनवरी, 2015	नोडल अधिकारी (डीयूएस) भारतीय कदम्ब अनुसंधान संरक्षण, हैदराबाद डॉ. वी.आर. शेलर, नोडल अधिकारी (डीयूएस), एसटीआरयू, एमपीकेवी, राहुरी
बाजरा	34	25	59	18	14 अक्टूबर, 2014	डॉ. बलवंत सिंह राजपुराहित : नोडल अधिकारी (डीयूएस), एआईसीपीएम आईपी, जोधपुर डॉ. वी.आर. शेलर, नोडल अधिकारी (डीयूएस), एसटीआरयू, एमपीकेवी, राहुरी

सोरघम अथवा ज्वार :

क) खरीफ मौसम

दिनांक 29 सितम्बर, 2014 को ज्वार के डीयूएस परीक्षण की मॉनीटरिंग की गई। मॉनीटरिंग का आकलन इस प्रकार है :

- ❖ परीक्षण का स्तर बेहतर था और सभी प्रविष्टियों तथा प्लॉटों में सुझाई गई पौधा संख्या को बनाए रखा गया ।
- ❖ वर्गीकरण के आधार पर समुचित संदर्भ किस्मों को चुना गया तथा उन्हें रोपा गया ।
- ❖ जांच परीक्षणों के आयोजन हेतु दिशानिर्देशों का पालन करते हुए सभी गुणों (मात्रात्मक एवं गुणात्मक) को दर्ज किया गया ।

ख) रबी मौसम

मॉनीटरिंग का आकलन इस प्रकार है :

- ❖ सभी प्रविष्टियों तथा प्लॉटों में सुझाई गई पौधा संख्या को बनाए रखा गया ।
- ❖ वर्गीकरण के आधार पर समुचित संदर्भ किस्मों को चुना गया तथा उन्हें रोपा गया ।
- ❖ जांच परीक्षणों के आयोजन हेतु दिशानिर्देशों का पालन करते हुए सभी गुणों (मात्रात्मक एवं गुणात्मक) को दर्ज किया गया ।
- ❖ पक्षियों से होने वाले नुकसान की गंभीरता को देखते हुए मॉनीटरिंग दल ने पक्षियों से बचाव के लिए स्थाई उपाय अपनाने का सुझाव दिया ।

बाजरा :

बाजरा के डीयूएस परीक्षण की मॉनीटरिंग का कार्य दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 को किया गया और मॉनीटरिंग दल परीक्षण के आयोजन तथा वर्गीकरण गुणों के अनुसार संदर्भ किस्मों के चयन से संतुष्ट था। पूरे फसल मौसम के दौरान विभिन्न डीयूएस गुणों पर आकलन को दर्ज करने के संबंध में मॉनीटरिंग दल संतुष्ट था।

2.6.3 वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान (आईएफजीटीबी), कोयम्बटूर

सफेद एवं जंगली सरु (कैजूआरीना)

सफेद तथा जंगली सरु (कैजूआरीना) के क्लोन के पंजीकरण हेतु प्राथमिक तैयारी प्रारंभ की गई जिसके तहत चलाई गई अनेक गतिविधियाँ थीं : कोयम्बटूर तथा नेवेली में जननद्रव्य बैंक की स्थापना, आकृतिविज्ञान गुणों पर आकलनों को दर्ज करना, तथा डीयूएस केन्द्रों की स्थापना के लिए भूमि की पहचान करना; उदाहरण अथवा तुलनात्मक



किस्मों के पौधों का पर्याप्त संख्या में प्रवर्धन और तदुपरान्त परीक्षण ब्लॉक में उनका रोपण, क्लोन्स के डाटाबेस का लक्षणवर्णन एवं विकास तथा डीयूएस लक्षण मैट्रिक्स। आईएफजीटीबी परिसर में स्थित जंगली सरु तथा सफेदा क्लोन्स के जननद्रव्य बैंक का रख-रखाव किया गया। जंगली सरु तथा सफेदा क्लोन्स दोनों में डीयूएस लक्षणों के लिए परीक्षण भी आयोजित किया गया। डीयूएस परीक्षणों के लिए इन पौधों के त्वरित गुणनीकरण हेतु स्व: पात्रे शाकीय गुणनीकरण उद्यान में सफेदा तथा जंगली सरु क्लोन्स की संदर्भ किस्मों को रोपा गया।

2.6.4 भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान (आईआईपीआर), कानपुर

डीयूएस परीक्षण के प्रयोजन के लिए नोडल केन्द्र के रूप में कार्यरत भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर में क्रियान्वित अखिल भारतीय समन्वित चना अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत चना फसल को चिन्हित किया गया। प्रजनन/लक्षणवर्णन के रख-रखाव की प्रगति का विवरण इस प्रकार है :

फसल	किस्में	स्रोत
चना	पीबीजी 5, आरबीजी 203, आरबीजी 202, जीएनजी 1969, विकास, सीएसजे 515, सी 235, विश्वास, आरएसजी 963, जेजी 16, जेजीके 3, जीएनजी 1292, जेएकेआई 9218, जेजी 11, एचके 2, पीबीजी 4, केडल्ल्युआर 108, एकेजीएस 9303-1, विराट, एचसी 5, सीएसजेके 6, एचसी 3, जेजीके 1, जेजी 315, पीबीजी 1, एल 550, एल 555, जेजी 130, हिमाली, पीकेवी काबुली 2, जीएनजी 1958, आरएसजी 931, एचके 4, आरबीकेजी 101, आरएसजीके 6, आईसीसीवी 2, पीबीजी 3, आरएसजी 945, आरबीजी 201, विशाल, जेजी 14, एकेजीएस 1, एल 552, बीजीडी 112, आरएसजी 991, के 850, राजस, पीकेवी काबुली 4, सीएसजेके 21, आरएसजी 902,	राज्य कृषि विश्व-विद्यालय

फसल	किस्में	स्रोत
	जेजी 6, विजय, केपीजी 59, आरएसजी 895, जीएनजी 663, एचके 1, जीएनजी 1499, पंत जी 186, जीएनजी 1488, आरएसजी 888, आरएसजी 974, आईसीसीवी 10, गुलक 1, सीएसजेडी 884, जीएनजी 1581, विहार, आरएसजी 896, एचसी 1, कृपा, आरएसजी 973, पीजी 12, पीडीजी 5, राधे, जीपीएफ 2, जेजी 515, अन्नगिरी 1, अवरोध्य, डीसीपी 92–3, आरएसजी 10, सीएसजी 8962, जीजी 2, पूसा 72, आरएसजी 11, जीसीपी 105, आईसीसीवी 37, चफ्फा, एनडीजी 11–11, छठमळ 452, जीएल 769, पीबीजी 1, जीजी 3, पूसा 547, आरएसजी 44, जीएनजी 146, आरएसजी 2, पीडीजी 3, पूसा 261, पीडीजी 4, पूसा 212, सदाबहार, पूसा 391, एकजी 9303–12, पूसा 240, जेजी 218, दाहोद येलो, पूसा 362, वैभव, बीजीएम 413, आरएसजी 807, पूसा 209, बीजी 256, पूसा 244, जीएनजी 469, आरएसजी 959, जेएससी 35, दिग्विजय, पंत जी 114, एच 82–2, जीसीपी 101, पूसा 329, पूसा 1108, आईपीसीके 2004–29, पूसा 267, जीएलके 26155, पूसा 1105, एल 551, सीएसजेके 54, एचके 98–155, जीएनजी 1491, बीजीडी 128, सीएसजेके 77, आरवीएसजेके 102, जेकेजी 3, फुले जी 0027, पूसा 1088	
	बीजी 5028, बीजी 2085, बीजी5023, बीजी 1103, बीजी 2023, बीजी 3022, बीजी 1053	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

डीयूएस परीक्षण के संबंध में केवल तीन किस्में थीं जिनमें परीक्षण के पहले तथा दूसरे वर्ष प्रत्येक में एक—एक नई किस्म और एक किसान किस्म शामिल थी। नई जारी की गई किस्म जीएनजी 1581 को सात संदर्भ किस्मों नामतः बीजी 256, बीजी 261, डीसीपी 92–3, जीपीएफ 2, एच 82–2, पंत जी 114 तथा एचसी 3 के साथ बोया गया। नई जारी की गई किस्म पीकेवी 4 को सात संदर्भ किस्मों नामतः केएके 2, बीजीडी 128, आरवीकेजी 101, जेकेजी 3, आईपीसीके 2002–29, एचके 2 तथा बीजी 1053 के साथ बोया गया। किसानों द्वारा विकसित किस्म आनन्द चना को सात संदर्भ किस्मों नामतः एच 82–2, आरएसजी 44, अन्नगिरी 1, दाहोद येलो, सी 235, राधे तथा आरएयू 52 के साथ बोया गया। डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार इन किस्मों को तीन पुनरावृत्तियों में 8 पंक्ति वाले प्लॉटों में उगाया गया। प्रत्येक किस्म के प्लॉट में फसल अच्छी थी और पौधों की संख्या पर्याप्त थी। फसल बढ़वार की भिन्न

अवस्थाओं में विभिन्न लक्षणों अथवा गुणों पर आकलन को दर्ज किया गया। डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पीपीवी एंड एफआरए ने दिनांक 26 फरवरी, 2015 को परिक्षण केन्द्र का दौरा किया।



2.6.5 केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई), शिमला

केन्द्र द्वारा अपने सीपीआरआई परिसर, मोदीपुरम में स्थित खेत में सीपीआरआई द्वारा जारी की गई आलू की 48 किस्मों तथा 62 संदर्भ किस्मों का रख—रखाव किया गया। इसके अलावा, सीपीआरआई, शिमला की जननद्रव्य रिपोजिट्री में सीपीआरआई की 46 किस्मों, 29 यूपीओवी किस्मों, 18 विदेशी किस्मों, 7 राज्य किस्मों तथा 104 देसी



आलू की विभिन्न किस्मों में अंकुरण



आलू की अलग—अलग किस्मों की पत्तियां



विभिन्न अधिसूचित तथा सन्दर्भ आलू की किस्मों के कन्द

संकलनों को शामिल करके कुल 204 प्राप्तियों का स्व: पात्रे रख—रखाव किया गया। रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान नई किस्मों के संकलन, लाहूल स्पीति (हिमाचल प्रदेश) से एक प्राप्ति, इम्फाल (मणिपुर) से दो तथा पूर्वी खासी पर्वतीय क्षेत्र (मेघालय) से उन्नतालिस प्राप्तियों अथवा किस्मों को संकलित किया गया और उन्हें केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान में स्व: पात्रे संदर्भ संकलन में शामिल किया गया। डीयूएस परीक्षण के संबंध में सीपीआरआई से कुफरी गरिमा, कुफरी गौरव, 9 विदेशी किस्मों यथा कस्टेली, पनामेरा, लुसिंडा, टॉरस, क्रिस्प्स फॉर ऑल, सैगिटा, मेम्फिस, इवोरा तथा एचजेडडी 01-58 का संबंधित संदर्भ किस्मों यथा कुफरी पुखराज, कुफरी ज्योति, कुफरी जवाहर, लेडी रोजेटा, एटलांटिक सैण्टाना तथा के. फाइसोना के साथ लक्षणवर्णन किया गया और डीयूएस के लिए परीक्षण किया गया।

केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी की आलू की अङ्गतालिस किस्मों और बासठ संदर्भ किस्मों का मूल्यांकन एवं लक्षणवर्णन किया गया। लक्षणवर्णन के लिए मानक डीयूएस डिस्किप्टर्स के अनुसार अंकुरण गुणों, पौधे में शाकीय गुणों तथा कंदीय गुणों पर आंकड़ों को दर्ज किया गया। तुड़ाई अथवा कटाई (90 दिनों की फसल अवधि पर) के समय उपज संघटकों (कुल एवं बाजार योग्य उपज तथा कंदों की संख्या) को भी दर्ज किया गया। सभी संदर्भ किस्मों के अंकुरण व पत्तियों तथा कंदों के फोटोग्राफ भी लिए गए। उपरोक्त किस्मों की कंदीय सामग्री को अगले वर्ष के दौरान मूल्यांकन/लक्षणवर्णन/रख—रखाव प्रयोजन के लिए बनाए रखा गया। नोडल केन्द्र तथा सह नोडल केन्द्र पर डीयूएस परीक्षण की प्रगति को नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 11 : डीयूएस परीक्षण के तहत किस्मों की स्थिति

नवीन		कृषक (एफवी)	कुल	मॉनीटरिंग की तारीख	अध्यक्ष
प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष				
9	2 (सार्व जनिक)	1	12	सीपीआरएस, जालंधर: 4 फरवरी, 2015 सीपीआरआईसी, मेरठ: 10 मार्च, 2015	डॉ. पी.एस. नाइक, पूर्व निवेशक, आईआईवीआर, वाराणसी

2.6.6 केन्द्रीय आलू अनुसंधान स्टेशन (सीपीआरएस), जालंधर

प्रथम वर्ष के परीक्षणों में नौ नई किस्मों और द्वितीय वर्ष के परीक्षणों में दो किस्मों पर डीयूएस परीक्षण किए गए। नौ नई किस्मों यथा मेम्फिस, सैगिटा, इवोरा, क्रिस्प फॉर ऑल, पैनामिरा, लुसिंडा, कैस्टेली, टॉरस, एचजेडडी 010-58 को प्रथम वर्ष के परीक्षणों में जांचा गया वहीं दो

किस्मों यथा कुफरी गौरव तथा कुफरी गरिमा की जांच सार्वजनिक संस्थान से द्वितीय वर्ष के दौरान की गई। संदर्भ किस्मों यथा सैण्टाना, एटलांटिक, कुरी फायोसा, लेडी रोसेटा, कुफरी पुखराज, कुफरी ज्योति, कुफरी जवाहर, कुफरी पुष्कर के साथ इन किस्मों को शीतगृह से निकालने के 30 दिनों के पश्चात् अंकुरण गुणों के लिए आंकड़ों को निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर दर्ज किया गया।

आंशिक अंकुरण : प्रबल अथवा प्रभावी रंग

आंशिक अंकुरण : आकृति

आंशिक अंकुरण : अंकुरण के आधार पर एन्थोसॉयनिन रंग की सघनता

आंशिक अंकुरण : अंकुरण शीर्ष पर एन्थोसॉयनिन रंग की सघनता

आंशिक अंकुरण : प्यूबेसेन्स आधार

आंशिक अंकुरण : अग्रस्थ अंकुरण की लंबाई (सेमी.)

इन ग्यारह किस्मों को उपरोक्त संदर्भ किस्मों के साथ खेत में रोपा गया और रोपण के 50 दिन पश्चात् पर्णीय गुणों पर आंकड़ों को दर्ज किया गया जिसका विवरण इस प्रकार है :

तना: ठोस या मजबूत तना:	पौधा : पर्णीय संरचना पौधा :	पत्ती : संरचना
अनुप्रस्थ काट	पंख	पत्ती : रेकिस का एन्थोसॉयनिन रंग
तना: प्रभावी रंग	पौधा : पंख की तरह	पत्ती : मध्य धारियों का एन्थोसॉयनिन रंग
तना: सेकेण्डरी रंग	पौधा : मुख्य तने की ऊंचाई (सेमी.)	पत्ती : लंबाई (सेमी.)
तना: सेकेण्डरी रंग का वितरण		पत्ती : ऊँचाई (सेमी.)
		पत्ती : पत्ती (पार्श्व) की आकृति
		पत्ती : सिरों का धुंधरालापन
		पत्ती : ऊपर की ओर चिकनापन
		पत्ती : अग्रस्थ रोसेट या लाल रंग पर ब्लेड का प्यूबेसेन्स

रोपण के 90 दिन पश्चात् पर्णीय परिपक्वता दर्ज की गई। रोपण के 115 दिन पश्चात् कंदीय विशेषताओं पर आंकड़े दर्ज किए गए जैसे कि कंदः प्रभावी त्वचा रंग, कंदः सेकेण्डरी त्वचा रंग, कंदः सेकेण्डरी त्वचा रंग का वितरण, कंदः त्वचा अथवा आवरण की प्रकृति, कंदः आकृति, कंदः आंख की गहराई, कंदः गूदे का प्रभावी रंग, कंदः गूदे का सेकेण्डरी रंग, तथा कंदः गूदे के सेकेण्डरी रंग का वितरण। दिनांक 5 फरवरी, 2015 को कंदीय गुणों पर लिए गए आंकड़ों की भी निगरानी एक दल द्वारा की गई जिसमें डॉ. पी.एस. नायक, पूर्व निवेशक, आईआईवीआर, वाराणसी

डीयूएस मॉनीटरिंग दल के अध्यक्ष और श्री दीपल राय चौधरी, संयुक्त रजिस्ट्रार, पीपीवी एंड एफआरए शामिल थे।

2.6.7 केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (सीआईसीआर), क्षेत्रीय केन्द्र, कोयम्बटूर

कोयम्बटूर रिथित सीआईसीआर का क्षेत्रीय केन्द्र कपास के डीयूएस परीक्षण के लिए नोडल केन्द्र है। कृषि योग्य कपास की सभी चारों प्रजातियों (गॉसीपियम हिर्स्टम, जी. बारबाडेन्स, जी. आर्बोरियम तथा जी. हर्बासियम) को इस प्रयोजन के लिए चिह्नित किया गया। रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान प्रजनन रख-रखाव/लक्षणवर्णन की प्रगति इस प्रकार है :

तालिका 12 : प्रजनन रख-रखाव / लक्षणवर्णन की प्रगति

प्रजाति का नाम	किस्मों की संख्या	स्रोत
कपास (जी. हिर्स्टम)	129	भाकृअनुप/राज्य कृषि विश्वविद्यालय
कपास (जी. बारबेडेन्स)	4	भाकृअनुप/राज्य कृषि विश्वविद्यालय
कपास (जी. आर्बोरियम)	27	भाकृअनुप/राज्य कृषि विश्वविद्यालय
कपास (जी. हर्बासियम)	4	भाकृअनुप/राज्य कृषि विश्वविद्यालय

डीयूएस मॉनीटरिंग की प्रगति इस प्रकार है :

तालिका 13 : डीयूएस परीक्षण की स्थिति

फसल	नवीन		वीसीके	कृषक	ईडीवी IV (यदि कोई)	कुल	मॉनीटरिंग की तारीख	अध्यक्ष
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष						
कपास	68	33	53	1	45	200	22–23 दिस., 2014	डॉ. के. राधिनायेल, प्रधान वैज्ञानिक एवं नोडल अधिकारी, सीआईसीआर (आरएस), कोयम्बटूर

कपास की विशिष्टता, एकरूपता तथा स्थिरता (डीयूएस) परीक्षण की मॉनीटरिंग का कार्य दिनांक 22–23 दिसम्बर, 2014 को किया गया। मॉनीटरिंग का आयोजन डॉ. के. राधिनायेल, प्रधान वैज्ञानिक एवं नोडल अधिकारी (डीयूएस), सीआईसीआर (क्षेत्रीय स्टेशन), कोयम्बटूर द्वारा किया गया। अनुसंधान एसोसिएट एवं परियोजना सहायक द्वारा सभी परीक्षणों में आकलन एवं डाटा को दर्ज करते हुए प्रत्येक



प्रविष्टि के लिए दावा किए गए गुणों की प्रामाणिकता हेतु जांच में मदद की गई। मॉनीटरिंग के कार्य के दौरान विभिन्न निजी बीज उद्योगों के दस प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और आकृतिविज्ञान गुणों को अभिव्यक्त करने के लिए संबंधित किस्मों, संकर किस्मों और पैतृक वंशकर्मों का आकलन किया। सर्दियों के दौरान, 53 संदर्भ किस्मों के साथ-साथ परीक्षण के दूसरे वर्ष के लिए उनसठ नई त्रिगुणित अभ्यर्थी किस्मों, पहले वर्ष में परीक्षण हेतु प्रचलित जानकारी वाली 54 नई त्रिगुणित किस्मों और किसान द्वारा विकसित एक किस्म को बोया गया और उनकी जांच की गई। इन किस्मों के परीक्षण किए गए और आंकड़ों को दर्ज किया गया। डीयूएस परीक्षणों की मॉनीटरिंग की रिपोर्ट को पीपीवी एंड एफआरए को प्रस्तुत किया गया। पीपीवी एंड एफआरए के पास पंजीकरण की अद्यतन स्थिति को नीचे दर्शाया गया

तालिका 14 : नवीन/वीसीके/प्रचलित अधिसूचित/किसान द्वारा विकसित किस्म

फसल	बीज अधिनियम, 1966 (1992 से) के तहत अधिसूचित किस्म	पंजीकरण के लिए दर्ज आवेदन	जारी प्रमाण-पत्र
कपास (जी. हिर्स्टम)	प्रचलित नवीन	58	27
कपास (जी. आर्बोरियम)	प्रचलित नवीन	5	2
कपास (जी. हर्बासियम)	प्रचलित नवीन	23	13
कपास (जी. हर्बासियम)	प्रचलित	3	1
		3	3

2.6.8 केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (सीआईसीआर), नागपुर

रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान, केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर में डीयूएस लक्षणवर्णन के लिए पांच

विभिन्न परीक्षणों हेतु बुवाई की गई। परीक्षण के प्रथम वर्ष में ईडीवी, वीसीके तथा नए जीनप्ररूपों; परीक्षण के दूसरे वर्ष में जीनप्ररूपों तथा भावी सीजन में ईडीवी, नई किस्मों और वीसीके के जीनप्ररूपों को शामिल किया गया। बीजपत्राधर रंजकता, पत्ती तथा फूल के गुणों, बॉल तथा पौधा बढ़वार गुणों पर आंकड़ों को उपरोक्त सभी जीनप्ररूपों की तीन पुनराकृतियों में दर्ज किया गया। पुनः बीज तथा रुई पर आंकड़ों को दर्ज किया गया। एक बार पूरा होने पर इन आंकड़ों को पुनः विश्लेषण के लिए संकलित किया जाएगा। बॉल की परिपक्वता तक सभी डीयूएस गुणों के लिए ईडीवी तथा उनकी प्रारंभिक किस्मों की व्यापक रूप से निगरानी की गई। किसी भी एक गुण के संबंध में भिन्नता रखने वाली किस्मों पर ईडीवी के रूप में विचार नहीं किया गया। सभी गुणों में एकरूप रहने वाली किस्मों (13 ईडीवी) को एलाइजा द्वारा पुनः Bt. जांच के लिए शामिल किया गया। कुछ बीजी—॥ संकरों में Bt. जीन के लिए तथा साथ ही कुछ अन्य बीजी ॥ संकरों में किसी भी एक जीन की उपस्थिति में पृथक्करण पाया गया। बॉल की आकृति, पत्ती का प्रकटन, वर्तिकाग्र का खिंचाव आदि जैसे कुछ गुणों के लिए एकजैसे जीनप्ररूपों के भीतर भिन्नता पाई गई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालय प्रणाली द्वारा जारी की गई तीस संदर्भ किस्मों का रख—रखाव डीयूएस परीक्षण के प्रयोजन हेतु किया गया जो कि डीयूएस जांच के सफल आयोजन हेतु अति महत्वपूर्ण है। डीयूएस परीक्षण तथा इसकी मॉनीटरिंग की प्रगति को नीचे दर्शाया गया है।



तालिका 15 : डीयूएस परीक्षण के तहत किस्मों की प्रगति

फसल	नवीन		वीसीके /ईडीवी	कुल	मॉनीटरिंग की तारीख	अध्यक्ष
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष				
कपास	54	30 (सौ, आवारियम के 2 जीनप्ररूप)	53	49	186	18 नवम्बर, 2014
कुल	54	30	53	49	186	डॉ. के. राधिनावेल, प्रशान वैज्ञानिक एवं नोडल अधिकारी, सीआईसीआर (आरएस), कोयम्बटूर

प्रोटोकॉल के अनुसार परीक्षण किए गए और प्रत्येक किस्म के लिए पौधों की पर्याप्त संख्या को बनाए रखा गया। अधिकांश अभ्यर्थी किस्मों में आकृतिविज्ञान गुणों के बहुत अच्छे प्रकटीकरण के साथ फसल बढ़वार को संतोषजनक के रूप में दर्ज किया गया। कुछ जीनप्ररूप नियमित रूप से पौधा संरक्षण के उपायों को अपनाए जाने के बावजूद चूसक नाशीजीवों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील पाए गए। प्रत्येक अभ्यर्थी किस्म के दावों के साथ तुलना करने के लिए परागकोश और पंखुड़ी के रंग हेतु कड़ाई से आंकड़ों को दर्ज किया गया।



2.6.9 पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू), लुधियाना

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना को योजना के तहत कपास और गेहूं के डीयूएस परीक्षण के लिए नोडल केन्द्र के रूप में चिह्नित किया गया है। खरीफ 2014 के दौरान, परीक्षण के लिए कपास की कुल 108 किस्में प्राप्त हुई जिनमें से 86 अभ्यर्थी किस्मों का विवरण नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 16 : कपास में डीयूएस परीक्षण की प्रगति

फसल	नवीन		वीसीके /ईडीवी	कुल	मॉनीटरिंग की तारीख	फसल
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष				
कपास	19	22	6	18	18	83
					9 सितम्बर, 2014	डॉ. के.आर. कान्ति, निदेशक, सीआईसीआर, नागपुर

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के डीयूएस जांच दिशानिर्देशों के अनुसार दिनांक 20—24 मई, 2014 को परीक्षणों हेतु किस्मों को बोया गया। समय—समय पर पौधा संरक्षण उपायों को अपनाते हुए परीक्षण के आयोजन हेतु उचित देखभाल की गई। डॉ. के.आर. कान्ति, निदेशक, सीआईसीआर, नागपुर की अध्यक्षता में डॉ. के.राधिनावेल, नोडल अधिकारी, डीयूएस परियोजना, सीआईसीआर (क्षेत्रीय स्टेशन), कोयम्बटूर ने डॉ. गीता बरसी, सह—नोडल अधिकारी, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना की उपस्थिति में दिनांक 9 सितम्बर, 2014 को

डीयूएस का खेत परीक्षण किया। जांच दल में अन्य सदस्य इस प्रकार थे :

- i) डॉ. ए.एच. प्रकाश, परियोजना समन्वयक एवं अध्यक्ष, सीआईसीआर, कोयम्बटूर
- ii) डॉ. सुमन बाला सिंह, अध्यक्ष, फसल सुधार संभाग, सीआईसीआर, नागपुर
- iii) डॉ. एम.वी. वेणुगोपाल, अध्यक्ष, पीएमई सेल, सीआईसीआर, नागपुर
- iv) डॉ. ब्लेज, अध्यक्ष, फसल उत्पादन संभाग, सीआईसीआर, नागपुर

हेलिकोपर्फ आर्मीजेरा के प्रथम इनस्टार लार्वा की मृत्युदर पर ईडीवी तथा आईवी की विभिन्न बीटी कपास किस्मों के प्रभाव, बीटी जीन की प्रभावशीलता को जानने के लिए कीटविज्ञान विभाग, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना की आईपीएम प्रयोगशाला में परीक्षण आयोजित किया गया। लार्वा के विकास की पूरी अवधि के दौरान उन्हें पांच पुनराकृतियों में विभिन्न बीटी कपास की पत्तियों को 24 घंटे के अंतराल पर प्रथम इनस्टार लार्वा को खिलाया गया।

2.6.10 चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (सीसीएसएचएयू), हिसार

हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, कपास तथा चने के लिए एक डीयूएस केन्द्र है। कपास की 43 संदर्भ किस्मों तथा चने के 17 संदर्भ किस्मों के साथ कमशः कपास की छियासी और चने की तीन अभ्यर्थी किस्मों को उगाया गया और तुलना के आंकड़ों को दर्ज किया गया। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान डीयूएस परीक्षण की प्रगति को नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 17 : डीयूएस परीक्षण के अंतर्गत प्रगति

फसल	नवीन		बीसीके	ईलीवी IV (यदि कोई)		कुल	मॉनीटरिंग की तारीख	अध्यक्ष
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष		ईडीवी	IV			
कपास	19	22	6	18	18	83	11 सित., 2014	डॉ. के. आर. कांति, निदेशक, सीआईसीआर, नागपुर
चना	1	1	1	.	.	3	.	.
कुल	20	23	7	18	18	86		

तकनीकी प्रगति :

द्विगुणित तथा चर्तुगुणित कपास की जांची गई सभी

अभ्यर्थी किस्में निजी क्षेत्र से संबंधित थीं। हालांकि, चने के संबंध में जांची गई अभ्यर्थी किस्में सार्वजनिक क्षेत्र से थीं। डीयूएस परीक्षणों का विन्यास एवं रख—रखाव संतोषजनक था। अधिकांश किस्मों में फसल बढ़वार तथा आकृतिविज्ञान गुणों का प्रकटन अच्छा था। आंकड़ों को सही ढंग से संकलित किया गया और डाटाशीट का रख—रखाव सही तरीके से तैयार किया गया था। खेत, खरपतवारों से मुक्त थे और अधिकांश प्लॉटों में पौधे स्वस्थ थे जिनमें सभी आकृतिविज्ञान गुणों को प्रकट करने की क्षमता थी। हालांकि, ऐसे कुछ प्लॉट जिनमें कि पछेती बुवाई की गई थी, में कपास पत्ती कुंचन वायरस रोग का उच्च आपतन देखने को मिला। फसल पुनरुत्पादित अवस्था में थी। क्वाइट फ्लाई का आपतन अथवा प्रकोप आर्थिक थ्रेसहोल्ड स्तर (ईटीएल) से अधिक था। समग्र प्रदर्शन, फसल बढ़वार, परीक्षण आयोजन करने तथा आंकड़ों को दर्ज करने की विधि उत्कृष्ट एवं उत्साहवर्धक थी। समग्र प्रदर्शन तथा डीयूएस परीक्षणों के रख—रखाव से मॉनीटरिंग दल पूर्णतः संतुष्ट था।



2.6.11 तोरिया एवं सरसों अनुसंधान निदेशालय (डीआरएमआर), भरतपुर


केन्द्र में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार ब्रैसिका की 117 किस्मों का रख—रखाव किया गया।

प्रजाति का नाम	किस्मों की संख्या	स्रोत
ब्रैसिका जन्सिया	81	भाकृअनुप / राज्य कृषि विश्वविद्यालय
ब्रैसिका कैरीनेटा	04	भाकृअनुप / राज्य कृषि विश्वविद्यालय
ब्रैसिका रैपा	26	भाकृअनुप / राज्य कृषि विश्वविद्यालय
ब्रैसिका नेपस	06	भाकृअनुप / राज्य कृषि विश्वविद्यालय

तालिका 18 : डीयूएस परीक्षण की प्रगति

फसल	नवीन		वीसीके	कृषक (एफनी)	कुल	मॉनीटरिंग की तारीख	अध्यक्ष
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष					
भारतीय सरसों	3	1	3	6	13	4 मार्च, 2015	डॉ. क.एच. सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, डीआरएमआर, भरतपुर
तोरिया	-	-	-	7	7		
कुल	3	1	3	13	20		

विभिन्न तारीखों पर बीज प्राप्त होने के कारण तोरिया तथा सरसों की बीस किस्मों को तीन विभिन्न तारीखों पर रोपा गया। तोरिया किस्म जेर्इएनजी एक्सएआरआईएच (JENG XARIAH) में भारतीय सरसों (ब्रेसिका जन्सिया) के पौधे भी थे। किसानों की किस्म नामतः कार्टिका, श्वेतसरी, बाधी सरसों, लुथी सरसों में पौधा ऊंचाई, सिलिका वक और अन्य गुणों के लिए पृथक्करण किया गया। किसान द्वारा विकसित की गई एक अन्य किस्म श्वेतसरी में भी दो भिन्न इकोटाइप पीली सरसों तथा बी.रैपा की तोरिया का मिश्रण था। हाइब्रिड मस्टर्ड 5121 में वंध्य पौधे पाए गए।



इसके अलावा, स्व:परागण (सेलिफंग) / सहोदर समागम प्रणाली का अनुपालन करते हुए 117 किस्मों का रख-रखाव किया गया। सभी प्रकार के आंकड़ों को दर्ज किया गया और उनका विश्लेषण किया गया। दो प्रचलित अथवा विद्यमान किस्मों के संबंध में पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किए गए, हालांकि, नवीन तथा वीसीके दोनों की एक-एक किस्म के लिए अभी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया जाना है।

2.6.12 डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ (पीडीकेवी), एसटीआरयू, अकोला

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, एसटीआरयू अकोला, अरहर तथा कुसुम्भ के लिए एक डीयूएस परीक्षण केन्द्र है। अरहर के लिए नोडल केन्द्र जहां भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर में अखिल भारतीय समन्वित अरहर अनुसंधान परियोजना है वहीं कुसुम्भ के लिए नोडल केन्द्र, तिलहन निदेशालय (डीओआर), हैदराबाद को बनाया गया है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, कुसुम्भ तथा अरहर की कमशः 24 एवं 63 किस्मों को लक्षणवर्णन तथा रख-रखाव के लिए उगाया गया जिनका विवरण इस प्रकार है।



कुसुम्भ (24)	अरहर (63)
ए 1, जेर्सएफ 1, नीरा, नारी—एनएच 1, जीएमयू 2369, ए 2, जेर्सआई 7, मंगिरा, नारी—एच 15, नारी 38, ए 300, जेर्सआई 73, शारदा, डीएसएच 129, एसएसएफ 658, एकेएस 207, जेर्सआई 97, पीबीएनएस 12, एमएमएस, भीमा, जेर्सआई 99, जेर्सएसएफ 414, सी 2829—5—3ए—6, गिरना, नारी 6, पीबीएनएस 40, एमएसवी 10—1—5	यूपीएएस (उपास) 120, वम्बन 1, टीएटी 10, एके 101, मानक, जीटी 100, जीएस 1, एमए 6, पारस, सीओ 6, एलआरजी 38, एमए 3, एएल 201, जीटी 101, टीएस 3, एमएएल 13, एएल 15, आईसीपीएल 8863, आईसीपीएल 85063, एनडीए 1, पूसा 992, टीटीबी 7, बीडीएन 2, पूसा 9, पूसा 855, एकेटी 8811, एलआरजी 30, डीए 11, पूसा 84, डब्ल्यूआरपी 1, बीएसएमआर 736, आजाद, पूसा 33, जेर्सएम 7, पीटी 221, अमर, पूसा 991, बीएसएमआर 853, बीडीएन 708, विरसा अरहर 1, पूसा 2001, आईसीपीएल 87119, सीओ 5 बहार, पूसा 2002—02, जीटी 1, एचवाई 3सी, टी 7, आईसीपीएल 151, सी 11, वम्बन 2, सीओ 7, आईसीपीएल 87, जीएयूटी 00आईई, आईसीपीएल 332, जेर्सएम 189, सीओआरजी 9701, जेर 4, टीवी 1, पीकेवी—तारा, जीसी 11—39, टी 15—15, एके 022

डीयूएस परीक्षण की प्रगति को नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 19 : अरहर के डीयूएस परीक्षण की स्थिति

फसल	नवीन		वीसीके	कृषक (एफवी)	कुल	मॉनीटरिंग की तारीख	अध्यक्ष
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष					
अरहर	10	02	02	05	19	26 नवम्बर, 2014	नाइल अधिकारी, डीयूएस केन्द्र, डॉ. पीडीकवी, अकोला

2.6.13 केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान (सीपीसीआरआई), कासरगोड़

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी एंड एफआरए) द्वारा सीपीसीआरआई को नारियल (कोकोस न्यूसिफेरा एल.) के डीयूएस परीक्षण हेतु चिन्हित किया गया है। रख-रखाव प्रजनन/लक्षणवर्णन की प्रगति का विवरण नीचे प्रस्तुत है।

प्रजाति का नाम	किस्मों की संख्या	स्रोत
नारियल	11	भाकृअनुप – सीपीसीआरआई

वर्ष 2013 के दौरान खेत में रोपी गई नारियल की 11 संदर्भ किस्मों की पौद पर डीयूएस जांच आंकड़ों को उत्पन्न करने के प्रयोजन से विभिन्न वृद्धि पैरामीटरों यथा पौद ऊंचाई, डंठल की लंबाई, पौध की परिधि, शीर्ष में पत्तियों की संख्या, पत्तियों की संख्या, पत्ती की लंबाई, पत्ती की चौड़ाई पर आंकड़ों को दर्ज किया गया। नारियल की जारी की गई/प्रचलित किस्मों पर डाटाबेस का विकास करने हेतु फल की विशेषताओं नामतः कोमल गिरी जल, भार, फल की ध्रुवीय तथा समानान्तर आकृति, फल की लंबाई तथा चौड़ाई, छिलका मोटाई की आकृति, छिलके वाले फल की लंबाई व चौड़ाई, आवरण की मोटाई तथा भार, ताजा भ्रूण पोष मोटाई, छिलकायुक्त फल भार, छिलके का भार, शुष्क भ्रूणपोष भार से संबंधित आंकड़ों को चयनित संदर्भ किस्मों में दर्ज किया गया। पुनः डीयूएस लक्षणवर्णन के लिए उपयुक्त नवीन डिस्किप्टर्स की पहचान करने हेतु पुष्पकम की लंबाई, पुष्पकम फलन भाग, पुष्पकम पर्णवृत्त, पुष्पकम पर्णवृत्त अथवा डंठल की परिधि, स्पाइकलेट्स की संख्या, स्पाइकलेट की लंबाई, मादा फूलों की लंबाई, चौड़ाई एवं परिधि, स्पाइकलेट की 4 सेमी. लंबाई में नर फूलों की संख्या; नर फूलों का भार; नर फूलों का भार; स्पाइकलेट के आधारीय भाग की लंबाई (आधार से पहले मादा फूल तक); स्पाइकलेट के भाग वाले नर फूलों की लंबाई; मादा फूलों की लंबाई, चौड़ाई तथा एल/बी अनुपात जैसे पुष्पकम गुणों पर बौनी संदर्भ किस्मों में अध्ययन किया गया। भिन्नता के विश्लेषण से किस्मों के बीच उल्लेखनीय अन्तर का पता चला जिससे किस्मीय

विभेदन में उपयोगिता हेतु अवसरों का पता चला।

नारियल की चयनित संदर्भ/जारी/प्रचलित किस्मों नामतः सीओडी, डब्ल्यूसीटी, कल्प प्रतिभा, कल्प धेनु, कल्प मित्र, कल्प हरिता, कल्पतरु, एसएनआरटी, चन्द्र कल्प, केरा चन्द्रा, कल्परक्षा, जीबीजीडी, एलएमटी, स्पाइकैटा टॉल, एमओडी, सीजीडी, एमवाईडी की लगभग 40 स्वस्थ बीज गिरी को डीयूएस परीक्षण एवं पौध आकलन के लिए पौद के सृजन हेतु पॉलीबैग में बोया गया।

नारियल किस्मों के पंजीकरण के मामले में, छः प्रचलित अधिसूचित किस्मों और नवीन श्रेणी के लिए पंजीकरण प्रमाण—पत्र जारी किया गया तथा नवीन श्रेणी के तहत एक एवं प्रचलित अधिसूचित के लिए दो किस्मों के लिए यह प्रक्रिया अभी लम्बित है। किसानों द्वारा विकसित किस्मों के मामले में सात आवेदनों की सिफारिश परीक्षण के लिए की गई है। वीसीके श्रेणी के पांच आवेदनों की सिफारिश ऑन—साइट डीयूएस परीक्षण के लिए की गई है और एक आवेदन का मामला अभी लम्बित है।

2.6.14 भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (आईआईएचआर), बंगलुरु

गुलाब

कुल एक सौ दस किस्मों का रख-रखाव एवं लक्षणवर्णन डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया। इनमें से दस किस्में भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान की, 22 किस्में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रणाली की और 78 अन्य व्यावसायिक किस्में थीं।

तालिका 20 : डीयूएस परीक्षण की स्थिति

फसल	वीसीके	कुल	मॉनीटरिंग की तारीख
गुलाब	2 किस्में	2	18 नवम्बर, 2014

डीयूएस केन्द्र : संदर्भ किस्मों के साथ तुलना करते हुए एकरूपता एवं विशिष्टता के लिए दो किस्मों की जांच की गई। डीयूएस परीक्षण को प्राकृतिक रूप से हवादार पॉलीहाउस में किया गया। गुलाब में डीयूएस परीक्षण की सुविधा प्रदान करने के लिए, वर्तमान वर्ष से अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, एनएआरपी, पुणे में एक अन्य केन्द्र की पहचान की गई। है।

राष्ट्रीय गुलाब रिपोजिट्री : जांचे गए वंशकमों का गुणनीकरण किया गया और उन्हें राष्ट्रीय गुलाब रिपोजिट्री में शामिल किया गया। गुलाब रिपोजिट्री में गुलाब की दस व्यावसायिक स्प्रे किस्मों को शामिल किया गया। पॉलीहाउस खेती के तहत गुलाब के कर्तित फूलों की तीन किस्मों को रिपोजिट्री में शामिल किया गया। राष्ट्रीय गुलाब रिपोजिट्री में दो सौ बत्तीस किस्मों का रख-रखाव किया गया और



सोलह किस्मों का रख—रखाव पॉलीहाउस की खेती के तहत किया जा रहा है। डाटा तथा फोटो दोनों के संदर्भ में डिजिटल गुलाब रिपोजिट्री बनाई गई है। भारत में गुलाब की खेती को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक महत्व के आधार पर गुलाब को पुनः वर्गीकृत करने के प्रयास किए गए। नई किस्मों के साथ भारत में खुले पुष्प उत्पादन के अंतर्गत गुलाब का खेती क्षेत्रफल बढ़ाया जा रहा है। तदनुसार, गुलाब की किस्मों को खुले पुष्प उत्पादन एवं कर्तित पुष्प उत्पादन में पुनः वर्गीकृत किया गया है।

2.6.15 प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय (डीओजीआर), राजगुरुनगर, पुणे

यह केन्द्र प्याज व लहसुन की संदर्भ किस्मों के रख—रखाव और उनके डीयूएस परीक्षण के लिए उत्तरदायी है। डीयूएस परीक्षण की प्रगति को नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 21 : डीयूएस परीक्षण के तहत किस्मों की प्रगति

फसल	नवीन		वीरीके	एफवी	कुल	मॉनीटरिंग की तारीख	अध्यक्ष
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष					
प्याज	1	—	4	—	5	13 फरवरी, 2015 एवं 17 अप्रैल, 2015	डॉ. के.इ. लेवाण डै. पूर्व कुलपति, डॉ. शीएसकेकी, दपाली
लहसुन	—	—	—	3	3		
कुल	1	—	4	3	8		

प्याज के मामले में, प्याज व लहसुन अनुसंधान निदेशालय की एक नवीन किस्म तथा तीन प्रचलित किस्में तथा निजी क्षेत्र की छः प्रचलित किस्में शामिल थीं वहीं लहसुन के मामले में सभी पांचों किस्में किसानों द्वारा विकसित (जेआर—I) की गई थीं।

तकनीकी प्रगति :

केन्द्र द्वारा रबी के दौरान प्याज की कुल 39 किस्मों का, खरीफ मौसम के दौरान 10 किस्मों का और लहसुन की 18 किस्मों का रख—रखाव किया जा रहा है। इन

किस्मों में, प्याज व लहसुन की दीर्घ प्रदीप्ति दिवस वाली किस्मों का रख—रखाव सीआईटीएच, श्रीनगर में किया गया; बहुगुणक प्रवृत्ति वाली किस्मों का रख—रखाव तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर में किया गया और शेष किस्मों का रख—रखाव प्याज व लहसुन अनुसंधान निदेशालय, पुणे व भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में किया गया। खरीफ तथा रबी मौसम के दौरान अधिदेश के अनुसार प्याज की किस्मों का रख—रखाव किया जबकि लहसुन किस्मों का रख—रखाव रबी मौसम के दौरान किया गया।



डीयूएस खरीफ प्याज किस्मों का मूल्यांकन

खरीफ प्याज की दस किस्मों यथा एग्रीफाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, बी—780, भीमा राज, भीमा रेड, भीमा शुप्रा, भीमा श्वेता, भीमा डार्क रेड, भीमा सुपर तथा एन—53 की बुवाई दिनांक 21 जून, 2014 को की गई और दिनांक 12 अगस्त, 2014 को उठी हुई क्यारियों में पुनः रोपाई की गई।

डीयूएस रबी प्याज किस्मों का मूल्यांकन

रबी प्याज की कुल उन्तालिस किस्मों को दिनांक 18 नवम्बर, 2014 को बोया गया और दिनांक 11 जनवरी, 2015 को उनकी पुनः रोपाई की गई। फसल की तुड़ाई व खुदाई करके सभी आंकड़ों को दर्ज किया गया।

डीयूएस लहसुन किस्मों का मूल्यांकन

लहसुन की कुल अठारह किस्मों यथा भीमा ओंकार, भीमा पर्पल, जी—1, जी—41, जी—50, जी—282, जी—323, जी—386, जीजी—2, जीजी—3, जीजी—4, गोदावरी, ऊटी लोकल, फुले बासवंत, रानी बेन्नर लोकल, सिविकम लोकल, सिल्कुई लोकल तथा लेह लोकल को किसानों द्वारा विकसित किस्मों के साथ दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 को रोपा गया और सभी आंकड़ों को दर्ज किया गया।

2.6.16 भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान (पूर्व में तिलहन अनुसंधान निदेशालय — डीओआर), हैदराबाद

भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान जिसे कि पूर्व में

तिलहन अनुसंधान निदेशालय (डीओआर) के नाम से जाना जाता था, को अरण्डी (रिकिन्स कम्पनी), सूरजमुखी (हेलिएन्थस ऐनुअस एल.) तथा कुसुंभ (कार्थर्मस टिकटोरियस एल.) के लिए डीयूएस परीक्षण का कार्य और प्रजनन के रख-रखाव/लक्षणवर्णन व डीयूएस परीक्षण की प्रगति का कार्य सौंपा गया है जिसका विवरण नीचे प्रस्तुत है :

तालिका 22 : रख-रखाव के तहत संदर्भ किस्मों की स्थिति

फसल	संदर्भ किस्मों की संख्या
अरण्डी	3
सूरजमुखी	3

तालिका 23 : डीयूएस परीक्षण के तहत किस्मों की प्रगति

फसल	नवीन		वीसीके	मॉनीटरिंग की तारीख	अध्यक्ष
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष			
अरण्डी	1	शून्य	5	—	—
सूरजमुखी	28	3	शून्य	4 फरवरी, 2015	डॉ. डी.एम. हेगड़े, पूर्व परियोजना निदेशक, डीओआर
कुल	29	3	5		

चार निजी बीज कम्पनियों के प्रतिनिधियों के साथ डॉ. डी.एम. हेगड़े, पूर्व परियोजना निदेशक, तिलहन अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद की अध्यक्षता में मॉनीटरिंग दल ने दिनांक 4 फरवरी, 2015 को सूरजमुखी डीयूएस परीक्षण का दौरा किया। मॉनीटरिंग दल दावा की गई विशेषताओं और दर्ज किए गए आंकड़ों से संतुष्ट था।



2.6.17 चावल अनुसंधान निदेशालय (डीआरआर), हैदराबाद

भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान (आईआईआरआर) जिसे कि पूर्व में चावल अनुसंधान निदेशालय (डीआरआर) के नाम से जाना जाता था, चावल में डीयूएस परीक्षण के लिए एक प्रधान नोडल केन्द्र है। रिपोर्टार्धीन अवधि के दौरान, केन्द्र द्वारा निम्नानुसार प्रजनन का रख-रखाव/लक्षणवर्णन किया गया।

प्रजातियों की संख्या	किस्मों की संख्या	स्रोत
चावल	140	डीआरआर/भाकृअनुप

डीयूएस परीक्षण की प्रगति को नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 24 : डीयूएस परीक्षण के तहत किस्मों की प्रगति

फसल	नवीन		वीसीके	एफवी	कुल	मॉनीटरिंग की तारीख	अध्यक्ष
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष					
चावल	62	13	7	248	329	4 नवम्बर, 2014	डॉ. एल.वी. सुब्बा राव

कुल 62 नवीन किस्मों में से 5 किस्में सार्वजनिक क्षेत्र की नवीन श्रेणी से संबंधित थीं और सभी 9 वीसीके निजी क्षेत्र से संबंधित थीं वहीं किसानों द्वारा विकसित किस्मों की संख्या 248 थी। किसानों की किस्मों की पछेती बुवाई की गई और इसीलिए प्रकाश संवेदी किस्मों में अल्प अवधि पाई गई और किसी आकृतिविज्ञान का प्रकटन पर्याप्त नहीं था। दिनांक 4 नवम्बर, 2014 को डॉ. एल.वी. सुब्बा राव की अध्यक्षता में मॉनीटरिंग दल ने डीयूएस परीक्षण का दौरा किया। दिनांक 13 सितम्बर, 2014 को डॉ. आर.आर. हंचिनाल ने इकीसेट परिसर में स्थित डीआरआर फार्म में डीयूएस परीक्षण प्लॉटों का दौरा किया।

2.6.18 असम कृषि विश्वविद्यालय (एएयू), जोरहाट, असम

यह केन्द्र, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में डीयूएस परीक्षण के साथ-साथ किसानों की किस्मों के लिए चावल (ओरायजा सैटाइवा) के डीयूएस परीक्षण केन्द्रों में से एक है। प्रजनन के रख-रखाव एवं लक्षणवर्णन की प्रगति को नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 25 : प्रजनन रख—रखाव /लक्षणवर्णन के तहत किस्म की प्रगति

प्रजाति का नाम	किस्मों की संख्या	स्रोत
धान (ओरायजा सैटाइवा एल.)	15	स्वयं एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जारी

तालिका 26 : डीयूएस परीक्षण के तहत किस्मों की स्थिति

फसल	एफवी	मॉनीटरिंग की तारीख	अध्यक्ष
चावल	391	2 दिसम्बर, 2014	डॉ. एस.आर. दुआ, पूर्व प्रधान वैज्ञानिक, सीआरआरआई, कटक

मॉनीटरिंग की प्रगति

किसानों द्वारा विकसित किस्मों के कुल 391 नमूने प्राप्त हुए जिनमें से खेत में बोने पर 27 नमूनों में अंकुरण ही नहीं हो पाया। कुछ और अधिक मामलों में, रोपण के पश्चात् निकृष्ट फसल स्थापना हो सकी; फसल संख्या का आकार जीओटी के लिए पर्याप्त नहीं था। अंततः केवल 353 किस्मों को जीओटी के अनुरूपण में आगे बढ़ाया गया। इनमें से लगभग 10 प्रतिशत किस्में परिपक्व हुईं जबकि दो किस्मों में पूरी तरह से पुष्पन नहीं आया। शाकीय तथा पुनरुत्पादित अवस्था में आंकड़ों को दर्ज किया गया। प्रयोगों का समग्र प्रबंधन बेहतर था। यह सुझाव दिया गया कि लगभग एकजैसी अवधि वाली किस्मों को जीओटी के लिए उप—वर्गों में रखा जाए। कुल 62 लक्षणों पर किसानों द्वारा विकसित की गई 353 किस्मों का वृद्धि परीक्षण किया गया। केन्द्र द्वारा चावल में किसानों द्वारा विकसित की गई 20 किस्में दर्ज कराई गईं जो कि जीओटी के अंतर्गत थीं।



2.6.19 बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसएस एंड टी), तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर में डीयूएस



परीक्षण के लिए चावल, सूरजमुखी, उड़द और मुँग की फसल को चिन्हित किया गया। एकरूपता जांच के लिए पुष्पगुच्छ सहित चावल की बारह किस्मों के लिए डीयूएस परीक्षण किया गया। सभी आकृतिविज्ञान लक्षणों को दर्ज किया गया। बीज आकृतिविज्ञान तथा रासायनिक गुणों पर आंकड़ों को दर्ज करके उन्हें प्राधिकरण को भेजा गया। इसी प्रकार, सूरजमुखी की कुल 39 किस्मों अथवा प्रविष्टियों के लिए डीयूएस परीक्षण किया गया। सभी आकृतिविज्ञान गुणों का लक्षणवर्णन किया गया और उन्हें दस्तावेजी रूप दिया गया। बीज के आकृतिविज्ञान गुणों पर आंकड़ों को दर्ज किया गया। डीयूएस परीक्षण की प्रगति को नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 27 : चावल तथा सूरजमुखी में डीयूएस परीक्षण की प्रगति

फसल	नवीन		एफवी	संदर्भ किस्में	एकरूपता जांच के लिए पर्याप्त	कुल	मॉनीटरिंग की तारीख	अध्यक्ष
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष						
चावल	3	—	3	4	2	12	21 जनवरी, 2015	डॉ. एल. वी. सुब्बा राव, प्रधान वैज्ञानिक एवं नोडल अधिकारी, डीआरआर, हैदराबाद
सूरजमुखी								
संकर /ए वंशकम	28	3	—	13	—	44	27 फरवरी ए 2015	डॉ. डी. एम. हेगड़े, अध्यक्ष एवं पूर्व परियोजना निदेशक, डीआरआर, हैदराबाद
आर वंशकम	7	1		4	—			डॉ. मंगेश, वैज्ञानिक, डीआरआर, हैदराबाद
'उड़द'	—	—	3	—	—	3	—	—
'मुँग'	—	—	3	—	—	3	—	—
कुल	38	4	9	21	2	62		

* केन्द्र पर उड्डद और मूँग की प्रविष्टियों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। इस असफलता का कारण फसल अवधि (दिसम्बर, 2014 – जनवरी, 2015) के दौरान प्रचलित इस कृषि जलवायु क्षेत्र की परिस्थितियों और अत्यधिक सर्दी के प्रति किस्मों की गैर अनुकूलनता हो सकती है।

मॉनीटरिंग की प्रगति

क. चावल

अच्छी फसल बढ़वार के साथ खेत का रख-रखाव बेहतर तरीके से किया गया। तकनीकी दिशानिर्देश के अनुसार आंकड़ों को दर्ज किया गया और आवेदकों द्वारा दावा किए गए अधिकांश आंकड़ों के अनुरूपण में पाए गए। डीयूएस जांच का आयोजन बेहतर तरीके से किया गया।

ख. सूरजमुखी

आयोजित डीयूएस परीक्षणों का विन्यास नियोजित तरीके से किया गया और बेहतर पौधा स्थापना के साथ सभी प्रविष्टियों में उत्कृष्ट प्रकटन पाया गया। तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय में डीयूएस परीक्षण की मॉनीटरिंग का कार्य बुवाई के 60–65 दिन पश्चात् किया गया। मृदाजनित रोगों से बचने के लिए डीयूएस स्थल को समीपस्थ प्लॉट में स्थानान्तरित किया गया।



2.6.20 बाजरा अनुसंधान स्टेशन, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जामनगर

जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जामनगर में स्थित बाजरा अनुसंधान स्टेशन द्वारा अरण्डी (रिकिन्स कम्प्यूनिस) का डीयूएस परीक्षण किया जाता है। रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान, अरण्डी की 6 किस्मों तथा 11 संकर किस्मों का डीयूएस परीक्षण किया गया। संकर किस्मों के परीक्षण में 4 संदर्भ किस्मों के साथ दो प्रविष्टियां (एक नवीन तथा एक वीसीके) और 7 संदर्भ प्रविष्टियों के साथ 4 वीसीके अभ्यर्थी प्रविष्टियां



शामिल थीं जिन्हें बाजरा अनुसंधान स्टेशन, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जामनगर में दिनांक 26 अगस्त, 2014 को बोआ गया। फसल का प्रकटन एवं पौधे के बने रहने की स्थिति संतोषजनक पाई गई और आंकड़ों को सही तरीके से दर्ज किया गया। डॉ. एन. मुक्ता एवं डॉ. सी. लावण्य के मॉनीटरिंग दल ने बाजरा अनुसंधान स्टेशन, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जामनगर में अरण्डी के डीयूएस परीक्षणों की दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को जांच की गई।

अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे :

क्र.सं.	आगन्तुक का नाम	दिनांक	प्रयोजन
1	डॉ. सी.जे. दंगारिया अनुसंधान निदेशक, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़	28 दिसम्बर, 2014	डीयूएस परीक्षण एवं बाजरा अनुसंधान स्टेशन का दौरा करना
2	डॉ. ए.आर. पाठक, कुलपति, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़	27 जनवरी, 2015	बाजरा अनुसंधान स्टेशन, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जामनगर का दौरा करना
3	डॉ. देसाई, अनुसंधान निदेशक, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़		

2.6.21 भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान (आईआईडब्ल्यूबीआर), करनाल

भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान (आईआईडब्ल्यूबीआर), करनाल, गेहूं (चपाती गेहूं डुर्रम गेहूं एवं अन्य ट्रिटिकेल प्रजाति) तथा जौ के लिए एक नोडल केन्द्र है। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान (आईआईडब्ल्यूबीआर), करनाल द्वारा गेहूं की किस्मों के संदर्भ संकलन का रख-रखाव किया जा रहा है। प्रजाति-वार विवरण इस प्रकार है :

प्रजाति का नाम	किस्मों की संख्या	स्रोत
टी. ऐस्टीवम	338	जारी किस्में (1965 के बाद से)
टी. डुरूम	51	जारी किस्में (1965 के बाद से)
टी. डाइकोकम	06	जारी किस्में (1965 के बाद से)
ट्रिटिकेल	06	जारी किस्में (1965 के बाद से)
पुरानी किस्में	73	जारी किस्में (1965 से पहले)

वर्ष 2014–15 के दौरान गेहूं में डीयूएस परीक्षण की प्रगति इस प्रकार है :

फसल	नवीन		कृषक (एफवी)	कुल	मॉनीटरिंग की तारीख	अध्यक्ष
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष				
चपाती गेहूं	1	5	19	25	30 मार्च, 2015	डॉ. जे.पी. टंडन (पूर्व सहायक महानिदेशक, एफएफसी), भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान (आईआईडब्ल्यूबीआर), करनाल; डॉ. सुशीला कुंडु, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान (आईआईडब्ल्यूबीआर), करनाल; डॉ. महेश श्रीमाली, प्रभारी, एआईसीडब्ल्यू एंड बीआईपी, एआरएस (आरएयू), दुर्गापुरा, जयपुर तथा डॉ. एस.आर. विश्वकर्मा, एनडीयू एंड टी, फैजाबाद शामिल थे। यह निर्णय किया गया कि डीयूएस परीक्षण के लिए गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल द्वारा नोडल केन्द्र के रूप में जबकि नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद व कृषि अनुसंधान स्टेशन (स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय), दुर्गापुरा द्वारा सह नोडल केन्द्र के रूप में कार्य किया जाए।
डुरूम गेहूं	—	1	1	2		
कुल	1	6	20	27		

कुल 87 संदर्भ किस्मों के साथ तुलना करते हुए किसानों द्वारा विकसित की गई 20 किस्मों, निजी क्षेत्रों की 6 किस्मों और सार्वजनिक क्षेत्र की 1 किस्म सहित गेहूं की कुल सत्ताइस किस्मों का डीयूएस परीक्षण किया गया। मॉनीटरिंग दल की अध्यक्षता डॉ. जे.पी. टंडन, पूर्व सहायक महानिदेशक (एफएफसी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली ने की जबकि दल में नोडल अधिकारी के रूप में डॉ. सुशीला कुंडु, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान (आईआईडब्ल्यूबीआर), करनाल और पीपीवी एंड एफआरए के प्रतिनिधि श्री डी.एस. मिश्रा शामिल थे। फसल, अगेती लोई अवस्था में थी और डीयूएस परीक्षण की अधिकांश अभ्यर्थी किस्मों में मॉनीटरिंग के समय दावा की गई विशेषताएं प्रकट हुईं और तदनुसार आंकड़े दर्ज किए गए। विभिन्न अभ्यर्थी किस्मों नामतः पुष्कर प्लस, मुन्डाल, अजीत 110, जीवन, गेहूं, झारना, भगत 1, जेपी 168, आस्था गोल्ड तथा शरबती में विभिन्न डीयूएस लक्षणों में भिन्नता देखने को मिली।



जौ

डीयूएस जांच दिशानिर्देश का विकास करने के प्रयोजन से 32 डिस्ट्रिक्प्टर्स को दर्ज करने हेतु करनाल तथा दुर्गापुर केन्द्रों पर रबी मौसम 2014–15 के दौरान जौ (हार्डियम वल्गेर एल.) के 86 जीनप्रस्तुतियों की तीन पुनरावृत्तियों में आरसीबीडी डिजाइन में बुवाई करके मूल्यांकन किया गया। डॉ. एस.सी. गुलाटी, पूर्व प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली की अध्यक्षता में गठित टास्क बल की दो बैठक आयोजित की गई और प्राधिकरण के तकनीकी अधिकारियों तथा विशेषज्ञों के साथ परामर्श करके जौ के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप प्रदान किया। टास्क बल के सदस्यों में डॉ. आर.पी.एस. वर्मा, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रधान अन्वेशक (जौ नेटवर्क), भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान (आईआईडब्ल्यूबीआर), करनाल; डॉ. सुशीला कुंडु, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान (आईआईडब्ल्यूबीआर), करनाल; डॉ. महेश श्रीमाली, प्रभारी, एआईसीडब्ल्यू एंड बीआईपी, एआरएस (आरएयू), दुर्गापुरा, जयपुर तथा डॉ. एस.आर. विश्वकर्मा, एनडीयू एंड टी, फैजाबाद शामिल थे। यह निर्णय किया गया कि डीयूएस परीक्षण के लिए गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल द्वारा नोडल केन्द्र के रूप में जबकि नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद व कृषि अनुसंधान स्टेशन (स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय), दुर्गापुरा द्वारा सह नोडल केन्द्र के रूप में कार्य किया जाए।

2.6.22 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), क्षेत्रीय केन्द्र, इन्दौर, मध्य प्रदेश

केन्द्र द्वारा गेहूं की कुल 130 किस्मों का रख-रखाव किया गया जिनमें चपाती गेहूं, डुरूम गेहूं तथा डाइकोकम गेहूं की क्रमशः 80, 46 व 4 किस्में शामिल थीं जिन्हें भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान (आईआईडब्ल्यूबीआर), करनाल/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से खरीदा गया था। रिपोर्टधीन वर्ष में गेहूं के डीयूएस परीक्षण की स्थिति नीचे प्रस्तुत है।

तालिका 28 : डीयूएस परीक्षण के अंतर्गत किस्मों की प्रगति

फसल	नवीन	कृषक (एफवी)	कुल	मॉनीटरिंग की तारीख	अध्यक्ष
गेहूं	1	19	20	18 मार्च, 2015	डॉ. जे.पी. टंडन (पूर्व सहायक महानिदेशक, एफएफसी), भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), इन्दौर

खेत में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत कराए गए सभी डिस्किप्टर्स के लिए संयुक्त आकलन किए गए। डीयूएस परीक्षणों का आयोजन एवं प्रबंधन संतोषजनक था। कुल 20 किस्मों के लिए मॉनीटरिंग की गई। किसानों की सभी किस्मों में एक अथवा अन्य गुणों के लिए भिन्नता पाई गई और वे एकरूप नहीं पाए गए।

रिपोर्टर्धीन अवधि के दौरान, डॉ. बस्सी फिलिपो, डुर्लम प्रजनक, इकार्डा, सीरिया; डॉ. ए.के. जोशी, दक्षिण एशिया समन्वयक, सिम्मट, काठमांडु, नेपाल; तथा डॉ. एलिस्टर, सलाहकार, सिम्मट, मैक्सिको ने स्टेशन का दौरा किया।



2.6.23 गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (जीवीपीयू एंड टी), पंतनगर

चारा सोरघम सहित सोरघम (सोरघम बाइकलर (एल.) मोन्च) के रख—रखाव की प्रगति नीचे प्रस्तुत है :

तालिका 29 : प्रजनन के रख—रखाव / लक्षणवर्णन के तहत किस्मों की प्रगति

क्र. सं.	स्रोत	संदर्भ किस्में
1	जीवीपीयू एंड टी, पंतनगर	यूपी चरी 2, पंत चरी 3, पंत चरी 4, पंत चरी 5, पंत चरी 6, पंत चरी 7, पंत चरी 8, पंत चरी 9
2	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	पंत चरी 615, पंत चरी 1002, पंत चरी 1001, पंत चरी 121, पंत चरी 23
3	एचएयू हिसार	एचसी 136, एचसी 171, एचसी 260, एचसी 308, एचजे 513, एसएसजी 59—3
4	जीएयू, सूरत	जीएफएस 5, जीएफएस 4, सीएसजी 21 एफ, जीजे 39, जीजे 37, सूरत 1
5	किसानों द्वारा विकसित किस्म	रामपुर लोकल
6	वीसीके	ग्वालियर लोकल, राजस्थान लोकल, जालना लोकल, गोल्डन लोकल

क्र. सं.	स्रोत	संदर्भ किस्में
7	मध्य प्रदेश	एमपी चरी
8	डीएसआर, हैदराबाद	एसपीवी 1616, आरएस 29, आरएस 673, एसपीवी 462, सीएसवी 15, सीएसवी 17, 2219 बी, सीएस 3541, एम 35—1, सी 43, एमएनटी 1
9	एमपीकेवी, राहुरी	एसएसवी 84
10	इकीसेट, हैदराबाद	एमआर 750
11	आरवीएसकेवीवी, इन्दौर	आईएमएस 9 बी
12	पीडीकेवी, अकोला	104 बी, एकेएमएस 14 बी, एकेआर 150
13	जेरनकेवीवी, जबलपुर	जेरे 741, जेरे 1041
14	यूएस, धारवाड	डीएसवी 4

प्रजनन रख—रखाव

प्रत्येक जीनप्रस्तुत की एकल पौधा संतति क्यारियों (एसपीपीआर) की रोपाई करके चारे की सोरघम संदर्भ किस्मों, सोरघम उदाहरण अथवा तुलनात्मक किस्मों, प्रचलित किस्मों, किसानों द्वारा विकसित किस्मों और प्रचलित जानकारी वाली किस्मों सहित सोरघम के इक्यावन जीनप्रस्तुतों का प्रजनन रख—रखाव किया गया। प्रजनन रख—रखाव के लिए रोपण दिनांक 18 जून, 2014 को किया गया। प्रत्येक एसपीपीआर में सभी पौधों को आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए पुष्पन से पूर्व परागण थैलों से ढंका गया था। तुड़ाई अथवा कटाई के समय, क्यारियों के बीच वास्तविक प्रकृति वाले पौधों के चयन के लिए असामान्य/ बिना एकरूपता वाली तथा अस्वस्थ क्यारियों को हटा दिया गया। चयनित क्यारियों से चुने गए प्रत्येक पौधे से तुड़ाई की गई और अगले वर्ष के रोपण तथा साथ ही संदर्भ किस्म के रूप में, यदि आवश्यक हो, डीयूएस परीक्षण में उपयोग में लाने के लिए प्रत्येक संदर्भ किस्म/उदाहरण किस्म/ वीसीके/किसान किस्म के आनुवंशिक परिशुद्ध बीज स्टॉक को बनाए रखने के लिए अलग से थ्रेसिंग अथवा गहाई की गई।

2.6.24 भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान (पूर्व में डीएसआर), हैदराबाद

ज्वार (सोरघम)

रिपोर्टर्धीन अवधि के दौरान, सोरघम की अभ्यर्थी किस्मों की जांच करने के लिए खरीफ 2014 और रबी 2014—15 में दो खेत परीक्षण किए गए। सादृश्य संदर्भ किस्मों के

साथ तुलना करने के लिए खरीफ मौसम में डीयूएस गुणों के लिए उन्नीस अभ्यर्थी किस्मों को और रबी के मौसम में सात अभ्यर्थी किस्मों को जांचा गया। बाध्य स्व: परागण/नियंत्रित परागण के तहत रबी 2014–15 में 56 संदर्भ एवं उदाहरण किस्मों /किस्में/पैतृक वंशक्रम/संकर) के लिए प्रजनन रख—रखाव किया गया।

तालिका 30 : प्रजनन रख—रखाव/लक्षणवर्णन के तहत किस्मों की स्थिति

प्रजाति का नाम	किस्मों की संख्या	स्रोत
ज्वार (सोरघम बाइकलर (एल.) मॉंच)	115	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालय

तालिका 31 : डीयूएस परीक्षण की प्रगति

फसल – ज्वार	नवीन		कृषक (एफवी)	कुल	मॉनीटरिंग की तारीख	अध्यक्ष
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष				
खरीफ 2014	6 (2 निजी + 4 सार्वजनिक)	9 (7 निजी + 2 सार्वजनिक)	4	19	24 सितम्बर, 2014	डॉ. जे.वी. पाटिल
रबी 2014-15	3 (1 निजी + 2 सार्वजनिक)	3 (निजी)	1	7	7 फरवरी, 2015	डॉ. जे.वी. पाटिल
कुल	9 (3 निजी + 6 सार्वजनिक)	12 (10 निजी + 2 सार्वजनिक)	5	26		

मॉनीटरिंग के दौरान संक्षिप्त आकलन

खरीफ 2014

परीक्षण के लिए किस्मों की बुवाई सही समय पर की गई और परीक्षणों का विन्यास एवं रख—रखाव संतोषजनक था। लगभग सभी अभ्यर्थी किस्मों में समग्र फसल बढ़वार और आकृतिविज्ञान गुणों का प्रकटन बहुत अच्छा था। नोडल अधिकारी ने वर्गीकरण लक्षणों के आधार पर कुछ अभ्यर्थी किस्मों और किसानों द्वारा विकसित किस्मों के लिए समुचित संदर्भ किस्मों का चयन किया। कुछ अभ्यर्थी किस्मों यथा जीके 4009 (4), डीजीजे 027 (2), डीजीजे 025 (1), वायुनुकोवा जोन्ना (3) तथा पेलाला जोन्ना (3) (सभी प्रथम वर्ष की प्रविष्टियाँ), केएसआर 6173 (1), केएसआर 6171 (2), केएसआर 6178 (2) तथा केएसएमएस 283 (1) (सभी दूसरे वर्ष की प्रविष्टियाँ) में आकलित एवं दावा किए गए गुणों में आंशिक भिन्नता थी। अभ्यर्थी किस्म डीजीजे 025, मीठी सोरघम अथवा रबी प्रविष्टि की तरह दिखाई पड़ी।



सीएसवी 28 के मामले में, कुछ पौधों में अगेती पुष्पन के साथ मध्यम ऊंचाई थी जबकि अधिकांश पौधे लंबे थे और उनमें पछेती पुष्पन था।

डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने दिनांक 2 अगस्त, 2014 को डीयूएस परीक्षण स्थल का दौरा किया। इनके साथ डॉ. हरिप्रसन्ना के., नोडल अधिकारी एवं डॉ. जे.वी. पाटिल, निदेशक, डीएसआर ने भी खेत का दौरा किया और विभिन्न अभ्यर्थी किस्मों के डीयूएस परीक्षणों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। फसल, अंकुरित से अगेती पुष्पन अवस्था में थी।

रबी 2014-15

परीक्षण के लिए किस्मों की बुवाई सही समय पर की गई और समग्र फसल बढ़वार और आकृतिविज्ञान गुण सभी अभ्यर्थी किस्मों में संतोषजनक थे। सीएसवी 26 (1), डीजीजे 025 (1), अपर्णा (1), केएसआर 6313 (3) तथा केएसआर 6310 (3) जैसी कुछ अभ्यर्थी किस्मों में आकलित एवं दावा किए गए गुणों के बीच आंशिक भिन्नता थी। केएसआर 6310 में केएसआर 6313 के मुकाबले आंशिक रूप से कम गठीली डंठल संघनता थी। दोनों किस्मों में बड़े तथा चमकीले दाने थे।



तालिका 32 : नवीन/ वीसीके / प्रचलित अधिसूचित/ कृषक किस्म के पंजीकरण की स्थिति

फसल	किस्मों की संख्या	अधि सूचित किस्मों की संख्या	दर्ज आवेदनों की संख्या			जारी प्रमाण-पत्र	लम्बित आवेदन	टिप्पणी
			प्रचलित	अधि सूचित	नवीन वीसीके			
ज्वार	184	58	41	32	27	61	40	7 = आवेदन बन्द किए गये 3 = O3 जारी 7 = डीयूएस परीक्षण के तहत 23 = प्रक्रिया के तहत

2.6.25 सब्जी विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), पूसा, नई दिल्ली

केन्द्र को फूलगोभी तथा बंदगोभी में डीयूएस परीक्षण करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। रिपोर्टधीन अवधि में डीयूएस परीक्षण की स्थिति नीचे प्रस्तुत है।

तालिका 33 : डीयूएस परीक्षण के तहत सब्जी किस्मों की प्रगति

फसल	नवीन		वीसीके	कुल	मॉनीटरिंग की तारीख	अध्यक्ष
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष				
फूलगोभी	6	1	1	8	19 दिसम्बर, 2014	डॉ. पी. कालिया, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सब्जी विज्ञान संभाग, भाकृअनुसं, नई दिल्ली
बंदगोभी	-	-	-	-		

मॉनीटरिंग के दौरान संक्षिप्त आकलन

फूलगोभी में, सब्जी विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में डीयूएस परीक्षण के तहत सात किस्मों अथवा प्रविष्टियों (छ: नवीन और एक वीसीके) की जांच की गई। डीयूएस विशेषताओं के लिए एक प्रविष्टि (नवीन) नामतः एससीएफ 5057 का मूल्यांकन अगेती समूह में जबकि मध्य अगेती समूह में पांच नवीन प्रविष्टियों (एससीएफ 5016, एससीएफ 5008, एससीएफ 5022, एससीएफ 5029 तथा एससीएफ 5033) तथा एक वीसीके प्रविष्टि (एनसीएफडी 7122) का मूल्यांकन किया गया। वर्ष 2014–15 के लिए डीयूएस परीक्षण रिपोर्ट को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया।



अध्यक्ष, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण तथा संयुक्त निदेशक (अनुसंधान), भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ जर्मनी के प्रतिनिधिमण्डल ने दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 को डीयूएस फूलगोभी परीक्षण प्लॉटों का दौरा किया।

प्याज व लहसुन के डीयूएस परीक्षण में प्रगति

प्याज, (ऐलियम सीपा एल.) तथा लहसुन (ऐलियम सैटाइवम एल.) के संबंध में प्रजनन रख-रखाव/लक्षणवर्णन की अद्यतन स्थिति इस प्रकार है :-

प्रजाति का नाम	किस्मों की संख्या	स्रोत
प्याज	35	स्वयं जारी/भाकृअनुप./राज्य कृषि विश्वविद्यालय
लहसुन	12	भाकृअनुप./राज्य कृषि विश्वविद्यालय

रिपोर्टधीन अवधि के दौरान डीयूएस परीक्षण की प्रगति इस प्रकार है :

तालिका 34 : डीयूएस परीक्षण के तहत किस्मों की प्रगति

फसल	नवीन		वीसीके	एफवी	कुल	मॉनीटरिंग की तारीख	अध्यक्ष
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष					
लहसुन	3	-	-	3	3	30 मार्च, 2015	डॉ. पी. कालिया
प्याज	5	-	5	-	5		डॉ. अनिल खार
कुल	8	-	-	-	-		डॉ. इस. इस्लाम

मॉनीटरिंग रिपोर्ट

प्याज में, पांच किस्मों यथा भीमा डार्क रेड, भीमा शक्ति, गोटा, भीमा श्वेता और भीमा शुभ्रा का मूल्यांकन प्याज की अन्य तुलनात्मक किस्मों के साथ किया गया। यह पाया गया कि अधिकांश किस्मों में पत्तियों में बिना किसी चटकन के

मध्यम हरे रंग की पत्तियां थीं। प्रतिकूल मौसम के कारण, पौधे की ऊँचाई और पत्तियों की संख्या सामान्य से कम थी और कंद आकार भी क्षमताशील स्तर तक नहीं था। अधिकांश कंद मध्यम से छोटे आकार के थे।

भीमा डार्क रेड, भीमा शक्ति तथा गोटा किस्म में कंद का रंग हल्के लाल से गहरे लाल की भिन्नता वाला था और कंद का रंग और आकृति एक जैसी नहीं थी। पुनः छिलके अथवा आवरण की दृढ़ता बहुत खराब थी। भीमा श्वेता और भीमा शुभ्रा किस्म में, सफेद रंग था और छिलके अथवा आवरण की दृढ़ता मजबूत थी। कंदों का रंग भी एक जैसा था तथा कंदों के रंग में कोई पृथक्करण नहीं था। रबी मौसम में, किसानों द्वारा विकसित अथवा तैयार तीन किस्मों की आपूर्ति किसानों द्वारा की गई जिनका मूल्यांकन राशीनीय रूप से अपनाई गई सर्वश्रेष्ठ किस्मों किस्मों के साथ तीन पुनरावृत्तियों में एक यादृच्छिक ब्लॉक डिजाइन में किया गया। प्याज में, राशीनीय किस्मों के साथ पांच किस्मों का मूल्यांकन किया गया।

2.6.26 क्षेत्रीय केन्द्र (सब्जी), कटराइन, कुल्लू घाटी

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र, कटराइन, कुल्लू घाटी को बंदगोभी तथा फूलगोभी के लिए डीयूएस परीक्षण केन्द्र के रूप में चिह्नित किया गया है। बंदगोभी की कुल चौदह किस्मों नामतः गोल्डन एकड़, पूसा मुक्ता, पूसा ड्रम हैड, पूसा अगेती, प्राइड ऑफ इण्डिया, प्राइड ऑफ एशिया, किन्नर रेड, पूसा कैबेज-1, 83-1, आरआरएम, एमआर-1, 6ए, केटीसीबीएच-81 तथा सी-121 का लक्षणवर्णन किया गया और इनके प्रजनन रख-रखाव का कार्य प्रगति पर है। स्नोबॉल फूलगोभी की दस किस्मों नामतः पूसा हिमज्योति, हिमलता-1, हिमलता-2, मुक्तामणि, ऑटमन जिआंट, पूसा स्नोबॉल-1, किंग-किंग, स्नोबॉल-16, पूसा स्नोबॉल के-1 तथा पूसा स्नोबॉल के-25 का लक्षणवर्णन और प्रजनन रख-रखाव किया गया।

तालिका 35 : प्रजनन रख-रखाव / लक्षणवर्णन की स्थिति

प्रजाति का नाम	किस्मों की संख्या	स्रोत
बंदगोभी	14	निजी / भाकृअनुप. / राज्य कृषि विश्वविद्यालय
फूलगोभी (स्नोबॉल समूह)	12	निजी / भाकृअनुप. / राज्य कृषि विश्वविद्यालय

फूलगोभी (स्नोबॉल) : संदर्भ किस्मों यथा पूसा स्नोबॉल के-1, पूसा स्नोबॉल-1, पूसा स्नोबॉल के-25 तथा स्नोबॉल-16 के साथ फूलगोभी की दो अभ्यर्थी किस्मों नामतः एससीएफ-5061 तथा एससीएफ-608 का डीयूएस परीक्षण किया गया। पुनर्जनन विशेषताओं पर आंकड़ों को दर्ज करने का कार्य प्रगति पर है। जहां तक डीयूएस परीक्षण का संबंध है, रिपोर्टधीन वर्ष में इसे फूलगोभी में किया गया जिसकी स्थिति इस प्रकार है

तालिका 36 : फूलगोभी में डीयूएस परीक्षण की प्रगति

फसल	नवीन		कुल
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	
फूलगोभी	1. एससीएफ-5061 2. एससीएफ- 608		2

केन्द्र द्वारा एक प्रचलित अधिसूचित किस्म के रूप में बंदगोभी (पूसा कैबेज-1) के पंजीकरण हेतु भी आवदेन किया गया है।

2.6.27 भाकृअनुसं. क्षेत्रीय केन्द्र (चावल), करनाल

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केन्द्र, करनाल, चावल में डीयूएस परीक्षण के लिए एक सह-नोड़ल केन्द्र है और यहां प्रजनन रख-रखाव / लक्षणवर्णन के लिए चावल की 12 संदर्भ किस्मों का रख-रखाव किया गया। रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान डीयूएस परीक्षण की प्रगति इस प्रकार है :

तालिका 37 : डीयूएस परीक्षण के तहत किस्मों की प्रगति

फसल	नवीन		कृषक (एफवी)	कुल	मॉनीटरिंग की तारीख	अध्यक्ष
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष				
चावल	08	01	04	13	14 नवम्बर, 2014	डॉ. एस.एस. अटवाल, अध्यक्ष, भाकृअनुसं. क्षेत्रीय केन्द्र, करनाल

खरीफ 2014 के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र, करनाल में नौ अभ्यर्थी किस्मों यथा i) निर्मल-306 (एनआर-306); ii) एनआर-09 (साईराम); iii) निर्मल-366 (एनआर-366); iv) एनपी-4008; v) एनपीएच-4002; vi) एनपीएच-4008; vii) एनपी-4004; viii) आईएनएच 97288; तथा ix) पूसा बासमती 1509 का



डीयूएस परीक्षण तेरह संदर्भ किस्मों के साथ किया गया और किसानों द्वारा विकसित अथवा तैयार की गई चार किस्मों यथा i) सुकारा; ii) बासमती रवि नं.1; iii) एनएयूआर-1; तथा iv) जीएनआर-2 का ग्रो आउट परीक्षण किया गया। इन नौ किस्मों में से आठ किस्मों का प्रथम वर्ष के तहत परीक्षण किया गया और एक किस्म पूसा बासमती 1509 का परीक्षण द्वितीय वर्ष के तहत किया गया। इसके अलावा, बारह संदर्भ किस्मों को प्रजनन रख-रखाव ब्लॉक में बढ़ाया गया और किसीय रख-रखाव के उपरान्त सात किस्मों के बीजों को बनाए रखा गया।

2.6.28 भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान (आईआईवीआर), वाराणसी

भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, टमाटर, बैंगन, भिन्डी, फूलगोभी, बंदगोभी, शाकीय मटर, फेंचबीन, कद्दू लौकी, करेला तथा खीरा जैसी सब्जियों में डीयूएस परीक्षण के लिए उत्तरदायी केन्द्र है। उपरोक्त वर्णित प्रत्येक सब्जी के प्रजनन रख-रखाव और लक्षणवर्णन की स्थिति इस प्रकार है :

टमाटर :

विभिन्न केन्द्रों से संकलित टमाटर की इक्यासी (81) संदर्भ किस्मों का रख-रखाव किया गया। इन किस्मों को विभिन्न केन्द्रों से संकलित किया गया था जिनमें शामिल थे : भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली (8); आईआईवीआर, वाराणसी (2); आईआईवीआर, वाराणसी (5); बीसीकेवी, कल्याणी (1); सीएसएयूए एंड टी, कानपुर (7); डीएआरएल, पिथोरागढ़ (1); यूएस, धारवाड़ (1); जीबीपीयूए एंड टी, पंतनगर (3); एचएयू, हिसार (3); एचएआरपी, रांची (5); आईआईएचआर, बंगलुरु (6); जेएयू, जूनागढ़ (3); केएयू, वेलिन्नकारा (3); एनडीयूए एंड टी, फैजाबाद (5); उत्तर-पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के लिए आईसीएआर का अनुसंधान परिसर, मेघालय (1);



ओयूए एंड टी, भुवनेश्वर (10); पीएयू, लुधियाना (9); तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर (1); वाईएसपीयूएचएफ, सोलन (1); एमपीकेवी, राहुरी (2); एसकेयूएएस एंड टी, जम्मू (1); वीपीकेएएस, अल्मोड़ा (1); अन्य (3)।

बैंगन

विभिन्न केन्द्रों से संकलित बैंगन की नवासी (89) संदर्भ किस्मों का रख-रखाव किया गया। इन किस्मों को विभिन्न केन्द्रों से संकलित किया गया जिनमें शामिल थे : भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली (12); आईआईवीआर, वाराणसी (6); एपीएचयू, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद (2); सीएसएयूए एंड टी, कानपुर (8); जेएयू, जूनागढ़ (3); जीबीपीयूए एंड टी, पंतनगर (1); एचएआरपी, रांजी (10); आईआईएचआर, बंगलुरु (9); जेएनकेवी, जबलपुर (10); केएयू, वेलिन्नकारा (2); ओयूए एंड टी, भुवनेश्वर (4); पीएयू, लुधियाना (3); पीडीकेवी, अकोला (1); आरएयू, समस्तीपुर, बिहार (2); तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर (7); बीसीकेवी, कल्याणी, पश्चिम बंगाल (2); एवं अन्य (7)।

भिन्डी

डीयूएस परीक्षण के लिए संदर्भ किस्मों के रूप में विभिन्न केन्द्रों से भिन्डी की कुल अड्डीस (38) किस्मों का संकलन किया गया। इन किस्मों को विभिन्न केन्द्रों से संकलित किया गया जिनमें शामिल थे : भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली (3); आईआईवीआर, वाराणसी (12); जेएयू, जूनागढ़ (3); एचएयू, हिसार (5); एमपीकेवी, राहुरी (2); पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना (3); सीएसएयूए एंड टी, कानपुर (3); आरएयू, सबौर (1); आईआईएचआर, बंगलुरु (2); केएयू, वेलिन्नकारा (1); ओयूए एंड टी, भुवनेश्वर (2) आदि। संदर्भ किस्मों का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	किस्म	क्र. सं.	किस्म	क्र. सं.	किस्म
1.	अर्का अभय (आईआईएच आर—सेल—4)	14.	एचआरबी—55	27.	पूसा मखमली
2.	अर्का अनामिका (आईआईएच आर —10)	15.	जेबीएस—2	28.	पूसा सवानी
3.	आजाद भिणडी—1	16.	काशी लालिमा	29.	एसबी—2
4.	आजाद भिणडी—2	17.	काशी लीला (आईआईवी आर—11द्व)	30.	एसबी—8
5.	आजाद भिणडी—3	18.	काशी सत्थारी	31.	सुचिरा (एई—286—1)
6.	बीओ—13	19.	नम्बर — 136	32.	उत्कल गोरल (बीओ —2)
7.	सीओ—2	20.	नम्बर — 315	33.	वर्षा उपहार
8.	डी—1—87—5	21.	पंत ए — 4	34.	बीआरओ—3 (काशी मोहिनी)
9.	जीजोओ—3	22.	परभनी कान्ति	35.	बीआरओ—4 (काशी मंगली)
10.	जीओ—2	23.	फुले उत्कर्ष (जीके- IV-3-3-3)	36.	बीआरओ—5 (काशी विभूति)
11.	जीओ—3 (जेएनडीओएल —3—1)	24.	पंजाब पदमिनी	37.	बीआरओ—6 (काशी प्रगति)
12.	हिसार नवीन (एचआरबी —107—4)	25.	पंजाब—7	38.	बीआरओआर—159
13.	एचआरबी —231	26.	पंजाब—8		

फूलगोभी :

अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (वीसी) केन्द्रों से डीयूएस परीक्षण के लिए फूलगोभी की दस (10) संदर्भ किस्मों को संकलित किया गया। इन किस्मों को विभिन्न केन्द्रों से संकलित किया गया जिनमें शामिल केन्द्र थे : भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली (2); भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, कटराइन (6); तथा आईआईवीआर, वाराणसी (2)। फसल को वर्ष



2014—15 के शीतकालीन मौसम में उगाया गया, हालांकि, केवल अगेती और मध्यम वर्ग वाली किस्मों का ही मूल्यांकन किया गया और रख—रखाव के लिए सहोदर समागम कराया गया। संदर्भ किस्मों की सूची इस प्रकार है :

क्र. सं.	किस्म	क्र. सं.	किस्म
1	सीसीएस—80	6	पीएसबी—16
2	काशी अगहनी	7	पीएसबी—1
3	काशी कुंवारी	8	पूसा दीपाली
4	पीएसबी के—1	9	पूसा शक्ति
5	पीएसबी के—25	10	पूसा शरद

बंदगोभी :

अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (वीसी) केन्द्रों से डीयूएस परीक्षण के लिए बंदगोभी की छः संदर्भ किस्मों को संकलित किया गया। इन किस्मों का संकलन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र, कटराइन, कुल्लू घाटी (हिमाचल प्रदेश) (जेआर—1) से किया गया।

क्र. सं.	किस्म	क्र. सं.	किस्म
1.	गोल्डन एकड़	4.	प्राइड ऑफ इण्डिया
2.	केजीएमआर — 1	5.	पूसा डरु हैड
3.	किन्नर रेड	6.	पूसा मुक्ता

फसल को वर्ष 2014—15 के शीतकालीन मौसम में उगाया गया। पर्वतीय क्षेत्र में डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार आंकड़ों को दर्ज किया गया।

शाकीय मटर :

डीयूएस परीक्षण के लिए संदर्भ किस्मों के तौर पर रख—रखाव के लिए विभिन्न केन्द्रों से शाकीय मटर की कुल बयालिस (42) किस्मों का संकलन किया गया। जिन केन्द्रों से इन किस्मों का संकलन किया गया, उनमें शामिल केन्द्र थे : भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, कटराइन (2); आईआईवीआर, वाराणसी (5); आईआईएचआर, बंगलुरु (3); डीएआरआई, पिथोरागढ़ (1); एनडीयूए एंड टी, फैजाबाद (5); जीबीपीयूए एंड टी, पंतनगर (3); एचएयू हिसार (1); एचएआरपी, रांची (2); पीएयू लुधियाना (5); एमपीकेवी, राहुरी (1); डॉ. वाईएसपीएचयू एंड एफ, सोलन (1); वीपीकेएएस, अल्मोड़ा (10); सीएसएयूए एंड टी, कानपुर (3) आदि। फसल को वर्ष 2014—15 के रबी सीजन में उगाया गया। ऑफ—टाइप पौधों को हटा दिया गया और पुनः बीज निष्कर्षण के लिए केवल वास्तविक प्रवृत्ति वाले पौधों का ही रख—रखाव किया गया। प्रत्येक किस्म में से बीज निकालकर उन्हें सुखाने व बीज उपचार के उपरान्त भण्डारित किया गया।

राजमा (फेंचबीन) :

डीयूएस परीक्षण के लिए संदर्भ किस्मों के तौर पर रख—रखाव के लिए विभिन्न केन्द्रों से फेंचबीन की कुल छौबीस (24) किस्मों का संकलन किया गया। जिन केन्द्रों से इन किस्मों का संकलन किया गया, उनमें शामिल केन्द्र थे : भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली (2); भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, कटराइन (3); आईआईवीआर, वाराणसी (1); डॉ. वाईएसपीएच एंड एफ, सोलन (4); एमपीकेवी, राहुरी (1); बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (2); सीएसएयूए एंड टी, कानपुर (1); सीएचईएस, रांची (3); वीपीकेएस, अल्मोड़ा (3); आईआईएचआर, बंगलुरु (3); आईआईपीआर, कानपुर (1) आदि।

क्र. सं.	किस्म (झाड़ी टाइप)	क्र. सं.	किस्म (पोल टाइप)
1.	अर्का अनूप	1.	एचएफबी—2
2.	अर्का बोल्ड	2.	एचएफबी—3
3.	अर्का सुविधा	3.	केंचुकी वंडर
4.	आजाद राजमा—1	4.	लक्ष्मी
5.	कन्टेन्डर	5.	फुले सुवेष
6.	हुर—137	6.	पूसा हेमलता
7.	हुर—15	7.	पूसा हिमालय
8.	आईपीआर—96—4	8.	आरसीएमएफबी—1
9.	काशी परम	9.	एसवीएम—1
10.	पीडीआर—14	10.	स्वर्णलता
11.	पूसा पार्वती	11.	यूएचएफबी—30
12.	स्वर्ण प्रिया		
13.	वीएल बीन—2		
14.	वीएल बोनी बीन—1		

कददू :

विभिन्न अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (वीसी) केन्द्रों से कददू की कुल इक्कीस (21) किस्मों का संकलन किया गया और डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को तैयार करने हेतु उदाहरण किस्मों के रूप में इनका मूल्यांकन किया गया। इन किस्मों का संकलन विभिन्न केन्द्रों से किया गया जिनमें शामिल थे : भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली (4); आईआईएचआर, बंगलुरु (1); आईआईवीआर, वाराणसी (6); एएयू आनंद (1); सीएसएयूए एंड टी, कानपुर (2); बीसीकेवी, कल्याण, पश्चिम बंगाल (1); एसकेयूए एंड टी, जम्मू (2); हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार (1); पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना (2); जीबीपीयूए एंड टी, पंतनगर (2); एनडीयूए एंड टी, फैजाबाद (6); एमपीकेवी, राहुरी (1); आरएयू समस्तीपुर, बिहार (1); तथा तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर (1)। निम्नलिखित किस्मों को खरीफ 2014 तथा ग्रीष्म, 2015 के दौरान उगाया गया।

(3); केएयू केरल (1) तथा तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर (2)। निम्नलिखित किस्मों को खरीफ 2014 और ग्रीष्म, 2015 में उगाया गया।

क्र. सं.	किस्म	क्र. सं.	किस्म	क्र. सं.	किस्म
1.	अर्का चन्दन	14.	नरेन्द्र अग्रिम	27.	आनंद पम्पकिन—1
2.	सीएम—350	15.	नरेन्द्र अमृत	28.	केपीएस—1
3.	सीओ—1	16.	नरेन्द्र उपकार	29.	वीआरपीके—07—01
4.	सीओ—2	17.	पूसा विकास	30.	वीआरपीके—09—01
5.	एचएआरपी—4	18.	पूसा विश्वास	31.	वीआरपीके—222—2—1
6.	एचएआरपी—10	19.	पंजाब सप्राट	32.	वीआरपीके—62
7.	काशी हरित	20.	स्वर्ण अमृत	33.	वीआरपीके—05—01

धिया अथवा लौकी :

विभिन्न अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (वीसी) केन्द्रों से लौकी की कुल इक्कीस (31) किस्मों का संकलन किया गया और डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को तैयार करने हेतु उदाहरण किस्मों के रूप में इनका मूल्यांकन किया गया। इन किस्मों का संकलन विभिन्न केन्द्रों से किया गया जिनमें शामिल थे : भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली (4); आईआईएचआर, बंगलुरु (1); आईआईवीआर, वाराणसी (6); एएयू आनंद (1); सीएसएयूए एंड टी, कानपुर (2); बीसीकेवी, कल्याण, पश्चिम बंगाल (1); एसकेयूए एंड टी, जम्मू (2); हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार (1); पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना (2); जीबीपीयूए एंड टी, पंतनगर (2); एनडीयूए एंड टी, फैजाबाद (6); एमपीकेवी, राहुरी (1); आरएयू समस्तीपुर, बिहार (1); तथा तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर (1)। निम्नलिखित किस्मों को खरीफ 2014 तथा ग्रीष्म, 2015 के दौरान उगाया गया।

क्र. सं.	किस्म	क्र. सं.	किस्म	क्र. सं.	किस्म
1	एबीजी—1	12	एनडीबीजी—132	23	वीआर—1
2	अर्का बहार	13	एनडीबीजी—619	24	वीआर—2
3	सीओ—1	14	पंत लौकी—1	25	वीआरबीजी—136
4	जीएच—22	15	पंत लौकी—3	26	वीआरबीजी—6
5	जोरा बोटा	16	पंजाब कोमल	27	वीआरबीजी—7
6	कल्याणपुर लॉग ग्रीन	17	पंजाब लॉग	28	सप्राट

क्र. सं.	किस्म	क्र. सं.	किस्म	क्र. सं.	किस्म
7	काशी गंगा	18	पूसा नवीन	29	जेबीजी-50
8	केबीजीआर-12	19	पूसा समृद्धि	30	जेबीजी-51
9	नरेन्द्र धारीदार	20	पूसा संदेश	31	एनडीबीजी-10
10	नरेन्द्र ज्योति	21	पूसा संतुष्टि		
11	नरेन्द्र रश्मि	22	राजेन्द्र चमत्कार		

करेला :

विभिन्न अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (वीसी) केन्द्रों से करेला की कुल चौबीस (24) किस्मों का संकलन किया गया और डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को तैयार करने हेतु उदाहरण किस्मों के रूप में इनका मूल्यांकन किया गया। इन किस्मों का संकलन विभिन्न केन्द्रों से किया गया जिनमें शामिल थे : भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, कटराइन (1); एचएआरपी, रांची (3); बीसीकेवी, कल्याण, पश्चिम बंगाल (1); जीबीपीयूए एंड टी, पंतनगर (3); एमपीकेवी, राहुरी (2); पीएयू लुधियाना (1); डॉ. वाईएसपीएच एंड एफ, सोलन (2); एसकेयूए एंड टी., जम्मू (1); आईआईवीआर, वाराणसी (3); सीएसएयूए एंड टी, कानपुर (1); तथा अन्य (6)। निम्नलिखित किस्मों को खरीफ, 2014 और ग्रीष्म, 2015 के दौरान उगाया गया।

क्र. सं.	किस्म	क्र. सं.	किस्म	क्र. सं.	किस्म
1	अर्का हरित	10	काशी उर्वशी	19	पंजाब - 14
2	बीबीजीएस-09-01	11	मेघना-2	20	पूसा दो मौसमी
3	सीओ-1	12	एनडीबीटी-7	21	पूसा विशेष
4	डीएआरएल-43	13	एनडीबीटी-9	22	सेल-1
5	डीबीजीएस-37	14	पंत करेला-1	23	सेल-5
6	एचएबीजी-21	15	पीबीआईजी-02	24	सोलन हरा
7	एचएबीजी-22	16	फुले ग्रीन गोल्ड	25	वीआर-333
8	हिरकानी	17	फुले उज्ज्वला		
9	कल्याणपुर बारहमासी	18	प्रीति (एमसी-84)		

खीरा :

विभिन्न अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (वीसी) केन्द्रों से खीरा की कुल चौबीस (24) किस्मों का संकलन किया गया और डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को तैयार करने हेतु उदाहरण किस्मों के रूप में इनका मूल्यांकन किया गया। इन किस्मों का संकलन विभिन्न केन्द्रों से किया गया जिनमें शामिल थे : भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, कटराइन (1); एचएआरपी, रांची (3); बीसीकेवी, कल्याण, पश्चिम बंगाल (1); जीबीपीयूए एंड टी, पंतनगर (3); एमपीकेवी, राहुरी (2); पीएयू लुधियाना (1); डॉ. वाईएसपीएच एंड एफ, सोलन (2); एसकेयूए एंड टी., जम्मू (1); आईआईवीआर, वाराणसी (3); सीएसएयूए एंड टी, कानपुर (1); तथा अन्य (6)। निम्नलिखित किस्मों को खरीफ, 2014 और ग्रीष्म, 2015 के दौरान उगाया गया।

क्र. सं.	किस्म	क्र. सं.	किस्म	क्र. सं.	किस्म
1	फुले शुभांगी	9	कल्याणपुर ग्रीन	17	वीआरसी-26
2	पंजाब नवीन	10	जेएलजी (कबीरा)	18	वीआर-101
3	स्वर्णा अगेती	11	पंत खीरा-1	19	डीसी-54
4	स्वर्णा पूर्णा	12	कुकुम्बर लॉग ग्रीन	20	डीसी-78
5	स्वर्णा शीतल	13	पीसीयूसी-09	21	सेवन स्टार
6	हिमांगी	14	पीसीयूसी-10	22	देव कमल
7	के-75	15	केटीसीएस-07	23	गोवा लोकल
8	के-90	16	नं.-374	24	गुजरात कुकुम्बर लॉग

समुचित रख-रखाव और स्व: परागित कार्यक्रम के साथ फसल को वर्ष 2014 के खरीफ सीजन और वर्ष 2015 की गर्मियों में उगाया गया। ऑफ टाइप पौधों को हटा दिया गया और बीज निष्कर्षण के लिए केवल वास्तविक प्रवृत्ति के पौधों का ही रख-रखाव किया गया।

मॉनीटरिंग के दौरान संक्षिप्त आकलन

- ❖ बैंगन की 122; टमाटर की 74; फूलगोभी की 10; भिण्डी की 51; लौकी की 11; करेला की 17; खीरा की 3; तथा कद्दू की 5 किस्मों का डीयूएस परीक्षण उनकी संदर्भ किस्मों के साथ किया गया।
- ❖ बैंगन में चार किस्में यथा एनबीजे-29, हाइब्रिड-744, एनबीजे-39, तथा एनबीजे-98; कद्दू में किसानों द्वारा तैयार की गई तीन किस्में यथा देशी-2, देशी कुमरा

तथा देशी कुमरा; और लौकी में एक किस्म नामतः देशी लाव एकरूप नहीं थीं।

जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है, पंजीकरण के लिए कुल सोलह आवेदन दर्ज कराए गए।

संस्थान का नाम	फसल	नाम
जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़	टमाटर (2)	गुजरात टोमेटो –1 (जीटी–1), जूनागढ़ टोमेटो –3 (जेटी–3)
	बैंगन (3)	गुजरात जूनागढ़ ब्रिन्जल–2 (जीजेबी–2), गुजरात जूनागढ़ ब्रिन्जल–3 (जीजेबी–3), जूनागढ़ ब्रिन्जल ग्रीन राउण्ड–1 (जेबीजीआर–1)
	भिण्डी (2)	गुजरात ओकरा हाइब्रिड–2 (जीओएच–2), गुजरात जूनागढ़ ओकरा–3 तथा गुजरात जूनागढ़ ओकरा हाइब्रिड (जीजेओएच–3)
भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी	भिण्डी (8)	शीतला उपहार (डीबीआर–1), शीतला ज्योति (डीबीआर–2), काशी भैंरो (डीबीआर–3), काशी विभूति (वीआरओ–5), काशी प्रगति (वीआरओ–6), काशी सतधारी (आईआईवीआर–10), काशी लीला (आईआईवीआर–11) तथा काशी कान्ति (वीआरओ–22)
	शाकीय मटर (1)	काशी कान्ति (वीआरओ–22)

2.6.29 जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (जेएनकेवीवी), जबलपुर

तिल तथा नाइजर

तिल तथा नाइजर का डीयूएस परीक्षण का कार्य नोडल केन्द्र के रूप में इस केन्द्र को सौंपा गया है। केन्द्र द्वारा तिल की 85 किस्मों और नाइजर की 15 किस्मों का रख-रखाव किया गया। ये किस्में अधिकांशतः राज्य कृषि विश्वविद्यालय प्रणाली अथवा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से खरीदी गई थीं।

तालिका 38 : डीयूएस परीक्षण के तहत किस्मों की प्रगति

फसल	किसान द्वारा विकसित अथवा तैयार किस्म	कुल	मॉनीटरिंग की तारीख	अध्यक्ष
तिल	Reg/2014/499	4	31 मई, 2014	अध्यक्ष डॉ. एस.के. राव, डीन, कृषि संकाय, जेएनकेवीवी, जबलपुर (मध्य प्रदेश) सदस्य डॉ. दीपक शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक, आईजीकेवी, रायपुर
	Reg/2013/645			
	Reg/2014/889			
	Reg/2014/484			

मॉनीटरिंग के दौरान संक्षिप्त आकलन :

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार संदर्भ किस्मों के साथ-साथ किसानों द्वारा तैयार की गई तिल की चार किस्मों के खेत परीक्षण किए गए। किसानों द्वारा तैयार अथवा विकसित की गई एक किस्म नामतः के-बालीसरा-लक्तीमाची में अच्छी पौधा प्रवृत्ति, मध्यम ऊंचाई, कैप्सूल को धारण करने वाली अच्छी प्रवृत्ति, संकीर्ण पत्तियां (उच्च कटाई सूचकांक), तथा अच्छी शाखा प्रवृत्ति पाई गई। फसल की समग्र रिथिति संतोषजनक थी और डीयूएस परीक्षण प्रयोगों को सटीक तरीके से पूरा किया गया। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान, डॉ. के.एस. वाराप्रसाद, परियोजना निदेशक, आईआईओआर, हैदराबाद ने विश्वविद्यालय का दौरा किया और डीयूएस परीक्षणों का निरीक्षण किया।

2.6.30 राष्ट्रीय आर्किड्स अनुसंधान केन्द्र (एनआरसीओ), पाक्योंग, सिकिम

इस केन्द्र को डीयूएस परीक्षण के लिए जो फसलें/प्रजातियां चिह्नित की गई उनमें सिम्बीडियम, डेन्ड्रोबियम, वैण्डा, फैलियोनॉसिस, कैटलिया, ऑसीडियम तथा पैफियोपेडिलम शामिल थीं। इन किस्मों में प्रजनन रख-रखाव/लक्षणवर्णन की रिथिति अगले पृष्ठ पर दर्शायी है।

प्रजाति का नाम	किस्मों की संख्या	स्रोत
सिम्बीडियम	30	सामान्य जानकारी वाली अथवा प्रचलित किस्म
डेन्ड्रोबियम	14	
वैण्डा	23	
फैलियोनॉसिस	50	
कैटलिया	10	
ऑनसीडियम	40	
पैफियोपेडिलम	8 (प्रजाति) + 1 (संकर)	प्रजातियां (प्रारंभिक लक्षणवर्णन के लिए)

आर्किड पैफियोपेडिलम की स्थिति :

पैफियोपेडिलम के कुल छिह्न्तर (76) आकृतिविज्ञान डिस्किप्टरों को अंतिम रूप प्रदान किया गया और इसके डीयूएस परीक्षण के दिशानिर्देशों का कार्य प्रगति पर था।

2.6.31 : गन्ना प्रजनन संस्थान अनुसंधान केन्द्र (एसबीआईआरसी), अगाली, पालककड़

प्रजनन रख—रखाव के लिए कुल 189 संदर्भ किस्मों को क्लोनिंग की रीति से उत्पन्न किया गया और खेत में उनका रख—रखाव किया गया। किसानों द्वारा तैयार अथवा विकसित की गई दो किस्मों नामतः ध्यानेश्वर—16 एवं सिद्धगिरी—1234 को पॉलीबैग में रोपा गया और तदुपरांत ग्रो आउट परीक्षण के लिए खेत में रोपाई की गई। सात संदर्भ किस्मों के साथ तीन जांच किस्मों यथा सीओ 0403, सीओ 06027 और सीओ 06030 को प्रारंभ में पॉलीबैग में रोपकर बाद में मार्च, 2015 में डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार खेत में रोपा गया। डीयूएस परीक्षण की स्थिति इस प्रकार है :

तालिका 39 : अभ्यर्थी किस्मों के डीयूएस परीक्षण का विवरण

फसल	नवीन	कृषक (एफवी)	मॉनीटरिंग की तारीख
	प्रथम वर्ष		
गन्ना (उष्ण कटिबंधीय)	3	2	मार्च, 2015 में रोपण किया गया। अगले वर्ष मॉनीटरिंग की जाएगी

2.6.32 गन्ना प्रजनन संस्थान (एसबीआई), कोयम्बटूर

रिपोर्टर्धीन वर्ष में, गन्ना प्रजनन संस्थान द्वारा प्रजनन रख—रखाव और लक्षणवर्णन के लिए गन्ने की कुल 183 संदर्भ किस्मों का रख—रखाव किया गया। उष्णकटिबंधीय गन्ने की नई किस्म और किसानों द्वारा तैयार दो किस्मों के आवेदनों पर प्रथम वर्ष में डीयूएस परीक्षण किया गया और मार्च, 2015 में रोपण किया गया। इनकी मॉनीटरिंग

अगले वर्ष की जाएगी। गन्ने की बीस वीसीके और सात नवीन किस्मों के आवेदन दर्ज किए गए और प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण के लिए 20 प्रमाण—पत्र जारी किए गए जबकि नवीन किस्म श्रेणी के लिए शेष सात मामले अभी लंबित हैं।

2.6.33 भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान (आईआईएसआर), लखनऊ

उत्तर भारत में गन्ने की खेती के लिए किस्मों का विकास करने तथा उनकी सिफारिश करने के लिए गन्ना (सैकरम एल.) के लिए यह एक प्रधान डीयूएस केन्द्रों में से एक है। प्रजनन रख—रखाव और लक्षणवर्णन की प्रगति इस प्रकार है :

प्रजाति का नाम	किस्मों की संख्या	स्रोत / निजी द्वारा जारी / भाकृअनुप. / राज्य कृषि विश्वविद्यालय)
सैकरम एल.	142 (एआईसीआरपी के क्लोन सहित)	सभी

डीयूएस परीक्षण : कोई नहीं, लेकिन किसानों द्वारा तैयार अथवा विकसित की गई दो किस्मों (देसी नं.-1 तथा देसी नं.-2) जिसकी बीज सामग्री जनवरी, 2015 में प्राप्त की गई थी, और तदुपरान्त पौद का रोपण करके उसे बढ़ाया गया था, का पुनः रोपण खेत में किया गया ताकि अगले सीजन में ग्रो आउट जांच (GoT) की जा सके। गन्ने की दो किस्मों सीओ 05011 व सीओ 0237



की बीज सामग्री फरवरी, 2015 में डीयूएस परीक्षण के लिए हासिल की गई थी और सात संदर्भ किस्मों के साथ इन किस्मों की पौद को पॉलीबैग में बढ़ाया गया जिन्हें कि शीघ्र ही खेत में रोपा जाएगा। दस संदर्भ किस्मों के साथ—साथ तीन अभ्यर्थी किस्मों (सीओ 0118, सीओ 0238 तथा सीओ 0239) के डीयूएस परीक्षण आंकड़ों (2012–13 एवं 2013–14) को निर्धारित प्रपत्र में पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण को भेजा गया है।

2.6.34 बीज अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र (एसआरटीसी), प्रो. जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद

प्राधिकरण द्वारा इस केन्द्र को इसकी स्थापना से ही मक्का, मूँग तथा उड्ढ के संबंध में डीयूएस परीक्षण के लिए चिन्हित किया गया है। रिपोर्टर्धीन अवधि के दौरान, किए गए डीयूएस परीक्षण की प्रगति अगले पृष्ठ पर दर्शायी है।

तालिका 40 : डीयूएस परीक्षण की प्रगति

फसल	नवीन		वीसीके	कृषक (एफवी)	कुल	मॉनीटरिंग की तारीख
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष				
मक्का						1 अक्टूबर, 2014
संकर	30	21	8	7	66	
अंतः प्रजात	16	6	8		30	
उड्ड खरीफ रबी				5		
				3	8	
मूँग खरीफ रबी				9		
				3	12	
कुल	46	27	16	27	116	

मक्का, उड्ड एवं मूँग

परीक्षण आयोजित किए गए और विशेषताओं के आंकड़ों को भली—भांति दर्ज किया गया। अधिकांश मामलों में, विशेषताओं अथवा गुणों का प्रकटीकरण संबंधित प्रजनक द्वारा किए गए दावे के अनुरूप ही था। हालांकि, ओपीवी यथा पंत संकुल मक्का—3 तथा प्रताप कंचन—2 के मामले में दावा किए गए गुणों के प्रकटन में भिन्नता पाई गई। पुनः अभ्यर्थी प्रविष्टि नामतः द्विन्ती बिरी, पापीबिरी, गवरान तथा कालामाह में पुष्पन नहीं हुआ।

2.6.35 कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (यूएएस), धारवाड़

कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ को कपास, गेहूं तथा सोयाबीन के डीयूएस परीक्षण के लिए चिह्नित किया गया है। उपरोक्त फसलों के प्रजनन रख—रखाव की प्रगति को नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 41 : संदर्भ किस्मों का उपयोग करके किसीय रख—रखाव की स्थिति

फसल/ प्रजाती का नाम	स्रोत (निजी द्वारा जारी/ भाकृअनुप. / राज्य कृषि विश्वविद्यालय)	किस्म का नाम
कपास (जी. हिर्स्टम)	यूएएस, धारवाड़	आभादिता
	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय	अंजलि
		देवीराज
		जी.कॉट—18
	गुजरात	जे.एल.एच—168
	कोयम्बटूर	कंचन
	खंडवा, मध्य प्रदेश	खंडवा
	यूएएस, बंगलुरु, कर्नाटक	लक्ष्मी

फसल / प्रजाती का नाम	स्रोत (निजी द्वारा जारी/ भाकृअनुप. / राज्य कृषि विश्वविद्यालय)	किस्म का नाम
	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, तमिल नाडु	एमसीयू—10
	सीआईसीआर, कोयम्बटूर	सुमंगला
	क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, गुण्टूर	नरसिंहा
	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, सीबीई	एमसीयू—9
	एएनजीआरएयू, गुण्टूर	एनएच—545
	यूएएस, धारवाड़	आरएमपीबीएस —155
	कोयम्बटूर	सुमन
	सीआईसीआर, सीबीई	सुरभि
ड्यूरम गेहूं	इन्दौर	एचआई 8381
	पुणे	एमएसीएस 2846
	लुधियाना	पीबीडब्ल्यू 34
	लुधियाना	पीडीडब्ल्यू 34
	लुधियाना	पीडीडब्ल्यू 215
	लुधियाना	पीडीडब्ल्यू 274
	हिसार	डब्ल्यूएच 896
	एआरएनईजे	ए 28
	विजयपुर	बिजागा येलो
	एनआईपीएचएडी	बकरी 288—18
	लुधियाना	पीडीडब्ल्यू 291

डीयूएस परीक्षण की प्रगति इस प्रकार है :

तालिका 42 : डीयूएस परीक्षण के तहत किस्मों की स्थिति

फसल	नवीन		वी सी के	कृषक (एफवी)	ईडीवी/ आई वी	कुल	मॉनीटरिंग की तारीख	अध्यक्ष
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष						
कपास	68	33	53	1	45	200	18.19 दिस. 2014	डा. श्रीकान्त एस पाटील, यूएएस, धारवाड़
सोयाबीन	1			1		2		
गेहूं	1	1				2		
मूँगफली				1		1		
तिल				3		3		
कुल	70	34	53	6	45	208		
							14 अक्टू 2014	डा. मिर्जाल कुचलान, पैज़ानिक, डीयूएसआर, इन्दौर

कपास : रिपोर्टधीन अवधि के दौरान चार परीक्षणों में डीयूएस जांच की गई।

परीक्षण —I : खरीफ 2014 के दौरान यूएएस, धारवाड़ में कपास की किस्मों की डीयूएस विशेषताओं का मूल्यांकन

दो वर्षों के लिए लगभग 33 अभ्यर्थी किस्मों का मूल्यांकन किया गया। खरीफ 2014–15 के दौरान प्रथम वर्ष के लिए कपास किस्मों की डीयूएस विशेषताओं के लिए लगभग 49 अभ्यर्थी किस्मों का मूल्यांकन किया गया। केवल तीन जीनप्ररूपों को छोड़कर आकलित एवं दावा की गई विशेषताओं के बीच डीयूएस विशेषताओं में कोई उल्लेखनीय भिन्नता देखने को नहीं मिली। हालांकि, एनसीएस—1001 बीजी—II में कुल 60 में से 8 पौधों (13.33 प्रतिशत) में किए गए दावे (उपस्थित) की तुलना में परागकोश तंतु तथा पंखुड़ी धब्बा (अनुपस्थित) में भिन्नता दर्ज की गई।

परीक्षण — II : खरीफ 2014 के दौरान प्रथम वर्ष के लिए यूएएस, धारवाड़ में कपास किस्मों की डीयूएस विशेषताओं के लिए मूल्यांकन

खरीफ 2014–15 के दौरान प्रथम वर्ष के लिए कपास किस्मों की डीयूएस विशेषताओं के लिए लगभग 49 अभ्यर्थी किस्मों का मूल्यांकन किया गया। केवल तीन जीनप्ररूपों को छोड़कर आकलित एवं दावा की गई विशेषताओं के बीच डीयूएस विशेषताओं में कोई उल्लेखनीय भिन्नता देखने को नहीं मिली। हालांकि, एनसीएस—1001 बीजी—II में कुल 60 में से 8 पौधों (13.33 प्रतिशत) में किए गए दावे (उपस्थित) की तुलना में परागकोश तंतु तथा पंखुड़ी धब्बा (अनुपस्थित) में भिन्नता दर्ज की गई। कुल 60 पौधों में से केवल 10 पौधों (16.66 प्रतिशत) में दावा की गई विशेषताओं (सघन) की तुलना में पीआरसीएच 2257 में पत्ती बालदारता में भिन्नता दर्ज की गई। जेके 1039 बीजी—II में निकृष्ट अंकुरण पाया गया जिसके परिणामस्वरूप आंकड़े दर्ज करने के लिए पौधों की अपर्याप्त संख्या पाई गई।

परीक्षण— III : खरीफ 2014 के दौरान यूएएस, धारवाड़ में इंडीवी का मूल्यांकन

सड़सठ से भी अधिक अनिवार्यतः उत्पन्न किस्मों का मूल्यांकन किया गया। सभी इंडीवी का दावा कपास बॉलवार्म के विरुद्ध बीटी कॉटन के तौर पर किया गया था। कुल 14 एवं 22 जीनप्ररूप क्रमशः बीजी—I एवं बीजी—II थे। जीन विशिष्ट प्राइमर्स का उपयोग करके पीसीआर के साथ Cry - 1 Ac तथा Cry - 2 Ab जीन की उपस्थिति की पुष्टि की गई। मात्रात्मक एलाइज़ा जांच के माध्यम से बीटी प्रोटीन के प्रकटीकरण का भी अनुमान लगाया गया। किए गए दावे के

अनुरूप दोनों जीनों की उपस्थिति में कोई भिन्नता नहीं पाई गई। इसी प्रकार, एलाइज़ा जांच के आधार पर किए गए दावे से Cry प्रोटीन के प्रकटीकरण में भी कोई भिन्नता नहीं पाई गई। तथापि, ये इंडीवी Cry जीन तथा Cry प्रोटीन के लिए सकारात्मक पाई गई। फलदार बॉडीज की उपस्थिति और तोड़ी गई बॉल की वास्तविक संख्या के आधार पर वर्गों (Squares) के ढंके होने का पता चलता है। मिरिड बग जैसे नाशीजीव के प्रकोप के कारण बीटी कपास में वर्गों (Squares) का ढंका होना पाया जाता है जिससे यह पता चलता है कि ये इंडीवी मिरिड बग के प्रति संवेदनशील हैं।

परीक्षण — IV : खरीफ 2014 में यूएएस, धारवाड़ में जी. हिर्स्टम कपास की प्रचलित अथवा सामान्य जानकारी वाली किस्म का मूल्यांकन

डीयूएस विशेषताओं के लिए सामान्य अथवा प्रचलित जानकारी वाली कपास की सत्ताइस किस्मों का मूल्यांकन किया गया। आकलन एवं दावे के संबंध में किसी भी डीयूएस विशेषता के लिए किसी भी किस्म में कोई भिन्नता देखने को नहीं मिली।

गेहूँ : डीयूएस विशेषताओं के लिए गेहूँ के दो जीनप्ररूपों यथा जीजी 04 (द्वितीय वर्ष के परीक्षण हेतु) तथा बन्सी लोकल (द्वितीय वर्ष के परीक्षण हेतु) का मूल्यांकन किया गया। दोनों ही जीनप्ररूपों में आकलित एवं दावा की गई डीयूएस विशेषताओं के मध्य किसी प्रकार की भिन्नता देखने को नहीं मिली।

सोयाबीन : प्रथम वर्ष के परीक्षण में डीयूएस विशेषताओं के लिए सोयाबीन की अभ्यर्थी किस्म एनएसओ 83 का मूल्यांकन किया गया। एनएसओ 83 अभ्यर्थी किस्म के लिए आकलित एवं दावा की गई डीयूएस विशेषताओं के मध्य किसी प्रकार की भिन्नता देखने को नहीं मिली।

डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण एवं डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, निदेशक, डीएसआर, मऊ (उ.प्र.) ने दिनांक 8 मार्च, 2015 को डीयूएस परीक्षण स्थल का दौरा किया।

2.6.36 चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसएयू एंड टी), कानपुर

इस केन्द्र द्वारा गेहूँ तोरिया व सरसों तथा अलसी के संबंध में सह-नोडल केन्द्र के रूप में अपनी सेवाएं दी जा रही है। रिपोर्टधीन अवधि में, केन्द्र द्वारा गेहूँ तथा तोरिया व सरसों की क्रमशः 15 एवं 12 किस्मों का रख-रखाव किया गया। डीयूएस परीक्षण की वर्तमान स्थिति अगले पृष्ठ पर दर्शायी है।

तालिका 43 : डीयूएस परीक्षण की स्थिति

फसल	नवीन		वीसीके	कुल	मॉनीटरिंग की तारीख	अध्यक्ष
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष				
गेहूं	-	3	-	-	-	डॉ. के.एच. सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, डीआरएम आर, भरतपुर
तोरिया व सरसों	3	-	3	13	3 मार्च, 2015	

डीयूएस परीक्षणों की मॉनीटरिंग करने के संबंध में, मॉनीटरिंग दल द्वारा फसल के लिए निर्धारित डीयूएस मानकों के अनुसार डीयूएस परीक्षण आयोजित करने के प्रति अपनी संतुष्टि प्रकट की गई और फसल का प्रदर्शन भी बेहतर रहा। हालांकि, मार्च, 2015 में बैमौसमी वर्षा के कारण फसल में अवशयन की समस्या देखने को मिली। दोनों फसलों के संबंध में संक्षिप्त तकनीकी रिपोर्ट इस प्रकार है।

संक्षिप्त तकनीकी प्रगति :

तोरिया व सरसों

सरसों फसल की कुल इकतीस प्रविष्टियों (19 अभ्यर्थी किस्में एवं 12 संदर्भ किस्में) की समय से बुवाई की गई और डीयूएस परीक्षण के लिए सभी प्रविष्टियों में कुल तेईस लक्षणों पर आंकड़े संकलित किए गए। आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए प्रजनन के रख-रखाव में सभी जरूरी सावधानी बरती गई। फसल की कटाई दिनांक 12 मार्च, 2015 को की गई और प्रत्येक प्रविष्टि के बीजों को अनुकूल परिस्थिति में अलग टोकरी में रखा गया। इस फसल की मॉनीटरिंग का कार्य डॉ. के.एच. सिंह, डीआरएमआर, भरतपुर की अध्यक्षता में दिनांक 3 मार्च, 2015 को किया गया।

गेहूं

दिनांक 1 दिसम्बर, 2014 को गेहूं की कुल अठारह प्रविष्टियों अथवा किस्मों (3 अभ्यर्थी किस्में एवं 15 संदर्भ किस्में) की बुवाई की गई। डीयूएस परीक्षण के लिए सभी प्रविष्टियों में कुल उन्नतालिस लक्षणों पर आंकड़े संकलित किए गए। आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए प्रजनन के रख-रखाव में सभी जरूरी सावधानी बरती गई।

2.6.37 भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर, पूर्व में डीएमआर), नई दिल्ली

वर्ष 2014–15 के दौरान, पंजीकरण के लिए नवीन श्रेणी

(छ: संकर एवं दो कम्पोजिट) के तहत आठ आवेदन दर्ज कराए गए। छ: आवेदनों के संबंध में बीज, बीज विश्लेषण रिपोर्ट और डीयूएस जांच शुल्क जमा कराया गया और पूछे गए प्रश्नों/जिज्ञासाओं के उत्तर दिए गए। एक संकर तथा तीन ओपीवी का पंजीकरण किया गया और 58 किस्मों (36 संकर तथा 22 ओपीवी) के वार्षिक पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया गया ताकि इनका बौद्धिक सम्पदा रख-रखाव किया जा सके। केन्द्र द्वारा प्रजनन रख-रखाव एवं लक्षण वर्णन के तहत 79 संदर्भ किस्मों का भी रख-रखाव किया गया जो कि मुख्यतः अखिल भारतीय समन्वित मक्का अनुसंधान परियोजना केन्द्रों से हासिल की गई थीं।

खरीफ 2014 के दौरान कमशः कुल पांच स्थानों नामतः आईआईएमआर, नई दिल्ली; एसआरटीसी, हैदराबाद; वीपीकेएस, अल्मोड़ा; पीएयू, लुधियाना तथा उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, उमियाम में डीयूएस परीक्षण किया गया। कुल एक सौ ग्यारह अभ्यर्थी किस्मों की जांच की गई जिनमें 48 नवीन संकर, 2 ओपीवी, 16 वीसीके, 22 एफवाई तथा 23 नवीन अंतः प्रजात वंशकम शामिल थे। 48 नवीन संकरों में से 2 ओपीवी तथा 23 नवीन अंतः प्रजात वंशकमों की जांच आईआईएमआर, नई दिल्ली और एसआरटीसी, हैदराबाद में की गई जबकि 16 वीसीके की जांच दो स्थानों नामतः एसआरटीसी, हैदराबाद और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना में की गई। किसानों द्वारा विकसित कुल बाईस किस्मों का मूल्यांकन दो स्थानों पर बढ़वार जांच में किया गया। इनमें से 7 किस्मों की जांच एसआरटीसी, हैदराबाद तथा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना में और 15 किस्मों की जांच कमशः वीपीकेएस, अल्मोड़ा तथा उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, उमियाम में की गई।

किसीय पंजीकरण के कार्य में तेजी लाने के प्रयोजन से मक्का में डीयूएस परीक्षण का आयोजन करने हेतु तीन अतिरिक्त स्थानों की पहचान की गई। ये स्थान हैं: पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना; वीपीकेएस, अल्मोड़ा; तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अनुसंधान परिसर, उमियाम। तदनुसार, खरीफ 2014 के दौरान अभ्यर्थी किस्मों (111) तथा संदर्भ किस्मों को शामिल करते हुए आठ परीक्षण इन केन्द्रों को भेजे गए जिनका विवरण अगले पृष्ठ पर है।

तालिका 44 : डीयूएस परीक्षण के तहत किस्मों की स्थिति

नवीन संकर				नवीन अंतः प्रजात		वीसीके		कृषक (एफवी)	ओपीवी		कुल	मॉनीटरिंग की तारीख			
प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		निजी		निजी			सार्वजनिक						
सार्वजनिक	निजी	सार्वजनिक	निजी	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	संकर	अंतः प्रजात		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष					
2	26	5	15	17	6			22	1	1	111	7 अक्टूबर, 2014 को अल्मोड़ा में 9 अक्टूबर, 2014 को डीएमआर में 11 अक्टूबर, 2014 को लुधियाना में			
28		20		23		16		22	2		111				

संकर डीयूएस परीक्षण 2014		अंतः प्रजात डीयूएस परीक्षण 2014		प्रचलित जानकारी वाली किस्म		कृषक किस्म की बढ़वार जांच	
नवीन (प्रथम वर्ष परीक्षण)	नवीन (द्वितीय वर्ष परीक्षण)	नवीन (प्रथम वर्ष परीक्षण)	नवीन (द्वितीय वर्ष परीक्षण)	(वीसीके) एक वर्षीय परीक्षण			
सार्वजनिक – प्रजाति संकर (2)	सार्वजनिक – प्रजाति संकर (5)	प्रोपराइटरी अंतः प्रजात (17)	प्रोपराइटरी अंतः प्रजात (6)	प्रोपराइटरी संकर (6)	कृषक किस्में (22)		
पीएमएच 3, टीएनएयू मक्का हाइब्रिड सीओ 6	डीएचएम 119, डीएचएम 113, डीएचएम 111, पीएमएच 5, राजेन्द्र हाइब्रिड मक्का 3	पीएच 7 पीएच, पीएच 1 बीएफआर, पीएचबीएफई, पीएच 16 के 0, पीएच 1 डब्ल्यूए 2, बीआईओ 82015 एचआई, बीवाई 778–एनएम, पीएचबीईटी, पीएच 17 एच, केएमएल 2078, केएमएल 2006, केएमएल 5253, एनएम 183, एनएम 250, एनएम 199, सीजेड 170 एनएम, पीएच 9 जेएम	केएमएल 2286, केएमएल 2293, बीआईओ 101271, बीवाईओ 70 एनएम, एम 3434, पीसी 1001 एनएम	पीएसी 745, बिस्को 1102, बिस्को 2225, आरएमएच 3022, एनएमएच 459, एनएमएच 2277	मक्का, मक्का बन्सी, जिन्धारा मकई, बुद्धा मकई, सफेद लाक, विनोद, जयंती, मगुदम ममी, मगुदम बोरोक, मिम्बन चारहांग, मिम्पुई, मिम्बन सेन, मिम्पुई वार, पुकाजो वार, मिम्बन डम, मिम्पुई सेन, मिम्बन वार, पुकाजो इंग, पुकाजो सेन, इम्कोण्डा चॉओगी, इम्कोण्डा मियामी, मोकोण्डा टोइमा		
प्रोपराइटरी संकर (17)	प्रोपराइटरी संकर (15)			प्रोपराइटरी अंतः प्रजात (10)			
एनएमएच 920, एनएमएच 1247, टीएमएमएच 809, टीएमएमएच 801, टीएमएम एच 802, एचटीएमएच 5101, सोना, केएमएच 1411, केएम एच 3110, केएमएच 6681, जीके 3090, किंग II, पीएसी 753, पीएसी 751, आरएमएच 3033, टीएमएमएच 805, बीआईओ 9211, बीआईओ 032, बीआईओ 719, बीआईओ 605, बीआईओ 237, पी 3546, पी 3533, पी 3542, डी 4141, एनएमएच 803, एमएम 2100	पी 3396, पी 1864, पी 3580, पी 3436, पी 3303, पी 3522, पी 3570, पी 3377, पी 3373, केएमएच 25 के 45, केएमएच 2589, एनएम 734, इन्द्रा 17, बिस्को एक्स 5141, बिस्को 506			एनएम 206, एनएम 130, एनएम 119, एनएम 58, एनएम 85, एसवाईएन–सीओ–एनपी 5063, एसवाईएन–सीओ–एनपी 5038, एसवाईएन–सीओ–एनपी 5088, एनएम 115, एनएम 61			
ओपीवी (1)	ओपीवी (1)						
प्रताप कंचन 2	पंत संकुल मक्का 3						

स्थान के अनुसार कुल 111 अभ्यर्थी किस्मों/प्रविष्टियों का विवरण इस प्रकार है :

केन्द्र	नवीन			वीसीके		कृषक किस्म (एफवी)
	अंतः प्रजात	संकर	ओपीवी	अंतः प्रजात	संकर	
मक्का अनुसंधान निवेशालय, नई दिल्ली	23	48	2	—	—	—
एसआरटीसी, हैदराबाद	23	48	2	10	6	7
वीपीकेएस, अल्मोड़ा	—	—	—	—	—	15
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	—	—	—	10	6	7
उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, उमियाम	—	—	—	—	—	15

परीक्षणों का आयोजन एवं प्रबंधन उत्कृष्ट तरीके से किया गया। सभी अभ्यर्थी प्रविष्टियों में गुणों के समुचित प्रकटन के लिए सुझाई गई जरूरी पौधा स्थापना दर्ज की गई। ओपीवी (पंत संकुल मक्का 3 एवं प्रताप कंचन 2) में 30 प्रतिशत तक विषमयुग्मजता यथा पौधा लंबाई (शीर्षस्थ पत्ती तक), गुच्छा : प्रफुल्लन का समय (मुख्य अक्ष से तीसरे मध्य पर, पौधे का 50 प्रतिशत), बाली : रेशा आविर्भाव का समय (50 प्रतिशत पौधा), बाली : रेशा का एन्थोसॉयनिन रंग (आविर्भाव के दिन)। रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान, डॉ. एस. अय्यप्पन, सचिव, डेयर एवं महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा डॉ. शासांक मौर्य, सहायक महानिदेशक (आईपी एवं टीएम) ने डीएमआर, नई दिल्ली का दौरा किया।

2.6.38 विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (वीपीकेएस), अल्मोड़ा

विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा को मक्का, सोयाबीन तथा राजमा का डीयूएस परीक्षण करने के लिए चिह्नित किया गया। रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान रख-रखाव प्रजनन एवं लक्षणवर्णन की प्रगति नीचे प्रस्तुत है।

तालिका 45 : प्रजनन/लक्षणवर्णन के रख-रखाव के तहत किस्मों की स्थिति

क्र. सं.	फसल	किस्मों का स्रोत	किस्म का नाम
1.	सोयाबीन	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	12 (डीएस 228, डीएस 97-12, पूसा 16, पूसा 20, पूसा 22, पूसा 24, पूसा 37, पूसा 40, एनआरसी 2, एनआरसी 7, एनआरसी 12 एवं एनआरसी 37)
		स्वयं की	7 (वीएलएस 1, वीएलएस 2, वीएलएस 21, वीएलएस 47, वीएलएस 59, वीएलएस 63, वीएलएस 65)
		अन्य (निर्दिष्ट करें)	72 (एडीटी 1, अलंकार, अंकुर, बिरसा सोया 1, ब्राग, सीओ 1, सीओ 3, सीओ सोया 2, दुर्गा, गुजरात सोया 1, गुजरात सोया 2, गौरव, हरा सोया, हार्डी, इम्बूल्ड पेलिकन, इन्दिरा सोया 9, जेएस 2, जेएस 71-05, जेएस 75, 46, जेएस 76.205, जेएस 79.81, जेएस 80.21, जेएस 90.41, जेएस 93.05ए जेए, 95.60, जेएस 97.52, जेएस 335, केबी 79, केएचएसबी 2, कलितुर, ली, एलएसबी 1, एमएसीएस 13, एमएसीएस 57, एमएसीएस 58, एमएसीएस 124, एमएसीएस 450, एमएयूएस 1, एमएयूएस 2, एमएयूएस 32, एमएयूएस 47, एमएयूएस 61, एमएयूएस 61.2, एमएयूएस 71, एमएयूएस 81, मोनेटा, पालम सोया, पीके 262, पीके 308, पीके 327, पीके 471, पीके 416, पीके 472, पीएस 564, पीएस 1024, पीएस 1029, पीएस 1042, पीएस 1092, पीएस 1241, पीएस 1347, पीएस 1368, पंजाब 1, आरएयूएस 5, शिलाजीत, शिवालिक, एसएल 96, एसएल 295, एसएल 525, एसएल 688, टीएमएस 98, टाइप 49)

क्र. सं.	फसल	किस्मों का स्रोत	किस्म का नाम
2.	मक्का	स्वयं की	15 संकर (विवेक हाइब्रिड 4, विवेक हाइब्रिड 5, विवेक हाइब्रिड 9, विवेक हाइब्रिड 15, विवेक हाइब्रिड 17, विवेक हाइब्रिड 21, विवेक हाइब्रिड 23, विवेक हाइब्रिड 25, विवेक हाइब्रिड 27, विवेक हाइब्रिड 33, विवेक हाइब्रिड 39, विवेक हाइब्रिड 39, विवेक हाइब्रिड 43, विवेक हाइब्रिड 45, हिम 129, विवेक क्यूपीएम 9) 17 अंतः प्रजात (सीएम 126, सीएम 127, सीएम 128, सीएम 129, सीएम 141, सीएम 145, सीएम 152, सीएम 153, सीएम 212, सीएम 502, वी 25, वी 335, वी 341, वी 345, वी 346, वी 351, वी 372, वी 373, वीक्यूएल 1, वीक्यूएल 2, वीक्यूएल 17) 6 कम्जोजिट (विवेक संकुल मक्का 11, विवेक संकुल मक्का 31, विवेक संकुल मक्का 35, विवेक संकुल मक्का 37, वीएल अम्बर पॉप कॉर्न, वीएल बेबी कॉर्न)
3	राजमा	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	आईपीआर 98.5, आईपीआर 98.3.1
		स्वयं की	वीएल 63, वीआर 125

मक्का : उत्तर पूर्वी क्षेत्र से संकर (12 प्रविष्टियाँ) तथा अंतः प्रजात (8 प्रविष्टियाँ), किसान द्वारा विकसित किस्म (20 प्रविष्टियाँ) सहित कुल चालीस किस्मों को बोया गया। संकर किस्मों तथा अंतः प्रजात किस्मों का लक्षणवर्णन 30 डीयूएस गुणों के लिए किया गया। किसानों द्वारा विकसित किस्मों का लक्षणवर्णन केवल 16 गुणों के लिए किया गया। किसानों द्वारा विकसित केवल एक किस्म मगदूम बोरोक, जो कि अगेती परिपक्वता किस्म है, का ही लक्षणवर्णन 30 गुणों के लिए किया जा सका।

राजमा : बढ़वार जांच के लिए राजमा की कुल तीन किस्मों (किसान द्वारा विकसित एक किस्म नामतः चितकबरा लाल झुलू सावंत तथा दो संदर्भ किस्में आईपीआर 98-5 व आईपीआर 98-3-1) को बोया गया और राष्ट्रीय परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार कुल 22 डीयूएस गुणों के लिए इनका लक्षणवर्णन किया गया। किसानों द्वारा विकसित मक्का की किस्म की फसल बढ़वार जांच की मॉनीटरिंग का कार्य वीपीकेएस में दिनांक 7 अक्टूबर, 2014 को किया गया। मॉनीटरिंग दल में डॉ. ज्योति कौल, नोडल अधिकारी,

मक्का पर डीयूएस परियोजना एवं डॉ. राजेश खुल्बे, परियोजना अन्वेशक, मक्का सुधार कार्यक्रम, वीपीकेएस, श्रीमती शेफालिका आप्रपाली, वैज्ञानिक प्रभारी, डीयूएस परियोजना, सह-नोडल केन्द्र, वीपीकेएस, अल्मोड़ा शामिल थे। 5 संदर्भ किस्मों के साथ कुल 15 अन्यर्थी किस्मों पर विशिष्टता एवं एकरूपता पर आकलन किए गए।

खरीफ 2014 के दौरान किसानों द्वारा विकसित पंद्रह किस्मों का फसल बढ़वार परीक्षण किया गया। विभिन्न गुणों यथा गुच्छा गुण (50 प्रतिशत पौधों में प्रफुल्लन के समय, ग्लूम के एन्थोसॉयनिन रंग की उपस्थिति में), बाली गुण (50 प्रतिशत पौधों में रेशा आविर्भाव के समय, एन्थोसॉयनिन रंग की उपस्थिति में), पौधा गुण (पौधा ऊंचाई, बाली नियोजन) आदि खड़ी फसल अवस्था में प्रत्येक प्रविष्टि का मूल्यांकन किया गया जिसमें उल्लेखनीय भिन्नता प्रदर्शित हुई। अधिकांश पौधों द्वारा विशिष्ट गुण का प्रदर्शन करने के अनुसार आकलन दर्ज किए गए। केवल मिम्बन चारांग को छोड़कर अधिकांश प्रविष्टियों में 50 प्रतिशत प्रफुल्लन/रेशा प्रदर्शित हुआ। सबसे अगेती प्रविष्टि मगदूम बोरोक थी जिसमें 46 दिनों में पुष्पन देखने को मिला जबकि पॉकजो किस्म, मिम्बन डम, मोकोण्डा टोइमा अति पछेती हैं और इनमें अक्तूबर के पहले सप्ताह में पुष्पन देखने को मिला। एक प्रविष्टि जो कि अगेती है, में गुच्छा बीज गठन प्रदर्शित हुआ। राजमा की फसल बढ़वार परीक्षण की मॉनीटरिंग का संस्थान मॉनीटरिंग दल द्वारा व्यस्त पुष्पन से प्रारंभिक फली निर्माण अवस्था के दौरान दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को किया गया। परीक्षण संतोषजनक पाया गया। डॉ. आर. आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पीपीवी एंड एफआरए, नई दिल्ली ने दिनांक 7 जनवरी, 2015 को अल्मोड़ा का दौरा किया।

2.7 डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक

2.7.1 ब्रेनस्टार्मिंग सत्र

डीयूएस कार्यविधि और वित्तीय सहयोग क्रियाविधि की समीक्षा करने के लिए प्रोफेसर एस.के. दत्ता, उप महानिदेशक (फसल विज्ञान), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में दिनांक 5 दिसम्बर, 2014 को एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में एक ब्रेनस्टार्मिंग सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पीपीवी एंड एफआरए; डॉ. आर.सी. अग्रवाल, रजिस्ट्रार जनरल, पीपीवी एंड एफआरए; रजिस्ट्रार एवं प्राधिकरण के अन्य अधिकारी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। इस सत्र में डॉ. अतानु पुरकास्यरथ, संयुक्त सचिव (बीज), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग; डॉ. इन्दु शर्मा,

परियोजना निदेशक (गेहूँ); डॉ. ओ.पी. यादव, परियोजना निदेशक (मक्का), डॉ. एस. राजेन्द्र प्रसाद, परियोजना निदेशक (बीज अनुसंधान निदेशालय); डॉ. एन.के. दादलानी, निदेशक (एनएसएआई); बीज उद्योग के प्रतिनिधि, नोडल अधिकारी (डीयूएस) तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के अन्य वैज्ञानिक और कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। इस ब्रेनस्टार्मिंग सत्र का उद्देश्य डीयूएस केन्द्रों की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालना और अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत डीयूएस—वीसीयू प्रणाली अवधारणा की समकालिकता द्वारा प्रारंभिक अवस्था में ही किसी किस्म की पहचान करना था। इस सत्र में वैज्ञानिकों ने आपसी विचार—विमर्श किया और डीयूएस केन्द्रों तथा डीयूएस परीक्षण के रख—रखाव की रीति पर अपने विचारों का आदान—प्रदान किया। सत्र में यह निर्णय लिया गया कि डॉ. आर.के. चौधरी पूर्व परियोजना समन्वयक (एनएसपी) की अध्यक्षता में डॉ. ओ.पी. यादव, परियोजना निदेशक (मक्का), भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली एवं डॉ. एन.के. दादलानी, एनएसएआई को शामिल करते हुए गठित की गई समिति द्वारा डीयूएस परीक्षण तथा केन्द्रों के रख—रखाव के मामलों की जांच की जाएगी।

2.7.2 जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़ में दिनांक 9–10 मार्च, 2015 को आयोजित 9वीं डीयूएस समीक्षा बैठक

प्राधिकरण द्वारा वित्तीय पोषित डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं की वित्तीय एवं तकनीकी स्थिति की समीक्षा करने तथा साथ ही इनके द्वारा महसूस की जा रहीं समस्याओं के समाधान के लिए जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़ में दिनांक 9–10 मार्च, 2015 को डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं की 9वीं समीक्षा बैठक आयोजित की गई। डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं के प्रतिनिधियों ने अपने यहाँ हुई प्रगति और महसूस की जा रहीं बाधाओं पर संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण दिया। इस बैठक में कुल छः सत्रों का आयोजन किया गया जिनकी अध्यक्षता अलग—अलग वरिष्ठ वैज्ञानिकों नामतः डॉ. एन. कृष्णकुमार, उप महानिदेशक (बागवानी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद; डॉ. एस.ए. पाटिल, पूर्व निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली; डॉ. एन.बी. सिंह, डॉ. वाईएसपीएचयूएफ, सोलन; डॉ. जे.एस. चौहान, जे.एस. (बीज); एवं डॉ. पी.ए.ल. सालीमठ, कुलपति, यूएस, रायचुर द्वारा की गई।

सिफारिशें

❖ आईआईएचआर, बंगलुरु तथा आईआईवीआर, वाराणसी

द्वारा बीज अधिनियम, 1966 के तहत अधिसूचित शेष किस्मों के लिए पौधा किस्म संरक्षण चाहने वालों के आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे।

- ❖ खेत फसलों/सब्जियों में वन्य/सुदूर प्रजातियों जहाँ जैविक/अजैविक दबाव, गुणवत्ता आदि के लिए नवीन गुणों को शामिल किया जा रहा है, के लिए डिस्किप्टर्स विकसित किए जाएं।
- ❖ वर्ष 2014–15 के लिए शेष बजट को डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं को जारी किया जाएगा।
- ❖ किसानों द्वारा विकसित किस्मों का प्रलेखन, पंजीकृत किस्म डाटाबेस/आईआईएनडीयूएस को अद्यतन बनाना और जहाँ डाटाबेस उपलब्ध नहीं है वहाँ 57 अधिसूचित प्रजातियों के लिए डाटाबेस का सूजन करना तथा जई, लोबिया और ग्यूनिया घास के लिए टास्क बल का गठन करना। यह सुझाव दिया गया कि लोबिया के मामले में, विभिन्न प्रकृति (सब्जी/दलहन/चारा) से संदर्भ किस्मों को शामिल किया जाए और सब्जी फसलों के लिए केन्द्रों को तथा इनकी खेती एवं उपयोग के लिए विभिन्न कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जा सकता है।
- ❖ चावल, गेहूँ, मक्का, सोरघम, बाजरा तथा कपास के लिए डीयूएस दिशानिर्देशों की समीक्षा की जाए।
- ❖ प्राधिकरण द्वारा डीयूएस परीक्षण में सांख्यिकीय अवधारणा पर एक कार्यशाला का आयोजन किया जाए।
- ❖ नोडल/सह नोडल केन्द्रों पर प्रचलित संदर्भ किस्में उगाई जाएं और उनका रख—रखाव किया जाए तथा रख—रखाव प्रजनन पर आंकड़ों को नोडल केन्द्रों द्वारा 30 अप्रैल, 2015 तक जमा कराया जाए। एनएआरएस द्वारा व्यावसायिक महत्ता वाली किस्मों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए।
- ❖ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रचलित अधिसूचित किस्मों (ईएनवी), पैतृक वंशकर्मों के पंजीकरण, नाम के मामले में जारी प्रस्तावों में डिस्किप्टर्स की अनुपलब्धता के संबंध में मामले को देखा जाना चाहिए तथा एनएआरएस/एनएससी, एसएससी द्वारा प्रजनकों को रॉयल्टी/लाभ भागीदारी हेतु कार्यप्रणाली पर कार्य करने से संबंधित मुद्दे को उठाना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों द्वारा पीवीपी एंड पीजीएससी अवार्ड्स मांगने वाले आवेदनों को भरने में किसानों/समुदायों को प्रेरित करने में मदद की जाए और डीयूएस केन्द्रों के संसाधन व्यक्ति भी भागीदारी करें।

2.8 राष्ट्रीय जीन बैंक

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण का राष्ट्रीय जीन बैंक, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन व्यूरो (एनबीपीजीआर), पूसा, नई दिल्ली के पुराने परिसर में स्थापित किया गया था। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा मध्यम अवधि के भण्डारण के तहत सुरक्षित कस्टडी के लिए किराये की इस सुविधा का प्रबंधन किया जा रहा है। मध्यम अवधि सुविधा के कार्य की मॉनीटरिंग का कार्य एनबीपीजीआर के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है। मध्यम अवधि के भण्डारण का तापमान $\pm 4^{\circ}\text{C}$ रखा जाता है और आपेक्षिक आर्द्रता को 35 प्रतिशत तक समायोजित किया जाता है। मध्यम अवधि भण्डारण (एमटीएस) माड्यूल तथा डीयूएस परीक्षण रिपोजिट्री की आपेक्षिक आर्द्रता और तापमान को इलैक्ट्रीशियन द्वारा प्रतिदिन दर्ज किया जाता है और यदि कोई समस्या हो तो उसे एनबीपीजीआर के तकनीकी कार्मिकों की जानकारी में लाया जाता है। डीयूएस परीक्षण के लिए किस्मों के नमूनों की पैकेजिंग, सील लगाने और प्रसंस्करण के कार्य में प्राधिकरण के अधिकारियों को समय—समय पर तकनीकी मदद प्रदान की जाती है। मध्यम अवधि भण्डारण परिस्थितियों के अंतर्गत पंजीकृत किस्मों के वास्तविक ('आर्थेडॉक्स') बीजों तथा डीयूएस परीक्षण/बढ़वार परीक्षण के तहत आजमाई गई किस्मों के लिए बीज नमूनों को भण्डारित किया जा रहा है। पीपीवी एंड एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 27 में राष्ट्रीय



जीन बैंक का प्रावधान है और निर्धारित किया गया है कि प्रजनकों को पंजीकृत किस्म के पैतृक वंशक्रम बीजों सहित बीजों अथवा प्रवर्धित सामग्री की मात्रा को राष्ट्रीय जीन बैंक में जमा कराना होगा। पुनः पीपीवी एंड एफआर नियमावली, 2003 के अनुसार, बीजों तथा प्रवर्ध्य के नमूनों में आनुवंशिक शुद्धता, एकरूपता व अंकुरण, स्वच्छता तथा पादप स्वच्छता मानकों के रख—रखाव योग्य मानदण्ड बने रहने चाहिए। मध्यम अवधि के तहत भण्डारण, बीज रख—रखाव, पुनः पैकेजिंग, पौधा किस्म संरक्षण, बीज गुणवत्ता पैरामीटरों के मूल्यांकन के लिए वांछित डीयूएस परीक्षण केन्द्रों को खेत परीक्षण के लिए नमूनों को भेजना जैसे किसी भी बहिःस्थाने जननद्रव्य बैंक की तुलना में अधिदेशित गतिविधियां काफी हद तक भिन्न होती हैं और इनमें कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए। पंजीकृत किस्मों के लिए भण्डारित बीजों का उपयोग विवाद को निपटाने, अनिवार्य लाइसेन्सिंग और अधिनियम के आवश्यकतानुसार उपयुक्त किसी भी ऐसे मुद्दे के समाधान हेतु किया जा सकता है।

2.8.1 पंजीकृत किस्मों के बीजों का मध्यम अवधि भण्डारण

बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के तहत अधिसूचित 853 प्रचलित अथवा विद्यमान किस्मों; 149 वीसीके एवं ईडीवी किस्मों, 227 नवीन किस्मों तथा 543 किसानों द्वारा विकसित किस्मों के बीज नमूनों को बीज भण्डारण के लिए विशेष तौर पर डिजाइन किए गए बीज कैबिनेट में रखा जा रहा है। इन बीज नमूनों को $30\pm 5\%$ की आपेक्षिक आर्द्रता के साथ 4°C सेल्सियस तापमान की नियंत्रित जलवायु परिस्थितियों में रखा जा रहा है ताकि लंबी अवधि के लिए बीज नमूनों की शारीरिक व्यवहार्यता अथवा जीवनक्षमता सुनिश्चित की जा सके। पंजीकृत किस्मों के बीज नमूनों को संरक्षण की अवधि तक भण्डारित किया जाता है और फसल विशिष्ट मानदण्डों एवं जरूरतों के अनुसार निर्धारित अन्तराल पर इनकी व्यवहार्यता जांची जाएगी। पीपीवी एंड एफआरए के राष्ट्रीय जीन बैंक में भण्डारण के 5 वर्ष उपरान्त एमटीएस में रखी निम्नलिखित पंजीकृत किस्मों के बीजों की जांच की गई।

तालिका 46 : वर्ष 2014–15 के दौरान राष्ट्रीय जीनबैंक में संरक्षित विभिन्न पंजीकृत फसलों के बीजों की व्यवहार्यता एवं नमी मात्रा के लिए मॉनीटरिंग की गई किस्में

क्र. सं.	फसल	किस्म के नमूनों की संख्या	पूर्व नमी मात्रा (%)	पूर्व अंकुरण मात्रा (%)	वर्तमान नमी मात्रा (%)	वर्तमान अंकुरण मात्रा (%)
1	उड़द	9	8.8 - 9	63 - 90	9.98 - 12.47	34 - 98
2	मसूर	9	8.8 - 9	74 - 96	6.8 - 10.98	68 - 100
3	राजमा	3	8.6 - 9	88 - 95	8.07 - 10.27	48 - 100
4	मूंग	15	8 - 9.6	64 - 97	9.6 - 11.4	72 - 100
5	मटर	11	8 - 10.2	75 - 98	6.43 - 10.97	74 - 100
6	चना	1	8.3	93	10.02	100
7	कपास	48	2.8 - 11.7	90 - 75	6.26 - 11.94	48 - 100
8	पटसन या जूट	1	5	90	9.75	100
9	बाजरा	40	10.9 - 7.6	75 - 97	7.93 - 11.12	78 - 100
10	ज्वार	13	8.3 - 11.5	75 - 92	8.54 - 12.44	64 - 100
11	मक्का	42	7.99 - 13.4	80 - 100	5.93 - 15.10	0 - 100
12	चपाती गेहूं	56	7.4 - 12	91 - 98	7.8 - 11.46	90 - 100
13	चावल	4	-	-	11.5 - 12.58	0 - 90

तालिका 47 : मध्यम अवधि भण्डारण परिस्थिति के तहत राष्ट्रीय जीन बैंक में संरक्षित पंजीकृत किस्मों की बीज नमूनों की प्रगति

क्र. सं.	फसल	डीयूएस परीक्षण रिपोजिट्री (एसटीएस)					मध्यम अवधि भण्डारण (4°C)					समग्र योग	
		डीयूएस परीक्षण के लिए 22°C तापमान पर अभ्यर्थी किस्मों को रखा गया											
		प्राप्त बीज ए					जारी प्रमाण—पत्र बी						
		नवीन	वीसीके + ईडीवी	किसान	प्रचलित अधिसूचित	कुल (ए)	नवीन	वीसीके + ईडीवी	किसान	प्रचलित अधिसूचित	कुल (बी)		
1	चपाती गेहूं	14	6	29	2	51	11	3	3	106	123	174	
2	बैंगन	103	114	6	1	224				7	7	231	
3	बंदगोभी	8	1			9				1	1	10	
4	अरण्डी	6	2			8	1	1		4	6	14	
5	फूलगोभी	35	11		1	47				2	2	49	
6	चना	2		13		15				39	39	54	
7	कपास	371	272 155	2	7	807	43	171		77	138	945	
8	फेंचबीन									2	2	2	
9	मटर	2	2	5	1	10				24	24	34	
11	मूंग	3	3	14	1	21				29	29	50	
12	मूंगफली			2		2				31	31	33	
13	पटसन या जूट	6	1	4		11	4			10	14	25	
14	मसूर			17		17				11	11	28	
15	अलसी			9	2	11				5	5	16	

क्र. सं.	फसल	डीयूएस परीक्षण रिपोजिट्री (एसटीएस)					मध्यम अवधि भण्डारण					समग्र योग	
		डीयूएस परीक्षण के लिए 22°C तापमान पर अभ्यर्थी किस्मों को रखा गया					(4°C)						
		प्राप्त बीज ए					जारी प्रमाण—पत्र बी						
		नवीन	वीसीके + ईडीबी	किसान	प्रचलित अधिसूचित	कुल (ए)	नवीन	वीसीके + ईडीबी	किसान	प्रचलित अधिसूचित	कुल (बी)		
16	मक्का	189	43	42		274	35	25		74	134	408	
17	सरसों	10	9	18	1	38		8	1	49	58	96	
18	भिंडी	65	38	4	1	108						108	
19	प्याज	1	11	2	1	15				1	1	16	
20	बाजरा	115	15	4	1	135	17	21		48	86	221	
21	अरहर	20	5	28		53	2	1	3	20	26	79	
22	तोरिया			2		2				12	12	14	
23	चावल	220	33	1909	18	2180	54	30	535	146	765	2945	
24	कुसुंभ			1		1				6	6	7	
25	तिल			11	2	13				5	5	18	
26	ज्वार	70	35	7	1	113	38	29	1	37	105	218	
27	सोयाबीन	2	1	2	7	12				14	14	26	
28	सूरजमुखी	82	12			94	22	13		9	44	138	
29	टमाटर	99	97	4		200				2	2	202	
30	उड्ढद	1	1	25		27				16	16	43	
31	राजमा			11		11				6	6	17	
32	धनिया			3		3						3	
33	करेला		19	3		22						22	
34	कदरू			10		10						10	
35	लौकी		8	4	1	13						13	
36	खीरा		6			6						6	
38	जौ			1		1						1	
	कुल	1424	900	2192	48	4564	227	149	543	733	1712	6275	

2.8.2 डीयूएस परीक्षण के तहत किस्मों के बीजों का अल्पावधि भण्डारण

वैधानिक प्रावधानों के अनुसार डीयूएस परीक्षणों का आयोजन इस प्रकार किया जाता है:

- ❖ नवीन श्रेणी के तहत किस्मों के लिए दो वर्ष एवं दो स्थान पर परीक्षण
- ❖ सामान्य अथवा प्रचलित जानकारी (वीसीके) तथा किसानों द्वारा विकसित किस्मों के लिए दो स्थानों पर एक वर्ष का परीक्षण

आवेदक को नवीन तथा वीसीके श्रेणी के लिए डीयूएस परीक्षण शुल्क के साथ पंजीकरण के लिए फसल विशिष्ट मानदण्डों के अनुसार बीजों की मात्रा को जमा कराना होता

है। किसानों द्वारा विकसित अथवा तैयार की गई किस्मों के मामले में भी आवेदक को केवल बीजों की निर्धारित मात्रा को जमा कराने की जरूरत होती है क्योंकि किसानों को डीयूएस परीक्षण/बढ़वार जांच के लिए किसी प्रकार का शुल्क देने की जरूरत नहीं होती।

नवीन किस्मों (1435), वीसीके (900) तथा ईडीबी (पैतृक सामग्री दोनों सहित), प्रचलित अधिसूचित (48) तथा किसानों द्वारा विकसित की गई किस्मों (2204) के बीज नमूनों का रख-रखाव दिनांक 31 मार्च, 2015 को अल्पावधि भण्डारण में किया जा रहा है। प्रतिनिधि बीज नमूनों को डीयूएस परीक्षण केन्द्र भेजे जाते हैं और शेष नमूनों को आकस्मिक परिस्थितियों के लिए रख लिया जाता है। जब

तक पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक बीज पैकेटों को $20\pm2^{\circ}\text{C}$ के तापमान पर भण्डारित किया जाता है। हालांकि, एक बार जब कोई अभ्यर्थी किस्म पंजीकरण प्रमाण—पत्र पाने के लिए योग्य हो जाती है, तब आवेदकों को मध्यम अवधि भण्डारण में भण्डारण करने के लिए ताजा बीज नमूने आपूर्ति करने की सलाह दी जाती है।

2.8.3 बीज मानक

आवेदकों द्वारा उचित लेबलिंग के साथ एल्युमिनियम फॉयल की त्रिस्तरीय परत वाले पाउच में मुहरबंद करके बीज नमूने जमा कराने होते हैं। पैकेटों पर लेबलिंग निम्नानुसार की जाए :

- ❖ अभ्यर्थी किस्म का नाम,
- ❖ पौधा किस्म रजिस्ट्री द्वारा आवंटित आवेदन पावती संख्या,

❖ श्रेणी (नवीन/प्रचलित/वीसीके/किसान द्वारा तैयार किस्म आदि)

❖ कटाई का वर्ष, तथा

❖ बीज गुणवत्ता पैरामीटर (नमी प्रतिशत, अंकुरण प्रतिशत तथा शारीरिक शुद्धता प्रतिशत)

पूरे बीज को बराबर—बराबर दस (नवीन किस्म के लिए) अथवा पांच (वीसीके अथवा किसानों की किस्मों के लिए) अथवा दो (बीज अधिनियम, 1966 के तहत अधिसूचित प्रचलित किस्म) बीज पैकेटों/पाउच में बांटा जाए। बीज समूह द्वारा फसल विशिष्ट डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित मानकों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए। कुछ प्रमुख फसलों के लिए बीज मानकों हेतु वर्णनात्मक सूची तालिका 24 में प्रस्तुत है।

तालिका 48 : मध्यम अवधि भण्डारण तथा डीयूएस परीक्षण के लिए बीज मानक

क्र. सं.	फसल	बीज आवश्यकता अभ्यर्थी/पैतृक वंशकम संकर (प्रत्येक) ग्राम में अन्यथा उल्लेख नहीं किया जाए	अंकुरण %	नमी %	शारीरिक शुद्धता %	अनंतिम सीजन – डीयूएस परीक्षण के लिए बीज जमा करने के महीने	बीज पैकेटों का निर्धारित आकार (मिमी.)	
1	चावल	3000	1500	80	11-12%	98	खरीफ – मार्च – अप्रैल	230x300
2	चपाती गेहूं	3000	1500	95	8-9%	98	रबी – अगस्त	230x300
3	मक्का	3000	1500	80 (अंतः प्रजात/ एससीए)	8-10%	98	खरीफ – मार्च – अप्रैल, रबी – अगस्त	230x300
4	ज्वार (सोरघम)	3000	1500	80 (अंतः प्रजात/ एससीएच) 90 (किस्म/	10-12%	98	खरीफ – मार्च रबी – अगस्त	230x300
5	बाजरा	1000	500	(डीसीएच)	10-12%	98	खरीफ – मार्च	165x220
6	चना	2000 (देसी) 3000 (काबुली)	लागू नहीं	80 (अंतः प्रजात/ एससीएच) 90 (किस्म/	8-9%	98	रबी – अगस्त	230x300
7	मूंग	1000	लागू नहीं	(डीसीएच)	8-9%	98	खरीफ – मार्च	230x300
8	उड्डद	1000	लागू नहीं	80	8-9%	98	खरीफ – मार्च	165x220
9	मटर	2000	लागू नहीं	80	8-9%	98	रबी – अगस्त	230x300
10	राजमा	3000	लागू नहीं	80	8-9%	98	जून – जुलाई	230x300
11	मसूर	1000	लागू नहीं	80	8-9%	98	रबी – अगस्त	230x300
12	अरहर	2000	1500	80	8-9%	98	खरीफ – मार्च	230x300
13	कपास	2000	1000	75	10	98	खरीफ – उत्तर – फरवरी प्रायद्वीप – दक्षिण – मई	230x300

क्र. सं.	फसल	बीज आवश्यकता अभ्यर्थी / पैतृक वंशकम संकर (प्रत्येक) ग्राम में अन्यथा उल्लेख नहीं किया जाए		अंकुरण %	नमी %	शारीरिक शुद्धता %	अनंतिम सीजन – डीयूएस परीक्षण के लिए बीज जमा करने के महीने	बीज पैकेटों का निर्धारित आकार (मिमी.)
14	कपास	2000	1000	75	10	98	खरीफ – उत्तर – फरवरी प्रायद्वीप – दक्षिण – मई	
15	कपास	1500	750	75	10	98		
16	कपास	1500	750	75	10	98		
17	पटसन या जूट	1000	500	85	9	97	खरीफ पूर्व – अगेती जनवरी	165x220
18	पटसन या जूट	1000	500	85	9	97	खरीफ पूर्व – अगेती जनवरी	
19	भारतीय सरसों	500	250					
20	करन राई	500	250					
21	तोरिया— सरसों	500	250	85	8	98	अगस्त – सितम्बर	165x100
22	गोभी सरसों	500	250					
23	मूँगफली	3000 (स्पेनिष एवं वेलेन्सिया) वर्जिनिया बंच एवं रनर प्रकृति के लिए 8000 (गुठली)	1500 4000	80	9	98	खरीफ : मई – जून रबी : अगस्त – सितम्बर	300x450
24	सोयाबीन	3000	-	70	9	98	अप्रैल – मई	230x300
25	सूरजमुखी	3000	2000	70	9	98	जुलाई – अगस्त	230x300
26	कुसुंभ	3000	1500	80	9	98	जून – जुलाई	230x300
27	अरण्डी	6000	2500	70	10	98	अप्रैल – मई	300x450
28	तिल	500	250	80	9	97	अप्रैल – मई	165x100
29	अलसी	500	250	85	9	98	जुलाई – अगस्त	165x100
30	टमाटर	15 (खुले खंत) 8 (ग्रीनहाउस)	वही	85	8	98	अप्रैल – मई	165x100
31	बैंगन	15 (खुला)	15 (खुले)	85	8	98	अप्रैल – मई	165x100
32	भिण्डी	200	-					
33	फूलगोभी	15	15	*	*	*	अप्रैल – मई	165x100
34	बंदगोभी	15	15	*	*	*	अप्रैल – मई	165x100
35	प्याज	100 1200 बल्बलेट्स (बहुगुण तकद्दु 50 बल्ब (एमएस वंशकम)	50	70	*	*	संबंधित बुवाई मौसम के अनुसार	
36	लहसुन	2000 जीवनक्षम कली	-	*	*	*	अगस्त – सितम्बर	-
37	डुरुम गोहूं	3000	1500	95	8-9%	98		

क्र. सं.	फसल	बीज आवश्यकता अभ्यर्थी / पैतृक वंशकम संकर (प्रत्येक) ग्राम में अन्यथा उल्लेख नहीं किया जाए	अंकुरण %	नमी %	शारीरिक शुद्धता %	अनंतिम सीजन – डीयूएस परीक्षण के लिए बीज जमा करने के महीने	बीज पैकेटों का निर्धारित आकार (मिमी.)
38	डाइकोकम गेहूं	3000	1500	95	8-9%	98	
39	अन्य द्रिटिकम प्रजाति	3000	1500	95	8-9%	98	गेहूं की भाँति
40	इसबगोल	250	-	95	8-9%	98	
41	करेला	300 ग्राम अथवा 1500 संख्या	-	80	8	98	अप्रैल
42	लौकी	250 ग्राम अथवा 1500 संख्या	-	80	8	98	अप्रैल
43	खीरा	50 ग्राम अथवा 1500 संख्या	-	80	8	98	अप्रैल
44	कद्दू	200 ग्राम अथवा 1500 संख्या	-	80	8	98	अप्रैल
45	जौ	1500	1000	95	8	98	अगस्त – सितम्बर
46	धनिया	250	-	80	8-9%	98	अगस्त – सितम्बर
47	मेथी	250	-	80	8-9%	98	अगस्त – सितम्बर
48	खरबूजा	खुले खेतों में खेती के लिए 100 ग्राम बीज	-	80	8	98	
49	तरबूज	खुले खेतों में खेती के लिए 150 ग्राम बीज	-	80	8	98	
50	पपीता	दोनों मौसमों में भिन्नरथोभयरस्त्री लिंगी किस्मों के लिए 20 ग्राम और स्त्रीलिंगी किस्मों के लिए 40 ग्राम	-	60	अनुकूल भण्डारण के लिए 7%	किस्मों के लिए 98% एवं संकरों के लिए 90%	
51	चाइना एस्टर	प्रत्येक दोनों पैकेटों में 2 ग्राम	-	60	6-9%	98	
52	मिर्च, शिमला मिर्च, एवं पपरिका	खुली परागित फसलों के लिए 15 ग्राम और संकर एवं पैतृक वंशकम के लिए 10 ग्राम	-	85	8	98	

*प्रजनक बीज मानकों के अनुसार

2.9 प्रक्षेत्र जीन बैंक

2.9.1 डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान व प्रशिक्षण स्टेशन, मशोबरा, शिमला

क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण स्टेशन, खेत बैंकों में से एक है जिसे शीतोष्ण फलों यथा सेब, चेरी, नाशपाती तथा अखरोट के लिए खेत रिपोजिट्री हेतु अधिदेश सौंपा गया है। फलों के संबंध में रख—रखाव एवं संकलन ब्लॉक की नवीनतम स्थिति इस प्रकार है :

प्रजनन रख—रखाव ब्लॉक

क्र. सं.	फलदार फसल	पूर्ववर्ती वर्ष में शामिल किस्में	वर्तमान वर्ष में शामिल किस्में	*किस्मों की कुल संख्या	स्रोत
1.	सेब	249	19	268	राज्य कृषि विश्वविद्यालय — हिमाचल प्रदेश, जमू व कश्मीर तथा उत्तराखण्ड भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद — एनवीपीजीआर, फागली एवं सीआईटीएच, श्रीनगर बागवानी विभाग (हि. प्र.) : संतति व बागवानी (हि. प्र.) प्रदर्शन उद्यान
2.	नाशपाती	64	11	75	बही
3.	चेरी	45	1	46	राज्य कृषि विश्वविद्यालय — हि.प्र. एवं जमू व कश्मीर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद — सीआईटीएच, श्रीनगर

*प्रति किस्म 3 पौधे

ख) किस्म संकलन (संदर्भ किस्में) ब्लॉक

क्र. सं.	फलदार फसल	31.3. 2014 तक किस्में	2014.15 के दौरान शामिल किस्में	कुल किस्में	*संकलन	स्रोत
1.	सेब	103	7	110	242	राज्य कृषि विश्वविद्यालय — हिमाचल प्रदेश, जमू व कश्मीर तथा उत्तराखण्ड भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद — एनवीपीजीआर,

क्र. सं.	फलदार फसल	31.3. 2014 तक किस्में	2014.15 के दौरान शामिल किस्में	कुल किस्में	*संकलन	स्रोत
2.	नाशपाती	23	2	25	46	फागली एवं सीआईटीएच, श्रीनगर बागवानी विभाग — पीसीडीओ (हि. प्र.) राज्य कृषि विश्वविद्यालय — हिमाचल प्रदेश भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद — एनवीपीजीआर, फागली एवं सीआईटीएच, श्रीनगर बागवानी विभाग — पीसीडीओ (हि. प्र.)
3.	मीठी चेरी	26	1	27	41	राज्य कृषि विश्वविद्यालय — हिमाचल प्रदेश, जमू व कश्मीर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद — सीआईटीएच, श्रीनगर

*प्रति संकलन 2—4 पौधे

रिपोर्टर्धीन अवधि के दौरान, फलदार फसलों के प्रजनन रख—रखाव ब्लॉक तथा किस्म संकलन ब्लॉक को विभिन्न स्रोतों से संकलित नवीन किस्मों को शामिल करके समृद्ध बनाया गया। सेब फल के गुणों यथा फल का आकार, लंबाई, व्यास, लंबाई / व्यास अनुपात, आकृति, रिबिंग, कैलिक्स सिरे पर क्राउनिंग, त्वचा का खिलना, चिकनाहट, आधार रंग, ऊपरी रंग का आपेक्षिक क्षेत्रफल, ऊपरी रंग की सघनता, ऊपरी रंग की गुड़ाई, साथ में स्टे डंठल के चारों ओर लाल रंग का क्षेत्र, अवरोध पर लाल रंग का क्षेत्र, आंख बेसिन के आस—पास लाल रंग का क्षेत्र, वातरंग की संख्या, डंठलों की लंबाई, डंठल की मोटाई, डंठल की गहराई, डंठल कैविटी की चौड़ाई, आंख कैविटी की गहराई, गूदे का रंग तथा लोक्यूल्स के छिद्र अथवा द्वार पर आंकड़ों को दर्ज किया गया। मीठी चेरी में फल के गुणों यथा फल का आकार, आकृति, पुष्प योनि सिरा, रंग, डंठल की लंबाई, डंठल की मोटाई, छिलके का रंग, गूदा एवं जूस, मीठापन, गुठली का आकार, गुठली की आकृति तथा फल भार / गुठली का भार अनुपात का विश्लेषण किया गया। डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने दिनांक 27 जुलाई, 2015 को इस केन्द्र का दौरा किया।

2.9.2 डॉ. बी.एस. कोंकण कृषि विद्यापीठ (बीएसकेकेवी), दपोली

डॉ. बी.एस. कोंकण कृषि विद्यापीठ (बीएसकेकेवी), दपोली को 'सजीव रिपोजिट्री' के माध्यम से फलदार, रोपण फसलों तथा वृक्ष मसालों के डिस्काप्टर्स के संकलन, रख-रखाव, मूल्यांकन तथा विकास' शीर्षक से एक परियोजना का आवंटन किया गया है। खेत जीन बैंक के लिए अधिदेशित फसलों में आम, सिट्रस, हल्दी, केला, काली मिर्च, इलायची, कटहल तथा जायफल शामिल हैं। प्रक्षेत्र जीन बैंक द्वारा किए गए संकलन की स्थिति इस प्रकार है :

तालिका 49 : आम के नवीन संकलनों की स्थिति

क्र.सं.	स्रोत	किस्म
1	श्री सिद्धिसहाय अहमद खान, मुरुड जंजीरा, जिला रायगढ़	अल्फांसो (नूरपरी)
2	श्री अनंत भागोजी कदम, महालुंगे	रतम्बा
3	श्री रमेश गनपत कदम, महालुंगे	रायवाल -1
4	श्री अनिल परांजपे, औरंगाबाद	रायवाल -2, केली अम्बा, गोती अम्बा-1, गोती अम्बा-2, अमृत, रायवाल - 3
5	सीईएस, वाकावली, रुखी ब्लॉक, तालुक- दपोली, जिला - रत्नागिरी	बरमासी, श्रीखण्डया, वाकावली लोकल, खोबरी अम्बा, पतलाचवालक्य

रिपोर्टर्धीन वर्ष में केन्द्र द्वारा सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी तथा गोवा क्षेत्र से संकलित 31 आम तथा 50 इकोटाइप्स की पहचान की गई। रख-रखाव के अंतर्गत फसलों की स्थिति इस प्रकार है :

तालिका 50 : रख-रखाव के अंतर्गत फसलों की स्थिति

क्र. सं.	फसल	किस्मों / इकोटाइप्स की संख्या	स्थान
1	आम	18 किस्में (संदर्भ ब्लॉक 1) 17 किस्में (संदर्भ ब्लॉक 2)	रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा क्षेत्र, आन्ध्र प्रदेश एवं गुजरात
		90 इकोटाइप्स (संदर्भ ब्लॉक 1 व 2)	
		18 किस्में (नर्सरी)	
		52 इकोटाइप्स (नर्सरी)	

क्र. सं.	फसल	किस्मों / इकोटाइप्स की संख्या	स्थान
2	हल्दी	13 इकोटाइप्स	केरल एवं महाराष्ट्र
		31 किस्में	अखिल भारतीय समन्वित मसाला अनुसंधान परियोजना, डॉ. बीएसकेकेवी, दपोली
3	इलायची	4	कर्नाटक एवं भारतीय इलायची अनुसंधान संरथान, मायलाडुम्पारा, केरल
		1	इलायची अनुसंधान स्टेशन, अपनगला
4	सिट्रस	3 प्रजातियां	राष्ट्रीय सिट्रस अनुसंधान केन्द्र, नागपुर
		1 प्रजाति	डॉ. बी.एस. कोंकण कृषि विद्यापीठ, दपोली
5	काली मिर्च	6	कालीमिर्च अनुसंधान स्टेषन, पेन्नियार, केरल
6	केला	30	राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र, त्रिचि, तमिल नाडु

जननद्रव्य का रख-रखाव :

पीपीवी एंड एफआरए द्वारा श्री सिबी जॉर्ज, कालिंगल हाउस, पट्टीकड, जिला त्रिचूर, केरल, एक पौधा जीनोम सेवियर फार्मर्स रिवार्डी, 2012 से प्राप्त कटहल बीजों की निम्नलिखित अभ्यर्थी किस्मों का रोपण टेटावली ब्लॉक में निम्न प्रकार किया गया।

फसल	किस्म	प्राप्त बीजों की संख्या	बुवाई की तारीख	उत्तर-जीविता	रोपे गए पौधों की संख्या	रोपण की तारीख
आर्टोकारप्स हिटेरोफॉयलस (कटहल)	कूझा-1 (KOOZHA-1)	30	5 जून, 2013	14	10	10 दिसम्बर, 2013
	वारिक्का-1 (VARIKKA-1)	07		4	4	
	वारिक्का (VARIKKA-2)	19		0	0	

विश्वविद्यालय द्वारा किसानों द्वारा विकसित की गई चावल तथा भिंडी किस्मों के तीन आवेदनों को आगे भेजा गया। रिपोर्टर्धीन वर्ष में, डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पीपीवी एंड एफआरए, नई दिल्ली ने दिनांक 10 जनवरी, 2014 को परीक्षण स्थल का दौरा किया। डॉ. के. ई. लावण्डे एवं डॉ. बी. वेंकटश्वर्लू, कुलपति, डॉ. बीएसकेकेवी, दपोली ने भी क्रमशः दिनांक 30 जनवरी, 2014 एवं 11 फरवरी, 2015 को परीक्षण स्थल का दौरा किया।

3. किसानों से संबंधित गतिविधियां

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001, आईपीआर पर एक नया कानून है जिस पर किसानों, प्रजनकों, वैज्ञानिकों तथा अन्य संबंधित हितधारकों के बीच व्यापक जागरूकता उत्पन्न करने की जरूरत है। प्राधिकरण, इसकी जागरूकता के प्रसार में किसानों, अनुसंधानकर्मियों, पौधा प्रजनकों, वैज्ञानिकों, छात्रों, गैर सरकारी संगठनों तथा निजी व सार्वजनिक संगठनों के साथ निकट सहयोग बनाए रखने में विश्वास रखता है। पिछले आठ वर्षों के दौरान, प्राधिकरण द्वारा हितधारकों को जागरूक बनाने की दिशा में प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रमों, किसान मेलों, किसान उत्सवों, कृषि मेलों, कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, राष्ट्रीय सेमिनारों तथा कृषि कार्यशालाओं के लिए निधि राशि जारी की गई। किसानों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक बनाने के उद्देश्य से जैसा कि पीपीवी एंड एफआर अधिनियम, 2001 के तहत प्राधिकरण ने किसान सेल स्थापित किया गया है। किसान सेल द्वारा पूरी सक्रियता से किसानों के अधिकारों के प्रावधानों को लागू करने पर ध्यान दिया जाता है। यह सेल किसानों के लिए प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रमों और विभिन्न हितधारकों से प्राप्त प्रस्तावों की गहन छानबीन करने के उपरान्त अन्य परियोजना गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता की सिफारिश भी करता है। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान आयोजित/सहायतार्थ कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

- ❖ जैसा कि अनुलग्नक VII में दर्शाया गया है, प्राधिकरण की वित्तीय सहायता से राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, सरकारी विभागों तथा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कुल 361 से भी अधिक प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयोजित किए गए कुछ प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रमों का विवरण अलग से अध्याय 8 में संक्षिप्त रूप में दिया गया है।

प्राधिकरण ने विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित अनेक किसान मेलों, प्रदर्शनियों, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं आदि में भी अपनी भागीदारी दर्ज कराई है। प्राधिकरण ने अनेक कार्यक्रमों में भाग लिया जिनमें से कुछ पर प्रकाश डाला गया है जो कि इस प्रकार हैं :

- ❖ 'जागरूकता के माध्यम से किसानों के अधिकारों को किसानों तक पहुंचाना' विषय पर एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में एक ब्रेनस्टार्मिंग सत्र का आयोजन किया गया।



किया गया। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा दिनांक 24 जून, 2014 को 'जागरूकता के माध्यम से किसानों के अधिकारों को किसानों तक पहुंचाना' विषय पर एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में एक ब्रेनस्टार्मिंग सत्र का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि डेयर के सचिव एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. एस. अय्यरपन थे। सम्माननीय अतिथियों में डॉ. संजय राजाराम; डॉ. ए.के. सिक्का, उप-महानिदेशक (प्रसार), भाकृअनुप; डॉ. अतानु पुरकायस्थ, संयुक्त सचिव (बीज), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग; डॉ. प्रेम एन. माथुर, क्षेत्रीय निदेशक, एशिया-पैसिफिक, बायोवर्सिटी इंटरनेशनल शामिल थे।

ब्रेनस्टार्मिंग सत्र का उद्देश्य पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम में जमीनी स्तर पर किसानों के अधिकारों के बारे में जागरूकता का प्रसार करना और पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम को किसान केन्द्रित बनाना था। कस्टोडियन, बीज की बचत करने वाले और आदिवासी किसान प्रमुख हितधारक होते हैं और इनके अधिकारों को बारे में इन्हें शिक्षित करना उनके कल्याण के लिए और अनिवार्य है। उपरोक्त उद्देश्यों को

हासिल करने हेतु प्राधिकरण को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा कृषि, सहकारिता व किसान कल्याण विभाग और विशेषकर देश के सभी जिलों में विद्यमान कृषि विज्ञान केन्द्रों की प्रसार मशीनरी



के सहयोग एवं सह-प्रचालन की जरूरत होती है। उद्घाटन समारोह में डॉ. एस. अय्यर्पन ने डॉ. संजय राजाराम को सम्मानित किया जिन्हें वर्ष 2014 के लिए प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार (World Food Prize) के लिए चुना गया है। इस कार्यक्रम में, देश के सभी आठ जोन के जोनल परियोजना निदेशकों, अनेक राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के प्रसार निदेशकों, अनुसंधान निदेशकों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों के निदेशकों तथा एमएसएसआरएफ, बीएआईएफ, डीआरआई, चित्रकूट एवं एनएसएफआई, गुडगांव के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

प्राधिकरण द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों जिनके द्वारा कृषि विकास के लिए प्रौद्योगिकीय समाधान एवं प्रसार कियाविधि प्रदान की जा रही है, सहित विभिन्न हितधारकों की भागीदारी और तालमेल की महत्ता की सराहना की गई। कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा उत्पादन एवं खाद्य मूल्य शृंखला में अपने व्यापक हितधारकों तक नवीन जानकारी के सृजन एवं प्रसार के लिए अपनी पहुंच को विस्तार रूप देने में अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जा रही है। दिनभर चले आपसी विचार-विमर्श के दौरान विशेषकर कृषि जैव विविधता हॉट-स्पॉट में कृषि विज्ञान केन्द्रों को शामिल करने हेतु डॉ. ए.के. सिक्का, उप महानिदेशक (प्रसार), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मार्गदर्शन में रणनीतियां बनाई गई ताकि पीजीएससी पुरस्कारों, सम्मान व मान्यता, किसानों द्वारा विकसित अथवा तैयार की गई किस्मों के पंजीकरण, लाभ भागीदारी एवं क्षतिपूर्ति के बारे में जागरूकता को बढ़ाया जा सके। महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं उप महानिदेशक (प्रसार), भाकृअनुप ने प्राधिकरण को अपना पूर्ण सहयोग का वादा दोहराया।

सत्र के समापन पर, यह निर्णय लिया गया कि प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रत्येक आठ जोन में दो-दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु प्रत्येक जोनल परियोजना निदेशक (जेडपीडी) को 6.40 लाख रूपये की राशि आवंटित की जाएगी। जेडपीडी द्वारा कृषि जैव विविधता हॉट-स्पॉट के आधार पर कृषि विज्ञान केन्द्रों की एक सूची तैयार की जाएगी और उसे उपरोक्त मानदण्डों के आधार पर निधि आवंटित करने हेतु प्राधिकरण को प्रस्तुत

किया जाएगा। पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में किसानों, आदिवासी किसानों सहित किसान समुदाय को जागरूक बनाने के उद्देश्य से देशभर में आठ जोन में कुल 250 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 2 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।

❖ नवारा उत्सव 2014 : जागरूकता सृजन और केरल के अनूठे औषधीय व स्वस्थ चावल नवारा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नवारा उत्सव 2014 मनाया गया। सरकारी महाविद्यालय, चित्तूर, केरल में दिनांक 17 जुलाई, 2014 को एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस कार्यक्रम में, सुश्री अरुणा सुंदराजन, प्रबंधकीय निदेशक, केएसआईडीसी, श्री पी.एच. कुरियन, प्रधान सचिव, केरल सरकार; डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण; तथा डॉ. आर.सी. अग्रवाल, रजिस्ट्रार जनरल, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण शामिल हुए। डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन, प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिक समारोह के मुख्य अतिथि थे।



❖ दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, चित्रकूट में “भारत में खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (आईटीपीजीआरएफए) के बारे में समझ विकसित करना और इसका कियान्वयन” पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 17–18 नवम्बर, 2014 को किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण; कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार; भाकृअनुप-राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन बूरो, नई दिल्ली; संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन तथा दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, चित्रकूट द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य भारत में खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (आईटीपीजीआरएफए) के बारे में हितधारकों में

जागरूकता बढ़ाना और बहु पक्षीय प्रणाली (एमएलएस) के तहत सामग्री को शामिल करने हेतु प्रोत्साहित/हतोत्साहित करना तथा किसी भी प्रकार के हतोत्साहन का सामना करने के रास्ते तलाशना था। कार्यशाला के अलावा, बीजों, रोपण सामग्री तथा किसानों के कृषि उत्पादों, पारम्परिक किसानों की किस्मों, किसानों, गैर सरकारी संगठनों, कृषि विज्ञान केन्द्रों व राज्य कृषि विश्वविद्यालयों आदि द्वारा संरक्षित पारम्परिक किस्मों की एक राष्ट्रीय कृषि जैव विविधता प्रदर्शनी भी आकर्षण का केन्द्र थी।

इस समारोह में श्री अविनाश कुमार श्रीवास्तव, अपर सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार मुख्य अतिथि थे जबकि श्री गणेश सिंह, माननीय सांसद एवं संसदीय सचिव सम्माननीय अतिथि थे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन श्री गणेश सिंह, माननीय सांसद, सतना एवं संसदीय सचिव; श्री अविनाश कुमार श्रीवास्तव, अपर सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार; श्री आर.के. सिंह, संयुक्त सचिव (बीज); डॉ. एस.के. पाटिल, कुलपति, आईजीकेवीवी, रायपुर; प्रोफेसर एन.सी. गौतम, कुलपति, एमजीसीजीवीवी, चित्रकूट; डॉ. पी.एन. माथुर, क्षेत्रीय निदेशक, बायोवर्सिटी इंटरनेशनल; डॉ. सुभाष दासगुप्ता, मुख्य तकनीकी अधिकारी, एफएओ, क्षेत्रीय कार्यालय, थाइलैण्ड; पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के अध्यक्ष डॉ. आर.आर. हंचिनाल एवं महापंजिकार डॉ. आर.सी. अग्रवाल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन छः सत्रों में किया गया और प्रत्येक सत्र की अध्यक्षता एवं सह अध्यक्षता अलग-अलग प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ने की। खाद्य एवं कृषि के पादप आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण (पीजीआरएफए); नीतिगत मुद्दों; कानूनी पहलुओं; जननद्रव्य विनियम; बहुपक्षीय प्रणाली (एमएलएस); सीजीआईएआर केन्द्रों की भूमिका; खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक

संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (आईटीपीजीआरएफए) के अंतर्गत किसानों के अधिकार एवं उनकी जागरूकता से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रस्तुतीकरण दिए गए। किसान कल्याण के लिए कार्यरत एमएसएसआरएफ, चेन्नई, हयूमन पीपुल टू पीपुल इंडिया तथा बीएआईएफ, पुणे, प्रतिष्ठित एनजीओ द्वारा अपनी परियोजनाओं के परिणामों एवं कियान्वयन के अनुभवों को साझा किया गया। एमएलएस में पादप आनुवंशिक संसाधनों को प्रोत्साहित अथवा हतोत्साहित करने के संबंध में एक पैनल वार्ता का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता डॉ. एस.ए. पाटिल, कुलपति, आईजीकेवीवी, रायपुर ने की। इस वार्ता में श्रीमती सुनीता के. श्रीधरन, एसकेएस कानून एसोसिएट सहित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से अनेक वैज्ञानिकों ने भाग लिया और विषय पर अपने आकलन अथवा टिप्पणी दी। यह कार्यशाला खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (आईटीपीजीआरएफए) को लागू करने के बारे में विभिन्न हितधारकों में जागरूकता पैदा करने और साथ ही दिन प्रतिदिन के जीवन में पीजीआरएफए के संरक्षण एवं टिकाऊ उपयोग की महत्ता को प्रतिपादित करने में सफल रही।

❖ कृषि विज्ञान केन्द्र, गोपालग्राम, गोण्डा में महिला सशक्तीकरण पर कार्यशाला : पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के सहयोग से दिनांक 11 फरवरी, 2015 को लाल बहादुर शास्त्री, कृषि विज्ञान केन्द्र, गोण्डा में पादप आनुवंशिक संसाधनों से जुड़ी गतिविधियों के संरक्षण एवं परिरक्षण के लिए महिलाओं के सशक्तीकरण पर एक प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 300 से भी अधिक कृषिरत महिलाओं ने भाग लिया। डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। डॉ. भरत पाठक, महासचिव, डीआरआई, चित्रकूट ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर सुश्री ममता गुप्ता, सुश्री रुचि मोदी, डॉ. रेखा शर्मा, डॉ. अनिता मिश्रा, स्त्रीरोग विशेषज्ञ; संयुक्त निदेशक, कृषि; उप निदेशक, कृषि व बागवानी; श्री राम कृष्ण तिवारी, सचिव, डीआरआई; डॉ. अतर सिंह, भाकृअनुप जोनल परियोजना निदेशक, कानपुर; तथा डॉ. रवि प्रकाश, रजिस्ट्रार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण भी उपस्थित थे। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. हंचिनाल ने पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किसानों के अधिकारों के बारे में बताते हुए भारत सरकार द्वारा किसान समुदाय के लिए दिए जाने वाले पौधा जीनोम



सेवियर पुरस्कारों, सम्मान व मान्यताओं पर प्रकाश डाला। डॉ. रवि प्रकाश, रजिस्ट्रार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने किसानों द्वारा विकसित अथवा तैयार की गई किस्मों के लिए आवेदन प्रपत्र भरने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। क्षतिपूर्ति, लाभ भागीदारी जैसे अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। पारम्परिक फसलों पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसमें स्थानीय कृषिरत महिलाओं ने अपने बीज एवं अन्य कृषि उत्पाद प्रदर्शित किए। कृषिरत महिलाओं को विभिन्न फसलों की स्थानीय पारम्परिक किस्मों का संरक्षण करने की सलाह दी गई और उन्हें उनके हित में प्राधिकरण के पास पंजीकृत कराने के लिए कहा गया।



❖ किसान जागरूकता कार्यक्रम, निफैड, नासिक

भाकृअनुप.—भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान द्वारा पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (पीपीवी एंड एफआरए) पर दिनांक 2 मार्च, 2015 को कृषि अनुसंधान स्टेशन, निफैड, नासिक में एक प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जिसकी अध्यक्षता डॉ. टी.ए. मोरे, माननीय कूलपति, एमपीकेवीवी ने की और डॉ. आर.एस. पाटिल, निदेशक (अनुसंधान), एमपीकेवीवी सम्माननीय अतिथि थे। डॉ. सुशीला कुंडु, प्रधान वैज्ञानिक, गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल ने अपने वक्तव्य में अधिनियम के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, उद्देश्यों और विभिन्न प्रावधानों के बारे में बताया। साथ ही डॉ. कुंडु ने अपने वक्तव्य में पौधा किस्मों के पंजीकरण, डीयूएस परीक्षण की कार्यविधि, राष्ट्रीय जीन निधि, पौधा जीनोम सेवियर समुदाय पुरस्कार तथा लाभ भागीदारी के पहलुओं पर भी प्रकाश डाला। डॉ. अरुण गुप्ता, प्रधान वैज्ञानिक, गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल ने बीजों की बचत, उपयोग एवं पुनःबुवाई, लाभ भागीदारी, किसानों की किस्मों का पंजीकरण,

क्षतिपूर्ति और अनिवार्य लाइसेन्सिंग सहित अधिनियम में किसानों के अधिकारों पर प्रकाश डाला। अपने वक्तव्य में डॉ. रंधीर सिंह ने किसानों के खेतों पर आयोजित किए जाने वाले अग्रिम पंक्ति प्रदर्शनों की विभिन्न पहलुओं को शामिल किया और किसानों को बताया कि उनके द्वारा खेत मशीनरी विशेषकर स्प्रेयर का इस्तेमाल करते समय किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए। एआरएस, निफैड के विशेषज्ञों द्वारा गेहूं की उन्नत किस्मों, रीतियों के पैकेज तथा रोग एवं नाशीजीव प्रबंधन सहित गेहूं की उत्पादन एवं संरक्षण प्रौद्योगिकियों पर वार्ता प्रस्तुत की गई।



डॉ. टी.ए. मोरे, कुलपति एवं डॉ. पाटिल, निदेशक (अनुसंधान), एमपीकेवी, राहुरी ने अपने सम्बोधन में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विकसित विभिन्न तकनीकों के बारे में किसानों को जानकारी दी। कुछ प्रगतिशील किसानों ने जागरूकता कार्यक्रम में अपने विचार सांझा किए। इस कार्यक्रम में येवला तथा निफैड क्षेत्र के 100 से भी अधिक किसानों ने भाग लिया।

❖ पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने दिनांक 10–12 मार्च, 2015 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), पूसा, नई दिल्ली द्वारा अपने परिसर में आयोजित वार्षिक कृषि मेले में भाग लिया। इस तीन दिवसीय मेले में, पड़ोसी राज्यों के किसानों ने मेला देखा जिसमें उन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान

द्वारा विकसित नवीनतम प्रौद्योगिकियों/कृषि उत्पादों को देखने का अवसर मिला। पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने इस मेले में अपना स्टॉल लगाया और चार्ट, पोस्टर तथा विभिन्न प्रकाशनों को किसानों व अन्य हितधारकों के लिए प्रदर्शित किया। यह अनुमान है कि इस तीन दिवसीय मेले में एक लाख से भी अधिक आगन्तुकों ने दौरा किया। डॉ. तेजबीर सिंह, श्री रबी रमन प्रधान, डॉ. डी.एस. पिलानिया तथा श्री तम्मु स्टीफन ने इस मेले में भाग लिया।

❖ किसान जागरूकता कार्यक्रम, नानीहरी, सहारनपुर

भारतीय गेहूं व जौ अनुसंधान संस्थान (आईआईडब्ल्यूबीआर) द्वारा उत्तराखण्ड और हरियाणा की सीमा पर स्थित सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के गांव नानीहरी में पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 पर दिनांक 28 मार्च, 2015 को किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रगतिशील किसान श्री सुरेन्द्र सिंह एवं श्री बालेन्द्र सिंह तथा डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण



प्राधिकरण, मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने अपने सम्बोधन में पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के विभिन्न प्रावधानों यथा प्राधिकरण की सामान्य कार्यप्रणाली, पौधा किस्मों की पंजीकरण प्रक्रिया, डीयूएस परीक्षण, जीन निधि, पौधा जीनोम सेवियर पुरस्कार तथा लाभ भागीदारी पर प्रकाश डाला। डॉ. इन्दु शर्मा, निदेशक, आईआईडब्ल्यूबीआर, करनाल ने समारोह की अध्यक्षता की और किसानों से अपनी



अनूठी किस्मों को प्राधिकरण के यहां पंजीकृत कराने का आहवान किया। डॉ. इन्दु शर्मा ने अपने सम्बोधन में गेहूं में रोग प्रबंधन रीतियों पर भी प्रकाश डाला।

डॉ. रवि प्रकाश, रजिस्ट्रार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने किसानों के अधिकारों के बारे में बताया। डॉ. अरुण गुप्ता, के. वेंकटेश एवं अनिता मीणा ने कमश: आईपीआर मुद्राओं, गेहूं की उन्नत किस्मों और गेहूं में विभिन्न उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी विषयों को शामिल किया। मुख्य कृषि अधिकारी, सहारनपुर ने अपने विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। कुछ प्रगतिशील किसानों ने जैविक खेती, प्रसंस्करण तथा मूल्य वर्धन पर अपने अनुभव साझा किए। इस कार्यक्रम का आयोजन डॉ. सुशीला कुंडु, गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल तथा डॉ. रंधीर सिंह द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस कार्यक्रम में समीपस्थ गांवों के 120 से भी अधिक प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। श्री बालेन्द्र सिंह तथा श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा विभिन्न औषधीय पौधों के वृक्ष उद्यान अथवा कुंज का रख—रखाव और कृषि बागवानी फसलों की विभिन्न किस्मों का संरक्षण किया जा रहा है। दोपहर उपरान्त सत्र में सभी गणमान्य व्यक्तियों और प्रगतिशील किसानों ने इस कुंज अथवा वाटिका का दौरा किया।

❖ दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, कृषि विज्ञान केन्द्र, गनिवान, चित्रकूट

दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, कृषि विज्ञान केन्द्र, चित्रकूट द्वारा पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 पर प्रगतिशील किसानों को शिक्षित करने के उद्देश्य से दिनांक 13 अप्रैल, 2014 को एक दिवसीय प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण; डॉ. पी.एन. माथुर, क्षेत्रीय निदेशक (एशिया पैसिफिक), बायोवर्सिटी इंटरनेशनल, नई दिल्ली; श्री विष्णु दत्त शर्मा, उपाध्यक्ष, एनवाईके, भारत



सरकार, नई दिल्ली; डॉ. उमेश शर्मा, अध्यक्ष, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली; डॉ. एस.एल. गोस्वामी, कुलपति, बांदा कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बांदा; डॉ. भरत पाठक, महासचिव, दीनदयाल अनुसंधान संस्थान ने भाग लिया। इस अवसर पर श्री अभय महाजन, आयोजन सचिव, दीनदयाल अनुसंधान संस्थान भी उपस्थित थे।

प्रथम तकनीकी सत्र में किसानों द्वारा विकसित अथवा तैयार की गई किस्मों के पंजीकरण पर नियमों, इसकी प्रक्रिया, कानूनी जरूरतों तथा किसानों के अधिकारों जैसे विषयों पर प्रस्तुतीकरण किया गया। दूसरा सत्र खुले मैदान में आयोजित किया गया जिसमें लगभग 650 प्रतिभागियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय नानाजी देशमुख एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों के सम्मुख दीप प्रज्ज्वलित करके जागरूकता सत्र का शुभारंभ किया गया। डॉ. भरत पाठक, महासचिव, डीआरआई ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। सभी के परिचय और डॉ. नरेन्द्र सिंह, परियोजना समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र के स्वागत भाषण के उपरान्त सभी प्रमुख वक्ताओं ने अपने सम्बोधन किए। डॉ. रवि प्रकाश, रजिस्ट्रार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने कार्यक्रम की रूपरेखा, उद्देश्य और अपेक्षित परिणामों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। इन्होंने उपस्थित जनसमूह को उनकी किस्मों अथवा स्थानीय प्रौद्योगिकियों के निजी स्तर अथवा सामुदायिक स्तर पर पंजीकरण के लिए सभी तरह की सुविधाएं प्रदान करने का आश्वासन दिया। डॉ. पी. एन. माथुर, क्षेत्रीय निदेशक (एशिया पैसिफिक), बायोवर्सिटी इंटरनेशनल ने भी किसानों को किसीय महत्व और जलवायु परिवर्तन के लिए स्थानीय आनुवंशिक सामग्री के संभावित उपयोग के बारे में सम्बोधित किया।



कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने किसानों के परिप्रेक्ष्य और प्राधिकरण की जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। इन्होंने प्राधिकरण द्वारा उठाए गए कदमों और देश में किसान समुदाय पर इनके प्रभावों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। डॉ. हंचिनाल ने ऐसे कुछ किसानों के उदाहरण भी प्रस्तुत किए जिन्हें प्राधिकरण से लाभ पहुंचा है। इस अवसर पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसमें

बड़े पैमाने पर किसानों द्वारा विकसित किस्मों के बीजों एवं प्रौद्योगिकियों का संकलन था जिन्हें कृषि विज्ञान केन्द्र की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया। अतिथियों तथा किसानों ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में मोटे अनाज और सफेद बैंगन का संकलन आकर्षण का केन्द्र बने। इसके साथ ही, प्राधिकरण द्वारा कुछ कृषि जैव विविधता हॉट-स्पॉट में पारम्परिक एवं किसानों द्वारा विकसित किस्मों के संरक्षण पर कुछ परियोजनाएं भी आवंटित की गई जो कि इस प्रकार हैं :

❖ किसानों द्वारा विकसित अथवा तैयार की गई चावल की किस्मों के लिए अतिरिक्त डीयूएस केन्द्र

चावल के मामले में विभिन्न क्षेत्रों के किसानों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे आवेदनों की संख्या में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए दिनांक 15 अप्रैल, 2014 को डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय किया गया कि बढ़वार जांच (लतावू वनज जमेज) के प्रभावी आयोजन हेतु अतिरिक्त डीयूएस परीक्षण केन्द्र स्थापित किए जाएं। तदनुसार, देश में विभिन्न क्षेत्रों में चावल के लिए पांच अतिरिक्त डीयूएस परीक्षण केन्द्र (नोडल एवं सह-नोडल केन्द्र) की अनिवार्य स्थापना महसूस की गई। क्षेत्रवार अतिरिक्त डीयूएस केन्द्र इस प्रकार हैं :

क्र. सं.	जोन	विवरण	जीओटी / लक्षण वर्णन के लिए प्राप्त किसानों द्वारा विकसित चावल किस्मों की संख्या
1	उत्तर—पूर्वी क्षेत्र	उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के लिए भाकृअनुप. का अनुसंधान परिसर, झरनापानी, नागालैण्ड	270
		उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के लिए भाकृअनुप. का अनुसंधान परिसर, इम्फाल, मणिपुर	109
2	मध्य क्षेत्र	झंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	145
		क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान स्टेशन, करझट, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र	30
3	पश्चिमी घाट	जोनल कृषि अनुसंधान स्टेशन (जेडेआरएस), वीसी फार्म, मांडिया, कर्नाटक	107
		जोनल कृषि अनुसंधान स्टेशन (जेडेआरएस), वीसी फार्म, मांडिया, कर्नाटक	

1. केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (सी. आरआरआई), कटक में ओडिशा के विभिन्न भागों से संकलित किसानों द्वारा तैयार की गई चावल की किस्मों की आनुवंशिक विविधता

उद्देश्य : परियोजना के मुख्य उद्देश्य हैं :

- ❖ समलक्षणी प्रदर्शन के संबंध में किसानों द्वारा तैयार की गई किस्मों की पहचान करना और आनुवंशिक प्रोफाइल की स्थापना करना
- ❖ परियोजना अवधि के दौरान सृजित जानकारी/सामग्री की समुचित उपादेयता के लिए डाटाबेस तैयार करना और किसानों द्वारा तैयार अथवा विकसित की गई इन किस्मों के साथ सम्बद्ध अंतः पादप पर अतिरिक्त सूचना का सृजन करना।

उपलब्धियाँ :

ओडिशा के विभिन्न क्षेत्रों से संकलित की गई किसानों द्वारा तैयार अथवा विकसित चावल की ४८ सौ सात किस्मों को खरीफ 2012 के दौरान केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक के अनुसंधान फार्म में बोया गया और उनमें 62 आकृतिविज्ञान लक्षणों पर आंकड़ों को दर्ज किया गया। किसानों द्वारा तैयार अथवा विकसित किस्मों के बीच आपस में अध्ययन किए गए तीन गुणों (पत्ती लिग्यूल, नर वंध्यता तथा भ्रूणपोष में एमॉयलोज की उपस्थिति) में कोई भिन्नता देखने को नहीं मिली। अध्ययन किए गए गुणों के भीतर चरों की संख्या 2 (एन्थोसॉयनिन रंग, पत्ती शीथ का एन्थोसॉयनिन रंग, पत्ती पाली, पत्ती कॉलर, पत्ती का एन्थोसॉयनिन रंग, पत्ती लिग्यूल, कल्म व्यवहार, नर वंध्यता, नोड्स का एन्थोसॉयनिन रंग, इन्टरनोड्स का एन्थोसॉयनिन रंग, पुष्पगुच्छ का तूँड़, पुष्पगुच्छ में सेकेण्डरी शाखा की उपस्थिति, लेमिना की फिनोल प्रतिक्रिया, भ्रूणपोष में एमॉयलोज की उपस्थिति तथा खोलीदार दाने में सुगंध) से ८ (लेमिना का रंग और खोलीदार दाने की फूस एवं रंग) तक भिन्नता पाई गई। इन गुणों में $3.679 + 1.544$ प्रति गुण की औसत के साथ कुल 193 चर एकत्रित हुए। खोलीदार दानों की लंबाई के लिए प्रभावी चरों की संख्या सबसे ज्यादा (4.152) थी वहीं पत्ती पाली, पत्ती कॉलर तथा पुष्पगुच्छ में सेकेण्डरी शाखा की उपस्थिति के मामले में यह सबसे कम थी जो कि इन गुणों के लिए अपेक्षित विषमयुग्मजata मानों के सादृश्य थी।

नी (Nei) की आनुवंशिक विविधता में $0.405 + 0.206$ की औसत के साथ 0.003 (पत्ती पाली, पत्ती कॉलर तथा पुष्पगुच्छ में सेकेण्डरी शाखा की उपस्थिति) से 0.759 (खोलीदार दानों की लंबाई) तक की भिन्नता थी। पत्ती

लिग्यूल, नर वंध्यता तथा भ्रूणपोष में एमॉयलोज की उपस्थिति में किस्मों के बीच किसी प्रकार की भिन्नता देखने को नहीं मिली। शेनन के सूचना सूचकांक में 0.729 की औसत के साथ 0.012 (पत्ती पाली, पत्ती कॉलर तथा पुष्पगुच्छ में सेकेण्डरी शाखा की उपस्थिति) से 1.492 (खोलीदार दाने की लंबाई तथा खोलीदार दाने की आकृति) तक भिन्नता पाई गई। यह Nei की आनुवंशिक विविधता के अत्यधिक सादृश्य थी। आनुवंशिक दूरी में $0.538 + 0.193$ की औसत के साथ 0.058 (गंजम गेडी 1 तथा गंजम गेडी 2, हुनार एवं हुन्दार 2, हुनार एवं झाली, महिपाल 6 तथा महिपाल 10, रतनचुड़ी तथा संकर चिनी) से 1.572 (धोबा सरियन तथा धूसुरा) तक भिन्नता पाई गई। नी (Nei) की आनुवंशिक दूरी के आधार पर निर्मित पड़ोस में सटे वृक्षों में तीन प्रमुख क्लस्टरों (I, II तथा III) तथा कुछ स्वतंत्र क्लस्टरों में 607 जीनप्ररूपों को एकत्रित किया गया। 6 उप क्लस्टरों (Ia, Ib, Ic, Id, Ie, If) के साथ क्लस्टर। सर्वाधिक विविध था जबकि उसके उपरान्त 5 उप क्लस्टरों (IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IIIe) वाले क्लस्टर प्प और 3 उप क्लस्टरों (IIa, IIb, IIc) वाले क्लस्टर II का स्थान था।

2. छत्तीसगढ़ में किसानों द्वारा तैयार अथवा विकसित की गई किस्मों का संकलन, प्रलेखन और पंजीकरण

परियोजना

छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता का हॉट स्पार्ट है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख आदिवासी बाहुल्य सुदूर जनजातीय क्षेत्रों जैसे— बस्तर, अन्धिकापुर, जसपुर, कोरिया, बलरामपुर, जगदलपुर, दंतेवाडा, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागाँव, धमतरी एवं रायगढ़ आदि क्षेत्र जैविक सम्पदा से परिपूर्ण है, जहां कृषकों द्वारा अपनी ही पारम्परिक प्रजातियों की खेती की जाती है, जिससे उन बहुमूल्य जैव विविधता का संरक्षण हो पाया है। यहां के कृषकों का जीवन—यापन एवं संस्कृति इन्हीं पारम्परिक किस्मों से ही जुड़ी हुयी है, जिससे यहां की जैविक सम्पदा का संरक्षण हो पाया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर भू—भाग भारत वर्ष में स्थित 22 जैव विविधता विपुल क्षेत्रों में 9वें स्थान पर है। यहां पर विभिन्न फसलों की विपुल जैव विविधता मौजूद है, जिसे संरक्षित किया जाना अति आवश्यक है।

छत्तीसगढ़ में यह अधिनियम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सान्निध्य में बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। यहां पर पहले से ही कृषक प्रजातियों का संग्रहण, प्रलेखन एवं जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा था, जिसे देखते हुए पौधा किस्म और कृषक अधिकार

संरक्षण प्राधीकरण के द्वारा वर्ष 2014–15 से दो परियोजनाएं चलायी जा रही हैं। पहली परियोजना तीन वर्ष हेतु एवं दूसरी परियोजना सतत जारी रहेगी। यह भारत का एकमात्र ऐसा सह–नोडल केन्द्र है जो केवल कृषक प्रजातियों का ही परीक्षण करता है। दोनों परियोजनाओं का विवरण क्रमशः निम्नवत है।

1. छत्तीसगढ़ राज्य की कृषक प्रजातियों का संग्रहण, प्रलेखन एवं पंजीकरण

इस परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में जैवविविधता की कुछ हॉट–स्पॉट की पहचान की गयी है, जहाँ पर फसल जैव–विविधता से भरपूर है। इनमें से कुछ हॉटस्पॉट निम्नलिखित हैं।

तालिका 51 : जिलावार हॉटस्पॉट

क्रम सं.	जिला	हॉटस्पॉट क्षेत्र (गांव एवं ब्लाक)
1	जगदलपुर	बरसूर (बस्तर)
2	कोंडागांव	मरदापाल
3	कांकेर	छुरिया (नरहरपुर)
4	धमतरी	बगरुमनाला एवं गट्टासिली (केरेगांव)
5	रायगढ़	रतनपुर (धरमजयगढ़), हमीरपुर (तमनार)
6	जशपुर	मैनी एवं बम्बा (बगीचा)
7	सरगुजा	नखना (बतौली), मैनपाट (सरगुजा)
8	बलरामपुर	समरसोठ
9	कोरिया	कटघोरी (सोनहर)

छत्तीसगढ़ में अभी तक कुल 947 फसल प्रजातियों का पंजीकरण के लिए भेजा जा चुका है। जिनमें से 578 प्रजातियों का पंजीकरण संख्या प्राप्त हो गयी है तथा इनमें से कुल 145 किस्मों का वर्ष 2014 में डी.यू.एस. (DUS) परिक्षण हो चुका है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित धान की कुल 16 प्रजातियों का भी पंजीकरण कराया जा चुका है।

इस अधिनियम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में बहुत सारी ऐसी फसल प्रजातियों का संग्रह/संरक्षण किया गया है, जो पूरे विश्व में दुर्लभ है, जैसे—हुन्डार—सबसे छोटे दाने वाली धान, लाजनी सूपर-2—सबसे पतली लाल धान, कोरमा—हरा धान वाली किस्मों को पंजीकरण हेतु भेजा गया है। विभिन्न औषधीय गुणवत्ता युक्त एवं सुगंधित धान की किस्में साथ ही साथ विभिन्न सब्जीवर्गीय फसलें जो कि बहुत ही अनूठी, दुर्लभ एवं अत्यन्त उपयोगी हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में जिलेवार कृषक प्रजातियों की पंजियन हेतु फसलों की संख्या तालिका-52 में दिया गया है।

तालिका 52 : फसल प्रजातियों का ब्योरा

क्रम सं.	जिला	हॉटस्पॉट क्षेत्र (गांव एवं ब्लाक)
1	राजनंदगांव	11
2	मुगेली	4
3	कोरिया	16
4	जशपुर	30
5	रायगढ़	25
6	कांकेर	5
7	नारायणपुर	2
8	जांजगीर	7
9	बिलासपुर	2
10	बलरामपुर	22
11	बीजापुर	39
12	सरगुजा	22
13	दंतेवाडा	68
14	धमतरी	213
15	कोंडागांव	112
कुल संख्या		578

2. कृषक प्रजातियों का डी. यू. एस. परिक्षण (परियोजना पौधा किस्म संरक्षण एवं कृषक अधिकार प्राधिकरण की केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत)

इसके अन्तर्गत 145 कृषक प्रजातियों का डी. यू.एस. परिक्षण 62 लक्षणों (कैरेक्टर) का किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ एवं झारखण्ड की कृषक प्रजातियों शामिल थी। इनमें 21 रिफरेन्स प्रजातियों को भी शामिल किया गया, जो इं. गॉ. कृ. वि. वि. रायपुर की पंजीकृत प्रजातियों में से ली गयी थी। कुल मिलाकर इस वर्ष धान की कुल 166 प्रजातियों का परिक्षण इस परियोजना के अंतर्गत किया जा चुका है। परिक्षण के दौरान 11 उच्च उपज वाली प्रमुख प्रजातियों का चयन करके अतिरिक्त सुक्ष्म पोषक तत्वों का परिक्षण किया गया जिसमें जिंक, लोहे और प्रोटीन की मात्रा सामान्य से अधिक थी जिनका विवरण तालिका संख्या-3 में दिया गया है।

तालिका 53—प्रोटीन: एंव सुक्ष्म तत्व की मात्रा किस्म वार

क्रम सं.	धान प्रजाति	प्रोटीन प्रतिशत मात्रा जेलडाल विधी द्वारा	प्रोटीन प्रतिशत फोलिन लावरी विधी द्वारा	सुक्ष्म तत्व की मात्रा (ugèmg)	
				औसत मात्रा	जिंक की मात्रा

क्रम सं.	धान प्रजाति	प्रोटीन प्रतिशत मात्रा जेलडाल विधी द्वारा	प्रोटीन प्रतिशत फॉलिन लावरी विधी द्वारा	सुक्ष्म तत्व की मात्रा (ugemg)
1	दिग्म्बर धान	6.250	8.16	18.35 6.51
2	धधमैनी धान	6.290	7.56	16.84 4.59
3	सफेद ललक	7.035	7.30	21.85 4.54
4	सिक्कसाल धान	7.221	7.45	20.2 6.63
5	तेवन धान	6.890	8.25	17.9 7.11
6	कॉवा—4	7.960	7.81	27.48 9.42
7	चौलाइ बाबा	6.706	7.12	25.11 7.16
8	केंदुमुड़ी	6.515	8.78	22.52 6.9
9	भजना	6.660	6.61	21.42 5.14
10	कदम फूल	6.696	7.44	18.73 6.7

इन प्रजातियों की गुणवत्ता देखते हुए इनकी अतिरिक्त जॉच में कीट एवं व्याधि का भी मुल्यांकन किया गया जिसमें 8 प्रजातियाँ भूरा माहू के प्रति प्रतिरोधक एवं एक प्रजाति तना छेदक के लिए सहनशील हैं।

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष, डॉ हंचिनाल एवं रजिस्ट्रार जनरल डॉ. आर. सी. अग्रवाल द्वारा समय—समय पर निरीक्षण किया जाता रहा है। 6 सितम्बर 2014 को इं. गॉ. कृ. वि. वि. रायपुर के डी. यू. एस. परिक्षण प्रक्षेत्र का डॉ हंचिनाल द्वारा निरीक्षण किया गया। जिनका सुझाव हमारे केन्द्र के विकास में सर्वोपरि सहभागिता रही है। इनके मार्गदर्शन में इं.गा.कृ.वि. वि. रायपुर किसानों को प्रोत्साहन एवं जागरूकता फैलाने हेतु कृषि विज्ञान केन्द्रों को भी शामिल किया गया है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के दूरस्थ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों जैसे—बीजापुर, कोंडागांव एवं जशपुर तक भी किसानों में जागरूकता का प्रसार हुआ है, जो कि हॉटस्पाट बस्तर का अभिन्न अंग है।

3.1 राष्ट्रीय जीन निधि

राष्ट्रीय जीन निधि का गठन कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पीपीवी एंड एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत प्राधिकरण को 50.00 लाख रुपये का प्रारंभिक योगदान करके किया गया। इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा अलग से लेखा की व्यवस्था की जा रही है। राष्ट्रीय जीन निधि में शामिल योगदान इस प्रकार है :

- ❖ पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत पंजीकृत किसी किस्म अथवा अनिवार्यतः उत्पन्न किस्म के प्रजनक से प्राप्त लाभ भागीदारी
- ❖ पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्राप्त वार्षिक शुल्क
- ❖ जमा क्षतिपूर्ति तथा
- ❖ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा योगदान

अधिनियम के अनुसार निम्न के लिए राष्ट्रीय जीन निधि को लागू किया जा सकता है :

- ❖ लाभ भागीदारी के माध्यम द्वारा भुगतान योग्य कोई भी राशि;
- ❖ भुगतान योग्य क्षतिपूर्ति;
- ❖ स्थाने एवं बहिः स्थाने संकलनों सहित आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण एवं टिकाऊ उपयोग को सहयोग करने तथा ऐसे संरक्षण एवं टिकाऊ उपयोग को करने में पंचायतों की क्षमता को मजबूती प्रदान करने के लिए खर्च; तथा
- ❖ लाभ भागीदारी से संबंधित योजनाओं का खर्च

तालिका 54 : वर्ष 2014–15 के दौरान राष्ट्रीय जीन निधि की स्थिति

मद	राशि (रुपये)
दिनांक 01 अप्रैल, 2014 को प्रारंभिक शेष	2,37,12,272
जीन निधि में योगदान	85,00,000
प्राप्त वार्षिक शुल्क	53,16,755
बैंक से ब्याज	18,40,174
अन्य आय	24,750
कुल	3,93,93,951
कटौती :	762
प्रशासनिक खर्च	
दिनांक 31 मार्च, 2015 को अंतिम शेष	3,93,93,189

3.2 पादप जीनोम सेवियर सामुदायिक पुरस्कार, सम्मान एवं मान्यताएं

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण एवं परिरक्षण में संलग्न योग्य किसान समुदाय को पुरस्कृत करने के लिए वर्ष 2009–10 से दस–दस लाख रुपये के पांच पादप जीनोम सेवियर सामुदायिक पुरस्कार (प्लांट जीनोम सेवियर कम्युनिटी अर्वाड़िस) स्थापित किए गए हैं। प्राधिकरण द्वारा प्रतिवर्ष एक—एक लाख रुपये के दस पौधा जीनोम सेवियर कृषक पुरस्कार (प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर्स अवार्ड्स) तथा बीस मान्यता प्रमाण—पत्र देने की व्यवस्था भी की गई है। इन पुरस्कारों के लिए दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को दैनिक राष्ट्रीय समाचार—पत्रों में विज्ञापन दिया गया और उचित प्रतिक्रिया नहीं मिलने के कारण आवेदन प्राप्ति की तारीख को 27 मार्च, 2015 तक बढ़ा दिया गया। प्राप्त आवेदनों की जांच कर उन्हें अंतिम रूप दिया गया लेकिन रिपोर्टधीन वर्ष में कोई भी पुरस्कार, सम्मान तथा मान्यता प्रदान नहीं की गई। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किसानों तथा किसान समुदाय को अभी तक दिए गए इन पुरस्कारों का सारांश इस प्रकार है :

तालिका 55 : पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार, सम्मान तथा मान्यता प्रमाण-पत्रों का विवरण

क्र. सं.	पुरस्कार का नाम	2007–08			2008–09			2009–10			2010–11			2011–12			
		प्राप्त कुल आवेदन	भाग लेने वाले राज्य	प्रदान किए गए कुल पुरस्कार	प्राप्त कुल आवेदन	भाग लेने वाले राज्य	प्रदान किए गए कुल पुरस्कार	प्राप्त कुल आवेदन	भाग लेने वाले राज्य	प्रदान किए गए कुल पुरस्कार	प्राप्त कुल आवेदन	भाग लेने वाले राज्य	प्रदान किए गए कुल पुरस्कार	प्राप्त कुल आवेदन	भाग लेने वाले राज्य	प्रदान किए गए कुल पुरस्कार	
1	पौधा जीनोम सेवियर समुदायिक मान्यता प्रमाण-पत्र	Nil	5	5	15	Nil	4				19	11	7				
2	पौधा जीनोम सेवियर समुदायिक पुरस्कार							20	11	2	19	11	4	27	11	4	28
3	पौधा जीनोम सेवियर कृषक सम्मान													30	13	10	80
4	पौधा जीनोम सेवियर कृषक मान्यता प्रमाण-पत्र													30	13	15	

4. डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास

4.1 डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास पर कार्यदल

रिपोर्टर्डीन अवधि के दौरान, फलों, सब्जियों, फूलों, बीज मसालों, पेय तथा वानिकी पौधों के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों की संख्या को संबंधित कार्यदल द्वारा अंतिम रूप देते हुए अनुमोदित किया गया। साथ ही साथ आंवला, बेल, पान, मिर्च, जिमिकंद व तारो, अमरुद व लीची, गेंदा तथा नोनी के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को विकसित करने के लिए डीयूएस डिस्क्पर्टर्स के प्रमाणन हेतु अनेक टास्क बल बनाए गए। पारम्परिक रूप से आकृतिविज्ञान लक्षण किस्मीय डिस्क्पर्टर्स और नवीनता की जांचका आधार तैयार करते हैं। ये विशेषताएं संतति के साथ पीवीपी आवेदनों के लिए सूचनाप्रद होती हैं। इन आकृतिविज्ञान गुणों को गुणात्मक एवं मात्रात्मक पैमाने पर मापा जाता है जो कि एकत्रित होकर आंकड़ों का रूप लेते हैं। ये आंकड़े पादप प्रजनन तथा कृषि में सर्वदा उपलब्ध रहते हैं। इन्हें उपलब्ध कराने के लिए कृत्रिम प्रयोगशाला की जरूरत नहीं होती। आंकड़ों के साथ ये विशेषताएं विशिष्टता, एकरूपता तथा रिथरता के प्रयोजन हेतु मानदण्डों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। कुछ फसल प्रजातियों के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास की विशेषताएं इस प्रकार हैं :

कार्यदल की बैठकें

❖ “कैना तथा ग्लैडिओलस के लिए डीयूएस डिस्क्पर्टर्स का प्रमाणन” के लिए कार्यदल की बैठक : इस कार्यदल की दूसरी बैठक दिनांक 29 अप्रैल, 2014 को एनबीआरआई, लखनऊ में आयोजित की गई जिसमें पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. आर.आर. हंचिनाल ; रजिस्ट्रार जनरल डॉ. आर.सी. अग्रवाल और डॉ. तेजबीर सिंह ने भाग लिया। डॉ. ए.के. गोयल, मुख्य वैज्ञानिक एवं प्रधान अन्वेशक (कैना) तथा डॉ. सुदर्शन कुमार, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रधान अन्वेशक (ग्लैडिओलस) ने अपनी अपनी संबंधित फसल के लिए मसौदा डीयूएस दिशानिर्देश प्रस्तुत किए। डॉ. गौतम कल्लू, पूर्व उप महानिदेशक (बागवानी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बैठक की अध्यक्षता की। डॉ. यू.जी. नालावड़ी, पूर्व निदेशक, स्नातकोत्तर अध्ययन एवं प्रोफेसर (बागवानी), यूएस, धारवाड़; डॉ. आर.ए.ल. मिश्रा, पूर्व परियोजना समन्वयक, नई दिल्ली; तथा डॉ. आर.के. राय, वरिष्ठ

प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रधान अन्वेशक (बोगेनविलिया), एनबीआरआई ने इस बैठक में भाग लिया। सदस्यों से प्राप्त आकलनों एवं टिप्पणियों के आधार पर कैना तथा ग्लैडिओलस के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप प्रदान किया गया। कैना तथा ग्लैडिओलस के दिशानिर्देशों को क्रमशः जून व जुलाई, 2014 के पीवीजे में प्रकाशित कराया गया।

- ❖ “तरबूज एवं खरबूजे के लिए डीयूएस दिशानिर्देश विकसित करने के लिए डीयूएस डिस्क्पर्टर्स का प्रमाणन” के लिए कार्यदल की बैठक : तरबूज तथा खरबूजे के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के प्रमाणन के लिए कार्यदल की अंतिम बैठक दिनांक 8 मई, 2014 को डॉ. ब्रह्मा सिंह, सलाहकार, वर्ल्ड नोनी रिसर्च फाउण्डेशन (डब्ल्यूआरएनएफ), चेन्नई की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अन्य सदस्यों में शामिल थे : डॉ. के.वी. पीटर, निदेशक, डब्ल्यूआरएनएफ, चेन्नई; डॉ. मथुरा राय, पूर्व निदेशक, आईवीआरआई, वाराणसी; डॉ. एस.के. शर्मा, निदेशक, सीआईएएच, बीकानेर; डॉ. डी.पी. सिंह, पूर्व सहायक महानिदेशक (सब्जी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद; डॉ. पी.एस. सिरोही, पूर्व अध्यक्ष, सब्जी विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली; डॉ. सुधाकर पाण्डेय, पूर्व सहायक महानिदेशक (बागवानी), भाकृअनुप. एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक; डॉ. बी.सिंह, परियोजना समन्वयक (सब्जी), आईवीआरआई, वाराणसी; डॉ. बी.आर. चौधरी, वैज्ञानिक (बागवानी) (सब्जी विज्ञान), सीआईएएच, बीकानेर; डॉ. ई. श्रीनिवास राव; तथा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं रजिस्ट्रार जनरल। माननीय सदस्यों ने दोनों फसलों यथा तरबूज एवं खरबूजे के लिए डीयूएस दिशानिर्देशों पर चर्चा करके उन्हें अंतिम रूप प्रदान किया। डॉ. बी.आर. चौधरी, बागवानी वैज्ञानिक (सब्जी विज्ञान) तथा डॉ. सुधाकर पाण्डेय, वरिष्ठ वैज्ञानिक, आईआईवीआर, वाराणसी ने संयुक्त रूप से प्रस्तुतीकरण दिया। इन दिशानिर्देशों को जुलाई, 2014 के पीवीजे में प्रकाशित कराया गया।
- ❖ “नोनी (मोरिण्डा सिट्रीफोलिया) के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का प्रमाणन” पर कार्यदल की बैठक : डॉ. कीर्ति सिंह, अध्यक्ष, वर्ल्ड नोनी रिसर्च फाउण्डेशन, चेन्नई ने की अध्यक्षता में दिनांक 8–9

सितम्बर, 2014 को चेन्नई में इस प्रयोजन के लिए पहली बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. आर.आर. हंचिनाल , रजिस्ट्रार जनरल डॉ. आर. सी. अग्रवाल तथा डॉ. तेजबीर सिंह; डॉ. डी.आर.सिंह, प्रधान वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष व पीआई, नोनी, केन्द्रीय प्रायद्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान (सीआईएआरआई), पोर्ट ब्लेयर; डॉ. अनिरुद्ध के. सिंह, पूर्व अध्यक्ष, संरक्षण संभाग, एनबीपीजीआर, नई दिल्ली; डॉ. टी. मरिमुथु, अतिरिक्त निदेशक, डॉ. पी. रेथिनम, पूर्व कार्यकारी निदेशक, एपीसीसी ने भाग लिया। समिति ने माना कि नोनी एक नई फसल है जिसमें कि अत्यधिक औषधीय मान उपलब्ध हैं और इस संबंध में कोई प्रचलित किस्म उपलब्ध नहीं है तथा साथ ही यहां तक कि उपोव (यूपीओवी) में भी कोई संदर्भ डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश मौजूद नहीं हैं। इसलिए, इस बात पर विचार करते हुए कि नोनी एक बारहमासी वृक्ष है, उपयुक्त पहचान योग्य पैतृक विशेषताओं की अनुकूलतम संख्या पर ध्यान देते हुएसदस्यों को अपने निजी अनुभव और जानकारी के आधार पर डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को विकसित करने में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए।

❖ “पुष्टीय एवं फलदार फसलों के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का प्रमाणन” के लिए कार्यदल : पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा कुछ प्रमुख पुष्टों यथा जैसीन, रजनीगंधा, चाइना एस्टर, पपीता एवं शरीफा के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश के प्रमाणन का उत्तरदायित्व आईआईएचआर, बंगलुरु को सौंपा गया। जैसीन एवं रजनीगंधा के लिए प्रोफेसर एम. कन्नन, बागवानी प्रोफेसर, पुष्टविज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण विभाग, एचसी एंड आरआई, तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर की अध्यक्षता में इन फूलों तथा फलों के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को विकसित करने के मकसद से टास्क बल समिति गठित की गई। चाइना एस्टर के लिए डॉ. टी. मंजूनाथ राव, प्रधान वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, अलंकारिक संभाग, आईआईएचआर, बंगलुरु की अध्यक्षता में और शरीफा के लिए डॉ. सी.पी.ए. अय्यर, पूर्व निदेशक, आईआईएसआर, कालीकट की अध्यक्षता में टास्क बल समिति गठित की गई। इन कार्यदल समितियों की बैठकें आईआईएचआर, बंगलुरु में दिनांक 7–8 अक्टूबर, 2014 को आयोजित की गई और संबंधित बैठकों में आपसी विचार–विमर्श करके जैसीन, रजनीगंधा, चाइना एस्टर तथा पपीता के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया। इन बैठकों

में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. आर.आर. हंचिनाल , रजिस्ट्रार डॉ. मनोज श्रीवास्तव तथा डॉ. तेजबीर सिंह भी उपस्थित थे। उपरोक्त दिशानिर्देशों को दिसम्बर, 2014 में प्रकाशित कराया गया। शरीफा के लिए दिशानिर्देशों को अगले वर्ष अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

- ❖ “आङ्‌ आलुबुखारा तथा स्ट्राबेरी के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का प्रमाणन” के लिए कार्यदल : आङ्, आलुबुखारा तथा स्ट्राबेरी के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए डॉ. जे.पी. तिवारी, पूर्व डीन, कृषि महाविद्यालय, जी.बी.पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में दिनांक 21 नवम्बर, 2014 को नई दिल्ली में टास्क बल की दूसरी बैठक आयोजित की गई। इन बैठकों में सदस्य रूप में कमशः डॉ. एस.एन. पाण्डेय, पूर्व सहायक महानिदेशक (बागवानी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिशद; डॉ. नजीर अहमद, निदेशक, केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर; तथा डॉ. के.के. श्रीवास्तव, वरिष्ठ वैज्ञानिक, सीआईएसएच, लखनऊ भी उपस्थित थे। इन बैठकों के सदस्य सचिव कमशः डॉ. के. कुमार, प्रधान वैज्ञानिक, डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नोनी, सोलन; डॉ. एस. राजन, निदेशक (कार्यकारी), सीआईएसएच, लखनऊ; तथा डॉ. मनोज श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार, पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण थे। प्राधिकरण के तकनीकी अधिकारियों के साथ पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. आर.आर. हंचिनाल एवं रजिस्ट्रार जनरल डॉ. आर. सी. अग्रवाल ने बैठक में भाग लिया। टास्क बल द्वारा तीनों फलों यथा आङ्, आलुबुखारा तथा स्ट्राबेरी के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जिन्हें दिसम्बर, 2014 में पीवीजे के अंक में प्रकाशित कराया गया।
- ❖ “गेंदा के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का प्रमाणन” के लिए कार्यदल : डॉ. पी.एन. माथुर, समन्वयक, दक्षिण एशिया कार्यालय, बायोवर्सिटी इंटरनेशनल, नई दिल्ली की अध्यक्षता में गेंदा के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को विकसित करने के प्रयोजन से दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 को बायोवर्सिटी इंटरनेशनल, नई दिल्ली में कार्यदल की पहली बैठक आयोजित की गई। कार्यदल की यह धारणा थी कि संदर्भ किस्मों के संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली तथा भारतीय बागवानी अनुसंधान

संस्थान, बंगलुरु आपस में सूचना का आदान—प्रदान करें और डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास के संबंध में गुणात्मक एवं मात्रात्मक विशेषताओं पर दर्ज आंकड़ों का प्रमाणन करें।

- ❖ “मिर्च, शिमला मिर्च एवं पपरिका हेतु डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का प्रमाणन” के लिए कार्यदल : मिर्च, शिमला मिर्च तथा पपरिका के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को विकसित करने के प्रयोजन से डॉ. एम. महादेवप्पा, निदेशक, जेएसएस रुरल डेवलेपमेंट फाउण्डेशन, बंगलुरु की अध्यक्षता में दिनांक 10 जनवरी, 2015 को भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु में टास्क बल की पहली बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में डॉ. के.वी. पीटर, निदेशक, वर्ल्ड नोनी रिसर्च फाउण्डेशन, चेन्नई; डॉ. वी.ए. पार्थसारथी, पूर्व निदेशक एवं सेवानिवृत वैज्ञानिक, आईआईएसआर; डॉ. ओ.पी. दत्ता, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रधान वैज्ञानिक, सब्जी फसल संभाग, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु; डॉ. के. माधव रेड्डी, प्रधान वैज्ञानिक, सब्जी फसल संभाग, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु; डॉ. प्रीतम कालिया, अध्यक्ष, सब्जी विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली; डॉ. लोहिताश्व, प्रोफेसर व अध्यक्ष, आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग, कृषि महाविद्यालय; एवं डॉ. तेजबीर सिंह, रजिस्ट्रार, पौधा किस्मएवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली ने भाग लिया। टास्क बल द्वारा गहन विचार—विमर्श करके मिर्च, शिमला मिर्च और पपरिका के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप प्रदान किया।
- ❖ “बैम्बूसा बालकुआ तथा डेन्ड्रोकैलेमस हैमिल्टनाई के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप प्रदान करना” हेतु कार्यदल की बैठक : बैम्बूसा बालकुआ तथा डेन्ड्रोकैलेमस हैमिल्टनाई के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप प्रदान करने हेतु कार्यदल की बैठक का आयोजन दिनांक 12 अगस्त, 2014 को नई दिल्ली में किया गया। कार्यदल ने पहचाने गए डिस्किप्टर्स पर चर्चा की और सदस्यों का यह सुझाव था कि उत्तर—पूर्वी क्षेत्र के साथ—साथ देश के अन्य भागों में उगाई गई प्रमुख प्रजातियों को ध्यान में रखते हुए अगली बैठक में डीयूएस दिशानिर्देशों की समीक्षा करते हुए उन्हें अंतिम रूप दिया जाए।
- ❖ किसानों द्वारा तैयार अथवा विकसित की गई किस्मों के प्रलेखन, अनुकरण एवं सूचीकरण पर कार्यदल: कार्यदल द्वारा दिनांक 23 जुलाई, 2014 को

आयोजित अपनी बैठक में किसानों द्वारा तैयार अथवा विकसित की गई किस्मों के प्रलेखन, अनुकरण तथा सूचीकरण के लिए सामान्य दिशानिर्देश विकसित किए गए। साथ ही कार्यदल ने किसानों द्वारा तैयार अथवा विकसित की गई किस्मों पर सूचना के संकलन हेतु प्रारूप को अंतिम रूप प्रदान किया।

फल

4.1.1 केन्द्रीय उष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान (सीआईएसएच), रहमानखेड़ा, लखनऊ

जामुन (सिजीजियम क्यूमिनाई स्कील)

डीयूएस दिशानिर्देश विकसित करने के प्रयोजन हेतु जामुन की प्राप्तियों के प्रजनन रख—रखाव / लक्षणवर्णन की रिथिति इस प्रकार है :

प्रजाति का नाम	प्राप्तियों / किस्मों की संख्या	स्रोत / स्वयं / भाकृअनुप/राज्य कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जारी)
एस. क्यूमिनाई	18	स्वयं द्वारा जारी

फल की मात्रात्मक विशेषताएं

विभिन्न प्राप्तियों / किस्मों के बीच फल आकृति के संबंध में उल्लेखनीय भिन्नता देखने को मिली। फल की आकृति के अनुसार विभिन्न प्राप्तियों / किस्मों को अलग—अलग समूहों में बांटा गया। विभिन्न प्राप्तियों / किस्मों के बीच सपाट तथा अधोमुख में फल शीर्ष पर आंकड़ों को दर्ज किया गया। चयनित प्राप्तियों अथवा किस्मों को बीज सहित तथा बीज रहित फलों के तौर पर बीज मात्रा के अनुसार बांटा गया।

विशेषताएं	उदाहरण / तुलनात्मक किस्में / प्राप्तियां	डिस्किप्टर्स
पके हुए फल की आकृति	गोमा प्रियंका, कोंकण बहादोली, सीआईएसएच जे 25, सीआईएसएच जे -085, सीआईएसएच जे -577, सीआईएसएच जे -580, सीआईएसएच जे -585, केजेपी 95, केजेपी 86, केजेपीकेएम-II	आयताकार
	गोकक 1, गोकक 2, गोकक 3	दीर्घवृतीय
	सीआईएसएच जे -42, सीआईएसएच जे -37, सीआईएसएच जे -576, सीआईएसएच जे -579	अण्डाकार
	सीआईएसएच जे -35, सीआईएसएच जे -23	गोलाकार

विशेषताएं	उदाहरण / तुलनात्मक किस्में / प्राप्तियां	डिस्कप्टर्स
पके हुए फल का शीर्ष	गोमा प्रियंका, कॉकण बहादोली, गोकक 1, गोकक 2, गोकक 3, सीआईएसएच जे –25, सीआईएसएच जे –23, सीआईएसएच जे –35, सीआईएसएच जे –085, सीआईएसएच जे –577, सीआईएसएच जे –580, सीआईएसएच जे –585, केजेपी 95, केजेपी 86, सीएचईएसजे 1, सीएचईएसजे –3, सीएचईएसजे –4, सीएचईएसजे –5, सीएचईएसजे –6, केजीपीकेएम -II	सपाट
	सीआईएसएच जे –42, सीआईएसएच जे –37, सीआईएसएच जे –576, सीआईएसएच जे –579	अधोमुख
बीज मात्रा	सीआईएसएच जे –37, गोमा प्रियंका, गोकक 1, कॉकण बहादोली, सीआईएसएच जे –585, सीआईएसएच जे –35, सीआईएसएच जे –085, सीआईएसएच जे –577, सीआईएसएच जे –580, सीआईएसएच जे –23, सीआईएसएच जे –579, सीआईएसएच जे –576, सीआईएसएच जे –25, केजेपीकेएम -II	बीज के साथ
	सीआईएसएच जे –42	बीज रहित


4.1.2 केन्द्रीय बागवानी परीक्षण स्टेशन (सीएचईएस –सीआईएच–भाकृअनुप.), वेजलपुर (गोधरा), पंचमहल

बेल (ईंगल मार्मेलॉस कोरिया)

केन्द्र पर रख–रखाव की गई बेल की बारह किस्मों नामतः नरेन्द्र बेल 5, नरेन्द्र बेल 7, नरेन्द्र बेल 9, नरेन्द्र बेल 16, नरेन्द्र बेल 17, पंत अपर्णा, पंत शिवानी, पंत उर्वशी, पंत सुजाता, सीआईएसएचबी 1, सीआईएचबी 2 तथा गोमा याशी का मूल्यांकन किया गया। इन किस्मों का मूल्यांकन आकृतिविज्ञान गुणों तथा गुणवत्ता लक्षणों के लिए किया गया। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान किस्मों के बीच पादप आकृतिविज्ञान लक्षणों यथा पत्ती विशेषता, पर्णाभ लंबाई, अंतर नोडल दूरी, पर्ण, छाल का रंग, छाल के दूटने का

पैटर्न, फलन पैटर्न तथा फल के शारीरिक रासायनिक गुणों के संबंध में व्यापक आनुवंशिक विविधता हेतु मूल्यांकन किया गया।

किस्मों के बीच तने की छाल के रंग तथा छाल के विखंडन पैटर्न में विविधता का आकलन करने पर पाया गया कि तने की छाल का रंग सीआईएसएचबी 1, पंत शिवानी, एनबी 5 तथा एनबी 17 में जहां पीला मटमैला; पंत सुजाता, पंत उर्वशी तथा गोमा याशी में मटमैला पीला; एनबी 9 तथा एनबी 16 में काला मटमैला; पंत अपर्णा तथा सीआईएसएचबी 2 में पीला जबकि एनबी 7 में मटमैला था। सभी किस्मों में छाल का कम अथवा ज्यादा एकजैसा पैटर्न प्रदर्शित हुआ जिसमें छोटे आयताकार अथवा वर्ग त्रिभुजाकार ब्लॉक वाली लक्कीरें एक दूसरे को अनियमित रूप से काटती हुई प्रतीत होती थी। बेल की विभिन्न किस्मों की पत्तियों में आकृति की भिन्नता देखने को मिली। पूरी तरह से पके हुए फल का रंग नारंगी से पीला जबकि कुछ किस्मों में पीला हरा था। फल आकृति में भी फल बनावट सिरा तना सिरा कैविटी में व्यापक भिन्नता देखने को मिली। फल के छिलके की सतह भी चिकनी से रुखी थी। बेल की विभिन्न किस्मों में टहनियों (पर्ण विन्यास) पर पत्तियों की व्यवस्था का अध्ययन करने पर पता चला कि सीएचईएसबी 2, पंत उर्वशी, पंत सुजाता, एनबी 5, एनबी 16, एनबी 17 तथा गोमा याशी में टाईस्टीक्स (tristichous) ($1/3$ पर्ण विन्यास) आमतौर पर पाया गया जबकि सीएचईएसबी 1, पंत अपर्णा, पंत शिवानी, एनबी 7 टाइप में पेंटास्टीक्स ($2/5$ पर्ण विन्यास) पाया गया। हालांकि, पर्ण विन्यास प्रत्येक किस्म में अपने आप में विशिष्ट था। किस्म एनबी 7 में अन्य किस्मों की तुलना में सबसे लंबी पत्ती (26.06 सेमी.) थी जबकि सबसे छोटी पत्ती एनबी 9 (15.35 सेमी.) में पाई गई। केन्द्रीय पत्ती लेमिना की लंबाई सबसे अधिक एनबी 7 (20.05 सेमी.) में और सबसे कम एनबी 9 (9.71 सेमी.) में पाई गई। दार्थी तथा बार्थी पाश्वर्य पत्ती लेमिना की लंबाई व चौड़ाई जहां एनबी 7 (15.00 सेमी. X 8.27 सेमी.) व (14.52 सेमी X 8.56 सेमी.) में सबसे ज्यादा थी वहीं यह एनबी 16 (7.03 सेमी X 3.50 सेमी.) एवं (7.32 सेमी X 3.30 सेमी.) में सबसे कम पाई गई। विभिन्न किस्मों में पत्ती की मोटाई 0.03 से 0.06 सेमी. के बीच थी। बारानी परिस्थिति में एनबी 7, एनबी 16 तथा एनबी 17 में औसत पत्ती मोटाई 0.04 सेमी. पाई गई। केन्द्रीय पर्णकवृत की लंबाई सीआईएसएचबी 2 में सबसे अधिक (3.96 सेमी.) और गोमा याशी में सबसे कम (1.50 सेमी.) पाई गई। केन्द्रीय पर्णकवृत की चौड़ाई में 3.8 मिमी. से 8.0 मिमी. की भिन्नता देखने को मिली। सभी किस्मों में, दोनों पत्तियों के पाश्वर्य पर्णकवृत में 0.3 से 0.7 सेमी. के बीच ज्यादा या कम छोटे डंठल थे जिन्हें लगभग



सभी किस्मों में डंठल रहित माना जा सकता है। पर्णवृत्त की लंबाई सबसे अधिक एनबी 7 (5.73 सेमी.) में और तदुपरान्त कमशः गोमा याशी (4.50 सेमी.), पंत सुजाता (4.32 सेमी.) तथा एनबी 17 (4.25 सेमी.) में पाई गई जबकि सबसे कम सीआईएसएचबी 1 (2.97 सेमी.) एवं तदुपरान्त एनबी 5 (2.56 सेमी.) व पंत शिवानी (3.12 सेमी.) में दर्ज की गई। पर्णवृत्त की मोटाई 0.10 सेमी. से 0.29 सेमी. के बीच थी। सभी किस्मों में अंतर नोडल दूरी में 3.00 से 4.56 सेमी. की भिन्नता देखने को मिली।

पुष्ट के लक्षण अथवा गुण

बेल किस्मों के पुष्टीय गुणों में अध्ययन किए गए सभी गुणों अथवा लक्षणों में उल्लेखनीय भिन्नता देखने को मिली। बेल फल के शारीरिक संयोजन जिसमें छिलका, बीज, रेशा तथा गूदा प्रतिशत शामिल थी, में बेल की विभिन्न किस्मों में कमशः 11.76 से 26.80, 0.80 से 5.05, 2.23 से 4.14 तथा 63.45 से 85.14 की भिन्नता देखने को मिली। आवरण अथवा छिलके और कुल बीज की सर्वाधिक प्रतिशत एनबी 16 किस्म में कमशः 26.80 व 5.05 पाई गई जबकि गोमी याशी (11.76) और सीआईएसएच-बी-2 (0.80) में कमशः छिलका तथा बीज प्रतिशत मात्रा न्यूनतम थी। गोमा याशी किस्म में न्यूनतम रेशा (2.23) एवं अधिकतम गूदा (85.14) मात्रा पाई गई जबकि एनबी 17 एवं एनबी 16 में कमशः अधिकतम रेशा (4.14 प्रतिशत) और न्यूनतम गूदा मात्रा (63.45 प्रतिशत) पाई गई। फल भार सबसे अधिक एनबी 7 (4.25 किग्रा.) में पाया गया जबकि सबसे कम एनबी 16 (0.43 किग्रा.) में था। फल की लंबाई जहां सीआईएसएच-बी-2 में सबसे ज्यादा (19.59 सेमी.) थी वहीं एनबी 16 में यह सबसे कम (10.61 सेमी.) पाई गई।

रासायनिक गुणवत्ता विशेषताओं में फल अम्लता शामिल है जो कि पंत उर्वशी (0.49 प्रतिशत) में अधिकतम और गोमा याशी (0.30 प्रतिशत) में न्यूनतम दर्ज की गई। अधिकतम विटामिन सी मात्रा जहां गोमा याशी (21.03

मिग्रा./ 100 ग्राम) में पाई गई वहीं तदुपरान्त कमशः एनबी 5 (20.63 मिग्रा./ 100 ग्राम) में और पंत सुजाता (17.13 मिग्रा./ 100 ग्राम) और फिर पंत अपर्णा (17.15 मिग्रा./ 100 ग्राम) में दर्ज की गई। अधिकतम कुल फिनोल मात्रा जहां सीआईएसएच-बी-1 (2.75 प्रतिशत) और तदुपरान्त सीआईएसएच-बी-2 (2.65 प्रतिशत) में पाई गई वहीं न्यूनतम मात्रा पंत उर्वशी (2.34 प्रतिशत) में दर्ज की गई। गूदे तथा कफ में कुल घुलनशील ठोस कमशः गोमा याशी (37.450 ब्रिक्स) एवं पंत उर्वशी (49.500 ब्रिक्स) में अधिकतम पाए गए। शर्करा की अधिकतम मात्रा कमशः एनबी 9 (19.98 प्रतिशत) एवं तदुपरान्त पंत अपर्णा (19.93 प्रतिशत) में पाई गई जबकि न्यूनतम मात्रा कमशः पंत उर्वशी, एनबी 7 (16.15 प्रतिशत) एवं एनबी 17 (16.60 प्रतिशत) में पाई गई।

4.1.2 केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीएसआरटीआई), केन्द्र रेशा बोर्ड, मैसूर (शहतूत)

शहतूत (मोरस उप प्रजाति) के लिए विशिष्टता, एकरूपता तथा स्थिरता (डीयूएस) डिस्किप्टर्स का प्रमाणन करने हेतु डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश विकसित करने की एक परियोजना का उत्तरदायित्व सीएसआरटीआई, मैसूर को सौंपा गया। शहतूत फसल के अत्यधिक बाह्य प्रजनन व्यवहार, विशमयुग्मज्ञता और बारहमासी प्रवृत्ति के कारण वास्तविक किसी विशेषताओं को बनाए रखने के लिए शहतूत का प्रवर्धन क्लोनिंग के माध्यम से किया जाता है। शहतूत के जननद्रव्य (1065 प्राप्तियाँ) की समग्र आनुवंशिक विविधता का सर्वेक्षण किया गया और गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों तरीकों से आकृतिविज्ञान एवं पुनरुत्पादित गुणों सहित अनंतिम 57 डिस्किप्टर्स को उनके प्रकटन की स्थिति के साथ छांटा गया। शहतूत में चिन्हित डिस्किप्टर्स तथा डीयूएस के प्रमाणन का उपयोग करके प्रचलित जानकारी वाली शहतूत की सोलह किस्मों का उपयोग लक्षणवर्णन के लिए किया गया। विभिन्न डिस्किप्टर्स के प्रकटन की स्थिति



पर आकलन को विभिन्न मौसम वाले तीन बढ़वार चक्रों में किया गया। परिणाम के आधार पर, डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त 47 डिस्किप्टर्स को अंतिम रूप से चुना गया। सभी चयनित डिस्किप्टर्स के प्रकटन की विभिन्न स्थिति के लिए इकतीस उदाहरण किस्मों को अनंतिम रूप से सूचीबद्ध किया गया जिनका कि प्रमाणन किया जा रहा है।

4.1.3 भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (आईआईएचआर), बंगलुरु

पपीता एवं शरीफा

“पपीता एवं शरीफा में डीयूएस परीक्षण के लिए राष्ट्रीय रिपोर्टरी विकसित करना और सुविधाएं सृजित करना”

डॉ. आर.आर. हंचिनाल, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 8 अक्टूबर, 2014 को पपीता एवं शरीफा के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश के प्रमाणन हेतु गठित कार्यदल की दूसरी बैठक में बाईस गुणों को शामिल करते हुए डीयूएस दिशानिर्देशों को अंतिम रूप प्रदान किया गया। उन्नीस संदर्भ किस्मों का रख—रखाव नोडल केन्द्रों पर किया गया। इसी प्रकार, कुल चौंतीस गुणों के आधार शरीफा की डीयूएस दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया। खेत जीन बैंक में दस संदर्भ किस्मों का रख—रखाव किया गया। दोनों फसलों के मसौदा दिशानिर्देश पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण को भेजे गए। पपीते के डीयूएस दिशानिर्देशों को अंतत अनुमोदित किया गया और इन्हें दिसं्धर, 2014 के पीवीजे में प्रकाशित कराया गया। शरीफा के डीयूएस दिशानिर्देशों को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है।

4.1.4 केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान (सीआईएच), बीकानेर

खजूर

खजूर की विदेशी किस्मों सहित कुल बयालिस किस्मों का रख—रखाव खेत रिपोर्टरी में किया गया और

आकृतिविज्ञान गुणों के लिए इनका मूल्यांकन किया गया। रिपोर्टरीन वर्ष में कुल तीस संदर्भ किस्मों में स्पेथ आविर्भाव, स्पेथ के खिलने तथा पुष्पन पर आंकड़ों को दर्ज किया गया। चूंकि अन्य किस्में अभी भी शाकीय चरण में हैं, हालांकि, प्रषासनिक कारणों से फलन, गुच्छा लक्षणों तथा गुणवत्ता पैरामीटरों का आकलन नहीं किया जा सका। अतः मसौदा डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के विकास हेतु अध्ययन के अगले वर्ष में फलन के गुणों अथवा लक्षणों को दर्ज किया जाए।

खजूर की किस्मों में स्पेथ आविर्भाव पर किए गए आकलन से पता चला कि फरवरी—मार्च के दौरान कम तापमान बने रहने, वर्षा होने और जलवायु परिवर्तन तथा सर्दी के मौसम में लंबे समय तक कम तापमान बने रहने के कारण स्पेथ आविर्भाव में 10–15 दिनों का विलम्ब देखने को मिला। खजूर की किस्मों में स्पेथ आविर्भाव की तारीख, आविर्भाव पूरा होने की तारीख, स्पेथ के खिलने, परागण की तारीख तथा स्पेथ के आकार (लंबाई व चौड़ाई) को दर्ज किया गया। मस्कट, नागल तथा सेयर किस्म में और तदुपरान्त खैरपुर पाकिस्तान में जनवरी के अंतिम सप्ताह में अगेती स्पेथ आविर्भाव/खिलना पाया गया। स्पेथ के आकार में 14.2 से 47.8 सेमी. की भिन्नता देखने को मिली। सैडी एवं तदुपरान्त कमशः सबीहा तथा बीकानेर लोकल किस्म में स्पेथ की अधिकतम लंबाई दर्ज की गई। हालांकि, स्पेथ की न्यूनतम लंबाई (15.0 सेमी.) हयानी किस्म में पाई गई। स्पेथ की अधिकतम चौड़ाई हलावी तथा बीकानेर लोकल (10.0 सेमी.) में और न्यूनतम चौड़ाई मेदजूल व नागल हिलाली में पाई गई। स्पेथ के खिलने पर परागण हाथ से किया गया। खजूर की भिन्न किस्मों में पादप आकृतिविज्ञान गुणों के संबंध में एक व्यापक आनुवंशिक विविधता देखने को मिली।

मात्रात्मक गुणों के अलावा किस्मों के बीच गुच्छे की लंबाई, भार, स्ट्रान्ड्स/गुच्छा की संख्या जैसे गुणात्मक लक्षणों में भिन्नता प्रदर्शित हुई। कटाई की डोका अवस्था में फलों का रंग पीले से लाल, हल्के पीले से हरा तथा कुछ किस्मों में लाल तथा गहरा लाल था। अतः खजूर की किस्मों को शाकीय एवं फल पैरामीटरों के गुणात्मक के साथ—साथ मात्रात्मक लक्षणों का उपयोग पहचाना जा सकता है। वर्ष के दौरान, अनेक गणमान्य जनों नामतः डॉ. एन.के. कृष्ण कुमार, उप महानिदेशक (बागवानी), भाकृअनुप, नई दिल्ली; डॉ. एस. गणेशन, अध्यक्ष, पीजीआर संभाग, आईआईएचआर, बंगलुरु; डॉ. जे.एस. चौहान, सहायक महानिदेशक (बीज), भाकृअनुप; डॉ. एस.डी. शिखामणि, पूर्ण कुलपति, बागवानी विश्वविद्यालय, पश्चिम गोदावरी; डॉ. एस.के. मल्होत्रा, बागवानी आयुक्त, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण

मंत्रालय ने केन्द्र का दौरा किया। देश के विभिन्न राज्यों यथा गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान से किसान समूहों, भाकृअनुप शीतकालीन प्रशिक्षण, अल्पावधि पाठ्यक्रम के प्रशिक्षकों, विभिन्न संगठनों के वैज्ञानिकों ने भी खजूर के परीक्षणात्मक ब्लॉक का दौरा किया। राजस्थान में खजूर की खेती करने के इच्छुक उद्यमियों ने भी फार्म स्थल का दौरा किया।

4.1.5 खजूर अनुसंधान स्टेशन, सरदार कृषिनगर दंतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, डीयूएस (एसकेडीएयू), मुन्द्रा, गुजरात

डीयूएस परीक्षण के प्रयोजन हेतु खजूर के डीयूएस डिस्किप्टर्स को विकसित करने के लिए खजूर अनुसंधान स्टेशन मुद्रा द्वारा सह-नोडल केन्द्र के रूप में कार्य किया जा रहा है। इसका मुख्य केन्द्र सीआईएएच, बीकानेर है। रिपोर्टर्धीन वर्ष के दौरान पंद्रह विदेशी किस्मों में पत्ती का आकार, पत्ती का वक, कांटे, स्पेथ का आकार जैसे आकृतिविज्ञान लक्षणों पर आंकड़ों को दर्ज किया गया।

किस्मों के बीच अधिकतम पत्ती लंबाई (4.76 सेमी.) सैडी किस्म में और न्यूनतम लंबाई (2.95 सेमी.) मेजनाज किस्म में दर्ज की गई। पत्ती की लंबाई में 33.52 सेमी. (हलावी) से लेकर 49.84 सेमी. (जगलूल) तक की भिन्नता देखने को मिली। पत्ती के घुमावदार वक में 15.6 (खलास) से 30.4 (बरही) तक की भिन्नता पाई गई। सभी किस्मों में, पत्ती में आगे की ओर अधिकांश कांटे एकल व्यवस्था में थे। समूहों में कांटे जगलूल, बरही तथा खसाब किस्मों में पाए गए। कांटों की अधिकतम संख्या (31.4) बरही किस्म में और न्यूनतम संख्या (5.4) खसाब किस्म में पाई गई। कांटों की लंबाई में भी भिन्नता देखने को मिली जो कि खदरावी किस्म में 5.12 सेमी. से खसाब में 0.64 सेमी. की अधिकतम थी। दो कांटों के बीच की दूरी खदरावी में अधिकतम तथा खलास में न्यूनतम पाई गई। रेकिस की लंबाई मेजनाज किस्म में जहां 2.75 मीटर थी वहीं सैडी किस्म में यह अधिकतम 4.93 मीटर थी। विदेशी किस्मों में स्पेथ की लंबाई जगलूल (58.2 सेमी.) में अधिकतम और खदरावी (30.8 सेमी.) में न्यूनतम पाई गई। स्पेथ का प्रारंभ शमरन तथा दायरी किस्म में क्रमशः 1 फरवरी तथा 5 मार्च को हुआ। स्पेथ निकलने की अवधि हतेमी तथा सैडी किस्म में क्रमशः 7–34 दिनों के बीच थी। प्रति गुच्छा स्ट्रान्ड्स की अधिकतम संख्या जगलूल (85) में और न्यूनतम संख्या सेयर (38.2) में दर्ज की गई। सभी किस्मों में पैटर्न यथा स्ट्रान्ड प्रांभ होना सीधा अथवा लम्बवत था। सरसफल/स्ट्रान्ड की संख्या, फल का रंग, आकृति, आकार, गुठली की लंबाई, गुठली का व्यास, गुठली की आकृति, गूदा : गुठली अनुपात, गूदे की मोटाई आदि

जैसी फल विशेषताओं को जून-जुलाई में फलों के पकने पर आगामी सीजन में दर्ज किया जाएगा।

गौण अनाज

4.1.6 कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (यूएएस), जीकेवीके, बंगलुरु

“गौण अनाजों के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास” करने हेतु कार्यदल : फिंगर मिलेट (रागी), प्रोजो मिलेट, कोडो मिलेट, लिटिल मिलेट, बर्नयार्ड मिलेट तथा फॉकस्टेल मिलेट (कंगनी) के लिए डीयूएस डिस्किप्टर्स की जांच करने हेतु डॉ. के. नारायण गौड़ा, पूर्व कुलपति, यूएएस, जीकेवीके, बंगलुरु की अध्यक्षता में गठित कार्यदल की बैठक का आयोजन दिनांक 12 सितम्बर, 2014 को जीकेवीके, यूएएस, बंगलुरु में किया गया। इस बैठक में रागी तथा कंगनी के लिए दिशानिर्देशों को प्राथमिकता आधार पर तैयार करने के बारे में गहन विचार-विमर्श किया गया। अन्य अधिसूचित केन्द्रों द्वारा अन्य महत्वपूर्ण गौण अनाजों पर कार्य को जारी रखा जाएगा और सभी महत्वपूर्ण गौण अनाजों (मिलेट) के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश तैयार करके उन्हें महत्वपूर्ण गुणों के लिए वर्गीकरण गुणों तथा स्केच चित्रों में शामिल किया जाए। इस बैठक में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. आर.आर. हंचिनाल, रजिस्ट्रार डॉ. मनोज श्रीवास्तव भी उपस्थित थे। बाद में, फरवरी, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित टास्क बल की दूसरी बैठक में रागी तथा कंगनी के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया और शेष किस्मों के लिए दिशानिर्देशों को तैयार करने के कार्य में तेजी लाने के लिए प्रधान अन्वेशक से अनुरोध किया गया। रागी तथा कंगनी के लिए विकसित दिशानिर्देशों को फरवरी, 2015 के पीवीजे में प्रकाशित कराया गया। पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष, डॉ. आर.आर. हंचिनाल भी इस बैठक में उपस्थित थे और उन्होंने गौण अनाज में डीयूएस दिशानिर्देश विकसित करने प्रासंगिकता पर बल दिया। रागी में इतनी अधिक किस्मों के रख-रखाव में परेशानी को देखते हुए इन्होंने केवल ऐसी किस्मों पर ही ध्यान केन्द्रित करने की सलाह दी जो कि पिछले 15 वर्षों के दौरान जारी की गई हैं। डॉ. आर.आर. हंचिनाल ने दाना उपज पर ध्यान न देते हुए सभी गुणात्मक विशेषताओं को शामिल करने की सलाह दी।

डॉ. ए. सीताराम ने एकजैसी किस्मों में भिन्नता दर्शाने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की आवश्यकता जताई और विस्तृत लक्षणवर्णन के लिए वर्गीकरण विशेषज्ञों की सेवाएं लेने की सलाह दी। डॉ. सीताराम का विचार था कि केवल स्थिर गुणों को जो कि पैतृक हों और जिनका पर्यावरण

पर कोई प्रभाव नहीं हो, को ही डीयूएस दिशानिर्देशों में शामिल किया जाए। इन्होंने पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण को रागी तथा कंगनी के अलावा अन्य किस्मों के लिए गुणों को अंतिम रूप प्रदान करने हेतु समय सीमा बढ़ाने का सुझाव दिया। डॉ. कृष्ण गौड़ा ने किस्म अवधि, प्रकाश प्रदीप्ति अवधि तथा तापमान के प्रति किस्म की प्रतिक्रिया के आधार पर किस्मों को वर्गीकृत करने का सुझाव दिया। आकृतिविज्ञान की दृष्टि से एकजैसी किस्मों को अलग-अलग करने में डीएनए फिंगर प्रिन्टिंग तथा आणविक मार्करों का उपयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डॉ. एम.वी.सी. गौड़ा ने अभी तक किए गए कार्य तथा संकलित आंकड़ों के बारे में बताया। डॉ. रवि शंकर, आनुवंशिकीविद् ने फोटोग्राफ के साथ फसलवार दिशानिर्देश प्रस्तुत किए। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के रजिस्ट्रार डॉ. मनोज श्रीवास्तव ने सलाह दी कि सभी गुणों के लिए संदर्भ किस्मों को शामिल किया जाए और रिकार्डिंग स्कोरिंग में परिवर्तन करते हुए इसे निरन्तर जारी रखा जाए। साथ ही इन्होंने आवश्यकतानुसार अनिवार्य गुणों के चित्रवार प्रतिनिधित्व को भी शामिल करने का अनुरोध किया। अंततः डॉ. के. नारायण गौड़ा, अध्यक्ष ने रागी तथा कंगनी के लिए डीयूएस दिशानिर्देशों को शीघ्र ही अंतिम रूप देने का अनुरोध करते हुए परामर्श दिया कि जैसा कि बैठक में सुझाव दिया गया था, विस्तृत लक्षणवर्णन के लिए वर्गीकरण विशेषज्ञ से सलाह ली जाए।

पुष्ट

4.1.7 राष्ट्रीय आर्किड्स अनुसंधान केन्द्र (एनआरसीओ), पाक्योंग, सिक्किम

ऑसीडियम में डीयूएस दिशानिर्देशों की स्थिति

प्रचलित डिस्किप्टर्स का उपयोग करते हुए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश तैयार करने के लिए ऑसीडियम की कुल चालीस संकर किस्मों का मूल्यांकन किया गया। विकसित 60 प्रचलित डिस्किप्टर्स में से पौधा प्रकृति, पत्ती संख्या/आधारीय पत्तियाँ/स्यूडो बल्ब, पुष्ट का आकार : आगे की ओर चौड़ाई, मुख्य पंखुड़ी का रंग, पंखुड़ी के रंग का पैटर्न, किनारों का मुख्य रंग तथा किनारों का रंग पैटर्न जैसे लक्षणों का उपयोग संकर किस्मों के वर्गीकरण के लिए किया गया। ऑसीडियम आर्किड्स की पौधा प्रकृति (तालिका 56), सामने की ओर पुष्ट की लंबाई व चौड़ाई (चित्र 1), पंखुड़ी का रंग पैटर्न (तालिका 57) तथा किनारों का रंग पैटर्न (चित्र 2) नीचे प्रस्तुत है :

तालिका 56 : ऑसीडियम में पौधा प्रकृति

विशेषताएं	स्थिति	उदाहरण / तुलनात्मक संकर किस्में
पौधा प्रकृति	स्यूडो बल्ब के बिना	टोलू जयरक फर्म रूडी, टोलू जयरक फर्म 'फस्कस', टोलू जयरक फर्म 'डीप रेड', आइनॉप्सिस अट्रीकुलारियॉड्स, टोलू जयरक फर्म 'बटरफलाई', टोलू जयरक फर्म 'चॉकलेट ड्राप', टोलू जयरक फर्म 'कोरल', टोलू जयरक रैनबो 'रोजी', टोलू पोपोकी, ओएनसी. बैपाई, टोलू जयरक रैनबो 'चार्मिंग', टोलू जयरक फर्म 'स्ट्रावेरी', ओएनसी पोपकी रेड
	स्यूडो बल्ब के साथ	ओएनसी शैरी बैबी स्वीट फेगरेन्स, ओएनसी स्वीट सुगर, कॉम. वाइल्डकैट करमेरा, कॉम. वाइल्डकैट बॉबकैट, ओएनसी. टका येलो

ऑसीडियम में पंखुड़ी के रंग पैटर्न की विभिन्न आभाएं नीचे तालिका में दी गई हैं।

तालिका 57 : ऑसीडियम में पंखुड़ी का रंग पैटर्न

स्थिति	उदाहरण / तुलनात्मक संकर किस्में
एकसमान	ओएनसी. हवाई येलो, कॉम. वाइल्डकैट येलो, ओएनसी. स्वीट सुगर, ब्रैसीडियम बटरफलाई, ओएनसी. बिग व्हाइट, ओएनसी पिंक स्माल फ्लॉवर, ओएनसी. पिंक / येलो
आभायुक्त	ओएनसी. कैमपंगसियन रनो, ओएनसी. ब्लू, ओएनसी. रेड, आइनॉप्सिस अट्रीकुलारियॉड्स, ओएनसी. रेड मिनी लिटिल चेरी, ओएनसी. शैरी बैबी स्वीट फैगरैजन्स, ओएनसी. पोपकी रेड
धब्बेदार	ओएनसी. बिग व्हाइट, ओएनसी. ब्लू, ओएनसी. लकी गोल्डस्टार, ओएनसी. बैपाई
चितकबरा	ओएनसी. हवाई येलो, ओएनसी. रामसे अरेन्ज, कॉम. वाइल्डकैट येलो, ओएनसी. स्वीट सुगर, ब्रैसीडियम बटरफलाई, कॉम. वाइल्डकैट करमेरा
धारीदार	ओएनसी. पिंक स्माल फ्लॉवर, आइनॉप्सिस अट्रीकुलारियॉड्स, ओएनसी. रेड मिनी लिटिल चेरी
नुकीली	ओएनसी. रेड मिनी लिटिल चेरी, कॉम. वाइल्डकैट बॉबकैट

ऑसीडियम के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अप्रैल, 2014 में पीवीजे में प्रकाशित कराया गया और अक्टूबर, 2014 में अधिसूचित किया गया।

4.1.8 भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (आईआईएचआर), बंगलुरु

गेंदा

डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश तैयार करने और उदाहरण अथवा तुलनात्मक किस्मों की पहचान करने के उद्देश्य से कुल एक सौ सैंतीस किस्मों का लक्षणवर्णन किया गया। (टैजेटीज इरेक्ट) की बयासी तथा (टैजेटीज पटुला) की उनतीस किस्मों का आकलन विशिष्ट गुणों अथवा लक्षणों के चयन हेतु किया गया। अठारह किस्मों का प्रजनन रख-रखाव किया गया। गेंदा के डीयूएस परीक्षण के लिए कुल सैंतीस लक्षणों की पहचान की गई। पुष्टीय लक्षणों में अधिकतम विविधता पाई गई। मसौदा डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश तैयार कर लिए गए हैं और उदाहरण अथवा तुलनात्मक किस्मों की पहचान कर ली गई है। सत्रह लक्षणों के विशिष्ट नोट्स के लिए उदाहरण अथवा तुलनात्मक किस्म के रूप में आईआईएचआरएमओ-2 उपयुक्त पाई गई। इसी प्रकार, 9, 13, तथा 12 लक्षणों के विशिष्ट नोट्स के लिए उदाहरण अथवा तुलनात्मक किस्म के रूप में क्रमशः आईआईएचआरएमओ-4, आईआईएचआरएफएम-1 और अर्का बंगारा उपयुक्त पाई गई।

रजनीगंधा

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा रजनीगंधा (पॉलिएन्थस ट्यूबरोजा एल.) के लिए आईआईएचआर, बंगलुरु तथा पुष्पविज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली को क्रमशः नोडल एवं सह-नोडल केन्द्र बनाया गया है। आईआईएचआर, बंगलुरु में विभिन्न आकृतिविज्ञान गुणों के लिए यूपीओवी दिशानिर्देशों के अनुसार रजनीगंधा के सोलह जीनप्ररूपों के संदर्भ संकलन का मूल्यांकन किया गया। जिन विशेषताओं पर आकलन किया गया उनमें शामिल था : पत्ती शबलता, अपाक्ष की ओर पत्ती आधार पर रंजकता, कली का रंग, पुष्प की प्रकृति तथा आकृति, पुष्पक्रम की लंबाई, वर्तिकाग्र की प्रकृति, वर्तिकाग्र लोब्स, डंठल पर रंजकता, पुष्पन में लगने वाला समय और फल में लोक्यूल्स की संख्या। हरित दल की लंबाई, पुष्प ट्यूब की लंबाई, परिदल की मोटाई, तथा पुष्प ट्यूब का व्यास जैसे शाकीय तथा पुष्टीय दोनों जैसी गुणात्मक और मात्रात्मक विशेषताओं के लिए भी आंकड़े दर्ज किए गए।

किस्मों को शबलित/गैर शबलित, एकल/दोहरी, हरी/गुलाबी कलियों वाली प्रकृति के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पत्ती तथा डंठल के आधार भाग पर रंजकता के संबंध में व्यापक भिन्नता विद्यमान थी। नलीदार से छोटे

फूल तथा बड़े फूल तक फूल की आकृति में भिन्नता देखने को मिली। पुष्पक्रम की लंबाई के आधार पर, इन्हें छोटे, मध्यम तथा बड़े में वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्तिकाग्र लोब्सकी संख्या में विभिन्नता के साथ जीनप्ररूपों के बीच पिन टाइप और थ्रुम टाइप दोनों ही दर्ज किए गए। कुछ किस्मों में अगेती पुष्पन हुआ जबकि कुछ में पछेती पुष्पन देखने को मिला। सभी जीनप्ररूपों में त्रि-कोष्ठक अण्डाशय था जबकि अर्का निरन्तर जीनप्ररूप में टेट्राफिड वर्तिकाग्र के साथ त्रि-कोष्ठक तथा चतुर्कोष्ठक अण्डाशय की विशेषता पाई गई। जीनप्ररूपों के बीच पुष्प की लंबाई, पुष्प का व्यास, फूल खिलने, परिदल की पंक्तियों की संख्या, रेकिस की लंबाई, पुष्प नली की लंबाई, हरित दल का आकार और बीज स्थापन क्षमता के संबंध में व्यापक भिन्नता देखने को मिली। रजनीगंधा के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए टास्क बल की दूसरी बैठक दिनांक 7-8 अक्टूबर, 2014 को आईआईएचआर, बंगलुरु में आयोजित की गई। डॉ. एम. कानन, टास्क बल के अध्यक्ष तथा डॉ. जवाहरलाल, प्रोफेसर, बागवानी, तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर ने इस बैठक में भाग लिया। इस बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में डॉ. सी. कामेश्वर राव, पूर्व प्रोफेसर, बंगलुरु विश्वविद्यालय उपस्थित थे। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा रजिस्ट्रार भी इस बैठक में उपस्थित हुए। रजनीगंधा के लिए मसौदा डीयूएस दिशानिर्देशों को अंतिम रूप प्रदान करके उसे पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दिया गया है।

जैस्मीन

जैस्मीन के लिए आईआईएचआर, बंगलुरु में नोडल केन्द्र की प्रगति इस प्रकार है :

प्रजाति का नाम	संदर्भ किस्मों की संख्या	स्रोत
जैस्मिनम सम्बक	23	भाकृअनुप, राज्य कृषि विश्वविद्यालय एवं स्थानीय संकलन
जैस्मिनम ऑरीकुलेटम	6	राज्य कृषि विश्वविद्यालय एवं स्थानीय संकलन
जैस्मिनम मल्टीफलोरम	3	भाकृअनुप एवं स्थानीय संकलन
जैस्मिनम ग्रेंडी फलोरम	2	भाकृअनुप एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालय

कार्यदल की दूसरी बैठक दिनांक 7 अक्टूबर, 2014 को आईआईएचआर, बंगलुरु में आयोजित की गई और जैस्मीन उप-प्रजाति के लिए मसौदा डीयूएस परीक्षण

दिशानिर्देश तैयार करके उन्हें प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया। तदनुसार, दिशानिर्देश तैयार किए गए और उन्हें जैस्मिनम सम्बक, (जैस्मिनम ऑरीकुलेटम) तथा (जैस्मिनम मल्टीफोरियम) के लिए कार्यदल द्वारा अनुमोदित किया गया। इन दिशानिर्देशों को दिसम्बर, 2014 में भारतीय पौधा किरम जरनल में प्रकाशित कराया गया।

कोसैन्ड्रा

डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार कुल 24 लक्षणों अथवा गुणों के लिए आठ जीनप्रस्तुतों का लक्षणवर्णन किया गया। कुल पचास प्राप्तियों का संकलन करके उन्हें विविधता का पता लगाने के लिए रोपा गया। प्रजनन रख—रखाव / लक्षणवर्णन की प्रगति को नीचे दर्शाया गया है।

प्रजाति का नाम	संदर्भ किस्मों की संख्या	स्रोत
कोसैन्ड्रा अन्डुलीफोलिया सैलिस्ब	8	स्वयं जारी (4) एवं अन्य (4)

पान

पान (पाइपर बीटल एल.) के लिए डीयूएस दिशानिर्देश तैयार करने के कार्य में भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (आईआईएचआर), बंगलुरु तथा विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय (बीसीकेवी) द्वारा कमशः नोडल एवं सह—नोडल केन्द्र के रूप में सेवा की जा रही है। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान पान में प्रजनन रख—रखाव / लक्षणवर्णन की प्रगति की स्थिति नीचे प्रस्तुत है :

प्रजाति का नाम	संदर्भ किस्मों की संख्या	स्रोत (स्वयं/ भाकृअनुप/राज्य कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जारी)
बीटल वाइन (पाइपरबीटल एल.)	रख—रखाव : 110	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना केन्द्र एवं निजी संकलन (3 जारी, 37 एफवी/ बीसीके / जननद्रव्य)

विभिन्न अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना केन्द्रों तथा सेकेण्डरी स्रोतों व अन्वेशणों के माध्यम से पान के एक सौ दस जननद्रव्य संकलित किए गए और सीएचईएस, हिरेहल्ली में सुपारी सहयोग के तहत इनका रख—रखाव किया गया। वर्तमान संकलन में पांच नई किस्मों को शामिल किया गया। मसौदा डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के लक्षणवर्णन के संदर्भ में सभी 40 जननद्रव्य वंशक्रमों का

लक्षणवर्णन किया गया। नोडल तथा सह—नोडल केन्द्रों दोनों पर कल्पित गुणों पर दर्ज किए गए आंकड़ों की गहन जांच की गई और मसौदा डीयूएस दिशानिर्देशों को अंतिम रूप प्रदान किया गया। मसौदा डीयूएस दिशानिर्देशों को प्राधिकरण में जमा कराया गया। सभी गुणों के लिए उदाहरण अथवा तुलनात्मक किस्मों की पहचान की गई (नोडल एवं सह—नोडल केन्द्र)। सभी गुणात्मक डीयूएस गुणों का डिजिटाइजेशन किया गया।

सब्जियाँ

4.1.9 भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (आईआईएचआर), बंगलुरु

चौलाई, पालक तथा तोरी

प्राधिकरण द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष में चौलाई, पालक तथा तोरी के लिए डीयूएस दिशानिर्देश तैयार करने की परियोजना को भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु को आवंटित किया गया। प्रजनन रख—रखाव / लक्षणवर्णन की प्रगति की स्थिति नीचे प्रस्तुत है :

तालिका 58 : प्रजनन रख—रखाव / लक्षणवर्णन की स्थिति

प्रजाति का नाम	संदर्भ किस्मों की संख्या	स्रोत
शाकीय चौलाई (ऐमेरेन्थस ट्राइक्लर एल.)	19	निजी (आईआई एचआर)
		भाकृअनुप
		राज्य कृषि विश्वविद्यालय
		स्थानीय किस्में
पालक (बीटा वल्नेरिस किस्म बैंगालेस्सिस एल.)	5	निजी (आईआई एचआर)
		भाकृअनुप
		राज्य कृषि विश्वविद्यालय

प्रजाति का नाम	संदर्भ किस्मों की संख्या	स्रोत	
तोरी (लुफ्फा एक्युटेंगुला एल.)	9	निजी (आईआई एचआर)	अर्का सुजात, अर्का सुमित
		भाकृअनुप	पूसा नसदर, पूसा नूतन
		राज्य कृषि विश्वविद्यालय	दीप्ति, जयपुर लॉग, फुले सुचेता, गर्ग 1 एवं सीओ 1

लौकी तथा करेला

प्राधिकरण द्वारा 'लौकी (लेजीनेरिया सिन्सेरेरिया) तथा करेला (मोमोर्डिका चरांशिया) के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश विकसित करना' शीर्षक से एक अन्य परियोजना का उत्तरदायित्व भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु को सौंपा गया। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, संस्थान द्वारा लौकी तथा करेला की कुल 35 संदर्भ किस्मों का रख-रखाव एवं लक्षणवर्णन किया गया जिसका विवरण नीचे प्रस्तुत है :

तालिका 59 : किसीय रख-रखाव एवं लक्षणवर्णन की स्थिति

फसल	किस्मों की संख्या	संदर्भ किस्म
लौकी	18	पूसा समुद्धि, पूसा संतुष्टि, पूसा नवीन, पूसा संदेश, काशी गंगा, केबीजीआर 12, एबीजी 1, अर्का बहार, आईआईएचआर 19-1, नरेन्द्र रश्मि, नरेन्द्र ज्योति, नरेन्द्र धरिन्द्र, एनडीबीजी 619, एनडीबीजी 132, कल्याणपुर लॉग, पंत लौकी 3, पंजाब कोमल तथा पंजाब लॉग
करेला	17	पूसा विशेष, पूसा दो-मौसमी, सेल 5, एमसी 84, सेल 1, अर्का हरित, हिरकानी, फुले ग्रीन गोल्ड, फुले उज्ज्वला, मेघना 2, कोहिनूर (एफ 1), प्रीति, एनडीबीटी 9, कल्याणपुर बारहमासी, एनडीबीटी 7, एचएबीजी 1, सीओ 1

जहां तक डीयूएस परीक्षण की प्रगति का संबंध है, केन्द्र द्वारा वीसीके की 25 प्रविष्टियों और किसानों द्वारा तैयार अथवा विकसित की गई 3 प्रविष्टियों के लिए डीयूएस परीक्षण किया गया।

मिर्च, शिमला मिर्च तथा पपरिका

भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु को सौंपी गई यह एक नई परियोजना है जिसके तहत संस्थान को

मिर्च, शिमला मिर्च और पपरिका के लिए डीयूएस दिशानिर्देश तैयार करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। उपरोक्त सब्जियों के संबंध में प्रजनन रख-रखाव / लक्षणवर्णन की प्रगति की स्थिति नीचे प्रस्तुत है :

प्रजाति का नाम	किस्मों की संख्या	स्रोत
कैप्सिकम ऐनुअम एल.	95	निजी, भाकृअनुप., राज्य कृषि विश्वविद्यालय

डॉ. एम. महादेवप्पा, पूर्व अध्यक्ष, कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली की अध्यक्षता में दिनांक 10 जनवरी, 2015 को आयोजित टास्क बल की बैठक में मिर्च, शिमला मिर्च तथा पपरिका के लिए मसौदा डीयूएस दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया। मिर्च के लिए डीयूएस दिशानिर्देशों को फरवरी, 2015 में प्लांट वैरायटी जनरल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया जा चुका है। आईआईएचआर, बंगलुरु में चल रही डीयूएस परियोजना की समीक्षा करने के लिए पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. आर.आर. हंचिनाल ने वहां का दौरा किया। बाद में डॉ. महादेवप्पा, पूर्व कुलपति, यूएएस, धारवाड़ ने भी इस परियोजना स्थल का दौरा किया।

4.1.10 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), सब्जी विज्ञान संभाग, नई दिल्ली

"चौलाई, पालक तथा तोरी के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के निरूपण एवं प्रमाणन" शीर्षक से एक परियोजना को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सब्जी विज्ञान संभाग, नई दिल्ली तथा आईआईएचआर, बंगलुरु को कमशः सह-नोड़ल एवं नोड़ल केन्द्र के रूप में सौंपा गया। प्रत्येक फसल के लिए डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास की स्थिति इस प्रकार है :

चौलाई

पिछले खरीफ मौसम में चौलाई की इक्कीस किस्मों के परीक्षण का विश्लेषण किया गया था। डिस्किप्टर के आधार पर मात्रात्मक लक्षणों का मूल्यांकन किया गया। चौलाई की इक्कीस किस्मों में से रेनुश्री किस्म में पत्ती की लंबाई अधिकतम (13.92 सेमी.) और आईसी 551606 में न्यूनतम (7.09 सेमी.) प्रदर्शित हुई। पत्ती की चौड़ाई के मामले में किस्म सीओ 1 में अधिकतम (11.06 सेमी.) तथा आईसी 551607 में न्यूनतम (4.73 सेमी.) पत्ती चौड़ाई पाई गई। इसी प्रकार सीओ 1 में अधिकतम पौधा ऊंचाई (154.21 सेमी.) और सीओ 5 में न्यूनतम पौधा ऊंचाई (45.87 सेमी.) दर्ज की गई। पुष्पन में लगने वाले समय के संबंध में जहां आईसी

551608 में न्यूनतम समय लगा वहीं पूसा लाल चौलाई में अधिकतम समय लगा।

पालक

डीयूएस परियोजना के अंतर्गत मूल्यांकन के लिए खेत में छः किस्मों की बुवाई की गई। डिस्क्रिप्टर्स के आधार पर मात्रात्मक लक्षणों का मूल्यांकन किया गया। पालक की छः किस्मों में से पूसा हरित किस्म में अधिकतम पत्ती लंबाई (32.60 सेमी.) और अर्का अनुपम में न्यूनतम (28.97 सेमी.) दर्ज की गई। पत्ती के ब्लेड के संबंध में अधिकतम लंबाई पूसा हरित (18.52 सेमी.) में और न्यूनतम लंबाई अर्का अनुपम (15.79 सेमी.) में पाई गई। पूसा हरित के पत्ती ब्लेड में अधिकतम पत्ती चौड़ाई (10.30 सेमी.) और पूसा भारती में न्यूनतम पत्ती चौड़ाई (9.12 सेमी.) दर्ज की गई। बोल्टिंग में लगने वाले समय के मामले में जहां अर्का अनुपम में न्यूनतम समय लगा वहीं पूसा हरित में अधिकतम समय लगा।

तोरी

पिछले मौसम के दौरान किए गए परीक्षण में तोरी की आठ किस्मों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। डिस्क्रिप्टर्स के आधार पर मात्रात्मक लक्षणों का मूल्यांकन किया गया। तोरी की कुल 8 किस्मों में से पूसा नूतन में जहां अधिकतम पत्ती लंबाई (14.36 सेमी.) थी वहीं सीओ 1 में न्यूनतम पत्ती लंबाई (11.02 सेमी.) पाई गई। पत्ती की चौड़ाई के संबंध में पूसा नूतन में अधिकतम (19.00 सेमी.) और पूसा नसदर में न्यूनतम (15.01 सेमी.) देखने को मिली। पूसा नूतन किस्म में अण्डाशय की अधिकतम लंबाई (6.60 सेमी.) और फुले सुचेता में न्यूनतम (4.78 सेमी.) देखी गई। पूसा नूतन किस्म में जहां न्यूनतम फल लंबाई (24.62 सेमी.) पाई गई वहीं अर्का सुजात में अधिकतम फल लंबाई (28.43 सेमी.) दर्ज की गई। पूर्ण विवरण नीचे तालिका में प्रस्तुत है।

तालिका 60 : तोरी के मात्रात्मक गुण

क्र. सं.	किस्म / प्रजाति	डंडल की लंबाई (सेमी.)	फल : लंबाई (सेमी.)	फल : व्यास / परिधि (सेमी.)	बीजों की संख्या (बीज निष्कर्षण के समय बीजों की संख्या)	बीज : लंबाई	बीज : चौड़ाई	100 बीजों का भार (ग्राम)
1.	अर्का सुजात	12.59	28.43	11.33	68.32	1.28	0.75	13.36
2.	अर्का सुमित				कोई फल स्थापना नहीं			
3.	सीओ 1				कोई फल स्थापना नहीं			
4.	गर्ग 1	6.39	25.41	14.92	57.76	1.32	0.76	14.46
5.	जयपुर लॉग	6.25	25.97	12.19	67.54	1.34	0.82	17.82
6.	फुले सुचेता	7.72	26.61	11.78	60.32	1.31	0.83	16.29
7.	पूसा नसदर	7.74	25.99	16.09	60.48	1.22	0.71	12.36
8.	पूसा नूतन	5.61	24.62	12.42	68.72	1.25	0.74	12.39

4.1.11 भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान (आईआईवीआर), वाराणसी, (उ.प्र.)

परवल के लिए डीयूएस दिशानिर्देश तैयार करने के प्रयोजन से आईआईवीआर, वाराणसी को एक नई परियोजना का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इस परियोजना के लिए आईआईवीआर, वाराणसी तथा बीसीकेवी, कल्याणी क्रमशः नोडल एवं सह—नोडल केन्द्र बनाए गए हैं। विभिन्न केन्द्रों से संकलित परवल की तीस किस्मों/जीनप्ररूपों का यहां रख—रखाव किया गया। कुल 26 आकृतिविज्ञान लक्षणों पर आंकड़े दर्ज किए गए। इन किस्मों को विभिन्न केन्द्रों यथा आईआईवीआर, वाराणसी (9); बीसीकेवी, कल्याणी (16), एनडीयूए एंड टी, फैजाबाद (4); तथा एचएआरपी, रांची (1) से संकलित किया गया था।

क्र. सं.	किस्म	क्र. सं.	किस्म	क्र. सं.	किस्म
1	नरेन्द्र परवल —260	11	बीआरपीजी —12	21	बीसीपीजी —16
2	नरेन्द्र परवल —504	12	बीआरपीजी —25	22	बीसीपीजी —17
3	नरेन्द्र परवल —520	13	बीआरपीजी —26	23	बीसीपीजी —19
4	नरेन्द्र परवल —307	14	बीआरपीजी —38	24	बीसीपीजी —21
5	स्वर्ण अलंकार	15	बीसीपीजी 1	25	बीसीपीजी —24
6	काशी अलंकार	16	बीसीपीजी —3	26	बीसीपीजी —25
7	काशी सुफल	17	बीसीपीजी —4	27	बीसीपीजी —26
8	आईआईवीआर —पीजी —1	18	बीसीपीजी —5	28	बीसीपीजी —27

क्र. सं.	किस्म	क्र. सं.	किस्म	क्र. सं.	किस्म
9	आईआईवीआर —पीजी —2	19	बीसीपीजी —6	29	बीसीपीजी —29
10	आईआईवीआर —पीजी —3	20	बीसीपीजी —14	30	बीसीपीजी —31

आंकड़ों को दोबारा दर्ज करने और गुणनीकरण के प्रयोजन हेतु फसलों का रख—रखाव किया जाएगा। दिशानिर्देशों में शामिल करने के लिए लक्षणों की पहचान कर ली गई है। मसौदा दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और अगले वर्ष तक इनके विकसित हो जाने की संभावना है।

अल्प दोहिता फसलें

4.1.12 राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीपीजीआर), नई दिल्ली

चौलाई, मेथी और फेबा बीन

राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली को "दाना चौलाई, मेथी और फेबा बीन पर विशिष्टता, एकरूपता और स्थायित्व (डीयूएस) परीक्षण का आयोजन करने के लिए दिशानिर्देशों को तैयार करने की परियोजना का उत्तरदायित्व सौंपा गया। डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास हेतु प्रजनन रख—रखाव/लक्षणवर्णन की स्थिति नीचे प्रस्तुत है :



तालिका 61 : संदर्भ किस्मों का विवरण

फसल	संदर्भ किस्में
चौलाई	आईसी 038129, आईसी 038256, आईसी 047439, आईसी 038373, आईसी 038192, आईसी 042371, आईसी 095564, आईसी 038378, आईसीएमएचपीए जीए—2, जीए—3, पीआरए—1, पीआरए—2, पीआरए—3, अन्नपूर्णा दुर्गाए वीएल—101, वीएल—102, जीए—1, बीजीए—2, सुवर्णा जीए—2

फसल	संदर्भ किस्में
मेथी	आईसी 202226, आईसी 204085, सांगला बी—1, आईसी 014889, आईसी 108514, आईसी 412722, आईसी 026594, ईसी 323730, ईसी 288737, हिमप्रिया, शिमला बी 3, शिमला बी—1, शिमला बी—1, सांगला बी—214, सांगला बी—301, पीआरबी—1, वीएल—7
फेबा बीन	विकान्त, पीआरटी—12, आरएफबी—3, पटना—1, पटना दृ 2, पटना दृ 3, पटना दृ 4, पटना दृ 5, पटना दृ 6, पटना दृ 7, आईसी—593728, आईसी—593720, आईसी—593717, आईसी—593716, आईसी—593715, आईसी—593708, आईसी—593709, आईसी—593700, आईसी—593689, आईसी—593682, आईसी—593677, आईसी—593670, आईसी—593666, आईसी—593667

तालिका 62 : लक्षणवर्णन के तहत किस्मों की प्रगति

फसल	नवीन		वीसीके
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	
चौलाई	21	22	अन्नपूर्णा, दुर्गा
मेथी	14	16	हिमप्रिया, वीएल 7, पीआरबी 1, शिमला बी 1
फेबा बीन	24	24	विकान्त, पीआरटी 12




चौलाई, मेथी तथा फेबा बीन की कमशः 22, 16 एवं 24 प्राप्तियों अथवा किस्मों को यादृच्छिक ब्लॉक डिजाइन में बोया गया। चौलाई, मेथी तथा फेबा बीन के दानों के लिए दो स्थानों पर दो वर्ष तक कृषि आकृतिविज्ञान और गुणवत्ता विशेषताओं (मात्रात्मक एवं गुणात्मक लक्षण) के संबंध में सभी तरह के आंकड़ों को दर्ज किया गया। प्रत्येक गुण के लिए संदर्भ किस्म की पहचान की गई। एकरूपता तथा स्थिरता जैसी विशेषताओं के लिए किस्मों का वर्गीकरण डीयूएस परीक्षण के लिए किया जाना है।

जड़ वाली फसलें

4.1.13 केन्द्रीय कंदाकार फसल अनुसंधान संस्थान (सीटी सीआरआई) का क्षेत्रीय केन्द्र, भुवनेश्वर, उडीसा

शकरकंदी तथा कसावा

शकरकंदी तथा कसावा दो कंदाकार अथवा जड़ वाली फसलें हैं जिन्हें डीयूएस दिशानिर्देशों को विकसित करने के लिए चिह्नित किया गया है। केन्द्र को सीटीसीआरआई तथा क्षेत्रीय केन्द्र पर डीयूएस सुविधा के विकास और शकरकंदी तथा कसावा के किसी जीन बैंक की स्थापना एवं रख—रखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास की प्रगति और प्रजनन रख—रखाव/लक्षणवर्णन की प्रगति की स्थिति इस प्रकार है :



प्रजाति का नाम	संदर्भ किस्मों की संख्या	स्रोत
शकरकंदी	शकरकंदी की जारी 38 किस्में	भाकृअनुप./राज्य कृषि विश्वविद्यालय
कसावा	कसावा की जारी 12 किस्में	भाकृअनुप./राज्य कृषि विश्वविद्यालय

डीयूएस परीक्षण हेतु मसौदा दिशानिर्देश का कार्य प्रगति पर है जिसे अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है।

जिमिकंद (एमॉर्फोफैलस पीओनाईफोलियस) तथा तारो (कोलोकैजिया इस्कुलेन्टा)

जिमिकंद तथा तारो के लिए डीयूएस दिशानिर्देश तैयार करने हेतु परियोजना का उत्तरदायित्व सीटीसीआरआई को सौंपा गया। डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास और प्रजनन रख—रखाव/लक्षणवर्णन की प्रगति नीचे प्रस्तुत है।

प्रजाति का नाम	किस्मों की संख्या	स्रोत
तारो	21 जारी किस्में तथा जारी—पूर्व प्रजनन वंशकम	भाकृअनुप./राज्य कृषि विश्वविद्यालय
जिमिकंद	18 जारी किस्में तथा जारी—पूर्व प्रजनन वंशकम	भाकृअनुप./राज्य कृषि विश्वविद्यालय

जिमिकंद

क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा तारो की 21 किस्मों और जिमिकंद की 18 किस्मों के साथ किसी जीन बैंक स्थापित किया गया। केन्द्र द्वारा प्राइमरी, सेकेण्डरी तथा तृतीयक, अनिवार्य के साथ—साथ वैकल्पिक विशेषताओं पर क्षेत्रीय केन्द्र के साथ—साथ बीसीकेवी, कल्याणी में विभिन्न विशेषताओं/आकलनों पर दर्ज आंकड़ों के आधार पर तारो तथा जिमिकंद के लिए डीयूएस दिशानिर्देश विकसित करके उन्हें प्रस्तुत किया गया। तारो तथा जिमिकंद के किसी जीन बैंक के रख—रखाव के लिए 2700 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए जल भण्डारण तथा ड्रिप सिंचाई सुविधाएं विकसित की गईं।

बीजीय मसाले

4.1.14 राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केन्द्र (एनआरसीएसएस), तबीजी, अजमेर

सौंफ एवं जीरा

राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केन्द्र, अजमेर को “सौंफ तथा जीरा के लिए डीयूएस दिशानिर्देश तैयार करने हेतु डीयूएस डिस्किप्टर्स का प्रमाणन” हेतु अतिरिक्त परियोजना की जिम्मेदारी सौंपी गई। धनिया तथा मेथी के लिए दिशानिर्देश पहले ही तैयार किए जा चुके हैं जिन्हें कि अधिसूचित किया गया है और ये पंजीकरण के पात्र हैं। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान सौंफ तथा जीरा के प्रजनन रख—रखाव और लक्षणवर्णन की प्रगति की स्थिति नीचे दर्शाई गई है।



प्रजाति का नाम	किस्मों की संख्या	स्रोत
कोरिएन्ड्रम सेटाइम	24	स्वयं/भाकृअनुप./राज्य कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जारी
द्राइगोनेला फीनम - ग्रीकम	18	स्वयं/भाकृअनुप./राज्य कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जारी

संगंधीय पौधे

4.1.15 औषधीय एवं संगंधीय पौधा अनुसंधान निदेशालय (डीएमएपीआर), बोरियावी, आनंद, गुजरात

निदेशालय द्वारा प्रजनन रख-रखाव तथा लक्षणवर्णन के अंतर्गत इसबगोल (प्लाण्टेगो ओवेटा फास्क) तथा 11 संदर्भ किस्मों के लिए पहले ही डीयूएस दिशानिर्देश विकसित किए जा चुके हैं। इसबगोल में, तीन नई विशेषताओं यथा पत्ती की प्रकृति, हरित दल की प्रकृति तथा पौधे की ऊँचाई की पहचान की गई। नई विशेषताओं के लिए पहचानी गई उदाहरण अथवा तुलनात्मक किस्में थीं : डीएमएपीआर पीओ 19 (लहरदार अथवा घुंघराली पत्तियाँ), डीएमएपीआर पीओ 12 (दीर्घीकृत हरित दल स्पाइक), डीएमएपीआर पीओ 17 (सीधी पत्तियाँ), डीएमएपीआर पीओ 20 (बौना पौधा प्रकृति) तथा डीएमएपीआर पीओ 21 (ऊँचा अथवा लंबा पौधा प्रकृति)। किसान द्वारा विकसित अथवा तैयार की गई धनिये की एक किस्म का भी रिपोर्टार्डीन वर्ष में डीयूएस परीक्षण किया गया। निदेशालय को कालमेघ (एन्ड्रोग्रैफिस पैनीकुलेटा (बर्म.एफ.) वॉल एक्स. नीज में डीयूएस परीक्षण के लिए दिशानिर्देश विकसित करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।



कालमेघ (एन्ड्रोग्रैफिस पैनीकुलेटा) में लक्षणवर्णन करने के लिए डीयूएस डिस्कप्टर्स को अंतिम रूप दिया गया और उन्हें पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण को भेजा गया। दो वर्षों के लिए डीएमएपीआर तथा अखिल

भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना एमएपी एंड बी, बीसीकेवी, कल्याणी में परीक्षण आयोजित किए गए। 14 आकृतिविज्ञान लक्षणों तथा 21 उदाहरण किस्मों में डीयूएस डिस्कप्टर्स की पहचान की गई। जिन प्रमुख विशेषताओं पर विचार किया गया वह इस प्रकार थीं : पत्ती का रंग (गहरा हरा, हरा समूह, पीलापन लिए हरा पीला हरा; पत्ती लेमिना (लंबी संकीर्ण अथवा छोटी संकीर्ण, लंबी बड़ी अथवा छोटी बड़ी); पत्ती लेमिना : आकृति (रेखीय भालाकार, भालाकार, दीर्घवृताकार, अण्डाकार तथा अण्डाकार दीर्घ वृताकार/अण्डाकार -भालाकार); ठहनी शीर्ष (शीर्ष पर मुलायम पत्तियों का समूह अथवा शीर्ष पर मुलायम पत्तियों का समूह नहीं); पत्ती : लेमिना वकाकार (अन्दर की ओर मुड़ी हुई अथवा बाहर की ओर मुड़ी हुई); पत्ती : लेमिना सतह (झुर्रीदार, चिकनी); प्राइमरी नोड्स पर पत्ती (चौड़ी अथवा सामान्य); पुष्पन पैटर्न (अगेती यथा रोपण के ढ 70 दिन पश्चात् प्रफुल्लन प्रारंभ, मध्यम यथा रोपण के 90-110 दिन पश्चात् प्रफुल्लन प्रारंभ अथवा पछेती यथा रोपण के ढ 110 दिन पश्चात् प्रफुल्लन प्रारंभ); पुष्पकम प्रकृति : पुष्प कलियां दूर-दूर व्यवस्थित हो यथा लंबा पुष्पकम अथवा पुष्प कलियां समीपस्थ व्यवस्थित हो यथा छोटा पुष्पकम; शाखा पैटर्न (खुला अथवा बंद); पौधा : वृद्धि प्रवृत्ति (सीधी, अधोमुख/अवशयन); तना अंतर-नोड्स लंबाई (सामान्य अथवा गठीली); पौधा वितान आकृति (पिरामिडल, पिरामिडल 2, गोलाकार, फूलदान, चौड़ी स्तम्भाकार/अण्डाकार); पौधा : ऊँचाई (छोटी अथवा लंबी); पत्ती एवं रोगाफोलाइड मात्रा (उच्च : >3.5 प्रतिशत, मध्यम : 2.00 से 3.5 प्रतिशत, कम : < 2.0 प्रतिशत)।

वानिकी

4.1.16 हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान (एचएफआरआई), शिमला

चीड़ एवं देवदार

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत दो वन्य प्रजातियों चीड़ (पाइनस रॉक्सबर्गाई) तथा देवदार (सीड्रस देवदार) के पंजीकरण के लिए डीयूएस दिशानिर्देश विकसित किए जाने हैं। टास्क बल की सिफारिशों के अनुसार, चीड़ पाइन तथा देवदार संख्या का अध्ययन करने के लिए दक्षिणी तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों में खेत सर्वेक्षण किए गए। प्रजातियों के वितरण तथा आकृतिविज्ञान गुणों पर आंकड़ों को दर्ज किया गया। चयनित संख्या का आकलन उनके लकड़ी गुणवत्ता पैरामीटरों के लिए भी किया गया। देवदार तथा चीड़ की चयनित संख्या से लकड़ी के नमूनों को संकलित किया गया



और डॉ. वाई.एस. परमार, यूएचएफ, नोनी, सोलन में लकड़ी के गुणों के लिए इनका विश्लेषण किया गया। कॉनिफर्स के लिए मसौदा डीयूएस दिशानिर्देशों को टास्क बल की अगली बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा।

4.1.17 वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान (आईएफजीटीबी), कोयम्बटूर

टिकटोना एवं मेलिया

टीक (टिकटोना ग्रैण्डिस)

प्रधान अन्वेशक तथा उनके दल ने तमिल नाडु में किसानों द्वारा किए गए रोपण स्थल का दौरा किया और वृक्ष आकृतिविज्ञान लक्षणों में भिन्नता को देखा। दल ने किसान द्वारा उगाए/रोपे गए वृक्षों के स्थान का दौरा किया जिनमें शामिल थे : चेंगमपल्ली पेरुमनालुर, सेम्पटी, सैथियामंगलम, एनाईकट्टी, कृष्णाकिरी, पल्लागौण्डनपलायम, कराईकल, तंजौर तथा कर्लूर। इसके साथ ही दल ने चेरूपुङ्गा, नेल्लीकुथा तथा परम्बीकुलम में विद्यमान प्राकृतिक टीक रोपण स्थानों का दौरा भी किया। इसके अलावा, दल ने टॉप स्लिप, तमिल नाडु तथा वलायर, केरल के क्लोनल बीज फलोद्यान का भी दौरा किया। टीक के प्राकृतिक तथा रोपण पर अध्ययन करने पर सभी पत्ती, छाल पुष्प तथा पुष्प गुणों के संबंध में रोपण स्थल के भीतर बहुत कम भिन्नता देखने



को मिली। प्राकृतिक संख्या में कुछ हद तक भिन्नता देखने को मिली। वृक्ष तना रूप, पत्ती, शाखा प्रवृत्ति तथा पुनर्जनन लक्षण भेदमूलक लक्षणों के रूप में पाए गए।

मेलिया (मेलिया डूबिया)

मेलिया डूबिया के मामले में, डीयूएस दिशानिर्देशों के लिए डीयूएस डिस्कॉर्टर्स के प्रमाणन हेतु एक प्रारंभिक अध्ययन किया गया। पत्ती, तना, छाल तथा पुनर्जनन संरचना में आकृतिविज्ञान लक्षणों अथवा गुणों में भिन्नता का अध्ययन किया गया। चयनित आकृतिविज्ञान गुणों की एकरूपता तथा स्थिरता का परिमाणन करने के उद्देश्य से क्लोनल परीक्षणों में भी अध्ययन किए गए। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. आर. आर. हंचिनाल एवं रजिस्ट्रार जनरल डॉ. आर.सी. अग्रवाल ने दिनांक 16 जुलाई, 2014 को केन्द्र का दौरा किया और मेलिया तथा टीक के लिए डीयूएस डिस्कॉर्टर्स के विकास की प्राथमिक जानकारी के लिए एक समीक्षा बैठक ली। श्री टी.पी. रघुनाथ, समूह समन्वयक (अनुसंधान) ने पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. आर.आर. हंचिनाल एवं रजिस्ट्रार जनरल डॉ. आर.सी. अग्रवाल का स्वागत किया। डॉ. एन. कृष्ण कुमार, निदेशक, आईएफजीटीबी ने डीयूएस लक्षणवर्णन के लिए संभावित प्रजातियों के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया। डॉ. वी. शिवकुमार, डॉ. रेखा वारियर तथा डॉ. ए. निकोडिमस ने क्रमशः टीक, मेलिया डूबिया और सफेदा तथा कैजुआरीना के लिए डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के रजिस्ट्रार जनरल डॉ. आर.सी. अग्रवाल ने बताया कि अनेक वन वृक्षों का पंजीकरण करने की जरूरत है और इसीलिए पहले से उपलब्ध क्लोनल किस्मों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ही डीयूएस लक्षण विकसित करने की जरूरत है। पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. आर.आर. हंचिनाल ने इस बात पर बल दिया कि सफेदा तथा कैजुआरीना जैसी पहले से अधिसूचित प्रजातियों में बिना किसी विलम्ब के पंजीकरण प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाना चाहिए।

4.1.18 डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन

विल्लो (सैलिक्स प्रजातियां)

पिछले वर्ष डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन को एक परियोजना नामतः ‘क्लोनल बैंक (नर्सरी) की स्थापना तथा विल्लो (सैलिक्स प्रजातियां) का डीयूएस विशिष्ट लक्षणवर्णन’ का उत्तरदायित्व सौंपा गया। यूएचएफ, नोनी में प्रारंभ किए गए क्लोन के संकलन



से सैलिक्स के पंद्रह ज्ञात क्लोन चुने गए। गुणनीकरण के लिए नर्सरी में इन्हें बढ़ाया गया। फरवरी, 2014 में, तीन स्थानों यथा विश्वविद्यालय परिसर (सोलन), क्षेत्रीय केन्द्र, धौलाकुआं तथा क्षेत्रीय केन्द्र, बजौरा में 15 क्लोन के पुनराकृति परीक्षण किए गए। सैलिक्स के लिए डीयूएस दिशानिर्देशों का कार्य विकास पथ पर है और उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रजनन रख-रखाव/लक्षणवर्णन के कार्य की प्रगति को नीचे दर्शाया गया है :

प्रजाति का नाम	संदर्भ किस्में	स्रोत
सैलिक्स प्रजातियां	पीएन 731, एसई-63-016, पीएन 227, एसआई-64-017, एसआई-63-007, जे 799, कशमीरी (सैलिक्स अल्बा) एनजेड 1140, 131 / 25, जे 194, जे 795, ऑस्ट्री वी 99, सैलिक्स टेट्रास्पर्मा, एस. ऐक्मोफिला, इंडियन ट्री विल्लो	राज्य कृषि विश्वविद्यालय

पोपलर (पोपुलस प्रजातियां)

विश्वविद्यालय को सौंपी गई यह पहले की एक परियोजना है जिसका शीर्षक "क्लोनल बैंक (नर्सरी) की स्थापना एवं पोपलर जननद्रव्य के डीयूएस विशिष्ट लक्षणवर्णन का विकास" है। इस परियोजना का उद्देश्य पोपलर क्लोन के क्लोनल बैंक की स्थापना करना और डीयूएस विशिष्ट डिस्किप्टर्स का विकास करना है।

रिपोर्टधीन अवधि के दौरान, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, वन विभाग तथा निजी संगठनों से पोपलर के पंद्रह ज्ञात क्लोनों का संकलन किया गया। गुणनीकरण के लिए सामग्री को नर्सरी में बढ़ाया गया। फरवरी, 2014 में तीन स्थानों नामतः विश्वविद्यालय परिसर (सोलन), क्षेत्रीय केन्द्र, धौलाकुआं तथा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना में 15 क्लोन का पुनराकृति परीक्षण किया गया। डीयूएस दिशानिर्देशों में शामिल करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण विशेषताओं की पहचान की गई है। तीन स्थानों पर डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास और प्रमाणन का कार्य प्रगति पथ



पर है और अगले वर्ष तक इसे अंतिम रूप प्रदान करने की संभावना है।

शहतूत

"शहतूत (मोरस प्रजाति) के लिए विशिष्टता, एकरूपता तथा स्थिरता (डीयूएस) डिस्किप्टर्स का विकास एवं इसका प्रमाणन" शीर्षक से परियोजना को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय रेशा बोर्ड, टैक्सटाइल मंत्रालय, भारत सरकार, मैसूर को सौंपा गया।

- ❖ डीयूएस डिस्किप्टर्स का विकास करने हेतु शहतूत के लिए डिस्किप्टर्स का विकास एवं प्रमाणन करना;
- ❖ विशिष्टता एवं विशिष्ट आकृतिविज्ञान तथा जैव-रासायनिक/माल्युकूलर मार्करें तथा स्थिरता की पहचान करना;
- ❖ विविधता की सीमा का लक्षणवर्णन करना; तथा
- ❖ इंडस (INDUS) में शामिल करने के लिए शहतूत के डिस्किप्टर्स हेतु डाटाबेस विकसित करना।

4.2 परियोजना आकलन समिति (पीएसी)

परियोजना आकलन समिति (पीएसी) की दूसरी बैठक का आयोजन दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 को नई दिल्ली में डॉ. पी.एन. माथुर, क्षेत्रीय निदेशक, बायोवर्सिटी इंटरनेशनल, नई दिल्ली की अध्यक्षता में किया गया। इस बैठक में डॉ. एन.के. कृष्ण कुमार, उप महानिदेशक (बागवानी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली; डॉ. जे.एस. चौहान, सहायक महानिदेशक (बीज), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली; डॉ. मालविका दादलानी, परामर्शक, बायोवर्सिटी इंटरनेशनल; पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं रजिस्ट्रार जनरल ने



भाग लिया। प्राप्त कुल सोलह परियोजना प्रस्तावों में से परियोजना आकलन समिति द्वारा वित्तीय सहायता के लिए केवल चार परियोजनाओं को ही अनुमोदित किया गया और यह इच्छा व्यक्त की गई कि महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश तथा

कश्मीर की तीन परियोजनाओं को संबंधितों द्वारा संशोधित किया जाए ताकि उन पर विचार किया जा सके। शेष नौ परियोजनाओं को निरस्त कर दिया गया। तीन परियोजनाओं को निम्नानुसार निधि राशि जारी की गई :

क्र.सं.	परियोजना	पीआई एवं केन्द्र का नाम	राशि (लाख रुपये में)
1	सुपारी (अमेरिका कटेचू एल.) के लिए डीयूएस परीक्षण मानदण्डों का विकास एवं राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना	डॉ. के.एस. आर्नन, सीपीसीआरआई, केरल	9.00
2	काजू (एनाकार्डियम ऑक्सीडेण्टल एल.) के लिए आकृतिविज्ञान डिस्किप्टर्स एवं डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का विकास	डॉ. एम. गंगाधर नायक, डीसीआर, पुत्तूर, कर्नाटक	6.00
3	याम बीन (ऐकीराइजस इरोजस) तथा ग्रेटर याम (रतालु) (डॉइओस्कोरा एलेटा) में डीयूएस परीक्षण के मानकों का विकास तथा किस्मीय जीन बैंक की स्थापना	डॉ. अर्चना मुखर्जी, सीटीसीआरआई, भुवनेश्वर	9.00

5. भारतीय पौधा किस्म जरनल, पौधा किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर तथा प्रकाशन

पीपीवी और एफआर नियमावली, 2003 के नियम 2(g) के अनुसार प्राधिकरण हिंदी और अंग्रेजी में एक द्विभाषी प्रकाशन 'भारतीय पौधा किस्म जरनल' अपने अधिकारिक जरनल के रूप में प्रति माह प्रकाशित करता है तथा प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस पर अपनी वैबसाइट पर जन-सामान्य को उपलब्ध कराने के साथ-साथ इसकी हॉर्ड कॉपी भी प्रकाशित करता है। इस जरनल को विनियम, 2006 के अंतर्गत राजपत्र का दर्जा प्राप्त है। जरनल की विषय-वस्तु में सरकारी और सार्वजनिक सूचनाएं, पौधों किस्मों के पासपोर्ट आंकड़े, फसल प्रजातियों के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश, पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के विवरण तथा अन्य संबंधित मामले शामिल हैं।



5.1 पौधा किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 13 के अनुपालन में मुख्यालय में पौधा किस्मों की रजिस्ट्री के लिए पौधा किस्मों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर खोला है। इसमें सभी पंजीकृत पौधा किस्मों के नामों के अलावा संबंधित प्रजनकों के नाम और पतों, किस्म के नाम, विशिष्टताओं, विशेष गुणों आदि का पूर्ण

विवरण दर्ज किया जाता है। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान 842 किस्मों जिनमें 111 नई किस्में, 215 विद्यमान अधिसूचित किस्में, 55 विद्यमान वीसीके और 461 कृषक किस्में शामिल हैं, जिन्हें अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। मुख्यालय में रखे जा रहे पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर की एक प्रति गुवहाटी तथा रांची स्थित शाखा कार्यालयों को भी उपलब्ध कराई गई है।

5.2 प्राधिकरण के प्रकाशन

भारतीय पौधा किस्म जरनल को नियमित रूप से प्रकाशित करने के अलावा प्राधिकरण द्वारा 'पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001', प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा 'कृषकों के अधिकार' नामक प्रकाशन प्रकाशित किए गए जिन्हें बाद में अनेक बैठकों, प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि में जारी किया गया। अन्य ब्रॉशर और पोस्टर, वार्षिक प्रतिवेदन तथा अन्य प्रकाशन भी प्राधिकरण द्वारा अंग्रेजी के साथ हिन्दी में भी निकाले गए। प्राधिकरण की द्विभाषी वेबसाइट भी है। प्राधिकरण द्वारा डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश नियमित रूप से हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशित किए गए। वर्तमान वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने लगभग 20 फसल विशिष्ट डीयूएस दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं और इन्हें अधिसूचना हेतु कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग को भेजा है। ये फसल प्रजातियां सगंधीय पौधों, सब्जियों, अनाजों व फलों की हैं। हिन्दी में प्राप्त पत्रों तथा शासकीय पत्राचारों के उत्तर हिन्दी में दिए गए। प्राधिकरण के अधिकारियों ने श्रोताओं/अवसर की आवश्यकता के अनुसार हिन्दी व अंग्रेजी में व्याख्यान भी दिए।

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, एनबीपीजीआर तथा कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 'खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि' की समझ को बढ़ाने व उसके कार्यान्वयन' पर संयुक्त रूप से खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र के एशिया एवं प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय, बैंकाक, थाईलैंड के तत्वावधान में 17–18 नवम्बर 2014 को दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, चित्रकूट में एक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्राधिकरण ने इस कार्यशाला की दस्ती पुस्तक प्रकाशित की और इसके पश्चात् खाद्य एवं कृषि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किए जाने के लिए कार्यशाला की रिपोर्ट/कार्यवृत्त तैयार किए ताकि उन्हें प्रतिभागियों में वितरित किए जा सकें। इसके अलावा प्राधिकरण ने अपने पण्डारियों की सामान्य सूचना के लिए त्रैमासिक समाचारिका के चार अंक भी प्रकाशित किए।

5.3 पुस्तकालय

प्राधिकरण में स्टाफ/कर्मचारियों के संदर्भ के लिए एक पुस्तकालय है। इसमें 31 मार्च 2015 तक विभिन्न विषयों पर 652 पुस्तकें (हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में) हैं जो सामान्य कृषि, बागवानी, बौद्धिक सम्पदा अधिकारों, पादप प्रजनन, जैव-विविधता संरक्षण, आनुवंशिकी, बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साहित्य, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के नियमों व विनियमों, कानूनी मामलों आदि से संबंधित हैं। यह पुस्तकालय कृषि, विधिक तथा प्रशासनिक जर्नलों के लिए भी अंशदान देता है। पुस्तकालय में सामान्य तथा फसल विशिष्ट डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों, पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कारों के दिशानिर्देशों, आवेदन-पत्रों के प्ररूपों, कृषि जैव-विविधता के हॉट-स्पॉट व कृषकों के अधिकारों पर जागरूकता सृजन से संबंधित 69 प्रकाशन भी मौजूद हैं। प्राधिकरण के अधिकतर प्रकाशन हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हैं।

6. डेटाबेस, इंडस, नॉर्व, वेबसाइट तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का विकास

6.1 डेटाबेस

डेटाबेस सॉफ्टवेयर, डीयूएस दिशानिर्देशों (इंडस) के अनुसार भारतीय सूचना प्रणाली तथा भारत की अधिसूचित व जारी किस्मों (नॉर्व) नामक सॉफ्टवेयरों का विकास किया गया तथा प्राधिकरण अधिकांश समान संदर्भ किस्मों के चयन, नामों के सत्यापन तथा अधिसूचना संबंधी विवरण के लिए इन डेटाबेसों का रखरखाव कर रहा है। नॉर्व में केन्द्रीय किस्म निर्मुक्त समिति (सीवीआरसी), कृषि अनुसंधान संस्थानों व राज्य कृषि/बागवानी विभाग का विवरण मौजूद है तथा इसका उपयोग मुख्यतः विद्यमान अधिसूचित श्रेणी के अंतर्गत दावा की गई किस्मों के विवरण के सत्यापन के लिए किया जाता है।

6.2 वेबसाइट


प्राधिकरण की वेबसाइट www.plantauthority.gov. पद हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। इस वेबसाइट में



पौधा किस्म रजिस्ट्री से संबंधित सूचना है जिसमें पंजीकरण प्रक्रिया, पंजीकरण हेतु पात्र फसल प्रजातियों की सूची, फसल डीयूएस दिशानिर्देश, डीयूएस दिशानिर्देशों का मस्तौदा, डीयूएस केन्द्रों की सूची, शुल्क, फार्म, बीज/रोपण सामग्री संबंधी अपेक्षाएं, आवेदनों की स्थिति, राजपत्र अधिसूचना, पौधा किस्म जरनल संबंधी सूचना भी शामिल है। इस होम पेज के अतिरिक्त वेबसाइट में प्राधिकरण के सदस्यों, पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 का विहंगम दृश्य, प्रकाशन, महत्वपूर्ण निर्णय, प्राधिकरण के समाचार, वीडियो फिल्में, फोटोपीडिया, रिक्त पद, घोषणाएं, निविदाएं व अन्य सूचना भी मौजूद है जिसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। उपयोगकर्ताओं के लिए वांछित विभिन्न आवेदन पत्र भी इस वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं।

6.3 पौधा किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर डिजिटल स्वरूप में

जैसा की पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के अध्याय 5 के पैरा 5.1 में उल्लिखित है, पंजीकृत किस्मों का डेटाबेस पीपीवी और एफआर प्राधिकरण में एक रजिस्टर में रखा जाता है जिसे पौधा किस्मों का राष्ट्रीय रजिस्टर कहा गया है। यही डेटाबेस डिजिटल स्वरूप में ई-राष्ट्रीय रजिस्टर में भी रखा जाता है। इस सफ्टवेयर के माध्यम से कोई भी व्यक्ति पंजीकरण संख्या, फसल का नाम खोज सकता है तथा रिपोर्ट तैयार कर सकता है। इसमें अनेक



महत्वपूर्ण प्रविष्टियां हैं जैसे पंजीकरण संख्या, प्रजनक की राष्ट्रीयता, पंजीकरण प्रमाण—पत्र प्रदान करने की तिथि, स्वीकृत किए गए नाम, राजपत्र अधिसूचना की तिथि, किस्म को विशिष्ट बनाने के अनिवार्य गुण आदि शामिल हैं। इस सॉफ्टवेयर में डेटा बैकअप को किसी भी बाहरी भंडारण युक्ति से प्राप्त किया जा सकता है।

6.4 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण में सभी पंजीकृत किस्मों का डेटाबेस एक रजिस्टर में रखा जाता है जो राष्ट्रीय पौधा किस्म रजिस्टर कहलाता है। यह डेटाबेस रजिस्टर में हार्ड कॉपी में होने के साथ ई—राष्ट्रीय रजिस्टर के रूप में डिजिटल स्वरूप में भी है। इसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। प्राधिकरण भारत सरकार निविदा

सूचना प्रणाली पर निविदाओं की प्रतियां (<http://etenders.gov.in>) पर उपलब्ध कराती है। सामान्य पूल रिहायशी आवास की अद्यतन स्थिति भी उपलब्ध कराई जाती है (<http://egpra.nic.in>), आरटीआई की तिमाही रिपोर्ट (<http://ecic.gov.in>), नई पेंशन प्रणाली योगदानों की लेखा प्रणाली (<https://enpscra.com>) भारत सरकार निगरानी प्रणाली में पदों और सेवाओं में आरक्षित श्रेणियों के अभ्यावेदनों (<http://www.rrcps.nic.in>) को भी अद्यतन किया जाता है। प्राधिकरण में पंजीकृत किस्मों का ई—राष्ट्रीय रजिस्टर भी मौजूद है। प्राधिकरण इस संबंध में राष्ट्रीय ई—शासन की संकल्पना को पूरा करने का प्रयास कर रहा है तथा इस दिशा में पहल भी आरंभ की जा चुकी है।

7. प्रशासनिक मामले

7.1 विधायी कोष्ठ

प्राधिकरण के विधायी कोष्ठ ने प्राधिकरण के विरुद्ध दायर किए गए मुकदमों की सफल पैरवी की है। रजिस्ट्री तथा प्राधिकरण के सम्मुख अर्ध न्यायिक कार्यवाहियों के मामले में कानूनी राय दी गई तथा दैनिक आदेश शीर्टें संबंधित पक्षों को शीघ्रता से डिस्पैच किया गया। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान रजिस्ट्रार द्वारा पारित किए गए किसी भी आदेश को निरस्त नहीं किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 9 जनवरी 2015 के आदेश द्वारा डब्ल्यूपी (सी) संख्या 4330 / 2012, 4365 / 2012, 4366 / 2012, 6199 / 2012 और 7853 / 2012 का निपटारा एलडी. रजिस्ट्रार के दिनांक 24.05.2012 के आदेश को बनाए रखते हुए किया गया तथा माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 13.2.2.15 के आदेश द्वारा डब्ल्यूपी. सं. 26824 / 2009, 26825 / 2009, 26826 / 2009 और 26855 / 2009 का निपटारा निर्देशों के साथ किया गया।

रिपोर्टधीन अवधि के दौरान प्राधिकरण के विरुद्ध 36 मामले लम्बित थे जिसमें से 9का निपटारा किया गया और 1 अप्रैल 2015 को प्राधिकरण के विरुद्ध 27 मुकदमे लम्बित हैं। निर्णय के लिए लम्बित मुकदमों की संख्या का फोरम के साथ विवरण निम्नानुसार है :

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण	उच्च न्यायालय	सर्वोच्च न्यायालय
8	17	2

निम्नलिखित राजपत्रित सूचनाएं प्रकाशित हुईं :

- ❖ किस्मों के पंजीकरण के उद्देश्य से अनार, ऑर्किड, सफेदा, कैसुरिना, करेला, लौकी, खीरा, कद्दू जौ, धनिया, मेथी, बादाम, सेब, नाशपाती, खुबानी, चेरी, अखरोट, अंगूर, भारतीय बेर फसल प्रजातियों पर राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. 1093 (ई) दिनांक 15 अप्रैल 2014।

- ❖ किस्मों के पंजीकरण के उद्देश्य से चाय (3 प्रजातियों), खट्टा या एसिड लाइम, मेंडारिन, संतरा, बोगनवीलिया, केला, ऑर्किड पर राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. 2664 (ई) दिनांक 16 अक्टूबर 2014
- ❖ किस्मों के पंजीकरण के उद्देश्य से केली, ग्लेडियोलस, खरबूजा और तरबूज फसल प्रजातियों पर राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. 205 (ई) दिनांक 21 जनवरी 2015

7.2 संसदीय तथा अन्य संबंधित मामले

रिपोर्टधीन अवधि के दौरान प्राधिकरण को कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से 2 लोक सभा प्रश्न प्राप्त हुए जिनके मसौदा उत्तर/सूचना मसौदा उत्तर तैयार करने के लिए भेजे गए। इसके अतिरिक्त पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सहित विभिन्न विभागों से प्राप्त अनेक मंत्रिमण्डलीय टिप्पणियों पर अभ्युक्तियां उपलब्ध कराई गईं।

7.3 सूचना का अधिकार (आरटीआई)

आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने संबंधित व्यक्तियों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को नामित किया है। नामित अधिकारियों का विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट पर आरटीआई शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है। मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) को प्रस्तुत किए जाने के लिए आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 25 (2) के अंतर्गत उपलब्ध प्रावधान का अनुपालन किया जा रहा है। इस अवधि के दौरान प्राधिकरण को या तो सीधे या अन्य विभागों से हस्तांतरित होकर आए कुल 21 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना मांगी गई थी। प्राप्त सूचना को निर्धारित समय—सीमा में उपलब्ध कराया गया। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी या सीआईसी के पास कोई भी आवेदन लम्बित नहीं है।

8. प्रशिक्षण-व-जागरूकता कार्यक्रम

पीपीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 कृषि में बौद्धिक है जिसके अंतर्गत कृषकों, प्रजनकों, वैज्ञानिकों तथा अन्य संबंधित स्टेकहोल्डर के बीच जागरूकता सृजित करने की आवश्यकता है। प्राधिकरण कृषकों, अनुसंधानकर्ताओं, पादप प्रजनकों, वैज्ञानिकों, छात्रों, स्वयं सेवी संगठनों तथा सार्वजनिक व निजी संगठनों के बीच घनिष्ठ सहयोग में विश्वास रखता है। पिछले 10 वर्षों के दौरान प्राधिकरण ने प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रमों, किसान मेलों, किसान उत्सवों, कृषि मेलों, कृषि पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, राष्ट्रीय सेमिनारों तथा कृषि कार्यशालाओं के लिए धनराशि जारी की है। जैसा कि पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 में वांछित है, किसानों के बीच उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए प्राधिकरण में एक कृषक कोष का गठन किया गया है। जो अधिनियम में उल्लिखित कृषकों के अधिकारों के प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी रखता है। यह कोष विभिन्न संगठनों/स्टेकहोल्डरों द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भी उत्तरदायी है।

रिपोर्टर्धीन अवधि के दौरान प्राधिकरण में अपने क्रियाकलापों तथा पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के बारे में देशभर में लगभग 361 जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएं, सेमिनार और प्रदर्शनियां आयोजित कीं ताकि किसानों और अन्य स्टेकहोल्डरों को पौधों की नई किस्मों के विकास के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों को संरक्षित करने, सुधारने व उपलब्ध कराने में उनके द्वारा दिए गए योगदानों के प्रति सचेत किया जा सके। ऐसा कृषि विज्ञान केन्द्रों/भा.कृ.अ.प. के संस्थानों/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/सरकारी विभागों तथा स्वयं सेवी संगठनों के घनिष्ठ सहयोग से किया गया।

सारणी 63 : कार्यक्रमों का विवरण

क्र.सं.	स्टेकहोल्डर / संगठन	संख्या
1.	कृषि विज्ञान केन्द्र	299
2.	राज्य कृषि विश्वविद्यालय	17
3.	भा.कृ.अ.प. संस्थान	12
4.	आंचलिक परियोजना निदेशक	11
5.	स्वयं सेवी संगठन	2
6.	सिम्पोजियम	1
7.	प्रदर्शनियों में भागीदारी	6
8.	सेमिनारों में भागीदारी	6
9.	कार्यशालाओं में भागीदारी	5
10.	अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भागीदारी	2
	कुल	361

8.1 प्रदर्शनियों में भागीदारी

प्राधिकरण ने अनेक प्रदर्शनियों में भाग लिया तथा पोस्टरों, चार्टों, साहित्य, ब्रॉशर तथा पम्फलेट के माध्यम से अपने विभिन्न क्रियाकलाप प्रदर्शित करने के लिए स्टॉल लगाए जिनमें डीयूएस दिशानिर्देश के अलावा अन्य प्रकाशित साहित्य भी रखा गया। पीपीवी और एफआर अधिनियम के प्रावधानों पर एक लघु वृत्त चित्र के अलावा प्रदर्शनियों के दौरान प्रतिभागियों को प्राधिकरण के क्रियाकलापों पर एक 'नुकङ्ग नाटक' भी दिखाया गया जिसे किसानों ने बहुत सराहा। इनका विवरण इस प्रकार है :

- ❖ महाराजा अग्रसैन महाविद्यालय, गाजियाबाद में 4–5 अप्रैल 2014 को 'पीपीवी और एफआरए पर राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी'
- ❖ प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 25–27 जुलाई 2014 को '10वां अंतरराष्ट्रीय कृषि एवं बागवानी एक्सपो, 2014'
- ❖ राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर में 27–29 सितम्बर 2014 को 'राष्ट्रीय स्तर का कृषक मेला एवं प्रदर्शनी – कृषि विजया–2014'
- ❖ दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, चित्रकूट, सतना में 17–18 नवम्बर 2014 को 'आईटीपीजीआरएफए कार्यशाला एवं प्रदर्शनी'
- ❖ भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली में 10–12 मार्च 2015 को 'पूसा कृषि विज्ञान मेला'

8.2 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रभाव

प्राधिकरण ने रिपोर्टर्धीन वर्ष के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्रों, भा.कृ.अ.प. के संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के सक्रिय सहयोग से पूरे भारत में पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के बारे में अनेक प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग, कृषि विज्ञान केन्द्रों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के अधिकारियों, स्वयं सेवी संगठनों, उद्यमियों, संकाय सदस्यों व अनुसंधान छात्रों सहित अनेक प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिनमें प्रगतशील किसान भी शामिल थे। इससे किसानों को अपनी किस्मों के पंजीकरण के बारे में प्रेरित करने, कृषकों के अधिकारों, पीजीआर के संरक्षण, सुरक्षा एवं परिरक्षण के बारे में प्रेरित करने में सहायता मिली

ताकि पादप आनुवंशिक संसाधनों या पीजीआर का टिकाऊ उपयोग हो सके। साथ ही इससे उन्हें पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी भी प्राप्त हुई।

इसके परिणामस्वरूप रिपोर्टर्डीन अवधि के दौरान प्राधिकरण को अनेक फसल प्रजातियों की कृषक किस्मों के पंजीकरण के लिए कुल 1718 आवेदन प्राप्त हुए। जागरूकता कार्यक्रमों की सफलता पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कारों, प्रतिदानों एवं सम्मानों के लिए प्राप्त होने वाले बड़ी संख्या के आवेदनों (101) से भी परिलक्षित होती है। कृषि विज्ञान केन्द्रों, भा.कृ.अ.प. संस्थानों/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन से विद्यमान/नई किस्म की श्रेणी में और अधिक आवेदन प्राप्त करने में सहायता मिली (532) और इसके साथ ही निजी बीज कंपनियों के साथ हुई आमाने-सामने की बैठक के परिणामस्वरूप और अधिक आवेदन (713) दाखिल किए गए। कुछ प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों का उल्लेख यहां किया जा रहा है।

जोन 1

8.2.1 कृषि विज्ञान केन्द्र, चम्बा में प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम

कृषि विज्ञान केन्द्र, चम्बा में 'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001' पर केन्द्र द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसका मूल उद्देश्य पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के बारे में विशेष रूप से प्रजनकों, किसानों तथा समुदाय के अधिकारों व अनाजों, दलहनों, तिलहनों आदि के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों पर विशेष बल देते हुए जानकारी का प्रचार-प्रसार करना था। इस प्रशिक्षण में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया जिनमें विभागों के अधिकारी (उप निदेशक, कृषि, परियोजना निदेशक, आत्मा, चम्बा) कृषि विज्ञान केन्द्र के अधिकारी, सरकारी अधिकारी तथा चम्बा जिले के एनजीओ सैकटर कार्मिक, चम्बा जिले के विभिन्न ब्लॉकों नामतः चम्बा, मेहला, सलोनी, ब्रह्मौर ब्लॉकों के नवोन्मेषी/प्रगतशील किसानों के प्रतिनिधि शामिल थे।



डॉ. कृष्ण कुमार, प्राध्यापक, फल प्रजनन एवं आनुवंशिकी, डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौनी, सोलन। इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे तथा मुख्य वक्ता डॉ. कुमार ने वैशिक स्तर पर पादप किस्मों की सुरक्षा व इसके प्रभावों के सूजन के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए।

8.2.2 कृषि विज्ञान केन्द्र, मण्डी में जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रम

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के बारे में किसानों के बीच जागरूकता सृजित करने के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र, मण्डी ने सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर के तत्वावधान में 19 अप्रैल 2014 को मण्डी जिले के सुदूर क्षेत्र थालटुखोट में एक दिवसीय जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें लगभग 270 किसानों व खेतिहर महिलाओं ने भाग लिया। डॉ. के. कटोच, माननीय कुलपति, सीएसके एचपीकेवी, पालमपुर मुख्य अतिथि थे तथा प्रोफेसर अतुल, निदेशक, कृषि शिक्षा ने समारोह की अध्यक्षता की। संसाधन व्यक्ति डॉ. सतीश गुलेरिया, प्रधान वैज्ञानिक (पादप प्रजनन) ने मुख्य भाषण दिया तथा पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर कृषक किस्मों पर एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई जिसमें किसानों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और प्रदर्शनी को सराहा। प्रोफेसर



अतुल ने विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला तथा यह इच्छा व्यक्त की कि किसानों को ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए ताकि उन्हें अधिक से अधिक लाभ हो सके। उन्होंने कृषक समुदायों के बीच वैज्ञानिक प्रौद्योगिकियों को पहुंचाने के लिए कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका की सराहना की।

8.2.3 कृषि विज्ञान केन्द्र, शिकोहपुर, गुडगांव में प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम

इस कार्यक्रम में विषय वस्तु विशेषज्ञों, कृषि विज्ञान केन्द्र, गुडगांव, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, फरीदाबाद और दिल्ली के परियोजना समन्वयकों के अलावा गुडगांव जिले के सभी भागों से आए 24 किसानों ने भी भाग लिया। डॉ. अंजनि कुमार, कृषि विज्ञान केन्द्र, गुडगांव के परियोजना समन्वयक ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया तथा उन्हें पीपीवी और एफआरए प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में बताया। यह कार्यक्रम आंचलिक परियोजना निदेशालय



(अंचल-I) की ओर आयोजित किया गया था। डॉ. रवीन्द्र नाथ पडारिया, कृषि विस्तार प्रभाग (भा.कृ.अ.सं.) के प्रधान वैज्ञानिक ने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने यह परामर्श भी दिया कि किसान अपने अनुभवों द्वारा विभिन्न पादप किस्मों के संरक्षण में अनेक पीढ़ियों से लगे हुए हैं, अतः उन्हें इस अधिनियम के प्रावधानों का लाभ उठाते हुए अपनी किस्मों को पंजीकृत कराना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विषय वस्तु विशेषज्ञों तथा परियोजना समन्वयकों

को पंजीकरण के संदर्भ में ऐसे किसानों की पहचान करनी चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान पीपीवी और एफआर अधिनियम के अंतर्गत कृषक किस्मों के पंजीकरण से युक्त एक दस्ती प्रकाशन भी सभी प्रतिभागी सदस्यों को उनकी सूचना के लिए उपलब्ध कराया गया।

जोन-II

8.2.4 कृषि विज्ञान केन्द्र, लखीसराय में प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम

कृषि विज्ञान केन्द्र, लखीसराय में 7 नवम्बर 2014 को पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया इसमें लखीसराय तथा पड़ोसी जिले के 85 से अधिक किसान मौजूद थे। इसके अलावा डॉ. आर.के. सोहाने, निदेशालय (विस्तार), बीएयू साबौर; श्री उमा कांत दुबे, उप पंजीकार, रांची; डॉ. ए.के. सिन्हा, कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, लखीसराय; डॉ. चंदन राय, नोडल अधिकारी, पीपीवी और एफआरए, बीएयू साबौर ने भी इस समारोह की शोभा बढ़ाई।



डॉ. ए.के. सिन्हा, कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, लखीसराय ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया तथा श्री उमाकांत दुबे, उप पंजीकार ने पौधा किस्म पंजीकरण जिसमें कृषक किस्मों का पंजीकरण भी शामिल था, प्रजनकों के अधिकारों, अनुसंधानकर्ताओं के अधिकारों, समुदायों के अधिकारों तथा कृषकों के अधिकारों, कृषकों द्वारा पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण व परिरक्षण में किए गए कार्यों के लिए दिए जाने वाले विभिन्न पुरस्कारों व प्रतिदानों सहित पौधा किस्मों के पंजीकरण पर विशेष बल देते हुए एक व्याख्यान दिया। कार्यक्रम समन्वयक, विषय-वस्तु विशेषज्ञों तथा किसानों ने कृषक किस्मों के पंजीकरण, विभिन्न पुरस्कारों के बारे में गहन रूचि प्रदर्शित की। इन सभी की शंकाओं का उचित समाधान भी किया गया। इस कार्यशाला में 'कृषकों के अधिकारों पर एक नुककड़ नाटक'

तथा कृषि—जैवविविधता हॉट स्पॉट पर एक लघु वृत्त चित्र भी प्रदर्शित किए गए।

8.2.5 कल्याण कृषि विज्ञान केन्द्र, पुरुलिया में प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम

कल्याण कृषि विज्ञान केन्द्र, पुरुलिया ने 20–21 अक्टूबर 2014 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के विभिन्न प्रावधानों पर दो दिवसीय प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। डॉ. एस. एल. पेरुमल, मुख्य समन्वयक, कल्याण कृषि विज्ञान केन्द्र, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल; डॉ. एम.के. भट्टाचार्य, कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, पुरुलिया (पश्चिम बंगाल); श्री उमा कांत दुबे, उप पंजीकार, रांची; श्री दिबेंदु दास, डीडीए (प्रशासन), पुरुलिया, पश्चिम बंगाल सरकार भी पुरुलिया तथा पड़ोसी जिलों के 60 से अधिक किसानों के साथ इस कार्यक्रम में मौजूद थे। पौधा किस्म पंजीकरण जिसमें कृषक किस्मों का पंजीकरण भी शामिल था, प्रजनकों के अधिकारों, अनुसंधानकर्ताओं के अधिकारों, समुदायों के अधिकारों तथा कृषकों के अधिकारों; कृषकों द्वारा पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण व परिरक्षण में किए गए कार्यों के लिए दिए जाने वाले विभिन्न पुरस्कारों व प्रतिदानों सहित पौधा किस्मों के पंजीकरण पर विशेष बल देते हुए एक व्याख्यान दिया। इस कार्यशाला में 'कृषकों के अधिकारों पर एक नुककड़ नाटक' तथा कृषि—जैवविविधता हॉट स्पॉट पर एक लघु वृत्त चित्र भी प्रदर्शित किए गए।

8.2.6 आंचलिक परियोजना निदेशालय, जोन 2, कोलकाता द्वारा प्रेरण कार्यशाला का आयोजन

भा.कृ.अ.प. – आंचलिक परियोजना निदेशालय-2, कोलकाता में 'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम(पीपीवी एवं एफआरए), 2001' के विभिन्न प्रावधानों पर 15 अक्टूबर 2014 को एक दिवसीय प्रेरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम समन्वयक तथा अंचल-2 के 30 कृषि विज्ञान केन्द्रों के विषय-वस्तु विशेषज्ञ व अंचल के कृषि विज्ञान केन्द्रों के अनेक किसान उपस्थित थे। डॉ. एच.के.डे, प्रधान वैज्ञानिक, भा.कृ.अ.प. – आंचलिक परियोजना निदेशालय, कोलकाता ने कार्यशाला में सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। डॉ. पी.पी. पाल, प्रधान वैज्ञानिक, भा.कृ.अ.प.— आंचलिक परियोजना निदेशालय, कोलकाता ने पीपीवी और एफआर में कृषि विज्ञान केन्द्रों की भागीदारी व कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से चलाई जाने वाली गतिविधियों के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उप पंजीकार, रांची ने पौधा किस्म पंजीकरण जिसमें कृषक किस्मों का पंजीकरण भी शामिल था, प्रजनकों के अधिकारों,



अनुसंधानकर्ताओं के अधिकारों, समुदायों के अधिकारों तथा कृषकों के अधिकारों; कृषकों द्वारा पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण व परिरक्षण में किए गए कार्यों के लिए दिए जाने वाले विभिन्न पुरस्कारों व प्रतिदानों सहित पौधा किस्मों के पंजीकरण पर विशेष बल देते हुए एक व्याख्यान दिया।

8.2.7 अध्यक्ष तथा महा पंजीकार का संयुक्त दौरा बीएयू रांची का दौरा

पीपीवी और एफआरए, नई दिल्ली के अध्यक्ष तथा महा पंजीकार ने 6 जून 2014 को रांची स्थित शाखा कार्यालय का दौरा किया। इस दौरे के दौरान दोनों अधिकारियों ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके रांची स्थित फील्ड जीन बैंक का निरीक्षण किया। डॉ. आर.पी. सिंह, निदेशक (बीज एवं फार्म), बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची; डॉ. (श्रीमती) सुप्रिया सिंह, सह-प्रधान अन्वेषक, डीयूएस परियोजना; श्री उमा कांत दुबे, उप पंजीकार, शाखा कार्यालय, रांची तथा डॉ. प्रमोद कुमार, परियोजना के जेआरएफ भी इस अवसर पर मौजूद थे। अध्यक्ष महोदय ने पूर्वी भारत की अधिदेशित फसलों की किस्मों के संकलन तथा प्राधिकरण में उनके पंजीकरण पर बल दिया।



8.2.8 पूर्वी क्षेत्र अनुसंधान परिसर, प्लांट्स, रांची के लिए भाकृअप के अनुसंधान केन्द्र का दौरा

पीपीवी और एफआरए के अध्यक्ष, महापंजीकार तथा



रांची स्थित शाखा कार्यालय के उप पंजीकार ने 7 जून 2014 को पूर्वी क्षेत्र के लिए अनुसंधान परिसर के भा.कृ.अ.प. अनुसंधान केन्द्र, प्लांडू, रांची का दौरा किया। डॉ.ए.के. सिंह, भा.कृ.अ.प. अनुसंधान केन्द्र; श्री रवि पाण्डे और डॉ. राठी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, एनबीपीजीआर क्षेत्रीय केन्द्र भी इस अवसर पर उपस्थित थे। उन्होंने एनबीपीजीआर क्षेत्रीय केन्द्र, प्लांडू, रांची का भी भ्रमण किया तथा बेल व कटहल पर जननद्रव्य संकलन तथा केन्द्र में मौजूद अन्य संकलन की सराहना की। इस अवसर पर डॉ. रवि पाण्डे और डॉ. राठी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, एनबीपीजीआर क्षेत्रीय केन्द्र भी मौजूद थे।

8.2.9 बीएयू, रांची में प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम

डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत कृषक किस्मों सहित किस्मों के पंजीकरण व डीयूएस परीक्षण, ग्रो आउट परीक्षण, सुरक्षा की अवधि, कृषकों के अधिकारों, लाभ में भागीदारी, अनिवार्य लाइसेंस, राष्ट्रीय जीन बैंक, फील्ड जीन बैंक, राष्ट्रीय जीन निधि तथा किसानों को पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण व परिरक्षण में उनके कार्यों के लिए दिए जाने वाले विभिन्न पुरस्कारों व प्रतिदानों के विशेष संदर्भ में पादप प्रजनकों के अधिकारों व कृषकों के अधिकारों पर एक उत्कृष्ट व्याख्यान दिया। छात्रों ने विभिन्न मुद्राओं पर अपनी शंकाएं जताईं जिनका संतोषजनक निराकरण किया गया।



8.2.10 कृषि विज्ञान केन्द्र, दिनाजपुर में प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम

दिनाजपुर कृषि विज्ञान केन्द्र, यूबीकेवी, पश्चिम बंगाल द्वारा 13 नवम्बर 2014 को हिल्ली ब्लॉक, दिनाजपुर जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट एक सुदूर गांव मतियाश में पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001 पर एक प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के ग्रामीण कृषक समुदायों के व्यापक हित में कृषकों के अधिकारों के बारे में शिक्षित करना तथा पादप आनुवंशिक संसाधनों की सुरक्षा से संबंधित अधिनियम को लोकप्रिय बनाना था। इस कार्यक्रम में लगभग 200 प्रगतशील किसानों, खेतिहार महिलाओं तथा ग्रामीण युवाओं ने भाग लिया। डॉ. रत्नल बार्मण, सहायक प्राध्यापक, पादप आनुवंशिकी एवं प्रजनन, यूबीकेवी; डॉ. शंकर साहा, एसएमएस (सर्वज्ञान); श्री एस. सिंघा, एसएमएस, पादप सुरक्षा, डीडीकेवीके ने इसमें भाग लिया तथा इस नवीन तथा उपयोगी संकल्पना के बारे में स्टेकहोल्डरों की सक्रिय भागीदारी के साथ मूल्यवान सूचना पर एक व्याख्यान दिया। यह कार्यक्रम बहुत सफल था तथा फीडबैक के अनुसार इसका इसमें भाग लेने वालों पर बहुत प्रभाव पड़ा।



अंचल-3

8.2.11 कृषि विज्ञान केन्द्र चांगलांग, अरुणाचल प्रदेश में कार्यक्रम

कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा समुदाय कक्ष, दियून में 22 जनवरी 2015 को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसका उद्घाटन श्री डॉ. गाडी, ईएसी, दियून, चांगलांग जिले ने किया। श्रीमती प्रवावती देवरी, अध्यक्ष, आंचल समिति और श्री एम.पी. सिंह, एडीओ दीयून भी इस अवसर पर उपस्थित थे। श्री डॉ. गाडी, ईएसी, दीयून ने अपने उद्घाटन भाषण में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण तथा कृषि विज्ञान केन्द्र, चांगलांग द्वारा दीयून में पहली बार इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए इनकी

सराहना की और किसानों से अपनी अनूठी फसल किस्मों के पंजीकरण हेतु आवेदन करने का अनुरोध किया। श्रीमती प्रवावती देवरी व श्री एम.पी. सिंह, एडीओ, दीयून ने फसल किस्मों की अनूठी सम्पदा को सुरक्षित करने में किसानों की सहायता करने का आश्वासन दिया। डॉ. जीतू मोनी दास, एसएमएस (पशु विज्ञान) ने आवेदन पत्र भरने में किसानों की सहायता हेतु आवेदन पत्र भरने का प्रदर्शन किया। डॉ. नरेन्द्र कुमार, पीसी, डॉ. जीतू मोनी दास, एसएमएस, पशुविज्ञान; श्री एम.पी. सिंह, एडीओ ने पारस्परिक चर्चा सत्र में प्रतिभागियों के साथ गहन विचार-विमर्श किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न समुदायों नामतः सिंगफो, देवरी, खामी, चाकमा, हज़ोंग, मोसांग आदि के 108 किसानों ने भाग लिया। उनके अलावा इस कार्यक्रम में कृषि विभाग, दीयून के स्टाफ सदस्य भी मौजूद थे।



8.2.12 कृषि विज्ञान केन्द्र, चिरांग (असम) में कार्यक्रम

कृषि विज्ञान केन्द्र, चिरांग में 6 फरवरी 2015 को आयोजित जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन श्री आर.के. मजूमदार, आईएएस, उप आयुक्त, चिरांग जिला (बोडो लैंड एडिटोरियल ऑटोमोनस काउंसिल), असम ने किया। डॉ. एस.के. पाल, मुख्य वैज्ञानिक, आरएआरएस गोसाईगांव; श्री दयाल दास, जिला कृषि अधिकारी, चिरांग जिला; श्री लाकेश्वर राय, उप मंडलीय कृषि अधिकारी, बोगांई गांव, डॉ. आर. ओझा, एसोसिएट प्राध्यापक, एस.सी. सिंघा कृषि महाविद्यालय, बहालपुर (एएयू) तथा श्री दिलिप सैकिया, इफको भी इस अवसर पर उपस्थित थे। डॉ. कामेश्वर दास, परियोजना समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, चिरांग ने कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में संक्षेप में बताया। श्री आर. के. मजूमदार, उपायुक्त, चिरांग ने अपने उद्घाटन भाषण में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण व कृषि विज्ञान केन्द्र चिरांग की इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सराहना की। डॉ. आर. ओझा, एसोसिएट प्राध्यापक, एससी सिंघा, कृषि महाविद्यालय, बहालपुर, एएयू ने जिले में जैव विविधता के संरक्षण व उसकी सुरक्षा पर बल दिया।



8.2.13 कृषि विज्ञान केन्द्र, पूर्व खासी पहाड़ियां, मेघालय में कार्यक्रम

श्रीमती डी. सेर्विसियोंग, कृषि निदेशक, मेघालय सरकार ने 11 फरवरी 2015 को कृषि विज्ञान केन्द्र, पूर्वी खासी पहाड़ियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्रीमती एच. लिंगदोह, जिला बागवानी अधिकारी, पूर्वी खासी पहाड़ियां और श्रीमती आई.एम. पासवेथ, जिला कृषि अधिकारी, पूर्वी जैतिया पहाड़ियां, जिला ने अपने व्याख्यानों में किसानों को अपनी अनूठी फसल प्रजातियों/किस्मों के पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित किया। उप पंजीकार द्वारा किसानों के लिए पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या की गई। कृषक किस्मों के आवेदन फार्म, पीजीएससी, पीजीएसएफ आवेदन फार्मों को कैसे भरा जाए इसका किसानों के समक्ष प्रदर्शन किया गया। डॉ. के.डी. खारकोगोर का प्रभारी, कार्यक्रम समन्वयक और श्री आर.सी.ए. सांगमा, एसएमएस (एग्रो) ने खासी भाषा में किसानों को सम्बोधित किया। श्रीमती ए. लिंगदोह, एसएमएस (बागवानी) और श्री एस. मरबांगयांग एसएमएस (कृषि), कृषि विज्ञान केन्द्र, पूर्वी खासी पर्वतीय जिला ने प्रशिक्षण में दुभाषिए की भूमिका निभाई। उप रजिस्ट्रार के व्याख्यान के खासी भाषा में अनुवाद के कारण किसानों के साथ पारस्परिक चर्चा में बहुत सहायता मिली। पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 का खासी भाषा में अनुवाद किसानों के बीच वितरित किया गया।

8.2.14 शासकीय कृषि महाविद्यालय, त्रिपुरा में कार्यशाला

उप पंजीकार, गुवहाटी में 21 फरवरी 2015 को शासकीय कृषि महाविद्यालय, त्रिपुरा के छात्रों के लिए पौधा किस्मों और कृषक अधिकारों की सुरक्षा व आईपीआर कार्यशाला में एक व्याख्यान दिया। इस कार्यशाला का आयोजन त्रिपुरा स्टेट काउंसिल फार साइंस एंड टैक्नोलॉजी (टीएससीएससी), अगरतला ने किया था। कार्यशाला का उद्घाटन श्री एस. कुमार, आईएफएस, सचिव, टीएससीएससी, त्रिपुरा सरकार ने किया। डॉ. एम. दत्ता, संयुक्त निदेशक, भा.कृ.अ.प.,



त्रिपुरा और डॉ. आर.के. साहा, डीन, मात्स्यकी महाविद्यालय, अगरतला (केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय) ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। वक्ताओं ने छात्रों तथा संकाय सदस्यों से अनुरोध किया कि वे पीपीवी और एफआर प्राधिकरण में अपनी किस्मों के पंजीकरण के द्वारा राज्य की किस्मों की अनूठी सम्पदा की सुरक्षा में गहन रूचि दर्शाएं। डॉ. देवाशीष सेन, प्राचार्य, शासकीय कृषि महाविद्यालय, त्रिपुरा ने छात्रों और अध्यापकों से अनुरोध किया कि वे कृषकों की उनकी किस्मों के पंजीकरण में सहायता करें। तकनीकी सत्र के दौरान उप पंजीकार ने पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001 के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या की। छात्रों तथा अध्यापकों ने परिचर्चा कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया। श्री एस. कुमार ने शासकीय कृषि महाविद्यालय, त्रिपुरा में आमंत्रित अतिथियों व छात्रों व अध्यापकों की उपस्थिति में आईपीआर कोष्ठ का भी उद्घाटन किया।

8.2.15 केवीके नामथांग, दक्षिण सिक्किम में जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

उप पंजीकार, गुवहाटी में 24 जुलाई 2014 को कृषि विज्ञान केन्द्र, नामथांग, दक्षिण सिक्किम में आयोजित जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। इसके उद्घाटन सत्र में सुश्री देवी माया बरायली, जिला उपाध्यक्ष, दक्षिण सिक्किम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थीं। श्री चंदन कपूर, वैज्ञानिक, भा.कृ.अ.प. सिक्किम तथा श्री तिलक गजमीर, कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, नामथांग ने भी श्रोताओं को सम्बोधित किया। श्री एल पी सिवाल, एडीओ तथा श्री डी पी गुरुंग, बागवानी विकास अधिकारी, नामथांग; डॉ. सी.एन.भूतिया, डॉ. आर. घटक, श्री आई.पी. सिवाकोटी, श्री प्रवेश शिवकोटी और श्रीमती यांग्चेनला भूटिया, कृषि विज्ञान केन्द्र, नामथांग के विषय-वस्तु विशेषज्ञों और श्री तिलक गजबीर, कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, नामथांग ने भी चर्चा में भाग लिया। इस अवसर पर 62 कृषक उपस्थित थे जिनमें श्री गोपीनाथ कोईराला,

श्री कैलाश राणा और श्री तुलसी दास राय जैसे प्रगतशील कृषक भी शामिल थे जिन्होंने संक्षिप्त व्याख्यान भी दिए।



8.2.16 कृषि विज्ञान केन्द्र, सोनिपुर, असम में प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम

यह कार्यक्रम हेम बरुआ, एच.एस. विद्यालय, घोरामारी में 6 नवम्बर 2014 को आयोजित किया गया जिसका उद्घाटन श्री कमल बासुमैत्री, पूर्व विधायक, बोर्सोला, एल.ए.सी, असम ने किया। इस अवसर पर कार्यक्रम समन्वयक व कृषि विज्ञान केन्द्र, सोनितपुर के अन्य वैज्ञानिक, कुछ किसान तथा स्वयं सेवी संगठनों के सदस्य मौजूद थे। उप पंजीकार ने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया जबकि किसानों के साथ हुई चर्चा और परिचर्चा में उन्हें किस्मों के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र भरने के बारे में समझाया गया। डॉ. पी.सी. डेका, कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, सोनितपुर, श्रीमती पोपी बोरा, एसएमएस (पीपी) और श्री ए.के. सर्मा एसएमएस (कृषि) ने किसानों से विचार-विमर्श किया। एक प्रश्नोत्तरी सत्र आयोजित किया गया जिसमें किसानों के प्रश्नों के उत्तर दिए गए। किसानों ने अधिसूचित कृषक किस्मों के पंजीकरण में रूचि दिखाते हुए उनके पंजीकरण हेतु आवेदन करने का आश्वासन दिया।



8.2.17 कृषि विज्ञान केन्द्र, नौगांव, असम में प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम

यह कार्यक्रम कृषि विज्ञान केन्द्र, नौगांव में 27 नवम्बर 2014 को आयोजित किया गया। श्री प्रीतोम रोंगपी, जिला कृषि अधिकारी नौगांव ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। डॉ. ए.सी. सर्मा, उप पंजीकार ने प्रतिभागियों अर्थात् वैज्ञानिकों, अधिकारियों और किसानों को पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के बारे में विस्तार से बताया। डॉ. एन.एस. बरुआ और डॉ. आर.एन. सर्मा, दोनों ही पादप प्रजनन और आनुवंशिकी के प्राध्यापक, असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट के थे, उन्हें क्रमशः पादप प्रजनकों के अधिकारों व कृषकों के अधिकारों पर अपने प्रस्तुतीकरण देने के लिए आमंत्रित किया गया। डॉ. पी.के. देव चौधरी, वरिष्ठ



वैज्ञानिक, क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, शिलोंगोनी (एएयू) ने पंजीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में किसानों के साथ चर्चा की। इस कार्यक्रम में 81 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिनमें किसान, वैज्ञानिक और अधिकारी शामिल थे। डॉ. बी. गुहा, कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, नागांव, श्री बिरेन सैकिया, सहायक कृषि निदेशक, नागांव, श्री एन. गोगई, वरिष्ठ एडीओ और श्री आर. दत्ता, एडीओ व कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों ने किसानों के साथ पारस्परिक चर्चा की।

8.2.18 कृषि विज्ञान केन्द्र, कामरूप में प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम

आंचलिक परियोजना निदेशालय, अंचल-3, उमियम, मेघालय द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र, कामरूप, काहीकुचि, असम में 'उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जैव-विविधता की सुरक्षा, प्रबंध और संरक्षण : कार्यनीतियां एवं मुद्रे' विषय पर 18–20 दिसम्बर 2014 के दौरान तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉ. एस. पॉल वैज्ञानिक, आंचलिक परियोजना निदेशालय-3, उमियम प्रशिक्षण कार्यक्रम के पाठ्यक्रम निदेशक थे। पहले दिन अर्थात् 18 दिसम्बर 2014 को 'पौधा

किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (पीपीवी और एफआरए), 2001 के प्रावधानों पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण प्रदान किया गया। लगभग 28 प्रतिभागियों जिनमें भा.कृ.अ.प. के वैज्ञानिक, प्राध्यापक, कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक, स्वयं सेवी संगठन, कृषक और ग्रामीण युवा शामिल थे, ने कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया। डॉ. एस. पॉल, पाठ्यक्रम निदेशक ने अपने स्वागत भाषण में कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डाला और बताया कि जलवायु परिवर्तन के वर्तमान परिदृश्य में यह कितना महत्वपूर्ण है। उप पंजीकार ने प्रतिभागियों के समक्ष पौधा किस्मों की सुरक्षा तथा कृषकों के अधिकारों के महत्व तथा इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। तकनीकी सत्रों में विभिन्न विषय—वस्तु क्षेत्रों में व्याख्यान दिए गए और प्रायोगिक अभ्यास कराया गया। किसानों को पीपीवी और एफआर अधिनियम पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। डॉ. आर. बोर्डलोई, प्रधान वैज्ञानिक, आंचलिक परियोजना निदेशालय, भा.कृ.अ.प., उमियम तथा डॉ. डी.एन. कलिता, कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कामरूप ने भी व्याख्यान दिए तथा किसानों से अधिसूचित फसलों के पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल करने की अपील की।

8.2.19 कृषि विज्ञान केन्द्र, बारपेटा, असम में प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम

होबली स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र, बारपेटा में 30 दिसम्बर 2014 को आयोजित इस कार्यक्रम में बारपेटा जिले के किसानों, ग्राम स्तर के कृषि विभाग के विस्तार कर्मियों, स्वयं सेवी संगठनों, असम महिला सोसायटी के सदस्यों, बी.एच. महाविद्यालय, होबली के वनस्पतिविज्ञान विभाग के छात्रों व प्राध्यापकों और कृषि विज्ञान केन्द्र, बारपेटा के वैज्ञानिकों ने भाग लिया। डॉ. कुलारंजन डेका, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी), हावली चर्चा सत्र के अध्यक्ष थे। श्रीमती टी.एस. बेगम, प्रभारी, कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, बारपेटा ने पीपीवी और एफआर अधिनियम पर चर्चा की। उप पंजीकार, गुहाटी ने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के बारे में विस्तार से बताया। डॉ. रंजन कुमार बोरा, एसएमएस (मृदा विज्ञान), कृषि विज्ञान केन्द्र, बारपेटा ने कृषकों के अधिकारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि अधिसूचित किस्मों के पंजीकरण हेतु 16 आवेदन दाखिल किए जाएंगे। श्री रातुल दास, फार्म प्रबंधक, कृषि विज्ञान केन्द्र, बारपेटा; डॉ. ए.के. शर्मा, निदेशक, सीआरआईजेएफ, सोरभोग (भा.कृ.अ.प.); डॉ. एस. के. शर्मा, पश्चिमित्ता एवं पशु पालन विभाग, असम; श्रीमती अंजुमा गायन, एसएमएस, कृषि विज्ञान केन्द्र, बारपेटा ने भी किसानों के साथ चर्चा की।

8.2.20 बायोवर्सिटी इंटरनेशनल, नई दिल्ली में बीज कार्यशाला

बायोवर्सिटी इंटरनेशनल, नई दिल्ली में 9–10 दिसम्बर 2014 को 'शुष्ककों की सहायता से फार्म पर बीज भंडारण' पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें उप पंजीकार, गुवहाटी ने भाग लिया। डॉ. मालविका दादलानी, डॉ. पाल कवेक और डॉ. आर्नब गुप्ता, बायोवर्सिटी इंटरनेशनल; डॉ. केशवल्लु और डॉ. अम्तुल रहीम, अंगारा ने शुष्ककों के उपयोग, सामुदायिक बीज बैंक प्रबंध एवं प्रलेखन पर विस्तृत व्याख्यान दिए। डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पीपीवी और एफआरए ने सामुदायिक बीज बैंक पर अपने प्रस्तुतीकरण में प्रतिभागियों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। डॉ. पी.एन. माथुर, क्षेत्रीय निदेशक, बायोवर्सिटी इंटरनेशनल, नई दिल्ली ने भी प्रतिभागियों से चर्चा की।

8.2.21 बायोवर्सिटी इंटरनेशनल की क्षेत्रीय कार्यशाला

बायोवर्सिटी इंटरनेशनल की क्षेत्रीय कार्यशाला: 'पारिस्थितिक प्रणाली सेवाओं को सुनिश्चित करने तथा संवेदनशीलता को कम करने के लिए कृषि के क्षेत्र में कृषि जैव-विविधता संरक्षण व उपयोग को मुख्य धारा में लाने' विषय पर परियोजना की क्षेत्रीय कार्यशाला पीपीवी और एफआर प्राधिकरण व बायोवर्सिटी इंटरनेशनल द्वारा संयुक्त रूप से 2 मई 2014 में गेटवे ग्रैंडेयर, जी.एस. मार्ग, गुवहाटी में आयोजित की गई। इस कार्यशाला में डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पीपीवी और एफआरए, नई दिल्ली; डॉ. पी.एन. माथुर, क्षेत्रीय निदेशक, बायोवर्सिटी इंटरनेशनल, नई दिल्ली; डॉ. टी.के. मदन, बायोवर्सिटी इंटरनेशनल; डॉ. वी. रामता राव और डॉ. एम. दादलानी, परामर्शक, बायोवर्सिटी इंटरनेशनल; डॉ. डी.के.हुरे, परामर्शक, आई एस बी डी, इम्फाल; डॉ. आई.एस. बिष्ट, प्रधान वैज्ञानिक, एन बी पी जी आर, नई दिल्ली ने भाग लिया।



जोन—5

8.2.22 कृषि विज्ञान केन्द्र, जलगांव, जामोद में प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम

कृषि विज्ञान केन्द्र, जलगांव, जामोद द्वारा 29 नवम्बर

2014 को कृषि विज्ञान केन्द्र परिसर में 'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001' पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय डॉ. स्वाति वाकेकर, निदेशक, सतपुड़ा एजुकेशन सोसायटी और माननीय श्री अनिल बोंडे, एसडीएओ, खामगांव ने की जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी थे। संसाधन व्यक्ति डॉ. दिनकर देशमुख, उप निदेशक (बीज), पीडीकेवी अकोला ने पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 पर व्याख्यान दिया तथा डॉ. प्रीति सोनकाम्बले, बीज अनुसंधान अधिकारी, पीडीकेवी, अकोला ने पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 में डीयूएस परीक्षण पर व्याख्यान दिए।

इस अवसर पर श्री अनिल गभाने, कार्यक्रम समन्वयक ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों, किसानों व अन्य स्टेकहोल्डरों का स्वागत किया। मुख्य अतिथियों, संसाधन व्यक्तियों और किसानों ने ऐसा अनूठा और उपयोगी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र की प्रशंसा की। पीडीकेवी, अकोला से आए संसाधन व्यक्तियों ने विभिन्न फसलों के बीजों के दुर्लभ नमूने दिखाए जाने के लिए प्रशंसा की। इस कार्यक्रम में लगभग 126 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिनमें 48 प्रगतशील किसान, 36 खेतिहर महिलाएं, 42 विस्तार कार्यकर्ता एवं अन्य स्टेकहोल्डर शामिल थे।

8.2.23 कृषि विज्ञान केन्द्र, कस्तूरबाग्राम, इंदौर में प्रशिक्षण कार्यक्रम

कृषि विज्ञान केन्द्र, कस्तूरबा ग्राम, इंदौर में भा.कृ.अ.सं. – क्षेत्रीय केन्द्र, इंदौर के सहयोग से 24 जनवरी 2015 को गेहूं के विशेष संदर्भ में 'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001' पर एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। किसानों, कृषक संगठनों के सदस्यों, स्वयं सेवी संगठनों, कृषि विज्ञान केन्द्रों के प्रशिक्षण संयोजकों, बीज प्रमाणीकरण एजेंसी व राज्य कृषि विभाग के अधिकारियों (मध्य प्रदेश) सहित लगभग 200 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। डॉ. ए.एम. राजपूत, डीन, कृषि महाविद्यालय, इंदौर ने सुश्री चतुरा रस्कर, सचिव, कस्तूरबाग्राम के साथ इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। श्री एस.सी. अग्रवाल, संयुक्त निदेशक (कृषि), इंदौर; डॉ. ए.एन. मिश्र, अध्यक्ष एवं प्रधान वैज्ञानिक, भा.कृ.अ.सं. – क्षेत्रीय केन्द्र; डॉ. मृणाल के कुचलन (नोडल अधिकारी–सोयाबीन); डॉ. बी.यू. डुपारे, वरिष्ठ वैज्ञानिक (विस्तार), दोनों डीएसआर से इंदौर; डॉ. एस.वी. साई प्रसाद (नोडल अधिकारी – भा.कृ.अ.सं. – क्षेत्रीय केन्द्र, इंदौर); डॉ. ए.के. सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, भा.कृ.अ.सं. – क्षेत्रीय केन्द्र तथा भा.कृ.अ.सं. क्षेत्रीय केन्द्र, इंदौर से आए अन्य वैज्ञानिकों

ने प्रशिक्षण प्राप्त किया जिसमें अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रशिक्षण दिया गया जैसे पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 की मुख्य विशेषताएं; पौधा किस्म सुरक्षा एवं बीज नियम; किस्मों के पंजीकरण की क्रियाविधियां; गेहूं तथा सोयाबीन उत्पादन की प्रौद्योगिकियां व अन्य संबंधित पहलू शामिल थे। प्रतिभागियों ने 'पौधा किस्म पंजीकरण के लिए क्रियाविधियों और कृषकों के अधिकारों' के बारे में रुचि और उत्साह प्रदर्शित किया।



जोन-6

8.2.24 कृषि विज्ञान केन्द्र, नवसारी कृषि विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम

कृषि विज्ञान केन्द्र, नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी में 20 मार्च 2015 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। उद्घाटन समारोह में श्री संकरभाई वासव, अध्यक्ष, जिला पंचायत सिच्छाई समिति, डेडियापांडा ने शोभा बढ़ाई और उनके साथ डॉ. विनोद कुमार कौशिक, निदेशक, आईआरई एवं सीए, डेडियापांडा; डॉ. बी.के.



दवादा, एसोसिएट प्राध्यापक, मुख्य ज्वार अनुसंधान केन्द्र, सूरत; और डॉ. जे.एच. राठौर, कार्यक्रम समन्वयक, कृषि

विज्ञान केन्द्र, डेडियापांडा, डॉ. आर.के. पटेल, सहायक प्राध्यापक, पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी विभाग, नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी; डॉ. के.जी. मोधा, सहायक प्राध्यापक, पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी विभाग, नवसारी कृषि विश्वविद्यालय व अन्य विशिष्ट अतिथि भी मौजूद थे।

डॉ. विनोद कुमार कौशिक, आईआरई एवं सीए, डेडियापांडा ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में पौधा किस्मों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। धान की कुछ ऐसी किस्में हैं जो बहुत ही स्वादिष्ट और भीनी गंध वाली हैं किसानों को ऐसी किस्मों की भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षा करनी होगी। हमारा देश जब पराधीन था तो हमें स्वतंत्रता के पूर्व खाद्यान्न का आयात करना पड़ता था लेकिन हरित क्रांति ने यह स्थिति बदली और हमारे किसानों द्वारा उत्पादन की नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के कारण अधिकतर मामलों में उच्च खाद्य उत्पादन हुआ। हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधर गई और ऐसा किसानों के प्रयासों के कारण हुआ है। उन्होंने किसानों से पीपीवी और एफआर अधिनियम का अधिक से अधिक लाभ उठाने का परामर्श दिया।

डॉ. आर.के. पटेल ने जन जैवविविधता रजिस्टर (पीबीआर), गैट, नवीन किस्मों, लाइसेंसिंग प्रणाली, पीपीवी और एफआर अधिनियम के अंतर्गत कृषकों के अधिकारों व वैधानिक प्रावधानों पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कृषकों के अधिकारों तथा पीपीवी और एफआरए में पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल करने में आने वाली कठिनाइयों तथा पूर्व निर्धारित शर्तों पर प्रकाश डाला।

8.2.25 कृषि विज्ञान केन्द्र, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, तारघादिया (राजकोट) में प्रशिक्षण कार्यक्रम

कृषि विज्ञान केन्द्र, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, तारघादिया (राजकोट) ने पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के सहयोग से 'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम,



2001' पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। उद्घाटन समारोह में डॉ. के.एन. अकबरी, अनुसंधान वैज्ञानिक, मुख्य शुष्क फार्मिंग अनुसंधान केन्द्र, उत्तर सौराष्ट्र कृषि जलवायु अंचल, तारघादिया, राजकोट; डॉ. वी. पी. चोवतिया, प्राचार्य एवं डीन, कृषि महाविद्यालय, जेएयू अमरेली और डॉ. बी.बी. कबारिया, कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, तारघादिया, राजकोट भी उपस्थित थे।

8.2.26 कृषि विज्ञान केन्द्र, मंगल भारती, बदौदरा द्वारा प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

❖ परिसर में जागरूकता कार्यक्रम : दिनांक 20 फरवरी

2015 को कृषि विज्ञान केन्द्र में परिसर प्रशिक्षण आयोजित किया गया जिसमें 3 ब्लॉकों के 10 गांवों के लगभग 125 किसानों ने भाग लिया और पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001 पर जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों ने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001, डीयूएस परीक्षण, पंजीकरण की क्रियाविधि आदि से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर व्याख्यान दिए। कृषि विज्ञान केन्द्र ने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 पर स्थानीय भाषा में एक बुकलेट और पम्फलेट प्रकाशित किए जिन्हें प्रतिभागियों को मुफ्त बांटा गया।

❖ परिसर के बाहर जागरूकता कार्यक्रम : सानखेड़ा ब्लॉक के वागेथा में 28 फरवरी 2015 को तथा नसवाड़ी ब्लॉक के दानी (23 फरवरी 2015), पोचाम्बा (24 मार्च 2015) को पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 पर परिसर के बाहर जागरूकता कार्यक्रम (तीन) आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में 145 किसानों और खेतिहर महिलाओं ने भाग लिया। कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों ने प्रतिभागियों को पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के बारे में बताया। इस अवसर पर जिला कृषि कार्यालय के प्रतिनिधि भी मौजूद थे जिन्होंने किसानों को उनकी परंपरागत किस्मों के संरक्षण तथा खेती की उन विधियों के बारे में बताया जो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में अच्छा व टिकाऊ कृषि उत्पादन देने में सक्षम हैं।

जोन-7

8.2.27 डीईइ, ओयूएटी, भुवनेश्वर में प्रशिक्षण कार्यक्रम

ओयूए और टी, भुवनेश्वर में 22 जनवरी 2015 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण, अधिनियम पर एक प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 24 अधिकारियों व 6 संसाधन व्यक्तियों के साथ खुर्दा, पुरी तथा नयागढ़ से आए लगभग 104 किसानों



ने भाग लिया। प्रो. एस.एस. नंदा, डीन, विस्तार शिक्षा ने किसानों के लाभ के लिए धान, दलहनों, तिलहनों, सब्जियों, फलों और वानिकी प्रजातियों की पुरानी व परंपरागत किस्मों की सुरक्षा व संरक्षण के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अविभाजित पुरी जिले की धान की स्थानीय किस्मों की अनेक विशेषताओं पर प्रकाश डाला और इन किस्मों के संदर्भ में अपने पूर्व अनुभवों को बताया। इसके पश्चात किसानों ने ओयूए और टी अनुदेशात्मक फार्म व प्रदर्शन प्लाटों का दौरा किया।

जोन-8

8.2.28 कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ में प्रशिक्षण कार्यक्रम

कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ ने नई दिल्ली स्थित पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के सहयोग से कृषि विज्ञान केन्द्र, धारवाड़ में 30 जनवरी 2015 को 'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम' पर किसानों व स्टेकहोल्डरों के लिए क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. एच.एस. विजयकुमार, शिक्षा निदेशक, यूएस, धारवाड़ ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और उपस्थित जन समुदाय को सम्बोधित किया। उन्होंने कृषक समुदाय से प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध सुविधाओं का



लाभ उठाने का सुझाव दिया। डॉ. एन.के. बिरादरपाटिल, विशेष अधिकारी (बीज), यूएस, धारवाड़ ने पौधा किस्मों के पंजीकरण के उद्देश्यों व महत्व के बारे में किसानों को बताया तथा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम के महत्व पर व्याख्यान दिया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में धारवाड़ जिले के 150 से अधिक किसानों ने भाग लिया।

8.2.29 पौधा किस्म और कृषक अधिकारों की सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम

पलककड़ में 18 मार्च 2015 को 'पौधा किस्म और कृषकों के अधिकारों' पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पलककड़ के विभिन्न भागों से आए 202 किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम समन्वयक डॉ. एन. सी. नारायणन कुट्टी ने समूह का स्वागत किया तथा कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। श्री टी.एन. कंदामुथन, अध्यक्ष, पलककड़ की जिला पंचायत ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री के.ई. हनीफा, स्थायी समिति के अध्यक्ष ने समारोह की अध्यक्षता की। श्रीमती शोभना, प्रधान कृषि अधिकारी, पलककड़; श्रीमती उषा, परियोजना निदेशक, आत्मा ने भी उपस्थित जनसमुदाय को सम्बोधित किया।



पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार विजेता अकम्पादम चिम्पाचाला पदशेखरा समिति, थेनकुरिसी श्री बी. प्रदीश ने उपस्थित जन समुदाय को अपने अनुभवों के बारे में बताया और इस बात पर बल दिया कि पलककड़ के किसानों को फसलों की परंपरागत किस्मों के संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए। पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार विजेता किसान श्री सी.बी. जॉर्ज, कलिंगल फार्म, पट्टिकाड ने भी जायफल की उच्च उपजशील किस्मों (कलिंगल 1 से 11) के उत्पादन और वितरण पर अपने अनुभवों के बारे में बताया। श्री अब्दुल नजर पारथुल, श्री ब्रह्मादाथन नम्बूदरी पट्टम्बी और श्री कृष्णाकुट्टी मास्टर ने खेती के विभिन्न पहलुओं पर अपने अनुभवों को जन समुदाय के साथ बांटा। कृषकों द्वारा

संरक्षित अनूठी पौधा किस्मों पर प्राथमिक सूचना एकत्र की गई। कृषि विज्ञान केन्द्र ने आश्वासन दिया कि किसानों के पहचाने गए क्षेत्रों में जो किस्में अनूठी हैं उनके पंजीकरण की संभावना को जांचकर आगामी कार्रवाई की जाएगी।

8.2.30 कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनिकोप्पल में जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

कृषि विज्ञान केन्द्र, एथुरोन रिथ्ट प्रदर्शन फार्म पर पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 पर 13 जनवरी 2015 को जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 250 से अधिक किसानों, वानिकी विश्वविद्यालय, पोनमपेट से आए प्रतिनिधियों; कृषि, बागवानी विभाग के अधिकारियों; आत्मा, भूचेतना; स्वयं सेवी संगठनों में कृषि के लिए कार्य करने वाले प्रतिनिधियों व कोडागू जिले के सभी तीनों ताल्लुकों से आए प्रेस एवं मीडिया के प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। श्री बी. प्रभाकर, विषय वस्तु विशेषज्ञ, बागवानी, कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनीकोपल ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की।



डॉ. ए.टी. सदाशिव, अध्यक्ष, सब्जी फसलें प्रभाग, आईआईएचआर, बंगलुरु ने पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम की भूमिका और महत्व के बारे में बताया तथा किसानों के अधिकारों व कृषक किस्मों के पंजीकरण के प्रावधानों पर भी प्रकाश डाला। डॉ. टी.एस. अघोरा, प्रधान वैज्ञानिक, सब्जी फसलें प्रभाग, आईआईएचआर, बंगलुरु ने विभिन्न सब्जियों के डीयूएस दिशानिर्देश विस्तार से प्रस्तुत किए। डॉ. एस.जे. आंकेगोडा, प्रधान वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, सीआरसी, अपंगाला ने इलायची, काली मिर्च, अदरक और हल्दी के डीयूएस परीक्षण के बारे में व्याख्यान दिया। किसानों द्वारा पहचानी गई काली मिर्च और चावल की किस्मों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। कुछ किसानों नामतः श्री पूनाचा, श्री मुथप्पा, श्री ननैया और श्री रमेश ने अपने किस्म संकलन प्रदर्शित किए।

8.2.31 नानाहारी, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में कृषक जागरूकता कार्यक्रम

भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान (आईआईडब्ल्यूबीआर) ने उत्तराखण्ड और हरियाणा की सीमा पर उत्तर प्रदेश में स्थित नानाहारी (सहारनपुर) गांव में 'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001' पर 28 मार्च 2015 को एक कृषक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रगतशील किसान श्री सुरेन्द्र सिंह और श्री बालेन्द्र सिंह ने किया। डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पीपीवी और एफआरए इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे जिन्होंने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के विभिन्न प्रावधानों, प्राधिकरण के सामान्य



क्रियाकलापों, पौधा किस्मों की पंजीकरण प्रक्रिया, डीयूएस परीक्षण, जीन निधि, पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार और लाभ में भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। डॉ. इंदु शर्मा, निदेशक, आईआईडब्ल्यूबीआर, करनाल ने समारोह की अध्यक्षता की और किसानों से उनकी अनूठी स्थानीय भूप्रजातियों को पंजीकृत कराने व प्राधिकरण में कृषक किस्मों को भी पंजीकृत कराने का अनुरोध किया। उन्होंने गेहूं में रोग प्रबंध की विधियों पर भी प्रकाश डाला।

8.2.32 आईआईपीआर, कानपुर का दौरा

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के अध्यक्ष ने जैडपीडी, कानपुर में 26 फरवरी 2015 को आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया तथा 'पौधा किस्म सुरक्षा : महत्व एवं क्रियाविधियाँ' विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया। इसके अलावा उन्होंने 'किसानों तक पहुंचना – जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से कृषकों के अधिकार' पर भी एक अन्य प्रस्तुतीकरण दिया। इसके साथ ही उन्होंने आईआईपीआर, कानपुर में दलहनों के लिए डीयूएस केन्द्र का भी दौरा किया।

भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर द्वारा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के सहयोग से 26 फरवरी 2015 को किसानों व अन्य स्टेकहोल्डरों के लिए पौधा किस्म और कृषक

अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 पर एक अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उदघाटन प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रो. आर.आर. हंचिनाल ने डॉ. पी. के. सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, आईआईएसआर, लखनऊ; डॉ. रवि प्रकाश, पंजीकार, पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली की उपस्थिति में किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. एन.पी. सिंह, निदेशक, आईआईपीआर, कानपुर ने की। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात, फतेहपुर, जालोन जिलों के 99 किसानों ने भाग लिया। उनके साथ कृषि विज्ञान केन्द्र, बागेश्वर और नैनीताल के दो विषय-वस्तु विशेषज्ञ, आईआईपीआर, कानपुर के वैज्ञानिकों तथा तकनीकी अधिकारियों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।



प्रो. आर.आर. हंचिनाल ने वर्तमान वैश्विक संदर्भ में पौधा किस्मों की सुरक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। आईआईपीआर के निदेशक डॉ. एन.पी.सिंह ने सभी स्टेकहोल्डरों का स्वागत किया तथा कृषक किस्मों के पंजीकरण की संभावना तथा इसके लाभ पर बल दिया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से पौधा किस्मों तथा कृषकों के अधिकारों की सुरक्षा के प्रावधानों के बारे में जागरूकता सुनिश्चित करने हेतु उचित कदम उठाने का सुझाव दिया।

तकनीकी सत्र के दौरान डॉ. रवि प्रकाश, पंजीकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली ने प्राधिकरण के क्रियाकलापों व पौधा किस्मों के पंजीकरण के लिए नियमों व विनियमों पर विस्तार से बताया। डॉ. पी. के. सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ ने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 में कृषकों से संबंधित प्रावधानों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। डॉ. संजीव गुप्ता, परियोजना समन्वयक, मुलार्प ने दलहनी फसलों के संदर्भ में पौधा किस्मों की सुरक्षा के महत्व के बार में बताया जबकि डॉ. एस.के. चतुर्वेदी, अध्यक्ष, फसल सुधार प्रभाग ने किसानों से अपनी किस्मों को प्राधिकरण में पंजीकृत कराने का अनुरोध किया। डॉ. उमा साह और डॉ. एस.के. सिंह ने किसानों को उनके लाभ के लिए प्रशिक्षण के

दौरान प्राप्त की गई जानकारी के सर्वाधिक संभव उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया।

8.2.33 बी ए यू रांची में परीक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम

डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पीपीवी और एफआरए, नई दिल्ली ने 7 जून 2014 को पादप प्रजनकों के अधिकारों व किसानों के अधिकारों पर विशेष ध्यान आर्कषित करने के लिए पीपीवी और एफआर अधिनियम 2001 के प्रावधानों के बारे में विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों, पादप प्रजनकों व अनुसंधानकर्ताओं को सम्बोधित किया। इसके अंतर्गत उन्होंने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के अन्य प्रावधानों के बारे में भी बताया जैसे कृषक किस्मों व डीयूएस परीक्षण सहित किस्मों का पंजीकरण, ग्रोआउट परीक्षण, सुरक्षा की अवधि, लाभ में भागीदारी, अनिवार्य लाइसेंस, राष्ट्रीय जीन बैंक, फील्ड जीन बैंक, पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण व परिरक्षण में किए जाने वाले कार्यों के लिए किसानों को विभिन्न पुरस्कारों व सम्मानों को प्रदान करने तथा पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में भी बताया। छात्र तथा अनुसंधान अध्येता/संकाय सदस्य पौधा किस्मों के पंजीकरण व प्रजनकों, अनुसंधान कर्ताओं और किसानों के अधिकारों तथा प्राधिकरण द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न पुरस्कारों के विषय में बहुत उत्सुक थे और उन्होंने इस संबंध में अनेक प्रश्न किए।



8.2.34 भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान (आईआईएसआर), लखनऊ

आईआईएसआर, लखनऊ द्वारा 23 जून 2015 को भारतीय फार्मिंग प्रणाली अनुसंधान संस्थान, मोदीपुरम, मेरठ में 'किसान विज्ञान समागम' के अंतर्गत एक प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन डॉ. संजीव कुमार बालयान, माननीय राज्य कृषि मंत्री, भारत सरकार ने किया। इस कार्यक्रम में आईआईएसआर, लखनऊ; आईआईएसआर, मोदीपुरम; सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मादीपुरम, मेरठ तथा चीनी उद्योग से आए अन्य स्टेकहोल्डरों आदि सहित 500 से अधिक किसानों ने भाग लिया।

8.2.35 विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (वीपीकेएस), अल्मोड़ा

भा.कृ.अ.प.— विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा द्वारा अपने प्रायोगिक फार्म में 6-8 जून 2015 को 'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001' पर एक प्रशिक्षण व प्रेरक कार्यशाला आयोजित की गई। यह कार्यशाला पौधा किस्मों के पंजीकरण के महत्व व कृषक समुदाय को उनके अधिकारों के बारे में सचेत करने तथा पादप प्रजनकों में जागरूकता सुजित करने के लिए उत्तराखण्ड के पर्वतीय किसानों के लिए इस संस्थान के हवलबाग स्थित प्रायोगिक फार्म में आयोजित हुई थी।



प्रो. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पीपीवी और एफआर अधिकरण उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कार्यशाला का उद्घाटन किया और संस्थान के तीन प्रकाशनों का विमोचन किया। अपने उत्साहवर्धक उद्घाटन भाषण में उन्होंने पादप आनुवंशिक संसाधनों की विविधता तथा इसके मूल्यांकन व संरक्षण में कृषक समुदाय एवं कृषकों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रजनकों व किसानों को उनकी पौधा किस्मों के पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने पौधा किस्मों की सुरक्षा पर बल देते हुए अनुसंधान संस्थानों और वैज्ञानिकों से अनुरोध किया कि वे किसानों को उनकी किस्मों को पंजीकृत करवाने में उनका सहयोग करें। उन्होंने पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कारों, प्रतिदानों और सम्मानों के बारे में बताया। उन्होंने किसानों से इन पुरस्कारों का आवेदन करने और इसके लिए आगे आने का अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने उपस्थित जन-समुदाय को पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत पौधा किस्मों के पंजीकरण व सुरक्षा के क्षेत्र में हुई हाल की प्रगतियों से भी अवगत कराया।

अन्य विशिष्ट अतिथि वक्ताओं में शामिल थे : डॉ. एच.एस. चावला, अध्यक्ष, आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन प्रभाग, जीबीपीयूए और टी, पंतनगर; डॉ. एस.के. वर्मा, प्रभारी अधिकारी, एनबीपीजीआर क्षेत्रीय केन्द्र, भुवाली, नैनीताल डॉ. अरुण गुप्ता, प्रधान वैज्ञानिक, आनुवंशिक संसाधन

इकाई, आईआईडब्ल्यूबीआर करनाल; डॉ. जे.सी. भटट, पूर्व निदेशक, वीपीकेएएस, अल्मोड़ा और डॉ. एस.के. पंत, पूर्व प्रधान वैज्ञानिक, वीपीकेएएस, अल्मोड़ा। बौद्धिक सम्पदा अधिकार या आईपीआर, पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001, उत्तराखण्ड में कृषि जैवविविधता का संरक्षण व उपयोग व अन्य संबंधित मुद्दों पर व्याख्यान दिए गए। इस कार्यक्रम में कापकोट, मुक्तेश्वर और अल्मोड़ा से आए किसानों, पीकेएएस के वैज्ञानिकों, प्रशासनिक व तकनीकी स्टाफ सहित लगभग 80 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

8.2.36 कृषि विज्ञान केन्द्र, नागपुर

कृषि विज्ञान केन्द्र, नागपुर ने 50 किसानों के दो बैचों अर्थात् 100 किसानों के लिए (कृषि विज्ञान केन्द्र प्रशिक्षण हाल, नागपुर में 26–27 मार्च 2015 को) जो नागपुर जिले के उमरेद और कुही ताल्लुकों से आए थे, के लिए 'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001' पर एक प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का प्रायोजन पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने किया था। डॉ. शांति पाटिल, सहायक प्राध्यापक, कृषि महाविद्यालय (डॉ. पीडीकेवी), नागपुर; डॉ. पी. सांति, वरिष्ठ वैज्ञानिक, सीआईसीआर, नागपुर और श्री एच.वी. कुम्भलकर, कृषि विज्ञान केन्द्र, नागपुर संसाधन व्यक्ति थे। डॉ. यू. वी. गलकाटे, एसएमएस, कृषि विज्ञान केन्द्र, सीआईसीआर, नागपुर ने इस कार्यक्रम का समन्वयन किया।

8.2.37 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (भा.कृ.अ.सं.), क्षेत्रीय केन्द्र इंदौर

कृषि विज्ञान केन्द्र, कस्तूरबा ग्राम, इंदौर में 24 जनवरी 2015 को गेहूं और सोयाबीन के विशेष संदर्भ में 'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001' पर एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। किसानों, कृषक संगठनों के सदस्यों, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों, विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्रों के प्रशिक्षण संयोजकों तथा मध्य प्रदेश के राज्य कृषि विभाग



के प्रतिनिधियों सहित 200 से अधिक प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इसके पश्चात् किसानों व वैज्ञानिकों के बीच उपयोगी चर्चा हुई जिसमें किसानों की शंकाओं का समाधान किया गया तथा संबंधित मुद्दों पर उन्हें और अधिक जानकारी प्रदान की गई। यह कार्यक्रम डीयूएस परीक्षणों के खेत दौरों के साथ सम्पन्न हुआ।

8.2.38 भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान (आईआईआरआर), हैदराबाद

आईआईआरआर, हैदराबाद द्वारा राजेन्द्र नगर में 18 मार्च 2015 को 'पौधा किस्मों और कृषक किस्मों के पंजीकरण पर जागरूकता कार्यशाला' के रूप में एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न विषयों के 70 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का प्रायोजन कृषि विभाग के कृषि अधिकारियों के बीच जागरूकता सृजित करने के लिए पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम में राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के सहायक प्राध्यापकों/वैज्ञानिकों, कृषि विभाग के कृषि अधिकारियों, स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधियों और प्रगतशील किसानों ने भाग लिया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य प्रतिभागियों में पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के क्रियाकलापों, कृषकों के अधिकारों, समुदाय सम्मान पुरस्कारों, कृषक किस्मों के पंजीकरण आदि के बारे में जागरूकता प्रदान करना था।

8.2.39 भा.कृ.अ.प. — भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल

भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान (आईआईडब्ल्यूबीआर), करनाल द्वारा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली की सहायता के अंतर्गत जैडएआरएस और कृषि विज्ञान केन्द्र, मुरैना के सहयोग से निथारा, मुरैना, मध्य प्रदेश में 17 मार्च 2015 को पौधा किस्मों और कृषकों के अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर एक दिवसीय कृषक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित



वैज्ञानिकों के एक दल ने भाग लिया :

- ❖ डॉ. जोगेन्द्र सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक, जौ नेटवर्क
- ❖ डॉ. लोकेन्द्र कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक, जौ नेटवर्क
- ❖ डॉ. विष्णु कुमार, प्रधान अन्वेषक, डीयूएस जौ
- ❖ डॉ. एस.एस. तोमर, एसोसिएट अनुसंधान निदेशक (जैडएआरएस), मुरैना
- ❖ डॉ. धानवेन्द्र सिंह, (कृषि विज्ञान केन्द्र, मुरैना)

डॉ. विष्णु कुमार, प्रधान अन्वेषक, डीयूएस जौ ने कार्यसूची की मदों व पीपीवी और एफआरए के बारे में संक्षेप में बताया। डॉ. कुमार ने सामान्य रूप से पीपीवी और एफआर से संबंधित मुद्दों का परिचय देते हुए भारत में इससे मिलने वाली सहायता और विद्यमान प्रणाली पर प्रकाश डाला। डॉ. जोगेन्द्र सिंह और डॉ. विष्णु कुमार ने जौ में पीपीवी और एफआर की स्थिति का विवरण दिया और जौ



की खेती में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के बारे में बताया। डॉ. लोकेन्द्र कुमार ने 'ठेके पर खेती प्रणाली' में माल्ट जौ की खेती की संभावना पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इसे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में अपनाया जा रहा है। डॉ. जोगेन्द्र सिंह और डॉ. लोकेन्द्र कुमार ने उन्नत किस्मों के गुणवत्तापूर्ण बीज के उपयोग के बारे में भी चर्चा की।

डॉ. विष्णु कुमार ने किसानों से चर्चा करते हुए कहा कि वे अपने परंपरागत ज्ञान और अनुभव से विकसित की गई जौ, गेहूं तथा अन्य फसलों के किस्मों के पंजीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे तथा उनके क्षेत्र में दीर्घावधि से जो फसल विविधता मौजूद है उसे संरक्षित करने का प्रयास करेंगे। जौ इस क्षेत्र की परंपरागत फसल है जिसकी स्थानीय किस्मों को कृषकों द्वारा पंजीकृत कराया जाना चाहिए। उन्होंने पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कारों और कृषक प्रतिदानों एवं सम्मानों पर भी चर्चा की। जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों ने फसल संबंधित शंकाएं प्रस्तुत कीं जिनका समाधान किया गया। इसके अलावा कृषकों के अधिकारों, प्रजनकों के अधिकारों, राष्ट्रीय जीन निधि, किस्म पंजीकरण प्रक्रिया, ग्रो आउट परीक्षण, पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कारों आदि पर भी प्रतिभागियों के साथ गहराई से चर्चा हुई। इस जागरूकता कार्यक्रम में युवा किसानों सहित 100 से अधिक किसानों ने भाग लिया जो इनके द्वारा ऐसे मुद्दों पर दिखाई जाने वाली गहन रुचि का संकेत है।

9. प्राधिकरण के सामान्य क्रियाकलाप

रिपोर्टर्डीन अवधि के दौरान प्राधिकरण ने अपने मामलों पर अनेक आयोजन किए व बैठकें आयोजित कीं। वर्तमान में किसानों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों को सुरक्षा हेतु अपनी किस्मों को पंजीकृत कराने में सुविधा प्रदान कराने के लिए उनके आसपास प्राधिकरण के गुवहाटी और रांची में दो शाखा कार्यालय हैं। अध्यक्ष ने विभिन्न संगठनों/एजेंसियों के आमंत्रण पर अनेक स्थानों का दौरा किया। प्राधिकरण ने मुख्यालय तथा अन्य स्थानों पर अनेक बैठकें भी आयोजित कीं। इसकी गतिविधियों से संबंधित कुछ मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

9.1 प्राधिकरण का स्थापना दिवस

प्राधिकरण का दसवां स्थापना दिवस 11 नवम्बर 2014 को नास (एनएएससी परिसर), नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आरंभ में महापंजीकार ने स्थापना दिवस पर अधिकारियों व स्टाफ का स्वागत किया तथा उन्हें विशेष रूप से पिछले एक वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा की गई प्रगति के बारे में अवगत कराया। इस अवसर पर पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. आर.आर. हंचिनाल ने प्राधिकरण के स्टाफ को सम्मोहित किया तथा उन्हें प्राधिकरण की प्रगति के लिए उनके द्वारा प्रदान की गई उत्कृष्ट सेवाओं के लिए बधाई दी। उन्होंने स्टाफ से प्राधिकरण की आगामी प्रगति तथा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ मिलकर दल के रूप में कार्य करने की अपील की। डॉ. आर.सी. अग्रवाल, महा पंजीकार ने भी उपस्थित जनों को सम्मोहित किया तथा सभी अधिकारियों व स्टाफ सदस्यों से एक परिवार के रूप में व दल भावना से कार्य करने का अनुरोध किया।

9.2 सरकारी कामकाज में हिन्दी के उपयोग की प्रगति

❖ हिन्दी पखवाड़ा/दिवस का आयोजन 11 सितम्बर 2014 को किया गया जिसके अंतर्गत 'परंपरागत प्रजातियों के रखरखाव विकास में महिलाओं का योगदान' विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में प्राधिकरण के 14 कार्मिकों ने भाग लिया तथा निम्न को पुरस्कृत किया गया :

नाम	पद	पुरस्कार
श्री सुनीत कुमार	तकनीकी परीक्षक	प्रथम
श्रीमती रितु यादव	कार्यालय सहायक	द्वितीय
श्री श्याम नारायण प्रसाद	कप्यूटर सहायक	तृतीय
श्री राज गणेश	विधि सलाहाकार	संत्वाना
डॉ. धर्मेन्द्र सिंह पिलानियाँ	तकनीकी सहायक	संत्वाना
डॉ. अमित दीक्षित, श्री. टी. स्टीफन, श्री. रवीन्द्र कुमार, श्रीमती मनीषा गौतम,	तकनीकी परीक्षक	संत्वाना
श्री सुनील कुमार, श्री रामवीर सिंह, श्री अंकित कुमार	कार्यालय सहायक	संत्वाना
श्री. भूपेंद्र कुमार, श्री मनोज कुमार	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	संत्वाना



9.3 प्राधिकरण का सतर्कता जागरूकता सप्ताह

प्राधिकरण के स्टाफ ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह (27 अक्टूबर – 1 नवम्बर 2014) के अंग के रूप में भ्रष्टाचार से लड़ने और सतर्क रहने की शपथ ली। इस अवसर पर दिनांक 31 अक्टूबर 2014 को सतर्कता जागरूकता सप्ताह निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। उपरोक्त प्रतियोगिता में 'भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए प्रौद्योगिकी एक संबल के रूप में' विषय पर निबंध लिखना था। प्राधिकरण के पांच अधिकारियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया तथा निम्नलिखित को पुरस्कृत किया गया :

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	पुरस्कार
1	श्री डी.एस. राजगणेश, विधिक सलाहकार	प्रथम
2	श्री डी.एस. मिश्रा, संयुक्त पंजीकार	द्वितीय
3	श्री सुनीत कुमार, तकनीकी परीक्षक	तृतीय

- ❖ बायोवर्सिटी इंटरनेशनल, नई दिल्ली द्वारा 23–26 दिसम्बर 2014 को 'जलवायु परिवर्तन एवं खाद्य सुरक्षा संवेदनशीलता मूल्यांकन; जलवायु परिवर्तन हेतु अनुकूलन के लिए समुदाय स्तर की क्षमता के मूल्यांकन हेतु युक्ति' पर चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राधिकरण की ओर से डॉ. ज्योति जायसवाल और डॉ. मीनाक्षी भारद्वाज, पादप किस्म परीक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।



9.4 स्वच्छ भारत अभियान

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के शाखा कार्यालय ने गुवहाटी में असम कृषि विश्वविद्यालय, एएयू खानपाड़ा, गुवहाटी के परिसर में 20 मई 2011 से कार्य करना प्रारंभ किया था। शाखा कार्यालय के प्रमुख डॉ. ए.सी. सर्मा, उप पंजीकार हैं जिन्हें डॉ. ए.के. सिंह, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी की सहायता प्राप्त है।

9.5 शाखा कार्यालय, गुवहाटी

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के शाखा कार्यालय ने गुवहाटी में असम कृषि विश्वविद्यालय, एएयू खानपाड़ा, गुवहाटी के परिसर में 20 मई 2011 से कार्य करना प्रारंभ किया था। शाखा कार्यालय के प्रमुख डॉ. ए.सी. सर्मा, उप पंजीकार हैं जिन्हें डॉ. ए.के. सिंह, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी की सहायता प्राप्त है।

प्राप्त आवेदन/बीज नमूने

रिपोर्टर्डीन अवधि के दौरान विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत विभिन्न फसलों के लिए 253 आवेदन प्राप्त किए गए जिन्हें

आरंभिक जांच के पश्चात अगली आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्यालय भेजा गया। डीयूएस/जीओटी के लिए चावल तथा अन्य फसलों के 105 बीज नमूने गुवहाटी कार्यालय में प्राप्त हुए तथा उन्हें मुख्यालय भेजा गया।

❖ बायोवर्सिटी इंटरनेशनल की क्षेत्रीय कार्यशाला:

'पारिस्थितिक प्रणाली सेवाओं को सुनिश्चित करने तथा संवेदनशीलता को कम करने के लिए कृषि के क्षेत्र में कृषि जैव-विविधता संरक्षण व उपयोग को मुख्य धारा में लाने' विषय पर परियोजना की क्षेत्रीय कार्यशाला पीपीवी और एफआर प्राधिकरण व बायोवर्सिटी इंटरनेशनल द्वारा संयुक्त रूप से 2 मई 2014 में गेटवे ग्रैंडेयर, जी.एस. मार्ग, गुवहाटी में आयोजित की गई। इस कार्यशाला में डॉ. आर.आर.हंचिनाल, अध्यक्ष, पीपीवी और एफआरए, नई दिल्ली; डॉ. पी.एन. माथुर, क्षेत्रीय निदेशक, बायोवर्सिटी इंटरनेशनल, नई दिल्ली; डॉ. टी. के. मदान, बायोवर्सिटी इंटरनेशनल; डॉ. वी. रामता राव और डॉ. एम. दादलानी, परामर्शक, बायोवर्सिटी इंटरनेशनल; डॉ. डी.के.हुरे, परामर्शक, आई एस बी डी, इम्फाल; डॉ. आई.एस. बिष्ट, प्रधान वैज्ञानिक, एन बी पी जी आर, नई दिल्ली ने भाग लिया।

इस कार्यशाला में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अग्रणी स्वयं सेवी संगठनों के अलावा कई प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ने भाग लिया जिनमें प्रमुख हैं। प्रतिभागियों ने प्रस्तावित परियोजना के लिए असम और नागालैंड में तीन स्थलों को अंतिम रूप



दिया। बाद में, डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने डॉ.पी.एन. माथुर के साथ असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट के कुलपति डॉ. के.एम. बुजरबरवा के साथ 2 मई 2014 को उनके खानपाड़ा स्थित मुख्यालय में मुलाकात की। उनकी पारस्परिक चर्चा चावल की कृषक किस्मों के ग्रोआउट परीक्षणों, किस्मों के पंजीकरण व शाखा कार्यालय से संबंधित अन्य तकनीकों मुद्दों पर केंद्रित रही। कुलपति महोदय ने भविष्य में सभी संभावित सहयोग का आश्वासन दिया।

❖ **चावल डीयूएस परीक्षण का दौरा :** उप पंजीकार ने असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट का 31 मई 2014 को दौरा किया। डॉ. पी. बौरा, नोडल अधिकारी, डीयूएस परीक्षण के साथ चावल पर चर्चा हुई तथा अन्य वैज्ञानिकों के साथ चावल की कृषक किस्मों के ग्रोआउट परीक्षण पर विचार-विमर्श हुआ। असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट के अनुसंधान निदेशक डॉ. जी. एन. हजारिका के साथ भी चर्चा हुई जिसमें डॉ. पी. बौरा और डॉ. आकाशी सर्मा, नोडल और सह-नोडल अधिकारी, डॉ. पी.के. बरुआ, प्राध्यापक और अध्यक्ष, पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी, एएयू जोरहट ने भाग लिया। असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट के अनुसंधान निदेशक ने वैज्ञानिकों को ग्रो आउट परीक्षणों को सुचारू रूप से सम्पन्न करने का सुझाव दिया।



डीयूएस निगरानी

उप पंजीकार, गुवहाटी ने 2-3 सितम्बर 2014 को पटसन के लिए डीयूएस की निगरानी हेतु क्रमशः सीआरआईजे-एफ, बैरकपुर तथा सीएसआरएसजे-एफ, बुदबुद, पश्चिम बंगाल का दौरा किया। निगरानी समिति के सदस्य डॉ. डी.के. डे, पूर्व प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, बीसीकेवी, पश्चिम बंगाल (अध्यक्ष) और डॉ. जीवन मित्रा, प्रधान वैज्ञानिक (पीबीजी), सीआरआईजे-एफ, बैरकपुर; डॉ. पी.जी. करमाकर, निदेशक और डॉ. एस. सतपति, अध्यक्ष पादप सुरक्षा प्रभाग, सीआरआईजे-एफ, बैरकपुर ने भी इसमें भाग लिया। दिनांक 3 सितम्बर 2014 को निगरानी के दौरान डॉ. एस. बिस्वास, प्रभारी वैज्ञानिक, सीएसआरएसजे-एफ, बुद बुद भी मौजूद थे।



❖ **एनईएच क्षेत्र, नागालैंड के लिए भा.कृ.अ.प. परिसर का दौरा :** उप पंजीकार ने नव सृजित केन्द्र में चावल की कृषक किस्मों के ग्रो आउट परीक्षण के संदर्भ में 5 जून 2014 को भा.कृ.अ.प. नागालैंड, झारनापानी का दौरा किया। डॉ. विद्युत सी. डेका, संयुक्त निदेशक, भा.कृ.अ.प., नागालैंड; डॉ. अनामिका शर्मा, कार्यक्रम समन्वयक और डॉ. कलाम रवि, एस एम एस, सस्यविज्ञान, कृषि विज्ञान केन्द्र, दीमापुर ने भी चर्चा में भाग लिया और चावल की कृषक किस्मों के ग्रो आउट परीक्षण के लिए हर प्रकार के सहयोग का आश्वासन दिया।

कृषक किस्मों के ग्रो आउट परीक्षण

चावल की कृषक किस्मों के ग्रो आउट परीक्षण की निगरानी डॉ. एस.आर. धुआ, सीआरआरआई, कटक की अध्यक्षता के अंतर्गत असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट, भा.कृ.अ.प. नागालैंड और भा.कृ.अ.प. मणिपुर में की गई। यह निगरानी डॉ. ए.सी. सर्मा, उप पंजीकार, गुवहाटी की देखरेख में की गई जिसका विवरण इस प्रकार है :



निगरानी की तिथि	ग्रो आउट परीक्षण केन्द्र	किस्मों की संख्या
4 दिसम्बर 2014	एएयू जोरहट, असम	354
5 दिसम्बर 2014	भा.कृ.अ.प. नागालैंड, झरनापानी, मेद्जीफेमा	270
6–7 दिसम्बर 2014	भा.कृ.अ.प. मणिपुर, लामफेलपट	109

प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम

पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिकांशतः पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा आयोजित किए गए जिनमें से कुछ कार्यक्रमों की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

❖ लोअर सुवासिरी जिला (अरुणाचल प्रदेश) में प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम

कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा 9 फरवरी 2015 को प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। हपोली, सीरो, हारी, बुल्ला, दत्ता, मोनीपोलियांग आदि के विभिन्न कृषक क्लबों से आए लगीग 192 किसानों ने इसमें भाग लियां श्री गामवांग होचे, जिला प्रशिक्षण अधिकारी, पीडी, आत्मा, लोअर सुवासिरी जिला, अरुणाचल प्रदेश सरकार इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। डॉ. ए.सी. सर्मा, उप पंजीकार, गुवहाटी और डॉ. ए.म. श्रीवास्तव, एसोसिएट प्राध्यापक, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पासीघाट ने किसानों को पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के विभिन्न प्रावधानों के बारे में बताया। डॉ. ए.एन.



त्रिपाठी, कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक और श्री कोज हार्मिंग, एडीओ ने भी किसानों के साथ परिचर्चा कार्यक्रम में भाग लिया। किसानों ने पंजीकरण हेतु विभिन्न फसलों के आवेदन प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया। इससे संबंधित एक समाचार 11 फरवरी 2015 को अरुणाचल टाइम्स में भी प्रकाशित हुआ।

❖ कृषि विज्ञान केन्द्र, री भोई (मेघालय) में कार्यक्रम

कृषि विज्ञान केन्द्र, री भोई ने 21 मार्च 2015 को प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जिसका उद्घाटन डॉ. ए.के. त्रिपाठी, प्रभारी, जैडपीडी, अंचल-3 (भा.कृ.अ.प.) ने किया। डॉ. ए.के. मिश्रा, प्रभारी अधिकारी, एनबीपीजीआर क्षेत्रीय केन्द्र, शिलांग भी इस अवसर पर उपस्थित थे। उन्होंने किसानों को अपनी अनूठी किस्में पंजीकृत कराने के लिए आगे आने का अनुरोध किया। तकनीकी सत्र के दौरान पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या की गई जिनमें कृषकों के अधिकार, पंजीकरण प्रक्रिया, डीयूएस परीक्षण, पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार, प्रतिदान और सम्मान जैसे विषय भी शामिल थे।



यह व्याख्यान उप पंजीकार ने दिया। डॉ. एस.के. बैश्या, कार्यक्रम समन्वयक तथा कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों ने किसानों के साथ परिचर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दूरदर्शन केन्द्र, शिलांग ने इस विषय पर उप पंजीकार के एक साक्षात्कार का भी प्रसारण किया।

उपरोक्त कार्यक्रमों के अलावा उप पंजीकार, गुवहाटी ने कुछ अन्य प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लिया जो निम्नानुसार हैं :

1. कृषि विज्ञान केन्द्र, नामथांग, दक्षिण सिक्किम – 24 जुलाई 2014
2. कृषि विज्ञान केन्द्र, नागांव – 27 नवम्बर 2014
3. कृषि विज्ञान केन्द्र, कामरूप – 18 दिसम्बर 2014
4. कृषि विज्ञान केन्द्र, बारपेटा – 30 दिसम्बर 2014
5. कृषि विज्ञान केन्द्र, चांगलांग – 22 जनवरी 2015
6. कृषि विज्ञान केन्द्र, पूर्व खासी पहाड़ियां – 11 फरवरी 2015
7. कृषि विज्ञान केन्द्र, कामरूप – 16 मार्च 2015

9.6 शाखा कार्यालय, रांची

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण का शाखा कार्यालय, रांची बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची (झारखण्ड) के कम्प्यूटर केन्द्र भवन में स्थित है और इसकी कार्यसीमा झारखण्ड, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है। यह कार्यालय मई 2011 से कार्य कर रहा है। वर्तमान में श्री उमाकांत दुबे इसके उप पंजीकार हैं जो अप्रैल 2013 से यहां सेवारत हैं। इस शाखा का अधिदेश विभिन्न कृषि संस्थाओं/कृषि विश्वविद्यालय/कृषि विज्ञान केन्द्रों/विभागों/एजेंसियों द्वारा उनके कार्य क्षेत्र में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के संबंध में ज्ञान का प्रचार-प्रसार करने के लिए प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रमों, बैठकों/सेमिनारों में भाग लेना है। इसके द्वारा यह कार्यालय कृषकों के अधिकारों, पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कारों, प्रतिदानों और सम्मानों से लोगों को अवगत कराता है और स्थानीय तथा आदिवासी लोगों के द्वारा कृषक किस्मों के पंजीकरण को लोकप्रिय बनाने के साथ इस हेतु प्रेरण प्रदान करता है।

प्राप्त आवेदन/बीज नमूने

रिपोर्टर्डीन अवधि के दौरान शाखा कार्यालय को पंजीकरण हेतु 718 आवेदन प्राप्त हुए तथा डीयूएस और ग्रो आउट परीक्षणों के लिए विभिन्न फसलों के 288 नमूने भी प्राप्त हुए। प्राथमिक जांच के पश्चात उन्हें अगली कार्रवाई के लिए मुख्यालय भेजा गया।

❖ प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम में भागीदारी : एग्रीकल्चरल टैक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी (आत्मा), कृषि विभाग, झारखण्ड द्वारा 7 अप्रैल 2014 को ग्राम सादम, पंचायत-सादम में एक किसान गोष्ठी व दूसरी किसान गोष्ठी ग्राम बरियातु, पंचायत बरियातु, गोला ब्लॉक, रामगढ़, झारखण्ड में 7 अप्रैल 2014 को आयोजित की गई। इस अवसर पर उप पंजीकार ने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के विभिन्न प्रावधानों तथा पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण व परिरक्षण में किए गए कार्यों के लिए किसानों को दिए जाने वाले विभिन्न पुरस्कारों व सम्मानों पर एक व्याख्यान दिया। किसान कृषक किस्मों के पंजीकरण में गहन रूचि प्रदर्शित करते हुए पाए गए और कार्यक्रम में भाग लेने वाले किसानों ने पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार व पादप जीनोम संरक्षक कृषक सम्मान व पुरस्कार के अलावा कृषक किस्मों के पंजीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के प्रति काफी उत्साह प्रदर्शित किया। अंत

में एक परिचर्चा सत्र आयोजित किया गया जिसमें कृषकों के अधिकारों के बारे में कुछ मुख्य क्षेत्रों पर अनेक शंकाओं का समाधान किया गया।

- ❖ उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए संगठनों के साथ समन्वयन : शाखा कार्यालय के उप पंजीकार ने विभिन्न संगठनों जिनमें कृषि विज्ञान केन्द्र भी शामिल थे, को प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी की जाने वाली राशियों के उपयोग प्रमाण-पत्र एकत्र करने के लिए गंभीर प्रयास किए ताकि प्राधिकरण के लेखे की लेखापरीक्षा में सुविधा हो।
- ❖ पंजीकरण हेतु आवेदन दाखिल करने के लिए संगठनों के साथ समन्वयन : उप पंजीकार ने किसानों सहित विभिन्न संगठनों/स्टेकहोल्डरों से किस्मों के पंजीकरण हेतु आवेदन दाखिल करने के गंभीर प्रयास किए।
- ❖ प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों में भागीदारी : उप पंजीकार ने 27 सितम्बर 2014 को होली क्रॉस कृषि विज्ञान केन्द्र, हजारीबाग द्वारा आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। हजारीबाग के किसानों के अलावा लाथेर तथा पड़ोसी जिलों से आए 112 किसान इस कार्यक्रम में मौजूद थे। सिस्टर जोस्तिलन, निदेशक, होली क्रॉस, कृषि विज्ञान केन्द्र, हजारीबाग तथा उनके स्टाफ व अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। उप पंजीकार ने इस अवसर पर कृषक किस्मों के साथ-साथ पौधा किस्मों के पंजीकरण पर विशेष बल देते हुए पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के विभिन्न प्रावधानों तथा पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण व परिरक्षण में किसानों द्वारा किए गए कार्यों हेतु दिए जाने वाले विभिन्न पुरस्कारों व सम्मानों पर एक व्याख्यान दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित किसान अपनी किस्मों के पंजीकरण तथा पादप जीनोम संरक्षक कृषक पुरस्कार व सम्मान के बारे में बहुत उत्साहित थे। अंत में किसानों के साथ एक परिचर्चा सत्र का आयोजन किया गया। किसान कृषक किस्मों के पंजीकरण व विभिन्न पुरस्कारों के बारे में प्रश्न पूछने के प्रति बहुत उत्साहित थे। उप पंजीकार ने किसानों की शंकाओं का संतोषजनक समाधान प्रस्तुत किया। इस अवसर पर किसानों को 'कृषकों के अधिकारों' पर एक फिल्म भी प्रदर्शित की गई। लगभग 35 किसानों ने अपने बीजों तथा संरक्षित रोपण सामग्री का प्रदर्शन किया। उप पंजीकार, रांची ने उपरोक्त

अवधि के दौरान विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा शाखा कार्यालय की कार्य सीमा के अंतर्गत आयोजित किए जाने वाले 21 प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों में भी भाग लिया।

- ❖ श्री आर.के. मिश्रा, अपर आयुक्त (बीज) का दौरा : श्री आर.के. मिश्रा, अपर आयुक्त (बीज), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 15–16 जनवरी 2015 को रांची का दौरा किया। उनके इस दौरे के दौरान शाखा कार्यालय द्वारा उसकी स्थापना से लेकर अब तक की प्रगति की समीक्षा की गई तथा कृषक किस्मों के पंजिकरण व प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम के संदर्भ में चर्चा हुई। उन्होंने क्षेत्र में स्टेक होल्डरों को जारी किए गए प्रमाण—पत्रों तथा क्षेत्र की जैवविविधता को रिकॉर्ड करने में किसानों को प्रेरणा प्रदान करने जैसे पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर का लाभ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के रांची पर स्थित फील्ड जीन बैंक का दौरा करने के लिए भी उठाया गया। इस अवसर पर डॉ. आर.पी. सिंह, निदेशक (बीज एवं फार्म) और डॉ. सुप्रिया सिंह, सह-प्रधान अन्वेषक भी मौजूद थे।
- ❖ प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम : विकास भारती कृषि विज्ञान केन्द्र, गुमला द्वारा 29 जनवरी 2015 को ‘पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के मुख्य प्रावधानों’ पर एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। उप पंजीकार, रांची ने डॉ. आर.पी. सिंह ‘रत्न’ निदेशक (विस्तार), बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची; डॉ. संजय कुमार, कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, गुमला; श्री महेन्द्र भगत, कोषाध्यक्ष, विकास भारती, गुमला; श्रीमती सावित्री देवी, प्रमुख, विशनपुर, गुमला; श्री भिकारी भगत, सामाजिक कार्यकर्ता, ब्लॉक तकनीकी प्रबंधक, कृषि विभाग, गुमला तथा 150 से अधिक किसानों के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया।
- ❖ प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम : कृषि विज्ञान गिरडीह, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची द्वारा 26 फरवरी 2015 को पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 पर एक दिवसीय निरीक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। उप पंजीकार ने डॉ. सुशील प्रसाद, अपर निदेशक (विस्तार), बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची; डॉ. बी.के. भगत, आंचलिक परियोजना केन्द्र, दुमका; डॉ. जे.के. लाल, कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, बिरडीह; जिला

कृषि अधिकारी, गिरडीह, जिला बागवानी अधिकारी, गिरडीह और 100 से अधिक कृषकों के साथ कथित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

- ❖ गुणवत्तापूर्ण बीजोत्पादन एवं प्रसंस्करण, भंडारण एवं विपणन के संबंध में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी : बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची के विस्तार शिक्षा निदेशालय में 5–6 फरवरी 2015 को गुणवत्तापूर्ण बीजोत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण और विपणन पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। श्री उमाकांत दुबे, उप पंजीकार ने डॉ. आर.पी. सिंह रत्न, निदेशक (विस्तार शिक्षा), बीएयू रांची; डॉ. आर.पी. सिंह, निदेशक (बीज एवं फार्म), बीएयू रांची; डॉ. देवेन्द्र प्रसाद, अध्यक्ष, कीटविज्ञान, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची; डॉ. पी. के. दत्ता, उप महाप्रबंधक, नाबार्ड, रांची; डॉ. सुप्रिया सिंह, डीएसएफ, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची; डॉ. अशोक कुमार, कार्यक्रम समन्वयक, सिम्देगा तथा लगभग 25 प्रतिभागियों के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। इन प्रतिभागियों में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यक्रम समन्वयक व विषय-वस्तु विशेषज्ञ भी शामिल थे।
- ❖ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची में आयोजित किसान मेला – एग्रोटेक, 2015 : शाखा कार्यालय रांची ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची द्वारा ‘एग्रो टैक 2015 किसान मेला’ में भाग लिया। यह मेला 14–16 मार्च 2015 को आयोजित हुआ था और इसमें लगभग 157 किसानों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों ने शाखा कार्यालय के स्टाल का भ्रमण किया।
- ❖ प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम : कृषि विज्ञान केन्द्र, पाकुर (बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची) द्वारा 19 मार्च 2015 को पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 पर एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। उप पंजीकार ने इस कार्यक्रम में भाग लिया जिसमें पाकुर तथा पडोसी जिलों के 100 से अधिक किसान भी आए थे।
- ❖ डॉ. सुशील प्रसाद, अपर निदेशक (विस्तार), बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची; डॉ. वी.के. भगत, आंचलिक अनुसंधान केन्द्र, दुमका; श्री उमाकांत दुबे, उप पंजीकार, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, रांची; डॉ. राजेश कुमार, कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, पाकुर; श्री मिथिलेश कुमार, जिला कृषि अधिकारी, पाकुर; डॉ. विनोद कुमार, विषय-वस्तु विशेषज्ञ, मृदा विज्ञान, कृषि विज्ञान केन्द्र, पाकुर; डॉ. पंकज

कुमार, विषय वस्तु विशेषज्ञ, पशुविज्ञान, कृषि विज्ञान केन्द्र, पाकुर भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मौजूद थे।

9.7 पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की बैठकें

बैठकें	दिनांक	स्थान
प्राधिकरण की 20वीं बैठक	17 अप्रैल 2014	मंडल कक्ष, आईजीएच,
प्राधिकरण की 21वीं बैठक	31 अक्टूबर 2014	एनएएससी परिसर, नई दिल्ली

9.7.1 प्रमुख निर्णय

- ❖ सात फसल प्रजातियों नामतः चाय की तीन प्रजातियों, खट्टा, संतरा, नारंगी तथा आनसीडियम ऑर्किड के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया।
- ❖ डीयूएस परीक्षणों से आवेदनों या बीजों के वापस लेने के मामले में आवेदकों को डीयूएस परीक्षण शुल्क का वापस न किया जाना।
- ❖ पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के शासकीय भवन के निर्माण हेतु पीपीवी और एफआर प्राधिकरण को 10,480 वर्ग मी. भूमि को पट्टे पर दिए जाने के संबंध में पीपीवी और एफआर प्राधिकरण तथा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बीच पट्टा करार को अंतिम रूप दिया जाना और पीपीवी और एफआर प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय बारानी क्षेत्र प्राधिकरण, नई दिल्ली के बीच एमओयू को लागू किया जाना।
- ❖ डीयूएस केन्द्रों के लिए डीयूएस परीक्षण शुल्क की लेखाकरण नीति में परिवर्तन।
- ❖ पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत कानून के अनुसार मामले को एडजंक्ट करने या उसका निपटारा करने के लिए अध्यक्ष या उसके नामिती को लाभ में भागीदारी से संबंधित मामलों के निपटारे से संबंधित शक्तियों का प्रदानीकरण।
- ❖ प्राधिकरण के कर्मचारियों के संदर्भ में नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी की प्रस्तावित अनुसूची।
- ❖ विद्यमान किस्म अनुशंसा समिति की 22–25वीं बैठकों में की गई अनुशंसाओं का अनुमोदन।
- ❖ भारत के राजपत्र में 16 अप्रैल 2014 को अधिसूचना संख्या एसओ 1903 (ई) के द्वारा अधिसूचित सभी अन्य फसलों के लिए 50,000/-रु. तथा जौ के लिए 40,000/-रु. डीयूएस परीक्षण शुल्क का निर्धारण।

❖ फसल प्रजातियों नामतः केली, ग्लेडियोलस, खरबूजा, तरबूज, आड़, जापानी अलूचा, चमेली, पपीता, चाइना एस्टर, रजनीगंधा और स्ट्राबेरी के डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देशों का अनुमोदन।

- ❖ वर्ष 2013–14 के लिए प्राधिकरण के वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखों का अनुमोदन।
- ❖ पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कारों, 2013 का अनुमोदन।
- ❖ स्थल पर डीयूएस परीक्षण के लिए सामान्य दिशानिर्देश

9.8 प्राधिकरण भवन का निर्माण

प्राधिकरण भवन का निर्माण सिविक अधिकारियों से प्राप्त होने वाली अनेक अनापत्तियों से संबंधित है जो विभिन्न एजेंसियों के विचाराधीन है। इसका विवरण इस प्रकार है :

खाका योजना

- ❖ उत्तरी नगर निगम, नई दिल्ली के टाउन नियोजन विभाग को अनुमोदन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
- ❖ उत्तरी दिल्ली नगर निगम अंतिम अनापत्ति के लिए यह मामला ले आउट स्क्रूटनी कमेटी (एलओएससी) को प्रस्तुत करेगा।
- ❖ एलओएससी से अनापत्ति प्राप्त होने के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम इसे दिल्ली अग्नि शमन सेवा को उनके अनुमोदन के लिए तथा दिल्ली शहरी कला आयुक्त (डीयूएससी) को भेजेगा।
- ❖ दिल्ली अग्नि शमन सेवा /डीयूएससी से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात यह मामला खाका योजना के अंतिम अनुमोदन के लिए स्थायी समिति को प्रस्तुत किया जाएगा।

9.9 स्टाफ कल्याण तथा समाचार

- ❖ श्री नीतेश कुमार वर्मा, कम्प्यूटर सहायक को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के विदेश व्यापार के महानिदेशक के कार्यालय कानसोल ऑपरेटर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित किया गया और उन्हें 25 जून 2014 को कार्यमुक्त किया गया।

9.10 डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की भागीदारी

- ❖ एआईसीआरपी – राष्ट्रीय बीज परियोजना (फसलों) की 29वीं वार्षिक बैठक : 26 अप्रैल 2014 को एस के यू ए और टी, श्रीनगर में आयोजित हुई। डॉ. आर.आर. हंसीनाल, अध्यक्ष, पीपीवी और एफआरए ने छठे और

सातवें तकनीकी सत्रों की अध्यक्षता की और 'बीज उद्योग पर पौधा किस्म सुरक्षा के प्रभावों' पर एक व्याख्यान दिया। बाद में सी आई टी एच, श्रीनगर में किए जा रहे डी यू एस परीक्षणों का निरीक्षण किया गया। निदेशक, सी आई टी एच और वैज्ञानिकों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान अध्यक्ष महोदय ने अनेक मुद्दों पर चर्चा की और पी जी आर संबंधी क्रियाकलापों को बढ़ावा देने व संरक्षण तथा कश्मीर घाटी व लद्दाख क्षेत्र के किसानों की स्थानीय कृषक किस्मों के पंजीकरण के बारे में निदेशक (अनुसंधान) से भी चर्चा की।

❖ केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ अनेक साझेदारों के साथ दिनांक 28–29 जून, 2014 को आम में मूल्य शृंखला प्रबंधन के सहभागिता मुद्दे, आम विविधता एवं किसान गोष्ठी विषय पर दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार का विषय—वस्तु आम की मूल्य शृंखला को सक्षम बनाने हेतु इसके उत्पादन, तुड़ाई पूर्व एवं आपूर्ति शृंखला प्रबंधन से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण कर निदान करना प्रासंगिक एवं समयानुकूल है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय एवं विश्व स्तर की उत्पादकता, गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर विमर्श किया। भारतीय परिदृश्य में बहुत स्तर पर लघु जोत वाले बागवानों, सजग उपभोक्ताओं वाले घरेलू बाजार तथा विश्व स्तर पर व्याप्त खाद्य सुरक्षा एवं संगरोध की समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता पर जोर दिया। स्पष्ट रूप से ये सभी विकट चुनौतियाँ मूल्य शृंखला को सक्षम बनाने हेतु बेहतर उत्पाद गुणवत्ता प्रबंधन के द्वारा समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उपरोक्त बैठक में डा. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष, पौधा किस्म कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली माननीय अधिति के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में वैज्ञानिकों एवं आम के कास्तकारों को पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के विषय में जानकारी प्रदान की। इस बैठक में वैज्ञानिकों ने आम उत्पादन के क्षेत्र में विभिन्न विषयों पर व्याख्यान प्रस्तुत किए।

❖ प्राधिकरण के अध्यक्ष ने 21 जुलाई 2014 को कृषि भवन, नई दिल्ली में श्री राधा मोहन सिंह, माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री के समक्ष पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के क्रियाकलापों पर एक संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण दिया। अपने प्रस्तुतीकरण में उन्होंने पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी और एफआरए) के स्थापना काल से लेकर अब तक इसके क्रियाकलापों /

उपलब्धियों के विषय में संक्षेप में बताया।

❖ डॉ. वाई.एस. परमार कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पालमपुर के कुलपति तथा वरिष्ठ वैज्ञानिकों व अधिकारियों के साथ 26–27 जुलाई 2014 को एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में चर्चा का मुख्य विषय हिमाचल प्रदेश में विश्वविद्यालय द्वारा पादप आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण था। उन्होंने पॉपलर, बलूत व कार्नेशन के डीयूएस केन्द्रों का दौरा किया तथा सेब, आड़ तथा चेरी रिपोजिटरी की स्थिति की समीक्षा के लिए मशोबरा स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र व फील्ड जीन बैंक का भी दौरा किया।

❖ डॉ. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष ने ज्वार में डीयूएस परीक्षण के लिए नोडल केन्द्र के रूप में स्थापित डीएसआर, हैदराबाद का 2 अगस्त 2014 को दौरा किया तथा ज्वार पर डीयूएस परीक्षणों का निरीक्षण किया। डॉ. हरि प्रसन्ना के, नोडल अधिकारी ने शामिल की गई विभिन्न प्रत्याशी किस्मों के लिए डीयूएस परीक्षणों का निरीक्षण किया। खरीफ 2014 मौसम के दौरान 2 परीक्षण आयोजित किए गए थे। प्रथम वर्ष के परीक्षण के अंतर्गत 7 नई और 4 कृषक किस्मों को मिलाकर कुल 11 प्रत्याशी किस्मों का लक्षण—वर्णन 16 संदर्भ किस्मों के साथ किया गया। 7 नई प्रत्याशी किस्मों में से 4 सार्वजनिक क्षेत्र की तथा 3 निजी क्षेत्र की थीं। परीक्षण के दूसरे वर्ष के अंतर्गत 9 प्रत्याशी किस्मों (7 निजी क्षेत्र की और 2 सार्वजनिक क्षेत्र की) का 9 संदर्भ किस्मों के साथ लक्षण—वर्णन किया गया। फसल बूटिंग अवस्था से लेकर अगेती पुष्पन अवस्था में थी। डॉ. हंचिनाल ने खेत के खाके, परीक्षणों के प्रबंध तथा रखरखाव की बहुत प्रशंसा की तथा डीयूएस परीक्षण हेतु आयोजित किए गए ज्वार परीक्षणों पर संतोष व्यक्त किया।



❖ आनुवंशिक संसाधनों के प्रबंध पर राष्ट्रीय परामर्श मंडल (एनएबीएमजीआर) की दो बैठकें भा.कृ.अ.प. के पूर्व अध्यक्ष तथा टास के अध्यक्ष डॉ. आर.एस. परोदा की

अध्यक्षता में नई दिल्ली में 16 जून और 3 सितम्बर 2014 को आयोजित की गई। 16 जून 2014 को आयोजित बैठक में पीपीवी और एफआरए के अध्यक्ष ने 'चावल के जीन निधि, किस्मों के पंजीकरण व बासमती चावल के भौगोलिक संकेत (जीआई) की स्थिति' पर एक प्रस्तुतीकरण दिया। दूसरी बैठक में एनबीपीजीआर तथा एनएआरएस के साथ अन्य देशों तथा निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों के भारत स्थित कार्यालय के अधिकारियों के साथ एनबीपीजीआर व एनएआरएस में उपलब्ध जननद्रव्य की भागीदारी पर चर्चा हुई तथा निजी क्षेत्र के साथ जननद्रव्य की भागीदारी के लिए सामग्री हस्तांतरण समझौतों (एमटीए) की समीक्षा की गई, ताकि द्विपक्षीय कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य देशों को जननद्रव्य का निर्यात किया जा सके।

- ❖ माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री द्वारा कृषि भवन में 8 सितम्बर 2014 को आयोजित की गई आईटीपीजीआरएफए के वैशिक फसल विविधता न्यास शीर्षक की बैठक में भाग लिया।
- ❖ नेशनल सीड़स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनएसएआई) की महासभा की वार्षिक बैठक 13 सितम्बर 2014 को हैदराबाद में आयोजित की गई। इसमें पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के अध्यक्ष को एजीएम के पश्चात आयोजित होने वाले सत्र में 'पंजीकृत किस्मों का वाणिज्यिक दोहन' विषय पर एक व्याख्यान देने के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर निजी बीज कंपनियों के लगभग 60 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अध्यक्ष ने आयोजित किए जाने वाले डीयूएस परीक्षणों का निरीक्षण करने के लिए 14 सितम्बर 2014 को चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद का दौरा किया। उन्होंने बांग्लादेश, भारत तथा नेपाल से आए प्रशिक्षणार्थियों के साथ एक परिचर्चा बैठक में भी भाग लिया तथा इक्रीसैट, हैदराबाद में आईआरआरआई, भारत कार्यक्रम के अंतर्गत पौधा किस्मों की सुरक्षा व बौद्धिक सम्पदा अधिकार या आईपीआर से संबंधित मुददों पर अपने विचार व्यक्त किए।
- ❖ पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के नई दिल्ली स्थित कार्यालय में 23 सितम्बर 2014 को एबीएलई-एजी व बायोवर्सिटी इंटरनेशनल द्वारा आयोजित कृषि में विनियम संबंधी मामलों पर विदेशी विशेषज्ञों की विशेष बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान उन्होंने 'किस्मों की सुरक्षा की भारतीय प्रणाली' पर अपने विचार व्यक्त किए।
- ❖ दिनांक 27 सितम्बर 2014 को भा.कृ.अ.प. अनुसंधान

परिसर, गोआ में 'प्रत्येक के लिए नोनी' विषय पर आयोजित नौवें राष्ट्रीय सिम्पोजियम में नोनी फसल में डीयूएस परीक्षणों के विवरणों को अंतिम रूप देने के लिए प्राधिकरण द्वारा किए गए प्रयासों व 'पौधा किस्मों की सुरक्षा की भारतीय प्रणाली' पर एक विशेष व्याख्यान दिया।

- ❖ तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर में 'भारतीय बागवानी कांग्रेस 2014' में भाग लिया तथा पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 पर विशेष बल देते हुए 'बागवानी उत्पादन से संबंधित वर्तमान आईपीआर मुददे और व्यापार' पर प्रमुख व्याख्यान दिया। यह कार्यक्रम 6-9 नवम्बर 2014 को आयोजित किया गया।
- ❖ बीज आंदोलन, विनियमन तथा क्रियाविधियों के सुचारू संचालन के लिए सीएबीआई कार्यालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में विशेषज्ञ परामर्श के लिए भाग लिया। अध्यक्ष महोदय ने 25 नवम्बर 2014 को 'रैप अप एंड वे फोरवर्ड' शीर्षक के एक सत्र की अध्यक्षता भी की।
- ❖ पीपीवी और एफआर प्राधिकरण तथा बायोवर्सिटी इंटरनेशनल के अधिकारियों के एक दल जिसमें पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के अध्यक्ष के अलावा डॉ. पी. एन. माथुर और डॉ. मालविका दादलानी भी थे, ने 13 जनवरी 2015 को महाराष्ट्र के जवाहर ब्लॉक में 'पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार विजेता समुदाय' से चर्चा की। इन्हें चावल, लघु मोटे अनाजों, सब्जियों व कंद फसलों की कृषक किस्मों के संरक्षण में किए गए प्रयासों के पुरस्कृत किया गया था। पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, बायोवर्सिटी इंटरनेशनल तथा बीएआईएफ के साथ सामुदायिक बीज बैंकों की स्थापना के लिए क्रियाविधियों पर भी इस बैठक में चर्चा हुई।
- ❖ डॉ. आर.आर. हंचिनाल ने 9 जनवरी 2015 को नई दिल्ली में सतगुरु मैनेजमेंट कंसलटेंट द्वारा 'बीज क्षेत्र, विशेष रूप से आण्विक विज्ञान और जैवप्रौद्योगिकी में बीज क्षेत्र (पीपीवी और एफआर) नीतियां व प्रगतियां' विषय पर आयोजित पैनल चर्चा में मॉडरेटर के रूप में कार्य किया।
- ❖ पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना में 28 जनवरी 2015 को आयोजित वार्षिक दीक्षांत समारोह एवं पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई। दीक्षांत भाषण में अध्यक्ष महोदय ने कृषि में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों तथा पौधा किस्मों की सुरक्षा के महत्व के बारे में बताया।

- ❖ इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, निरम विश्वविद्यालय, अहमदाबाद में 'विधि, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, भावी दिशा' विषय पर आयोजित चौथे राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लिया तथा कृषि में टिकाऊ उपयोग के लिए पादप अनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण व पौधा किस्म सुरक्षा पर एक प्रस्तुतीकरण दिया।
- ❖ एनएएसआई द्वारा आयोजित वार्षिक फोरम इंडियन सीड कांग्रेस परियोजना के प्रतीक्षित अवसर के रूप में उभरा जिसमें बीज उद्योग क्षेत्र के नवीनतम विचारों और प्रवृत्तियों को प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा उनकी चिंताओं के बारे में भी बताया गया था। इस अवसर पर नई प्रौद्योगिकी प्रगतियों, प्रौद्योगिकी विकास में आने वाली बाधाओं व उन्हें लागू करने में आने वाली रुकावटों पर चर्चा हुई। इसमें नए उत्पादों की व्यापक श्रेणियों, सेवाओं तथा बेहतर व्यापार विकास के नेटवर्क को भी प्रदर्शित किया गया। आगरा में एनएएसआई द्वारा आयोजित भारतीय बीज कांग्रेस 2015 एक बृहत बीज उद्योग का छठा संस्करण था। इस कांग्रेस में सभी प्रमुख स्टेकहोल्डरों ने प्रतिनिधित्व किया जिसमें उद्योग (बीज और संबंधित विषय), नीति निर्माता, विकास एजेंसियां, वैज्ञानिक समुदाय और कृषक संगठन शामिल थे। कांग्रेस के प्रतिनिधियों में 15 से अधिक देशों के उद्योग अग्रणी शामिल थे।
- ❖ इलाहाबाद में बायोवेद रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंड टैक्नोलॉजी द्वारा 'उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीण रोजगार के लिए कृषि नवोन्मेष' पर आयोजित सत्रहवीं भारतीय कृषि वैज्ञानिक एवं कृषक कांग्रेस में मुख्य अतिथि तथा परामर्श समिति के सदस्य के रूप में भाग लिया और 21 फरवरी 2015 को पीपीवी और एफआर अधिनियम व पीजीआर के संरक्षण पर एक प्रस्तुतीकरण दिया।
- ❖ दिनांक 22–23 फरवरी 2015 को आदिवासी समुदायों के पादप आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े क्रियाकलापों को देखने के लिए बस्तर क्षेत्र का दौरा किया तथा सामुदायिक बीज बैंक स्थापित करने की क्रियाविधियों को तैयार किया। उन्होंने 22–23 फरवरी 2015 को कृषक किस्मों के ग्रो आउट परीक्षणों से संबंधित प्रगति की समीक्षा के लिए आईजीकेवी, रायपुर का भी दौरा किया।
- ❖ नई दिल्ली में 12 मार्च 2015 को आयोजित भा.कृ.अ.प.—जैवविविधता कार्य योजना 2012–16 के अंतर्गत भारतीय साझीदारों के सहयोग में बायोवर्सिटी इंटरनेशनल द्वारा चलाई जा रही परियोजना गतिविधियों पर चर्चा के लिए आयोजित एक कार्यशाला में भाग लिया। अध्यक्ष, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण ने 'पीपीवी और एफआर प्राधिकरण तथा बायोवर्सिटी इंटरनेशनल – सहयोगात्मक गतिविधियाँ' पर एक प्रस्तुतीकरण भी दिया।
- ❖ बस्तर क्षेत्र के लिए सामुदायिक जीन बैंक की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ के राज्य स्तर के बीज विविधता मेले में भाग लिया। यह मेला तथा कृषक अधिकारों पर आंचलिक कार्यशाला पीपीवी और एफआरए, बायोवर्सिटी इंटरनेशनल, भा.कृ.अ.प. — जैडपीडी 7 तथा आईजीकेवीवी द्वारा संयुक्त रूप से आईजीकेवीवी, रायपुर में 13 मार्च 2015 को आयोजित की गई थी। इस बैठक व कार्यशाला में छत्तीसगढ़ सरकार के माननीय जनजातीय समुदाय विकास मंत्री तथा महा निदेशक, बायोवर्सिटी, रोम ने भी भाग लिया था। अध्यक्ष महोदय ने आदिवासी क्षेत्रों में सामुदायिक बैंकों की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्य मंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में भी भाग लिया।
- ❖ अध्यक्ष को 'उत्तर प्रदेश में आईपीआर तथा संबंधित मुद्दे : वर्तमान परिदृश्य एवं भावी आवश्यकताएं' आयोजित कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया जहां उन्होंने लखनऊ में 27 मार्च 2015 को उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित तकनीकी सत्र में 'पौधा किस्मों और कृषक अधिकारों की सुरक्षा' विषय पर एक व्याख्यान दिया।

9.11 महापंजीकार की भागीदारी

- ❖ भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे में 22 मई 2014 को 'महाराष्ट्र जीन बैंक गतिविधियों के माध्यम से आंकड़ा सृजन के लिए डेटाबेस डिजाइन' से संबंधित बैठक में एक विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया।
- ❖ एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में 29 सितम्बर 2014 को 'कृषि में ई-संसाधन (सीईआरए) के लिए कंसोर्टियम पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला' के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।
- ❖ आनंद कृषि विश्वविद्यालय, वडोदरा, गुजरात में 8 अक्टूबर 2014 को पीपीवी और एफआरए के एक दिवसीय जोन स्तर के प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। उसी दिन उन्होंने आनंद कृषि विश्वविद्यालय, आनंद में पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 पर आयोजित एक अन्य प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम में भी भाग लिया। इसका उद्घाटन आनंद कृषि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉ. एन.सी. पटेल ने किया था।

इसमें 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिनमें जोन—VI के परियोजना समन्वयक भी शामिल थे। कृषि विज्ञान केन्द्र के अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। प्रशिक्षण के दौरान महा पंजीकार ने पीपीवी और एफआर अधिनियम के बारे में विस्तार से बताया।

- ❖ विस्तार निदेशालय, कृषि मंत्रालय द्वारा 'किसानों द्वारा किए गए नव प्रवर्तनों को अनुकूल बनाने के लिए विस्तार कार्यनीतियाँ' पर एक मॉडल प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'कृषकों के नवप्रवर्तन को बढ़ावा देने में पीपीवी और एफआरए की भूमिका तथा इसकी योजनाएँ' विषय पर एक प्रस्तुतीकरण दिया। यह कार्यक्रम भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली के कृषि विस्तार संभाग में 14 अक्टूबर 2014 को आयोजित किया गया था।
- ❖ विस्तार निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग तथा राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित 'पोषणिक सुरक्षा में जननद्रव्य विविधता की भूमिका' पर मॉडल प्रशिक्षण कोर्स (एमटीसी) में 'पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत पौधा किस्मों के पंजीकरण' पर एक व्याख्यान दिया। यह कार्यक्रम 27 नवम्बर 2014 को एनबीपीजीआर, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
- ❖ आईएएसआरआई, पूसा, नई दिल्ली में 5 जनवरी 2015 को कृषि अनुसंधान में सांचिकी एवं प्रयोगात्मक डिजाइनों, आंकड़ा विश्लेषण एवं जैवमितीय तकनीकों के महत्व पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'पौधा किस्मों और कृषकों के अधिकारों की सुरक्षा' पर एक व्याख्यान दिया।
- ❖ महा पंजीकार को शेर-ए-काश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू में 8 जनवरी 2015 को टिकाऊ ग्रामीण आजीविका-प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत संदर्भ विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार के 'कृषक-अभियुक्त नवोन्मेष, ग्रामीण समृद्धि' के लिए विशेषज्ञतापूर्ण एवं गौण कृषि' सत्र के दौरान कृषकों की नवीन खोजों के संदर्भ में पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया।
- ❖ जैविक विज्ञानों की राष्ट्रीय अकादमी, चैन्सई ने के एस रंगास्वामी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, तिरुचेनगोड, तमिल नाडु में 19 जुलाई 2014 को 'जैवविविधता संरक्षण – स्थिति, भविष्य तथा भावी दिशा' विषय पर एनएबीएस राष्ट्रीय सेमिनार के उद्घाटन समारोह में प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. आर.आर. हंचिनाल को फसल सुधार व बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदानों के लिए एनएबीएस – लाइफ टाइम एचीवमेंट एवार्ड 2013 से सम्मानित किया। इस सेमिनार में महापंजीकार डॉ. आर.सी.अग्रवाल भी उपस्थित थे और उन्होंने एक व्याख्यान दिया। उन्होंने अपने क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए सहयोग की संभावना के संदर्भ में केएसआर समूह के प्रमुख व जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र के अध्यक्ष के साथ चर्चा भी की।
- ❖ अध्यक्ष और महापंजीकार ने श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर) स्थित शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एसकेयूए और टी) का 26 अगस्त 2013 को दौरा किया तथा वहां के कुलपति, निदेशक (अनुसंधान) और निदेशक (विस्तार शिक्षा) से सौहार्दपूर्ण मुलाकात की। बैठक के दौरान उन्होंने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 तथा कृषकों के अधिकारों के बारे में राज्य में जागरूकता को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। कुलपति तथा विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने अपने पूर्व सहयोग व सहायता का आश्वासन दिया और कश्मीर घाटी से विद्यमान किस्मों व कृषक किस्मों के पंजीकरण हेतु पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के सहयोग में विशेष प्रयास करने का वचन दिया। कुलपति ने वित्तीय सहायता का अनुरोध करते हुए घाटी में इस प्रकार के प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि वे इस मामले को व्यक्तिगत तौर पर देखेंगे तथा भू-प्रजातियों सहित कृषक किस्मों व परंपरागत किस्मों के पंजीकरण को सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाएंगे। अध्यक्ष ने स्टाबेरी, आड़ू तथा आलूचे के डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास की स्थिति का जायजा लेने के लिए 27 अगस्त 2014 को केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान (सीआईटीएच), श्रीनगर का दौरा किया। इन फलों के दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कार्यबल की बैठक में इन दिशानिर्देशों को शीघ्र अंतिम रूप दिए जाने का अनुरोध किया।
- ❖ अध्यक्ष तथा महा-पंजीकार ने 14 नवम्बर 2014 को पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना में भा.कृ.अ.प. क्षेत्रीय समिति सं. V की 23वीं बैठक में भाग लिया। इस क्षेत्रीय समिति की बैठक का आयोजन पंजाब कृषि विश्वविद्यालय तथा केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान (सीएसएसआरआई) करनाल ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना के परिसर में किया था। इस

- अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने 'पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के कार्यान्वयन में उपलब्धियाँ' विषय पर एक प्रस्तुतीकरण दिया। राज्य के कृषि सचिवों, कृषि/पशुचिकित्सा विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, भा.कृ.अ.प. के सहायक महानिदेशकों, भा.कृ.अ.प. के विभिन्न संस्थान के निदेशकों तथा भा.कृ.अ.प. के संस्थानों के क्षेत्रीय केन्द्रों, गैर-सरकारी एजेंसियों तथा प्रगतशील किसानों ने इस क्षेत्रीय समिति की बैठक में भाग लिया।
- ❖ अध्यक्ष ने महापंजीकार के साथ 21 जनवरी 2015 को नई दिल्ली स्थित एनएससी परिसर में भा.कृ.अ.प. के क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लिया जहां अध्यक्ष महोदय ने 'पौधा किस्मों, पीजीआर की सुरक्षा व संरक्षण पर भारतीय विधान' पर एक प्रस्तुतीकरण दिया।
 - ❖ छठवीं भारतीय बीज कांग्रेस 2015 का आयोजन 13–14 फरवरी 2015 को नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आगरा में किया गया जहां अध्यक्ष महोदय ने 'भारतीय बीज उद्योग पर पीपीवी और एफआर अधिनियम का प्रभाव' विषय पर एक प्रस्तुतीकरण दिया। नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया भारतीय बीज उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्ष संगठन है जो किसानों की आवश्यकताओं को समझते हुए तथा वर्तमान पीढ़ी द्वारा जिन समस्याओं का सामना किया जा रहा है उनसे निपटने के लिए कार्यनीतियां तैयार करके किसानों की समस्याओं व आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। भारतीय बीज कांग्रेस से बीज उद्योग को तकनीकी विकासकर्ताओं, क्षेत्र के विकास अधिकारियों तथा नीति-निर्माताओं से परस्पर मिलकर चर्चा करने का अवसर प्राप्त होता है।
 - ❖ लखनऊ में 22 जनवरी 2015 को उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि में 'पीपीवी और एफआर के क्षेत्र में बौद्धिक सम्पदा प्रबंध' विषय पर आयोजित सेमिनार में भाग लिया।
 - ❖ कृषि विज्ञान केन्द्र, राजनन्द गांव, रायपुर में 13 मार्च 2015 को 'कृषक किस्मों के संकलन, संरक्षण और पंजीकरण के प्रति जागरूकता सृजन' पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया।
 - ❖ राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण, चैन्नई में 3 फरवरी 2015 को 'सीईबीपीओएल का समेकन – एबीएस के अनुभवों की साझेदारी' विषय पर आयोजित एक कार्यशाला में भाग लिया।
 - ❖ पद्म भूषण डॉ. आर.एस. परोदा के नेतृत्व में एनबीपीजीआर, नई दिल्ली में 5 फरवरी 2015 को 'पादप आनुवंशिक संसाधन – वर्तमान और भविष्य के लिए महत्व' विषय पर परिचर्चात्मक सत्र में भाग लिया।
 - ❖ अपर सचिव (एकोएस) की अध्यक्षता में 11 फरवरी 2015 को कृषि भवन, नई दिल्ली में बीज अधिनियम, 2004 के अंतर्गत किस्मों के पंजीकरण हेतु आईटी प्लेटफार्म के विकास तथा किस्मों के निष्पादन के मूल्यांकन हेतु प्रोटोकालों के विकास से संबंधित मुद्राओं पर आयोजित चर्चा में भाग लिया।
 - ❖ भा.कृ.अ.प. – बीज अनुसंधान निदेशालय, मऊ में 16 फरवरी 2015 को स्थापना दिवस समारोह व 'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम' में भाग लिया।
 - ❖ बिडला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टैक्नोलॉजी (बीआईएमटैक) द्वारा भुवनेश्वर में 23 फरवरी 2015 को सोसायटी ऑफ स्टेटिस्टिक्स, कम्प्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस (एसएससीए) आयोजित 17वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया।
 - ❖ एमएसएसआरफ, क्षेत्रीय केन्द्र, जैपोर में 'कृषि जैवविविधता संरक्षण और टिकाऊ आजीविका' पर डीएसटी द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय प्रशिक्षण में भाग लिया तथा 'कृषि जैवविविधता से संबंधित भारतीय नीतियाँ' विषय पर एक व्याख्यान दिया। उन्होंने एमएसएसआरएफ क्षेत्रीय केन्द्र, जयपोर का दौरा किया और वहां के निदेशक के साथ पादप जीनोम संरक्षक समुदाय पुरस्कार के विजेताओं द्वारा संरक्षण संबंधी गतिविधियों के चलाए जाने के बारे में निदेशक महोदय से चर्चा की।
 - ❖ विधानचंद्र कृषि विश्वविद्यालय में 28 फरवरी 2015 को पीपीवी और एफआरए पर आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने पास के गांव में स्थित गोंत्रा समया कृषि उन्नयन समिति लिमिटेड का भी निरीक्षण किया जो 'बीज ग्राम की स्थापना' के लिए स्थापित की गई एक सहकारी संस्था है। इस सोसायटी ने अपने क्षेत्र में प्राकृतिक निम्न भूमि पारिस्थितिक प्रणाली में किस प्रकार समेकित फार्मिंग प्रणाली अपनाई गई है, इसका भी प्रदर्शन किया।

9.12.1 अध्यक्ष तथा महापंजीकार की संयुक्त भागेदारी

- ❖ आई आई एच आर, बंगलुरु में समीक्षा बैठक : पीपीवी और एफआरए के अध्यक्ष व महा पंजीकार ने संस्थानों के विभिन्न विभागों को प्राधिकरण द्वारा सौंपी गई विभिन्न परियोजनाओं के प्रधान अन्वेषकों तथा निदेशक के साथ समीक्षा बैठक के संबंध में 12 जून 2014 को बंगलुरु का दौरा किया। अध्यक्ष ने विभिन्न

फसलों जैसे रजनीगंधा, कार्नेशन, चाइना एस्टर, गेंदा, चमेली, क्रॉसेंड्रा, चौलाई, पालक और नसदार तोरी, पान, मिर्च, स्वीट पैपर और पैपरिका, शरीफा, स्ट्राबेरी के डीयूएस दिशानिर्देशों को विकसित करने के मामले में प्रत्येक परियोजना द्वारा की गई प्रगति के बारे में आरंभिक जानकारी प्राप्त की और स्थिति की समीक्षा की। अध्यक्ष महोदय ने लघु छोटे अनाजों सहित सौंपी गई परियोजनाओं के अंतर्गत की गई कार्य प्रगति की समीक्षा के संबंध में जी के वी के, यू ए एस, बंगलुरु का भी दौरा किया।

❖ राष्ट्रीय जैविक विज्ञान अकादमी (एनएबीएस), चैन्स ने के. एस. रंगारचामी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, तिरुचेनगोड, तमिल नाडु में 19 जुलाई 2014 को 'जैवविविधता संरक्षण - स्थिति, भविष्य तथा भावी दिशा' विषय पर एनएबीएस राष्ट्रीय सेमिनार के उद्घाटन समारोह में प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. आर.आर. हंचिनाल को फसल सुधार व बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदानों के लिए एनएबीएस - लाइफ टाइम एचीवमेंट एवार्ड 2013 से सम्मानित किया। इस सेमिनार में महापंजीकार डॉ. आर.सी.अग्रवाल भी उपस्थित थे और उन्होंने एक व्याख्यान दिया। उन्होंने अपने क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम लेने के लिए सहयोग की संभावना के बारे में केएसआर समूह के प्रमुख एवं जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र के अध्यक्ष के साथ विचार-विमर्श किया।

❖ अध्यक्ष ने श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर) स्थित शेर-ए-कश्मीर



कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एसकेयूए और टी) का 26 अगस्त 2014 को दौरा किया तथा वहां के कुलपति, निदेशक (अनुसंधान) और निदेशक (विस्तार शिक्षा) से सौहार्द्धपूर्ण मुलाकात की। बैठक के दौरान उन्होंने पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001

तथा कृषकों के अधिकारों के बारे में राज्य में जागरूकता को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। कुलपति तथा विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने अपने पूर्व सहयोग व सहायता का आश्वासन दिया और कश्मीर घाटी से विद्यमान किस्मों व कृषक किस्मों के पंजीकरण हेतु पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के सहयोग में विशेष प्रयास करने का वचन दिया। कुलपति ने वित्तीय सहायता का अनुरोध करते हुए घाटी में इस प्रकार के प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि वे इस मामले को व्यक्तिगत तौर पर देखेंगे तथा भू-प्रजातियों सहित कृषक किस्मों व परंपरागत किस्मों के पंजीकरण को सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाएंगे। अध्यक्ष ने स्ट्राबेरी, आडू तथा आलूचे के डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास की स्थिति का जायजा लेने के लिए 27 अगस्त 2014 को केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान (सीआईटीएच), श्रीनगर का दौरा किया। इन फलों के दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कार्यबल की बैठक में इन दिशानिर्देशों को शीघ्र अंतिम रूप दिए जाने का अनुरोध किया।

- ❖ अध्यक्ष तथा महापंजीकार ने 14 नवम्बर 2014 को पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना में भा.कृ.अ.प. क्षेत्रीय समिति सं. V की 23वीं बैठक में भाग लिया। इस क्षेत्रीय समिति की बैठक का आयोजन पंजाब कृषि विश्वविद्यालय तथा केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान (सीएसएसआरआई) करनाल ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना के परिसर में किया था। इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने 'पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001' के कार्यान्वयन में उपलब्धियां' विषय पर एक प्रस्तुतीकरण दिया। राज्य के कृषि सचिवों, कृषि/पशुचिकित्सा विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, भा.कृ.अ.प. के सहायक महानिदेशकों, भा.कृ.अ.प. के विभिन्न संस्थान के निदेशकों तथा भा.कृ.अ.प. के संस्थानों के क्षेत्रीय केन्द्रों, गैर-सरकारी एजेंसियों तथा प्रगतशील किसानों ने इस क्षेत्रीय समिति की बैठक में भाग लिया।
- ❖ अध्यक्ष एवं महापंजीकार ने दिनांक 21 जनवरी 2015 को एन.एस.एस.सी. काम्पलैक्स, नई दिल्ली में भा.कृ.अ.प. के आंचलिक सम्मेलन में भाग लिया जिसमें अध्यक्ष ने 'पादप आनुवंशिक संसाधन पर पौधा किस्मों, सुरक्षा एवं संरक्षण पर भारतीय विधान' पर प्रस्तुतीकरण दिया।
- ❖ नेशनल सीड्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आगरा

ने दिनांक 13–14 फरवरी 2015 तक छठा भारतीय बीज कांग्रेस 20015 आयोजित किया जिसमें अध्यक्ष ने ‘भारतीय बीज उद्योग पर पीपीवी एवं एफआर अधिनियम का प्रभाव’ विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया। नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो भारतीय बीज उद्योग प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्ष संगठन है, जो सभी किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनकी आवश्यकताओं को समझने और वर्तमान पीढ़ी के द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का समाधान करने के लिए अनुसंधान रणनीतियों के विकास के द्वारा निरंतर प्रयास कर रही है। भारतीय बीज कांग्रेस बीज उद्योग प्रौद्योगिकी डेवलपर्स, क्षेत्र के विकास के अधिकारियों और राज्य व्यवस्था निर्माताओं के साथ मिलकर बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

9.12.2 अन्य बैठकें

- ❖ पौधा प्राधिकरण भवन से संबंधित परियोजना समीक्षा समिति की बैठक में जो 9 जुलाई 2014 को आयोजित की गई थी, प्राधिकरण भवन के निर्माण हेतु भावी दिशा तथा वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई। परियोजना के परामर्शक उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम से त्वरित आधार पर सभी वांछित अनापत्तियां प्राप्त करने का अनुरोध किया गया। पीपीवी और एफआर प्राधिकरण की आवश्यकताओं के अनुसार स्टाफ कर्वाटरों सहित कार्यालय/प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु स्पष्टीकरणों के संबंध में 6 अगस्त 2014 को आधारशिला डिजाइंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ पौधा प्राधिकरण भवन की बैठक आयोजित हुई।
- ❖ महा पंजीकार ने संयुक्त सचिव (बीज) तथा अपर आयुक्त (बीज) के साथ 11 जुलाई 2014 को नेशनल बायोवर्सिटी एथारिटी की 30वीं (विशेष) बैठक में भाग लिया जिसमें पहुंच तथा लाभ में भागीदारी से संबंधित दिशानिर्देशों के मसौदे पर चर्चा हुई।
- ❖ डॉ. मनोज श्रीवास्तव, पंजीकार तथा श्री दीपल रॉय चौधरी, संयुक्त पंजीकार ने 11 जुलाई 2014 को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में स्थापित फील्ड जीन बैंक में हुई प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए रांची स्थित इस विश्वविद्यालय का दौरा किया। दल ने आम, केला, सिट्रस तथा अन्य फसलों की उगाई गई संदर्भ किस्मों की स्थिति की जांच की तथा डॉ. आर.पी.सिंह, निदेशक (बीज एवं फार्म), बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची के साथ चर्चा की। संबंधित वैज्ञानिकों के साथ चर्चा के

पश्चात् अनुशंसाएं की गई तथा किए गए क्रियाकलापों को सबल बनाने व एकत्र की गई किस्मों के प्रलेखन व लक्षण—वर्णन के लिए सुझाव दिए गए। बाद में, दोनों अधिकारियों ने प्राधिकरण के शाखा कार्यालय का दौरा किया तथा श्री उमाकांत दुबे, उप पंजीकार के साथ चर्चा की जिन्होंने उन्हें शाखा कार्यालय की विभिन्न गतिविधियों से अवगत कराया।

- ❖ डॉ. मनोज श्रीवास्तव को दिनांक 18 जुलाई 2014 को भारतीय वन सेवा या आईएफएस अधिकारियों के लिए ‘पौधा किस्मों व क्लोनीय सामग्री के पंजीकरण’ विषय पर व्याख्यान देने के लिए भारतीय वन अनुसंधान संस्थान (आईएफआरआई), देहरादून द्वारा आमंत्रित किया गया। यह कार्यक्रम आईसीएफआरई द्वारा आईएफएस एमसीटी कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया था तथा इस कार्यक्रम में 7–8 वर्ष का अनुभव प्राप्त देशभर के 60 अधिकारियों ने भाग लिया।
- ❖ तीन राज्यों नामतः उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखण्ड की भा.कृ.अ.प. क्षेत्रीय समिति संख्या IV की XXIIवीं बैठक भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में 5 सितम्बर 2014 को आयोजित हुई। विकास विभागों के अधिकारियों, कुलपतियों, भा.कृ.अ.प. के अनुसंधान संस्थानों के निदेशकों तथा क्षेत्रीय समिति के अधिकार क्षेत्र में आने वाले आंचलिक समन्वयकों ने इस बैठक में भाग लिया। इसके अतिरिक्त संबंधित अंचलों के तीनों राज्यों के कार्यक्रम समन्वयकों ने भी इस बैठक में भाग लिया। अध्यक्ष महोदय ने कृषक किस्मों तथा नई किस्मों सहित विद्यमान किस्मों के पंजीकरण में इन राज्यों की भागीदारी के संबंध में एक प्रस्तुतीकरण दिया।
- ❖ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (आईजीकेवी), रायपुर, छत्तीसगढ़ में 6–7 सितम्बर 2014 को ‘टिकाऊ आजीविका के लिए समेकित फार्मिंग प्रणाली’ पर कृषि विज्ञान केन्द्रों की 21वीं आंचलिक कार्यशाला (जोन VII नामतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा) तथा राष्ट्रीय सिम्पोजियम का आयोजन किया गया। अध्यक्ष ने ‘कृषि विज्ञान केन्द्रों के साथ पीपीवी और एफआरए का अंतरापृष्ठ’ विषय पर आयोजित तकनीकी सत्र की अध्यक्षता की तथा महापंजीकार के साथ पीपीवी और एफआरए पर एक प्रस्तुतीकरण दिया। अध्यक्ष तथा महापंजीकार ने एक ग्राम नामतः कारा खोली, नागरी ब्लॉक, धमतरी जिला, रायपुर का भी दौरा किया जहां प्राधिकरण ने आईजीकेवी, रायपुर के साथ कृषकों के खेतों में 268 किस्मों का संरक्षण करने के प्रयास किए हैं।

(स्वरूप और फार्म पर संरक्षण) तथा यहां सामुदायिक बीज बैंक स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर डीयूएस परीक्षण केन्द्र का भी दौरा किया गया तथा उन स्थानिक किसानों के साथ एक बैठक आयोजित हुई जिन्होंने विभिन्न फसल प्रजातियों की स्थानीय किस्मों का संरक्षण किया है। इस बैठक की व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा की गई थी।

- ❖ कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा कृषि टिकाऊपन एवं खाद्य सुरक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों पर आयोजित राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2014 कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली और एम राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल में संयुक्त रूप से 25–27 सितम्बर 2014 को इस कांग्रेस का आयोजन किया गया। पीपीवी और एफआरए के अध्यक्ष ने भाग लिया जो तकनीकी सत्र में मुख्य वक्ता थे तथा तकनीकी सत्र-II के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने ‘पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के वाणिज्यिक पहलुओं’ पर अपने विचार व्यक्त किए। महापंजीकार ने भी 27 सितम्बर 2014 को पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत परंपरागत किस्मों और कृषक किस्मों के संरक्षण पर एक व्याख्यान दिया।
- ❖ पीपीवी और एफआरए की डीयूएस परीक्षण नीति की समीक्षा के लिए बैठक : पीपीवी और एफआरए की डीयूएस परीक्षण नीति की समीक्षा के लिए एक बैठक का आयोजन उप महानिदेशक (फसल विज्ञान), भा.कृ.अ.प. के साथ 20 अक्टूबर 2014 को किया गया। इस बैठक में सदस्यों के बीच नीति पर विस्तार से चर्चा हुई। यह निष्कर्ष निकाला गया कि भा.कृ.अ.प. द्वारा किए जाने वाले अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के परीक्षणों तथा पीपीवी और एफआरए

द्वारा किए जाने वाले डीयूएस परीक्षणों को एक साथ मिलाना व्यावहारिक नहीं है। इसलिए डीयूएस परीक्षण करने की वर्तमान प्रणाली जारी रहनी चाहिए। इस बात पर भी बल दिया गया कि डीयूएस परीक्षण की निगरानी कठोर होनी चाहिए और इसमें उपयुक्त फसल आधारित विशेषज्ञों के साथ—साथ पीपीवी और एफआरए के तकनीकी अधिकारियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए डीयूएस परीक्षण करने तथा संबंधित किस्मों के संरक्षण/परिरक्षण व रखरखाव में शामिल वैज्ञानिकों की क्षमता निर्माण के लिए भविष्य में और अधिक गहन प्रयास किए जाने चाहिए।

- ❖ अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्मों (ईडीवी) के परीक्षण पर बैठक : अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण के उद्देश्य से ईडीवी के परीक्षण संबंधी तकनीकी मुद्राओं पर चर्चा करने के लिए एक बैठक डॉ. डी.पी. बिरादर, कुलपति, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ की अध्यक्षता में 5 जून 2014 को नास के समिति कक्ष, नई दिल्ली में आयोजित की गई। समिति ने पीपीवी और एफआरए ने पंजीकरण हेतु दाखिल की गई ईडीवी के परीक्षण की विधि और क्रियाविधि के संबंध में अनुशंसाएं दीं। इन अनुशंसाओं को प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। इस बैठक में डॉ. बी.एम. खादी, अनुसंधान निदेशक, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़; डॉ. एस.एस. सिवाच, निदेशक अनुसंधान, सीसीएसएचएयू, हिसार; डॉ. ए.एच. प्रकाश, परियोजना समन्वयक एवं अध्यक्ष व डॉ. रेतिनावेल, नोडल अधिकारी, सी आई सी आर, कोयम्बत्तूर; डॉ. अरविंद कपूर, रासी सीडीएस, निजी बीज उद्योग के साथ—साथ डॉ. केशव कांति, निदेशक, सी आई सी आर, नागपुर जो विशेष आमंत्रित सदस्य थे, ने भाग लिया। अध्यक्ष तथा महा पंजीकार ने भी पंजीकारों, संयुक्त पंजीकारों व अन्य तकनीकी अधिकारियों के साथ इस बैठक में भाग लिया।

10. अंतरराष्ट्रीय सहयोग

भारतीय विधान में पारस्परिकता के सिद्धांत के आधार प्राप्त करने के उस दिशा में विशेष प्रावधान हैं जहां भारतीय नागरिकों को किसी किस्म के पंजीकरण और सुरक्षा के मामले में वही अधिकार नहीं देती है जैसा कि अन्य देशों में लागू है। इसी प्रकार, ऐसे देश का कोई भी राष्ट्र अकेले या संयुक्त रूप से किसी भी अन्य व्यक्ति को किसी भी किस्म के पंजीकरण हेतु आवेदन करने की अनुमति नहीं देगा या इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किस्म के लिए पात्र नहीं होने देगा। चूंकि भारत उपोव कलब का सदस्य नहीं है, अतः नीदरलैंड और जर्मनी जैसे देश कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में भारत के साथ द्विपक्षीय सहयोग की संभावना तलाश रहे हैं।

भारत कृषि सम्बंधी अनेक अंतरराष्ट्रीय समझौतों और संधियों का सदस्य है तथा खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतरराष्ट्रीय संधि (आईटीपीजीआरएफए) का संस्थापक सदस्य है। संयुक्त सचिव (बीज), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, आईटीपीजीआरएफए का राष्ट्रीय मुख्य केन्द्र है तथा इसके द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन व्यूरो द्वारा क्रियाकलापों को प्राथमिक रूप से कार्यान्वित किया जाता है। प्राधिकरण भारत सरकार की ओर से आईटीपीजीआरएफए को द्विवार्षिक अंशदान करता है। यह प्राधिकरण अंतरराष्ट्रीय संधि के शासी निकाय के सत्रों/बैठकों व तकनीकी कार्यक्रमों के अलावा उपोव की बैठकों में भाग लेता है। भारत की उपोव में सदस्यता विचाराधीन है और इसे प्रेक्षक का दर्जा दिया गया है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विदेशी अतिथियों के भारत भ्रमण तथा भारतीय प्रतिनिधि मंडल के दौरां का विवरण इस प्रकार है।

10.1 विदेशी दौरे

- ❖ आईटीपीजीआरएफए, जेनेवा, स्वीटजरलैण्ड के तदर्थ मुक्त कार्य दल में भागीदारी : डॉ. आर.सी. अग्रवाल, महा-पंजीकार को कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 13–16 मई 2014 को जेनेवा, स्वीटजरलैण्ड में आयोजित कथित बैठक व परामर्शों



में भाग लेने के लिए नामित किया गया। भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व डॉ. अतनु पुरकायरथ, संयुक्त सचिव, बीज ने किया। निदेशक, एनबीपीजीआर ने भी बैठक में भाग लिया। बैठक में मुख्य ध्यान पहुंच तथा लाभ में भागीदारी (ए बी एस) निधि की बहुपक्षीय प्रणाली (एम एल एस) की गतिविधियों को बढ़ाने पर केन्द्रित रहा। इसके साथ ही निधिकरण कार्यनीति पर तदर्थ समिति द्वारा किए गए कार्य और इस दिशा में हुए विकास, एस एम टी ए की समीक्षा करने, लाभ में भागीदारी को बढ़ाने की क्रियाविधि तथा कार्य दल की भावी बैठकों के बारे में भी चर्चा हुई।

- ❖ बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने यूएसएआईडी के सहयोग से 23 मार्च 2015 को लंदन में 'उप सहारा अफीका में खाद्य फसलों के अगेती पीढ़ी के बीज के वाणिज्यिक एवं टिकाऊ उत्पादन को बढ़ावा देने व उनके प्रदानीकरण के अनेक मार्गों पर एक सम्मेलन आयोजित किया। प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रो. आर.आर. हंचिनाल को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जहां उन्होंने 'गुणवत्तापूर्ण बीज सुरक्षा की दिशा में एक कदम – यूएस धारवाड़ की सफलता की कहानी' विषय पर एक प्रस्तुतीकरण दिया तथा उप सहारा अफीका में टिकाऊ एवं वाणिज्यिक खाद्योत्पादन को बढ़ावा देने एवं प्रदानीकरण के लिए बहुमार्गीय युक्ति पर आयोजित चर्चा में भी भाग लिया।

विदेशी अतिथि

- ❖ कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका के विशिष्ट प्राध्यापक डॉ. कैंट जे. ब्रैडफोर्ड के साथ बैठक: डॉ. कैंट जे. ब्रैडफोर्ड, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका के विशिष्ट प्राध्यापक ने 26



मई 2014 को पीपीवी और एफआरए अध्यक्ष के साथ सौहार्दतापूर्ण मुलाकात की। दोनों ही वैज्ञानिकों ने पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण संबंधी अधिकारों के कार्यान्वयन और पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण व टिकाऊ उपयोग से संबंधित पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा की। डॉ. ब्रैडफोर्ड ने अध्यक्ष तथा महा पंजीकार को उस ह्यूमिडीकेटर (सापेक्ष आर्द्रता को बताने वाले उपकरण) के बारे में बताया जिसका वे 'ड्राइंग बीड़स कैल्कुलेटर' नामक सॉफ्टवेयर के विकास के लिए कर रहे थे और जिसका उपयोग खेत परीक्षणों में किया जाना है और जो उनकी वैबसाइट पर भी उपलब्ध है।

❖ डॉ. संजय राजा राम : डॉ. संजय राजा राम जो भारत में जन्मे मैक्सिको नागरिक हैं, को वर्ष 2014 के लिए सम्मानित व विशिष्ट विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए चुना है। उन्होंने 23 जून 2014 को पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के अध्यक्ष के साथ सौहार्दपूर्ण मुलाकात की। वे एक प्रतिष्ठित पादप प्रजनक, अंतरराष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक, महान विद्वान और सजृक हैं जिन्होंने नोवेल पुरस्कार विजेता डॉ. एन.ई.बोर्लाग के साथ घनिष्ठता के साथ कार्य करते हुए अनेक दशकों तक इंटरनेशनल सेंटर फार व्हीट एंड मेज (सिमिट) में गेहूं प्रजनन परियोजना के प्रमुख के रूप में कार्य किया है। हमारे



इस वैज्ञानिक ने गेहूं की 480 उच्च उपजशील रोगों व प्रतिबलों के प्रतिरोधी किस्में विकसित की हैं जो 51 देशों में 58 मिलियन क्षेत्र में उगाई जाती हैं और इन्हीं के कारण विश्व में गेहूं का उत्पादन 200 मिलियन टन से अधिक हो गया है।

- ❖ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार डेटशूचे गेसेलसॉफ्ट फुर इंटरनेशनले जुसामेनार्बेइट (जीआईजैड) की साझेदारी में राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण द्वारा 'भारत में एबीएस यांत्रिकी के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु क्षमता विकास' पर एक नई भारतीय जर्मन तकनीकी सहयोग की परियोजना को तैयार करने में सुविधा प्रदान कर रहा है। तकनीकी सहयोग तैयार करने वाले मिशन के दल के सदस्यों श्री हार्मूट मेयर तथा श्री टी.सी. जेम्स ने पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के अध्यक्ष व महापंजीकार से 31 जुलाई 2014 को मुलाकात की तथा पीपीवी और एफआर अधिनियम में लाभ में भागीदारी से संबंधित विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा की।
- ❖ सुश्री उर्शला होजहाउसर, काउंसलर-खाद्य एवं कृषि, जर्मनी दूतावास, नई दिल्ली : पौधा किस्मों तथा कृषक अधिकारों की सुरक्षा पर भारत और जर्मनी के बीच पारस्परिक सहयोग के क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए 13 अगस्त 2014 को से चर्चा हुई। यह बैठक पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के अधिकारियों तथा संयुक्त सचिव (बीज) के साथ जर्मन के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल की दिसम्बर 2014 को हुई मुलाकात की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में आयोजित हुई थी।
- ❖ डॉ. आर.सी. अग्रवाल, महा-पंजीकार ने चेन्नई में 9–10 नवम्बर 2014 को एमएसएसआरएफ तथा वेजेनिंजन यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च सेंटर, नीदरलैंड्स द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'पादप आनुवंशिक संसाधन एवं बीज' पर अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रम में 'पादप प्रजनकों के अधिकारों, उपोव तथा पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001' पर एक वार्ता प्रस्तुत की।
- ❖ जर्मन प्रतिनिधि मंडल का दौरा : श्री लुत्ज टैनर, कृषि मंत्रालय, खाद्य एवं उपभोक्ता सुरक्षा तथा डॉ. हेमेन फेउडेंस्टेइन, फेडरल प्लांट वैरायटी ऑफिस, बर्लिन, जर्मनी से युक्त दो सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने 15–18 दिसम्बर 2014 को भारत का दौरा किया। प्रतिनिधि मंडल की पौधा किस्मों की सुरक्षा, पादप प्रजनकों के अधिकार, डीयूएस परीक्षण तथा क्षमता निर्माण पर द्विपक्षीय सहयोग के बारे में 16 दिसम्बर 2014 को



पीपीवी और एफआर प्राधिकरण में एक सफल बैठक आयोजित हुई। इसके साथ ही अन्य स्टेकहोल्डरों जैसे एनबीपीजीआर, नई दिल्ली तथा एनएसएआई, नई दिल्ली के प्राधिकारियों के साथ ही इस प्रतिनिधि मंडल की बैठक हुई। इस प्रतिनिधि मंडल ने भा.कृ. अ.सं., नई दिल्ली के फार्म का भी दौरा किया जिससे इसे डीयूएस परीक्षण की प्रणाली के बारे में आरंभिक जानकारी प्राप्त हुई। रुचि के विभिन्न संबंधित क्षेत्रों जैसे फलों, सब्जियों, अनाजों एवं शोभाकारी फसलों में डीयूएस परीक्षण प्रणाली पर भा.कृ.अ.प. के विभिन्न डीयूएस केन्द्रों के विशेषज्ञों ने अपने—अपने क्षेत्रों के प्रस्तुतीकरण दिए। दोनों ओर के अधिकारियों के साथ आयोजित उक्त बैठकों की प्रगति की समीक्षा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव (बीज) ने 17 दिसम्बर 2014 को की तथा इस अवसर पर द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई। दोनों ही पक्षों ने परस्पर लाभ के क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने में विशेष रुचि प्रदर्शित की।

- ❖ भारतीय—फांसीसी संयुक्त कार्यदल की 7वी बैठक : श्री डी.के. जैन, अपर सचिव तथा श्री पैटराइस डे लौरेंस, अध्यक्ष, इंटरनेशनल रिलेशन सर्विस, एमओए, फांस की संयुक्त अध्यक्षता में यह बैठक 14 जनवरी 2015 को एनएससी परिसर, नई दिल्ली में आयोजित हुई जिसमें आपसी हितों के क्षेत्रों को पहचानकर उन पर चर्चा की गई। पीपीवी और एफआर प्राधिकरण की ओर से महापंजीकार ने प्रतिनिधित्व किया तथा प्राधिकरण से संबंधित मामलों पर फांस के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर अपने शासकीय विचार व्यक्त किए।
- ❖ डॉ. वाल्टर सिमोन डे बोएफ, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने प्रो. आर.आर. हंचिनाल, अध्यक्ष से पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली में 25 सितम्बर 2015 को यूएसएआईडी कार्यक्रम के अंतर्गत 'वाणिज्यिक एवं

टिकाऊ खाद्य का प्रवर्धन तथा उप—सहारा अफ़्रीका में खाद्य फसलों के अगेती बीज जनन तथा प्रदानीकरण' पर चर्चा की।

इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ने पौधा किस्मों की सुरक्षा, पादप प्रजनकों के अधिकारों, डीयूएस परीक्षण तथा क्षमता निर्माण पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग के मुद्दों पर कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को टिप्पणियां भी उपलब्ध कराई जो निम्नानुसार हैं :

- ❖ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय, औद्योगिक तथा सांस्कृतिक सहयोग पर भारत—कजाकस्तान, अंतर—शासकीय आयोग (आईजीसी)
- ❖ पादप किस्म सुरक्षा, पादप प्रजनकों के अधिकारों तथा डीयूएस परीक्षण में भारत—मैक्रिस्को द्विपक्षीय सहयोग
- ❖ कम्बोडिया के साथ कार्य योजना का विस्तार
- ❖ पौधा किस्मों की सुरक्षा के क्षेत्र में भारत तथा दक्षिण अफ़्रीका के साथ द्विपक्षीय सहयोग
- ❖ पेरिस में 5 दिसम्बर 2013 को आयोजित भारत—फांसिसी कृषि पर संयुक्त कार्य दल (जेडब्ल्यूजी) के छठे सत्र की बैठक
- ❖ नई दिल्ली में अपने नए कार्य को संभालने पर माननीय कृषि मंत्री की महामहिम श्री ग्राहेम मोर्टन, न्यूजीलैंड उच्चायुक्त के साथ बैठक
- ❖ भारत—बैलारूस के प्रोटोकालों पर की गई कार्रवाई : (1) 23 जुलाई 2013 को व्यापार एवं निवेश पर प्रथम जेडब्ल्यूजी तथा (2) नई दिल्ली में 24 जुलाई 2013 को आयोजित आर्थिक, व्यापार, औद्योगिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी एवं सांस्कृतिक सहयोग के लिए भारत—बैलारूस, अंतरशासकीय आयोग
- ❖ बेलग्राड में 19 सितम्बर 2014 को भारत साइबेरिया संयुक्त आर्थिक समिति (जेर्सी) का द्वितीय सत्र
- ❖ कृषि पर चौथा भारतीय—जर्मन संयुक्त कार्य दल
- ❖ माननीय कृषि मंत्री की सितम्बर 2014 में भारत और कनाडा के बीच कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर कनाडा के कृषि एवं कृषि खाद्य मंत्री महामहिम श्री गैरी रीड्स के साथ बैठक
- ❖ भारत तथा अजरबेजान के बीच कृषि सहयोग पर मसौदा समझौता
- ❖ पौधा किस्म सुरक्षा, डीयूएस परीक्षण और पादप प्रजनकों के अधिकारों पर भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय सहयोग

11. प्राधिकरण का वित्तीय विवरण 2014–15

वित्तीय विवरण सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखा सिद्धांतों (जीएएपी), लागू अधिदेशित लेखा मानकों (एएस) जो भारत के सनदी लेखाकारों के संरथान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए हैं और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीजीए) द्वारा निर्धारित केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों की प्रासंगिक प्रस्तुतीकरण आवश्यकताओं के अनुरूप हैं, ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार किए गए हैं। प्राधिकरण जब तक अन्यथा उल्लेखन न हो व्यय तथा आय की सभी मदों के संदर्भ में लेखाकरण की संभूति प्रणाली का पालन करता है। 31 मार्च 2015 को तुलन—पत्र, 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के आय और व्यय के लेखे तथा प्राप्तियों और अदायगियों के लेखे संलग्न हैं।

लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा प्रबंधन के उत्तर के साथ

31 मार्च 2015 को तुलन—पत्र

राशि (₹ में)

कॉर्पस/पूँजी निधि तथा देयताएं	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
कॉर्पस/पूँजी निधि	19,20,05,727	15,04,85,802
आरक्षित राशि और अतिरिक्त राशि	—	—
निर्धारित/स्थायी निधि	—	—
सुरक्षित ऋण तथा उधारियां	—	—
असुरक्षित ऋण तथा उधारियां	—	—
आगे खिसकाई गई ऋण देयताएं	—	—
चालू देयताएं और प्रावधान	11,19,07,885	5,72,12,802
योग	30,39,13,612	20,76,98,604
परिसम्पत्तियां		
अचल परिसम्पत्तियां	2,95,48,719	2,88,46,845
घटाएँ : संचयित मूल्यांकन	2,29,26,480	2,10,04,948
निवल स्थायी परिसम्पत्तियां	66,22,239	78,41,897
पूँजीगत कार्य में प्रगतियां	1,78,38,219	1,78,38,219
निवेश — निर्धारित/स्थायी निधियों से	—	—
निवेश — अन्य से	—	—
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण, पेशगियां आदि	27,94,53,154	18,20,18,488
फुटकर व्ययउ (जो बट्टे खाते में न डाली गई हों या समायोजित न की गई हों)	—	—
योग	30,39,13,612	20,76,98,604

लेखापरीक्षित लेखों को पीपीवी और एफआर प्राधिकरण की नई दिल्ली में दिनांक 26 नवम्बर 2015 को आयोजित 24वीं बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई।

पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 62(2) के अनुपालन में प्राधिकरण के लेखे भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक को प्रस्तुत किए गए। लेखापरीक्षित लेखे तथा लेखापरीक्षा की रिपोर्ट तथा प्रबंधन संबंधी उत्तर मंत्रालय को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए अलग से भेजे जाएंगे। वर्ष 2014–15 के दौरान प्राधिकरण को कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार से 1600 लाख रुपये की अनुदान सहायता प्राप्त हुई जिसमें से 1585.98 लाख रुपये की अनुदान राशि का उपयोग हुआ तथा पिछले वर्ष की गैर खर्च हुई 14.11 लाख रुपये को समायोजित करने के पश्चात् 0.09 लाख रुपये शेष बचे।

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

राशि (₹ में)

आय	प्राधिकरण निधि		जीन निधि	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
बिक्री/सेवाओं से हुई आय	-	-	-	-
अनुदान/सहायता	15,92,47,151	15,00,23,396	85,00,000	85,00,000
शुल्क/चंदा	2,34,34,050	1,86,96,550	53,16,755	19,05,498
निवेशों से हुई आय	-	-	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से हुई आय	-	-	-	-
अर्जित ब्याज	90,89,595	51,83,817	19,02,950	13,61,096
अन्य आय	5,92,111	42,417	24,750	-
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि (गिरावट) और चालू कार्य	-	-	-	-
आस्थीत आय (अचल सम्पत्तियों पर मूलधार)	19,64,351	31,51,754	-	-
पूर्व समय समायोजन लेखा (अनुबंध क)	-	-	(62,776)	-
कुल (क)	19,43,27,258	17,70,97,934	1,56,81,679	1,17,66,594
व्यय				
स्थापना व्यय	4,43,66,494	4,10,80,100	-	-
अन्य प्रशासनिक आय आदि	4,29,38,870	4,20,33,831	-	61,10,817
अनुदान, चंदों आदि पर हुआ व्यय	7,69,77,128	6,43,97,379	-	-
ब्याज	8,223	1,321	762	-
मूलधार (अनुसूची 8 से सम्बद्ध वर्ष के अंत में निवल योग)	19,64,351	31,51,754	-	-
पूर्व समय समायोजन लेखा (अनुबंध—क)	10,21,682	1,20,32,641	-	-
योग (ख)	16,72,76,748	16,26,97,026	762	61,10,817
व्यय की तुलना में आय घटाकर शेष राशि (क—ख)	2,70,50,510	1,44,00,908	1,56,80,917	56,55,777
विशेष आरक्षित निधि में हस्तांतरण (प्रत्येक को अलग—अलग बताएं)	-	-	-	-
सामान्य आरक्षित निधि को/से हस्तांतरण	-	-	-	-
कॉर्पस/पूँजी निधि तक ले जाई गई शेष अतिरिक्त राशि (अंतर)	2,70,50,510	1,44,00,908	1,56,80,917	56,55,777

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियां एवं अदायगियां

राशि (₹ में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	अदायगियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. आदिशेष			1. व्यय		
क. मौजूद नकद राशि	15,000	10,000	क. स्थापना व्यय	3,13,87,246	2,69,69,070
ख. बैंक अधिशेष			ख. प्रशासनिक व्यय	1,88,64,275	2,73,93,982
एसबीआई (मोड लेखा सहित)	3,18,54,153	1,61,84,501	2. निधियों के विरुद्ध अदायगियां		
सिंडिकेट बैंक	26,29,758	58,28,425	क. विद्यमान डीयूएस केन्द्र (अनुबंध ख व ग)	3,35,98,052	3,93,85,671
लेन-देन में वापसी	34,372	3,739	ख. नए डीयूएस केन्द्र (अनुबंध घ व ड.)	2,65,58,725	2,30,61,424
एस बी आई जीन निधि	1,60,10,435	1,12,88,001	ग. संदर्भ प्रयोगशालाएं (अनुबंध च)		11,83,254
गुवहाटी बैंक	14,409	17,160	घ. फील्ड जीन बैंक (अनुबंध छ व ज)	29,14,030	46,30,000
रांची बैंक	2,498	14,825	3. अचल सम्पत्तियों पर व्यय तथा पूँजी कार्य में प्रगति		
2. भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	16,00,00,000	15,11,96,000	क. अचल सम्पत्ति की खरीद (प्राधिकरण)	7,52,849	7,04,129
3. बैंक में जमा राशि पर प्राप्त व्याज			ख. चालू पूँजी कार्य पर व्यय		
जीन निधि	12,50,057	5,41,753	4. प्रशिक्षण केन्द्रों को पेशागी (अनुबंध झ)	2,55,26,098	1,98,81,163
प्राधिकरण निधि	64,38,698	16,94,768	5. बाहरी पक्षों को पेशागी (अनुबंध ट)	20,86,244	6,76,050
5. पौधा सुरक्षा भवन के निर्माण के लिए पेशागी	5,00,00,000		6. फैकिंग मशीन को पुनः भरना	1,00,000	2,50,000
6. प्रशिक्षण केन्द्रों से प्राप्त पेशगियां (अनुबंध ढ)	4,90,995	8,27,471	7. संगठनों/संस्थाओं को योगदान	31,39,654	-
7. नए डीयूएस केन्द्रों से पेशगियों की वापसी	1,59,869		8. स्टाफ को पेशागी (अनुबंध ठ)	22,93,693	29,37,484
8. शुल्क/अंशदान/अन्य आय			9. वित्त प्रभार	8,985	1,777
प्राप्त आवेदन/पंजीकरण शुल्क	42,74,000	49,72,000	10. प्राप्त पेशागी के विरुद्ध अदायगियां	-	50,000
पीवीजे शुल्क	1,06,100	59,200	11. मियादी जमा	14,82,41,286	7,22,00,000
आपत्ति के नोटिस के लिए शुल्क	4,500	53,000	12. रद्दी डिमांड डाफ्ट की समाप्ति	60,000	-

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	अदायगियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
वार्षिक शुल्क—जीन निधि	50,40,755	17,91,498	13. अदा की गई वैधानिक देयताएं (अनुबंध ड)	45,58,621	43,58,258
पुराने समाचार—पत्रों, रद्दी की बिक्री	7,044	2,233	14. आदिशेष		
प्राप्त डीयूएस परीक्षण शुल्क	1,89,57,000	1,36,19,500	उच्चत — मौजूद नकद राशि	44,593	15,000
अन्य आय	25,296	5,666	प्राधिकरण 25000		
प्रकाशनों की बिक्री	1,890	17,220	रांची शाखा 19593		
वाहन बीमे से प्राप्त दावा	-	9,867	ख. बैंक में शेष राशि		
विस्तार स्वीकृत के लिए शुल्क		4,500	भारतीय रेटेट बैंक (एमओडी सहित)	6,49,78,652	3,18,54,153
विभिन्न शुल्कों से प्राप्त राशि	19,70,000		सिंडिकेट बैंक	74,53,097	26,29,758
9. स्टाफ से पेशगियों की प्राप्ति: अनुबंध ण	6,92,199	4,27,222	बैंक में लेन—देन	19,630	34,372
10. मियादी जमा का नकदीकरण	9,61,13,152	6,56,24,338	एसबीआई— जीन निधि	2,41,57,718	1,60,10,435
11. पुराने चैकों की राशि की वापसी	3,02,262	-	गुवहाटी बैंक	19,910	14,409
15. जमा सिक्योरिटी	-	50,000	रांची बैंक	3,024	2,498
16. अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करने के लिए एफएओ से सहायता	3,71,940	-			
योग	39,67,66,382	27,42,42,887	योग	39,67,66,382	27,42,42,887

12. नागरिक आचार संहिता

परिदृश्य

पौधा किस्मों, कृषकों के अधिकारों तथा पादप प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा और पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली सुनिश्चित करना।

मिशन

पौधा किस्मों के नवोन्मेशों को उद्दीप्त करने के लिए पौधा किस्मों के बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की सुरक्षा तथा पादप आनुवंशिक संसाधनों व परंपरागत किस्मों की संपदा के परिरक्षण और संरक्षण में किए गए योगदानों के लिए किसानों को सम्मान व पुरस्कार प्रदान करना।

उद्देश्य

- ❖ पौधा किस्मों और कृषक के अधिकारों, पादप प्रजनकों व अनुसंधानकर्ताओं की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी प्रणाली प्रदान करना।
- ❖ अनुसंधान एवं विकास में निवेश को बढ़ावा देने तथा नई किस्मों के विकास में सहायता प्रदान करने के लिए पादप प्रजनकों के अधिकार की सुरक्षा।
- ❖ पौधा किस्मों के विकास के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार व उन्हें उपलब्ध कराने के लिए किसानों के योगदानों को मान्यता प्रदान करना।
- ❖ किसानों को उच्च गुणवत्तापूर्ण बीजों तथा रोपण सामग्री का उत्पादन व उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बीज उद्योग की वृद्धि में सुविधा प्रदान करना।

कार्य

- ❖ कृषकों और पादप प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा और पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करना।
- ❖ परंपरागत बीज के लिए राष्ट्रीय जीन बैंक और बहुवार्षिक फसलों के लिए फील्ड जीन बैंक की स्थापना।
- ❖ पौधों की नई और विद्यमान किस्मों का पंजीकरण
- ❖ पंजीकृत पौधा किस्मों के गुणों का निर्धारण व उनका प्रलेखन
- ❖ कृषक किस्मों का प्रलेखन, सूचीकरण और सूची पत्रकरण
- ❖ पौधों की सभी किस्मों के लिए अनिवार्य सूचीपत्रकरण की सुविधा

- ❖ यह सुनिश्चित करना कि अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किस्मों के बीज किसानों को उपलब्ध हों और यदि आवश्यकता हो तो अनिवार्य लाइसेंस उपलब्ध कराना।
- ❖ पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर का रखरखाव सुनिश्चित करना।
- ❖ पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और उपयोग को सहायता देने तथा इस प्रकार का संरक्षण करने के लिए पंचायतों की क्षमता निर्माण व टिकाऊ उपयोग तथा लाभ में भागीदारी से संबंधित स्कीमों के व्यय के साथ-साथ पणधारियों को क्षतिपूर्ति के लिए दी जाने वाली राशि पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए जीन निधि का उपयोग।

स्टेकहोल्डर्स

पौधा किस्म और कृषक अधिकारों की सुरक्षा एक अनूठा विषय है जिसमें विविध क्रियाकलाप, पहल व स्टेकहोल्डर शामिल हैं। पौधा किस्मों और कृषक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित स्टेकहोल्डर हैं, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित क्षेत्र, कृषि विश्वविद्यालयों सहित अनुसंधान संगठन, बीज उद्योग, स्वयं सेवी संगठन और इन सबसे बढ़कर आदिवासी कृषक समुदायों सहित सभी किसान।

प्रदान की गई सेवाएं

- ❖ कृषकों, अनुसंधानकर्ताओं/पादप प्रजनकों द्वारा प्रजनित पौधों की किस्मों को पौधा किस्म पंजीकरण के रूप में बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) की सुरक्षा प्रदान करना।
- ❖ पौधा किस्मों के राष्ट्रीय रजिस्टर का रखरखाव जिसमें पौधा किस्मों तथा संबंधित प्रजनकों के अधिकारों का उल्लेख हो।
- ❖ यदि कोई पंजीकृत किस्म उस प्रकार निष्पादन नहीं करती है, जिसका दावा प्रजनकों द्वारा किया गया है तो किसानों को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराना।
- ❖ समुदायों/किसानों को पादप आनुवंशिक संसाधनों के योगदान/साझीदारी के लिए लाभ में भागीदारी।
- ❖ पीपीवी और एफआर अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु पौधा प्रजनकों तथा किसानों के अधिकारों के लिए जागरूकता का सृजन व क्षमता का निर्माण।
- ❖ स्टेकहोल्डरों को पौधा किस्मों का डेटाबेस उपलब्ध कराना।

- ❖ आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सुधार तथा परिरक्षण में लगे किसानों, कृषक समुदायों, विशेष रूप से आदिम जाति और ग्रामीण समुदायों को सहायता प्रदान करना व पुरस्कृत करना।

शिकायत के निपटारे की क्रियाविधि

महा—पंजीकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, जन—शिकायतों के निपटान के लिए पद—नामित अधिकारी हैं और शिकायतें निम्न पते पर भेजी जा सकती हैं :

महा पंजीकार

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
एस—2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर,
टोडापुर गांव के निकट, नई दिल्ली— 110 012
फोन : 011—25843316, फैक्स : 011—25840478
ई—मेल : ppvfra-agri@nic.in
www.plantauthority.gov.in

आरटीआई कोष्ठ

मुख्य जन—सूचना अधिकारी

डॉ. रवि प्रकाश

सी पी आई ओ

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
एस—2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर
टोडापुर गांव के निकट, नई दिल्ली— 110 012
फोन : 011—25843853
ई—मेल : prakash.ravi@nic.in

डॉ. आर.सी.अग्रवाल

अपीलीय प्राधिकारी

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
एस—2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर
टोडापुर गांव के निकट, नई दिल्ली— 110 012
फोन : 011—25843316
ई—मेल : rg-ppvfra@nic.in

प्राधिकरण के सदस्य (1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015)

1. प्राधिकरण के अध्यक्ष : डॉ. आर.आर. हंचिनाल

पदेन सदस्य

2. डॉ. जे.एस. संधु, कृषि आयुक्त, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली
3. डॉ. स्वप्न कुमार दत्ता (जनवरी 2015 तक), डॉ. जे.एस. संधु (2 फरवरी 2015 से), उप महानिदेशक (फसल विज्ञान), फसल विज्ञान प्रभाग, भा.कृ.अ.प, कृषि भवन, नई दिल्ली
4. डॉ. अतनु पुरकायस्थ (01.08.2014) तथा श्री आर.के. सिंह (26.09.2014), संयुक्त सचिव (बीज), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली
5. डॉ. एस.के. मल्होत्रा, 20 अक्टूबर 2014 से, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा नं. 238, कृषि भवन, नई दिल्ली
6. डॉ. के.सी. बंसल, निदेशक, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, पूसा परिसर, नई दिल्ली
7. डॉ. के.एस. चरक, वैज्ञानिक 'जी' / परामर्शक, जैवप्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, कमरा नं. 709, 7वां तल, ब्लॉक-2, सीजीओ काम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली
8. श्री हेम पाण्डे, संयुक्त सचिव (जैवविविधता से संबंधित), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, कमरा नं. 621, इंदिरा पर्यावरण भवन, सीजीओ परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली
9. श्री इंदर कुमार, संयुक्त सचिव एवं विधिक सलाहकार, विधायी मामले विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, कमरा नं. 416, ए विंग, चौथा तल, रेल भवन, नई दिल्ली
10. श्री पी. चंगल रेड्डी, महासचिव, कंसोर्टियम ऑफ इंडियन फार्मर्स एसोसिएशन, फ्लैट नं. 209, विजया टावर्स, शांति नगर, ए सी गार्ड्स, हैदराबाद
11. श्री माया राम नेतम, वृदावन कालोनी, मकान नं. 1/21, जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़
12. डॉ. उषा बारवाले, महाराष्ट्र हाइब्रिड सीडीस कंपनी लिमिटेड, पोस्ट बॉक्स सं. 76, जालना महाराष्ट्र
13. डॉ. बी.एस. ढिल्लों, कुलपति, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, पंजाब
14. श्रीमती नीलम त्यागी, लक्ष्मी जन कल्याण सेवा संस्थान, रावली रोड, जीतपुर, गली नं.5, मुरादनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
15. डॉ. सुधीर कुमार गोयल, प्रधान सचिव (कृषि), महाराष्ट्र सरकार, एनेकसी भवन, मंत्रालय, मुम्बई
16. श्री देबाशीष पांडा (30.09.2014), श्री अमित मोहन प्रसाद (7.11.2014), प्रधान सचिव (कृषि), उत्तर प्रदेश सरकार, बहुखंडी भवन, सचिवालय, लखनऊ

सदस्य सचिव (पदेन)

17. डॉ. आर.सी. अग्रवाल, महा-पंजीकार, पीपीवी और एफआर प्राधिकरण, नई दिल्ली

पीपीवी और एफआर प्राधिकरण के स्वीकृत पद

(31 मार्च 2015 को)

प्रधान कार्यालय (नई दिल्ली)	स्वीकृत पद
वेतनमान सहित पदनाम	
अध्यक्ष	
80000/- (निर्धारित)	1
महा—पंजीकार	
67000—79000/-	1
पंजीकार	
37400—67000 (ग्रेड पे 8700)	3
वित्तीय सलाहकार	
37400—67000 (ग्रेड पे 8700)	1
संयुक्त पंजीकार	
15600—39100 (ग्रेड पे 7600)	2
उप पंजीकार	
15600—39100 (ग्रेड पे 6600)	1
विधि सलाहकर	
15600—39100 (ग्रेड पे 6600)	2
वरिष्ठ लेखा अधिकारी	
15600—39100 (ग्रेड पे 6600)	1
वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी	
9300—34800 (ग्रेड पे 4600)	3
तकनीकी सहायक	
9300—34800 (ग्रेड पे 4200)	1
कम्प्यूटर सहायक	
9300—34800 (ग्रेड पे 4200)	6
उपयोग	22
शाखा कार्यालय (गुवाहाटी एवं रांची)	
उप पंजीकार	
15600—39100 (ग्रेड पे 6600)	2
पौधा किस्म परीक्षक	
15600—39100 (ग्रेड पे 5400)	2
वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी	
9300—34800 (ग्रेड पे 4600)	2
कार्यकारी सहायक	
9300—34800 (ग्रेड पे 4200)	2
उपयोग	8
योग	30

मानव संसाधन का विवरण प्रधान कार्यालय एवं शाखा कार्यालय

पदनाम एवं उनके पदस्थ	भरे गए पद	रिक्त पद
अध्यक्ष	1	-
डॉ. आर.आर. हंचिनाल		
महा-पंजीकार	1	-
डॉ. आर.सी. अग्रवाल		
पंजीकार	3	-
1. डॉ. मनोज श्रीवास्तव		
2. डॉ. तेजबीर सिंह		
3. डॉ. रवि प्रकाश		
वित्तीय सलाहकार	1	-
श्री जे.पी.सिंह		
संयुक्त रजिस्ट्रार	2	-
1. श्री डी.आर.चौधरी		
2. श्री डी.एस.मिश्रा		
उप पंजीकार	-	1
विधि सलाहकार	2	-
1. श्री डी.एस.राज गणेश		
2. श्री आर.आर. प्रधान		
वरिष्ठ लेखा अधिकारी	-	1
वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी	-	3
तकनीकी सहायक	1	-
डॉ. डी.एस. पिलानिया		
कम्प्यूटर सहायक	5	1
1. श्री अरविंद कुमार राय		
2. श्री संजय कुमार गुप्ता		
3. श्रीमती शिप्रा माथुर		
4. श्री नितेश कुमार वर्मा		
5. श्री श्याम नारायण प्रसाद		
शाखा कार्यालय गुवाहाटी	1	-
1. उप पंजीकार, डॉ. ए.सी.शर्मा	-	1
2. पौधा किस्म परीक्षक	1	-
3. वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, डॉ. ए.के.सिंह	-	1
4. कार्यपालक सहायक		
शाखा कार्यालय रांची	1	-
1. उप पंजीकार, श्री उमाकांत दुबे	-	1
2. पौधा किस्म परीक्षक	-	1
3. वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी	-	1
4. कार्यपालक सहायक		
उपयोग	19	11
योग	30	

वर्ष 2014–15 के दौरान विद्यमान डीयूएस केन्द्रों को जारी की गई राशियों का विवरण

क्र.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसलें	राशि (लाख ₹ में)
1	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट	चावल	9.00
2	आचार्य एन जी रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	मक्का, उड्ढद	6.22
3	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	कपास, चना	5.00
4	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कैसरगोड	(नारियल)	12.67
5	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला	(आलू)	5.45
6	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक	(चावल)	15.53
7	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर	(कपास)	11.50
8	केन्द्रीय औषधीय एवं सगंधीय पौधा संस्थान, लखनऊ	औषधीय पौधे	4.56
11	केन्द्रीय पटसन एवं सम्बद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर एवं बुदबुद	पटसन	5.21
12	चंद्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर	सरसों, गेहूं	3.47
13	औषधीय एवं सगंधीय पादप अनुसंधान, आनंद	औषधीय एवं सगंधीय पादप	6.98
14	राष्ट्रीय नीबू अनुसंधान केन्द्र, आनंद	नींबू	0.50
15	मक्का अनुसंधान निदेशालय, नई दिल्ली	मक्का	21.55
16	सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय, इंदौर	सोयाबीन	4.99
17	तिलहन अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	सूरजमुखी और अरण्ड	7.56
18	चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	चावल	21.91
19	ज्वार अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	ज्वार	7.25
20	गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल	गेहूं	8.62
21	गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल	जौ	2.71
22	गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	ज्वार	2.59
23	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, सब्जी विज्ञान संभाग, नई दिल्ली	प्याज एवं लहसुन	156
24	भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर	चना, अरहर	9.22
25	भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर	मूँग, उड्ढद, मसूर, मुलार्प	4.08
26	भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कोझीकोड़े	मसाले	3.49
27	भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी	भिण्डी, बैंगन, टमाटर, बंदगोभी, फूलगोभी	25.50
28	भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	गन्ना	4.30
29	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जामनगर	अरण्ड	0.90
30	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	मटर, अलसी	0.66
31	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिचुर	ऑर्किड	5.50
32	परियोजना समन्वयक (बाजरा), मंदौर (राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर)	बाजरा	7.05
33	महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय, राहुड़ी	ज्वार, बाजरा	3.09
34	महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय, राहुड़ी (पुणे केन्द्र)	चाइना एस्टर	2.00
35	राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र, पुणे	अंगूर	2.34
36	राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केन्द्र, सिक्किम	ऑर्किड	5.85
37	मूँगफली अनुसंधान निदेशालय, जूनागढ़	मूँगफली	5.080

क्र.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसलें	राशि (लाख ₹ में)
38	प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय, राजगुरुनगर	प्याज एवं लहसुन	3.49
39	तोरिया एवं सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर	तोरिया एवं सरसों	5.06
40	राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केन्द्र, अजमेर	बीज मसाले	5.48
41	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	गेहूं कपास	8.01
42	परियोजना समन्वयक (कपास), सीआईसीआर क्षेत्रीय केन्द्र, कोयम्बत्तूर	कपास	17.50
43	परियोजना समन्वयक (अलसी), सीएसएयू एवं टी, कानपुर	अलसी	1.09
44	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	सेम एवं तिल	4.41
45	पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय, अकोला	चना	11.08
46	क्षेत्रीय केन्द्र, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, करनाल	चावल	3.66
47	क्षेत्रीय केन्द्र, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, कटराई	बंदगोभी एवं फूलगोभी	4.56
48	गन्ना प्रजनन संस्थान, करनाल	गन्ना	1.67
49	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	कपास, गेहूं	14.65
50	विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला, अल्मोड़ा	राजमा, सोयाबीन, मक्का	4.37
51	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बत्तूर	कपास, सूरजमुखी	6.35
कुल			335.99

वर्ष 2014–15 के दौरान नए डीयूएस केन्द्रों/परियोजनाओं को जारी की गई राशियों का विवरण

क्र.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसलें	राशि (लाख ₹ में)
1	बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी	परवल	3.84
2	बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी	पान लता	1.53
3	बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी	याम और तारो	1.95
4	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर	नौनी	6.93
5	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर	अनार	2.50
6	केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर	बेल	2.00
7	केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर	चिरौंजी एवं इमली	2.76
8	केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर	जामुन	2.74
9	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बत्तूर	गौ.। अनाज	2.00
10	केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर	खजूर	2.00
11	केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ	आंवला	1.50
12	केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ	जामुन	4.11
13	केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर	स्ट्रावेरी	0.73
14	डॉ. बी.एस. कोंकण कृषि विश्वविद्यालय, श्रीनगर	जायफल	3.16
15	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	चिनार	2.27
16	परियोजना समन्वयक (गौण अनाज), कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, जीकेवीके परिसर, बंगलुरु	गौण अनाज	3.50
17	आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	गौण अनाज	5.50
18	केन्द्रीय कंदीय फसल अनुसंधान संस्थान, त्रिवेंद्रम	शकरकंदी एवं कसावा	4.48
19	केन्द्रीय कंदीय फसल अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, भुवनेश्वर	शकरकंदी एवं कसावा	10.20
20	केन्द्रीय कंदीप फसल अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम	यम एवं तारो	4.47
21	केन्द्रीय कोशकीट अनुसंधान एवं प्रशिक्ष.। संस्थान, मैसूर	शहतूत	2.50
22	भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान,झांसी	जई एवं गुनिया घास	3.00
23	गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	गौण मोटे अनाज (जई एवं लोबिया)	5.63
24	सब्जी विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	घीया	2.63
25	सब्जी विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	मिर्च	1.50
26	सब्जी विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	चौलाई	3.11
27	पुष्पविज्ञान एवं भूदृश्यनिर्माण संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	गेंदा	4.88
28	उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर, बड़ापानी	कोलोकेसिया	2.50
29	वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बत्तूर	सफेदा एवं कैसुरीना	1.50
30	वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बत्तूर	सागौन	5.54

क्र.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसलें	राशि (लाख ₹ में)
31	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	गौण मोटे अनाज	2.00
32	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली	दाना चौलाई	2.00
33	राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	केना	0.50
34	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	कपास, गेहूं	2.07
35	एस.डी. कृषि विश्वविद्यालय, एस.के. नगर	दलहन	2.00
36	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बत्तूर	मोटा अनाज	4.00
37	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक (आनुवंशिक विविधता)	चावल	3.68
38	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बत्तूर	चमेली	1.47
39	केन्द्रीय उपोष्ठा बागवानी संस्थान, लखनऊ	बेल	1.20
40	राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	बोगनवीलिया	0.50
41	राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	रलेडियोलस	0.50
42	केन्द्रीय शीतोष्ठा बागवानी संस्थान, श्रीनगर	आङू एवं खुबानी	3.07
43	जीन कैम्पेइन, नई दिल्ली	धान	4.40
44	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुड़ी	कपास	10.00
45	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	धान	6.60
46	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलुरु (मांड्या)	धान	5.00
47	डॉ. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, दपोली	धान	5.00
48	उत्तर पूर्व पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर, बड़ापानी	धान	10.00
49	सब्जी विज्ञान संभाग, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली	मूली एवं गाजर	7.73
50	केन्द्रीय शुच क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर	कुलथी, मोठ, ग्वार फली, चटरी	4.10
51	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	कुलथी, मोठ, ग्वार फली, चटरी	11.98
52	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुड़ी	गुलाब	4.50
53	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	धुनकी	5.00
54	एस डी ए यू, एसके नगर, क्षेत्रीय केन्द्र, मुंद्रा	खजूर	4.00
55	श्री करन नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर	जौ	2.00
56	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु	अलंकारिक पुष्प, पपीता, शरीफा, चौलाई, पालक, तुरई, पान, आम एवं स्ट्रोबेरी	47.32
57	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	अंकुर परीक्षण (चावल)	5.00
58	टी रिसर्च एसोसिएशन, टोकलाई	चाय	1.00
59	यूपीएसआई टी रिसर्च फाउंडेशन, कोयम्बत्तूर	चाय	1.00
60	दार्जिलिंग चाय अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, टी बोर्ड, कुर्सियोंग	चाय	1.00
61	राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केन्द्र, पुत्र		6.00
	कुल		265.58

वर्ष 2014–15 के दौरान फील्ड जीन बैंक (बैंको) / जीन बैंक को जारी की गई राशि का विवरण

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	राशि (लाख ₹ में)
1	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची	6.64
2	डॉ. बाला साहब कॉकण कृषि विद्यापीठ, अकोला	9.00
3	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर	2.00
4	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, मशोबरा	6.00
5	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन व्यूरो, नई दिल्ली	5.50
	कुल	29.14

वर्ष 2014–15 के दौरान प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों के लिए विभिन्न संगठनों को दी गई वित्तीय सहायता

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	राशि (लाख ₹ में)
1	आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद	7.20
2	कृषि विश्वविद्यालय, आनंद, गुजरात	0.80
3	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट	12.00
4	बनारस हिन्दू आनंद विश्वविद्यालय, वाराणसी	0.80
5	बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी	0.80
6	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, भागलपुर	1.60
7	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची	6.40
8	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्टब्लेयर	0.80
9	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल	2.40
10	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर	0.80
11	ग्रामीण विकास ट्रस्ट, नोएडा	0.75
12	डॉ. बालासाहेब सावंत कॉकण कृषि विद्यापीठ, दपोली, रत्नागिरी	1.60
13	चौधरी एस. के विश्वविद्यालय, पालमपुर	4.80
14	गुजरात विद्यापीठ, मानद विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	0.80
15	शेर-ए-काश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राजौरी, जम्मू	2.32
16	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	3.20
17	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	5.60
18	जवाहर लाल नेहरू कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जबलपुर	5.60
19	कर्नाटक पशुचिकित्सा, पशु एवं मात्स्यकी विज्ञान विश्वविद्यालय, बिदार	0.80
20	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	4.00
21	सरदार बल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ	3.20
22	सरदार कुशीनगर दांतीवाला कृषि विश्वविद्यालय, दांतेवाडा	0.80
23	शेर-ए-काश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर	7.20
24	तमिल नाडु पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, चैन्नई	0.80
25	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, रायचुर	3.19
26	स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	4.00
27	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक	1.60
28	चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर	2.40
29	दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, चित्रकूट	2.40
30	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला	1.60
31	होली क्रॉस व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, हजारीबाग	0.80
32	पुराना गोवा का भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, गोवा	0.80
33	राष्ट्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान केन्द्र, झांसी	0.80
34	विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा	2.40
35	कृषि वानिकी निदेशालय, झांसी	1.55
36	केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर	0.80
37	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यकी अनुसंधान संस्थान, कोच्चि	0.80

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	राशि (लाख ₹ में)
38	केन्द्रीय शुष्कभूमि कृषि अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	0.80
39	केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम	0.80
40	उत्तर पूर्व पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. परिसर, उमरोई रोड, बड़ापानी	3.20
41	उत्तर पूर्व पर्वतीय क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. परिसर, बड़ापानी	0.80
42	भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी	1.60
43	कृषि एवं खाद्य उत्पादन निदेशालय, भुवनेश्वर	4.80
44	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कैसरगोड	1.60
45	केन्द्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान का भा.कृ.अ.प. परिसर, ओल्ड गोवा	0.80
46	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु	0.80
47	भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कोझीकोड़े	1.60
48	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	0.80
49	गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	3.20
50	भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर	0.80
51	भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	0.80
52	भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी	0.00
53	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, त्रिशूर	1.19
54	महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय, राहुड़ी	0.80
55	केरल कृषि विश्वविद्यालय, राहुड़ी	3.09
56	महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय, राहुड़ी	2.40
57	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद	0.80
58	ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	10.39
59	बीज अनुसंधान निदेशालय, मऊ	0.80
60	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	2.40
61	भारतीय गेहूं अनुसंधान संस्थान (डीडब्ल्यूआर), करनाल	2.40
62	डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला	1.60
63	केवीके, करनूल	0.80
64	केवीके, मझागावन, सतना	1.60
65	राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर	6.32
66	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा	3.20
67	विकास भारती, गुमला	0.80
68	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बत्तूर	6.40
69	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ वानिकी महाविद्यालय, सिरसी	0.57
70	जीकेवीके, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, (हादोनहाल्ली, कांदाली)	5.51
71	उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय, कूच बेहर, पुंडीबेरी	2.40
72	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	3.06
73	पश्चिम बंगाल पशु एवं वानिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता	0.80
74	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	4.80
75	क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय— जोन-VIII, बंगलुरु	0.80
76	राष्ट्रीय जैविक विज्ञान अकादमी, चैन्नई	2.00
77	क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय, भा.कृ.अ.प. जोन-I, लुधियाना	0.80
78	क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय, भा.कृ.अ.प. जोन-II, कोलकाता	0.80

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	राशि (लाख ₹ में)
79	क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय, भा.कृ.अ.प. जोन—III,बड़ापानी	0.80
80	क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय, भा.कृ.अ.प. जोन—IV,कानपुर	0.80
81	क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय, भा.कृ.अ.प. जोन—V, हैदराबाद	0.80
82	क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय, भा.कृ.अ.प. जोन—VI, जोधपुर	0.80
83	क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय, भा.कृ.अ.प. जोन—VII, जबलपुर	0.80
84	कृषि निदेशालय, अरुणाचल प्रदेश सरकार, कामेंग, लोअर सुबानसिरी, गेकु (गोरक), उपर सुबानसिरी	4.00
85	राष्ट्रीय याक अनुसंधान केन्द्र (भा.कृ.अ.प.), दिरांग केवीके (मोमोंग)	0.80
86	केवीके, पापुमपारे	0.80
87	राष्ट्रीय सूअर अनुसंधान केन्द्र, गुवहाटी (केवीके गोआलपारा)	0.80
88	संयुक्त कृषि—एव—मत्स्य पालन सहकारी सोसायटी, उत्ताउ, बिशनापुर	0.80
89	कृषि निदेशालय, मणिपुर सरकार, थाउबल	0.80
90	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा निदेशालय, नागालैंड, कोहिमा	2.40
91	कृषि निदेशालय, नागालैंड सरकार, कोहिमा	1.60
92	कृषि निदेशालय, मेघालय सरकार, शिलांग	0.80
93	कृषि निदेशालय, सिक्किम सरकार	0.80
94	कृषि निदेशालय, त्रिपुरा सरकार, अगरतला	0.80
95	राजा अवदेश सिंह मैमोरियल सोसायटी, प्रतापगढ़	0.80
96	सरपंच समाज, नई दिल्ली	0.80
97	ग्राम निर्वाण मंडल सर्वोदय आश्रम, सोखोदेवरा	0.80
98	श्रम भारती खादी ग्राम, जमुई	0.80
99	वनवासी सेवा केन्द्र, भाबुआ	0.80
100	रामकृष्ण मिशन आश्रम, मोराबादी, रांची	0.80
101	पाल्ली शिक्षा भवन, बोलपुर, शांति निकेतन	0.80
102	कल्याण, पुरस्लिया	0.80
103	रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द विश्वविद्यालय, बेलुर मठ	0.80
104	समता सेवा केन्द्र, सीतामराही	0.80
105	भारतीय पश्चिमित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, बरेली	0.80
106	ग्राम नव निर्माण समिति, जयप्रकाशनगर, जम्मीकुंता	0.80
107	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजामुंदरी	0.80
108	सिरी अरबिंदो ग्रामीण विकास संस्थान, गड्ढीपल्ली	0.80
109	भगवातुला चैरिटेबल ट्रस्ट, बीसीटी फार्म परिसर, विशाखापटनम	0.80
110	प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान में प्रवर अनुसंधान एवं शिक्षा संस्थान, अहमदनगर	0.80
111	दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, स्वामी रामतीरथ नगर, नई दिल्ली	0.80
112	सतपुडा शिक्षा सोसायटी, जलगांव जामोद, जिला बुलदाना	0.80
113	संत नामदेव सेवाभावी संस्था, अकोला रोड, हिंगोली	0.80
114	कृषि विज्ञान केन्द्र, पोस्ट गंगापुर, लातुर	0.80
115	डॉ. हेडगेवार सेवा समिति, जिला नंदुरबार	0.80
116	यशवंत राव चहाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नाशिक	0.80
117	शबारी कृषि प्रतिष्ठान, सोलापुर, महाराष्ट्र	0.80
118	प्रगति ट्रस्ट, जयपुर	0.80

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	राशि (लाख ₹ में)
119	विद्या भवन सोसायटी, फतेहपुर, उदयपुर	0.80
120	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी	1.60
121	अपालिफ्ट रुरल इकोनॉमी सोसायटी, बाड़मेर	0.80
122	बनस्थली विश्वविद्यालय, टोंक	0.80
123	लोक भारती ग्राम विद्यापीठ, सानोसारा, जिला भावनगर	0.80
124	अम्बुजा सीमेंट फाउंडेशन, कोटीनार	0.80
125	मेहसाना डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन फाउंडेशन, गणपत विद्या नगर	0.80
126	मंगल भारती, गोलागाम्बी, जिला वदोदरा	0.80
127	केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पर्यावरण, भोपाल	0.80
128	दीनदयाल कृषि विकास एवं अनुसंधान समिति, भोपाल	0.80
129	के.एच. पाटिल कृषि विज्ञान फाउंडेशन, जिला गदाग	0.80
130	मैसूर रीसैटलमेंट एंड डेवलपमेंट एजेंसी (म्यारादा), बंगलुरु	0.80
131	तरालाबालु रुरल डेवलपमेंट फाउंडेशन, देवनागेर, कर्नाटक	0.80
132	मित्रनिकेतन, वेलानाड, तिरुवनंतपुरम	0.80
133	क्रिश्चियन रुरल डेवलपमेंट एजेंसी, पथानमथिट्टा	0.80
134	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	0.95
135	कृषि विकास ट्रस्ट, बारामती, पुणे	0.80
136	मराठवाड़ा शेती सहाय मंडल, औरंगाबाद	0.79
137	श्रम साधना अमरावती, कांग्रेस नगर, अमरावती	0.80
138	राष्ट्रीय सेवा समिति, सेवा निलायम, चित्तूर	0.80
139	जेएसएस महाविद्यापीठ, मैसूर	1.60
140	श्री अविनाशीलिंगम उच्च शिक्षा एवं गृह विज्ञान संस्थान, कोयम्बत्तूर	0.79
141	कृषि निदेशालय, गोवा सरकार, पणजी	0.80
142	कृषि निदेशालय, पांडेचरी	0.80
143	यूपीएसआई, कून्नूर, नीलगिरी	0.80
144	बापूजी सेवक समाज, कुमिली	0.80
145.	नागालैंड विश्वविद्यालय, जुन्हेबोतो	0.80
146	साम हिंगिनबोटम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद	0.80
147	केएसआर प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, तिरुचंगोड़े, तमिल नाडु	1.60
148	राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम संस्थान, हैदराबाद	0.80
149	अमेठी विश्वविद्यालय, नोएडा	0.80
150	केवीके, स्कार्डा, भोजपुर	0.80
151	बायोवेड कृषि एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद	0.80
152	दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, सतना	1.60
	कुल	255.27

01.04.2014 से 31.03.2015 के दौरान प्राप्त कृषक किसी के फसलवार व अंचलवार आवेदन

पंजीकरण अधीन फसल प्रजातियां (92)

क्र.सं.	फसल प्रजातियां	वानस्पतिक नाम
1	Rice / चावल	ओराइजा सेटाइवा एल.
2	Bread wheat/ गेहूँ (चपाती)	ट्रिटिकम एस्टिवम एल.
3	Durum wheat / ड्यूरम गेहूँ	ट्रिटिकम ड्यूरम डैस्फ.
4	Dicoccum wheat/ डिकोकम गेहूँ	ट्रिटिकम डाइकोकम एल.
5	Other Triticum/ ट्रिटिकम प्रजातियां	ट्रिटिकम प्रजातियां
6	Maize/मक्का	जी मेज एल.
7	Sorghum/ज्वार	सोरघम बाइकलर (एल.) मोयंक
8	Barley / जौ	हॉर्ड्यम वल्नेरे एल.
9	Pearl millet/ बाजरा	पेनीसेटम ग्लाउकम (एल.) आर.बीआर.
10	Chickpea / चना	साइसर एरिटिनम एल.
11	Mungbean / मूँग	विंगना रेडिएटा (एल.) विल्कजैक
12	Urdbean /उड्द	विंगना मुँगो (एल.) हैप्पर
13	Fieldpea / मटर	पाइसम स्टाइवम एल.
14	Kidney bean/राजमा	फैसियोलस वल्नोरिस एल.
15	Lentil / मसूर	लैंस क्यूलीनेरिस मैडिक
16	Pigeon pea/अरहर	कैजानस कैजन (एल.) मिल्स्प
17	Indian mustard/ सरसो	ब्रैसिका युसिया एल. सीजर्न एवं कॉस
18	Karan rai /राई	ब्रैसिका कैरिनाटा ए. ब्रॉन
19	Rapeseed/रेप्सीड	ब्रैसिका रैपा एल.
20	Gobhisarson / गोभीसरसों	ब्रैसिका नैपस एल.
21	Groundnut / मूँगफली	एरेकिस हाइपोगेर्झ एल.
22	Soybean/सोयाबीन	ग्लाइसीन मैक्स (एल.) मैरिल

क्र.सं.	फसल प्रजातियां	वानस्पतिक नाम
27	Linseed /अलसी	लिनुमसिटा टिसिमम एल.
28	Diploid Cotton / कपास (द्वगुणित)	गोसिपियम आरबोरियम एल.
29	Diploid Cotton / कपास (द्वगुणित)	गोसिपियम हार्बेसियम
30	Tetraploid Cotton / कपास (चतुर्गुणित)	गोसिपियम हिर्स्टम एल.
31	Tetraploid Cotton / कपास (चतुर्गुणित)	गोसिपियम बारबेंस एल.
32	Jute /पटसन	कार्कोरस ओलिटोरस एल.
33	Jute /पटसन	कार्कोरस कैप्सुलोरिस एल.
34	Sugarcane / गन्ना	सेकरम एल.
35	Black pepper / कालीमिर्च	पाइपर नाइग्रम एल.
36	Coriander/ धनिया	कोरिएंड्रम सेटाइवम एल.
37	Fenugreek/ मेथी	ट्राइगोनेला फोइनमग्रेइकम एल.
38	Turmeric /हल्दी	करक्यूमा लोंगा एल.
39	Ginger /अदरक	जिंगीबेरा आफिसिनेली रॉस्क
40	Small cardamom/ छोटी इलायची	एलिटेरेला कार्डमोमम माल्टन
41	Tomato /टमाटर	लाइकोपर्सिकन लाइकोपर्सिकम (एल.) कर्स्टन एक्स. फर्व.
42	Brinjal / बैंगन	सोलेनम मेलोन्जीना एल.
43	Okra / घिन्डी	एबेलमोस्कस एस्कुलेंट्स (एल.) मोयंक
44	Cauliflower / फूलगोभी	ब्रैसिका ओलोरेसिया एल. वैर. बोट्राइटिस
45	Cabbage /पत्तागोभी	ब्रैसिका ओलिरेसिया वैर. कैपिटाटा एल.
46	Bitter Gourd /करेला	मोमोरिडिका चार्म्स एवं एल.
47	Bottle Gourd / लोकी (घिया)	लेगेनेरियासी सेरारिया (मोल) स्टैन्ड.
48	Cucumber / खीरा	क्यूक्यूमिस स्टाइवस एल.

क्र.सं.	फसल प्रजातियां	वानस्पतिक नाम
23	Sunflower/ सूरजमुखी	हैलियंथस एनस एल.
24	Safflower/कुसुम	कार्थेमस टिंकटोरियस एल.
25	Castor /अरंडी	रेसिनस कम्फ्युनिस एल.
26	Sesame /तिल	सेसामस इंडिकम एल.
53	Chrysanthemum / गुलदाउदी	क्राइस्टैथेमस एल.
54	Muskmelon / खरबूजा	क्यूक्यूमिस मैल्ड एल.
55	Watermelon / तरबूज	सिद्धलस लैंटस (झानी) मैस्फ
56	Mango / आम	मॅंगीफेरा इंडिका एल.
57	Pomegranate/ अनार	पुनिकैग्रा एनाटम एल.
58	Apple/सेब	मैलोस्डो मेरिटिका बॉर्च
59	Banana / केला	म्यूसा प्रजाति
60	Pear/नाशपाती	पायरेस कम्फ्युनिस एल.
61	Mandairn / संतरा	सिद्रस रेटिकुलेटे ल्लांको
62	Sweet Orange / मौसमी	सिद्रस सिनेसिस (एल.) ओर्सेक
63	Acid Lime / नींबू	सिद्रस औरेटिफोलिया स्वीगल
64	Grapes/अंगूर	विटिस प्रजाति
65	Indian jujube (Ber)/बेर	जिजिफस मॉरिटियाना लैम्प्क
66	Apricot/खुबानी	प्रूनस आर्मेनियाका एल.
67	Cherry/चेरी	प्रूनस सेरियम एल.
68	Almond/ बदाम	प्रूनस डल्टिस (मिल.) डी. ए. वैब
69	Walnut/अखरोट	जुगलांस रेगिया एल.
70	Isabgol /इसबगोल	प्लांटागो ओवाटा फोर्स्क
71	Potato /आलू	सोलेनम ट्यूबरोसम एल.
72	Menthol Mint /पुदिना	मैंथा आर्वन्सिस एल.

क्र.सं.	फसल प्रजातियां	वानस्पतिक नाम
49	Pumpkin/कद्दू	कुकुरबिटा मॉर्स्केटा डच.एक्स पेयर
50	Onion/प्याज	एलियम सेपा एल.
51	Garlic/लहसून	एलियम सटाइवम एल.
52	Rose/गुलाब	रोसा प्रजाति आर. डेमासेना से भिन्न
73	Damask Rose/ गुलाब (इत्र)	रोसा डेमासेना मिल.
74	Periwinkle /सदाबहार	कैथारेंथस सोसियस एल. जी डॉन
75	Canna / कैना	कैन्ना एल.
76	Gladiolus / ग्लेडिओलुस	ग्लेडियोलस एल.
77	Brahmi / ब्राह्मी	बैक्पोपा मोनिएरी एल. पैनेल
78	Coconut /नारियल	कोकस न्यूसिफेरा एल.
79	Bamboo Leaf Orchid or Boat Orchid/ साइमारिडम	सिम्बिडियम स्व.
80	Spray Orchid or Singapore Orchid/जीवंती	डैंड्रोबियम स्व.
81	Orchid / ओर्चिड	ओंसिडियम स्व.
82	Vanda or Blue Orchid/ रसना	वैंडा जोन्स एक्स आर.बीआर.
83	Orc hid/आर्चिड	कैटलिया लिंडल
84	Orchid/ मोथआर्चिड	फैलियोनोप्सिस ब्लूम
85	Bougainvillea / बोगनविलिया	बोगनविलिया कॉम. एक्स जस
86	Tea / टी	कैमेलिया सिनेसिस
87	Tea / टी	कैमेलिया एसेमिका प्रजाति
88	Tea / टी	सी. एसेमिका प्लासियोकैलिक्स
89	Eucalyptus/सफेदा	यूकेलिप्टस कोमालडुलेसिस देहम्ब
90	Eucalyptus/सफेदा	यूकेलिप्टस टेरेटिकोनिस एसएम
91	Casurina/जंगली सरू	कैसुरियाना क्यूसिट्रोलिया एल.
92	Casurina/जंगली सरू	कैसुरियाना फंगुनिकोसो मिक.

प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये पंजिकरण प्रमाण पत्रों/फसल प्रजातियों की सूची (842)

क्र.सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म	फसल	आवेदक का नाम
1	2014 का 82	विद्यमान (वीसीके)	तेज	चावल	बायर क्रॉप साइंस एजी
2	2014 का 83	विद्यमान (वीसीके)	केएसएफएच-7032	सूरजमुखी	कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड
3	2014 का 84	नई	एनपी-408	चावल	नुजीवीडु सीडस लिमिटेड
4	2014 का 85	नई	एनपी-252	चावल	नुजीवीडु सीडस लिमिटेड
5	2014 का 86	कृषक	केराली	चावल	निरंजन मोहंता, पैदापाटना, ब्लॉक घटगांव, जिला सम्बलपुर, ओडिशा
6	2014 का 87	कृषक	राजामणी-एस	चावल	प्रदीप पटेल, केनाडीड, ब्लॉक जामनकिरा, जिला सम्बलपुर, ओडिशा
7	2014 का 88	कृषक	बबईमेता	चावल	श्री लिंगराज सेरी, भुइनपुर, ब्लॉक चम्पआ, जिला क्योंझार, ओडिशा
8	2014 का 89	कृषक	कबीरांगी	चावल	पिताम्बर महंत, कथाघर, ब्लॉक पटना, जिला क्योंझार, ओडिशा
9	2014 का 90	कृषक	झिटीपिटी	चावल	मधुसूदन मोहंता, टेंटलापुसी, ब्लॉक पटना, जिला क्योंझार, ओडिशा
10	2014 का 91	कृषक	झंकारा	चावल	बिजया लाकड़ा एवं अन्य, अम्मोवा, ब्लॉक कुटरा, जिला सुंदरगढ़, ओडिशा
11	2014 का 92	कृषक	कालागोडा	चावल	तरानीसेन बेहरा एवं अन्य, घंटीबुद, ब्लॉक सदर ब्लॉक, जिला सुंदरगढ़, ओडिशा
12	2014 का 93	कृषक	सरिया-एस	चावल	भीमा रोहिदास एवं अन्य, काकुदियापाली, ब्लॉक मानेश्वर, जिला सम्बलपुर, ओडिशा
13	2014 का 94	कृषक	महाराजी	चावल	जतिन्द्र प्रसाद दास, धर्मगढ़, ब्लॉक धर्मगढ़, जिला कालाहंडी, ओडिशा
14	2014 का 95	कृषक	राजकरणी	चावल	सौकीलाल साहू एवं अन्य, सांधिबहल, ब्लॉक गेइसिलेट, जिला बारागढ़, ओडिशा
15	2014 का 96	कृषक	जयगोपाल	चावल	दम्बारुधर नाईक एवं अन्य, एनलाभाटा, ब्लॉक जयपाटना, जिला कालाहंडी, ओडिशा
16	2014 का 97	कृषक	बदरंगी	चावल	अनाम मुंडा, पैदापाटना, ब्लॉक घंटागांव, जिला क्योंझार, ओडिशा
17	2014 का 98	कृषक	अम्बाझुका	चावल	जोहन मिंज, झारमुंडा, ब्लॉक रोइनाखोल, जिला सम्बलपुर, ओडिशा
18	2014 का 99	कृषक	कांदिंग	चावल	सामेसु अर्का एवं अन्य, बिनिदा, ब्लॉक रमनगुडा, जिला रायगढ़ा, ओडिशा
19	2014 का 100	कृषक	सेठका	चावल	डोला क्रुशन बेहरा एवं अन्य, बंकापुर, ब्लॉक खैरियान, जिला नौपाड़ा, ओडिशा
20	2014 का 101	कृषक	करंगा	चावल	संतोश धरुआ एवं अन्य, घोसा, ब्लॉक कुचिंडा, जिला सम्बलपुर, ओडिशा

क्र.सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म	फसल	आवेदक का नाम
21	2014 का 102	कृषक	गोत्रा—बी	चावल	बिबेकन्नडा नाईक एवं अन्य, तेमरा, ब्लॉक काल्मपुर, जिला कालाहांडी, ओडिशा
22	2014 का 103	कृषक	दुलार	चावल	बुद्धदेव चलान एवं अन्य, सोमंतपुर, ब्लॉक—के, गुम्मा, जिला मल्कानगिरि, ओडिशा
23	2014 का 104	कृषक	जिरकुबांजी	चावल	मादी मुका, नालीगुंठी, ब्लॉक कालीमेला, जिला मल्कानगिरि, ओडिशा
24	2014 का 105	कृषक	माहूलता	चावल	लोकनाथ तरासिया एवं अन्य, बराम्बा, ब्लॉक बराम्बा, जिला कटक, ओडिशा
25	2014 का 106	कृषक	कालाचुड़ी	चावल	गोपी कृष्णी एवं अन्य, अम्बापाडा, ब्लॉक मैथिली, जिला मल्कानगिरि, ओडिशा
26	2014 का 107	कृषक	खुर्सुदी	चावल	रबी कम्भार, कुम्भारगुडा, ब्लॉक कालीमेला, जिला मल्कानगिरि, ओडिशा
27	2014 का 108	कृषक	दासरघुंथा	चावल	मधुसूदन साहू एवं अन्य, मरदंग, ब्लॉक बारकोटे, जिला देवगढ़, ओडिशा
28	2014 का 109	कृषक	रेलजांगी	चावल	सुरेन्द्र हसदा एवं अन्य, संपूर्णा पानी, ब्लॉक कोइडा, जिला सुंदरगढ़, ओडिशा
29	2014 का 110	कृषक	पोरा	चावल	दुसंता कु सिंह, कालियाभाटा, ब्लॉक जयपाटना, जिला कालाहांडी, ओडिशा
30	2014 का 111	कृषक	मल्कादुआ	चावल	भिखारी प्रधान, बदमल, ब्लॉक मानेश्वर, जिला सम्बलपुर, ओडिशा
31	2014 का 112	कृषक	कुंदो	चावल	बिरुपा पिटी काका एवं अन्य, गोलोंडा, ब्लॉक गुंडोरी, जिला रायगाडा, ओडिशा
32	2014 का 113	कृषक	कांदासुरी	चावल	सुबाराव निसिका एवं अन्य, परीखिती, ब्लॉक रमणगुडा, जिला रायगाडा, ओडिशा
33	2014 का 114	कृषक	पांडे धान	चावल	सुकंती पदियामी एवं अन्य, झरापल्ली, ब्लॉक मल्कानगिरि, जिला मल्कानगिरि, ओडिशा
34	2014 का 115	कृषक	कोनोर	चावल	सराथी मिर्दा एवं अन्य, बारिदिर्दिंगा, ब्लॉक जुजुमुरा, जिला सम्बलपुर, ओडिशा
35	2014 का 116	कृषक	कांताचुड़ी	चावल	लक्ष्मण गोलेरी एवं अन्य, कांधागुडा, ब्लॉक खैरपुट, जिला मल्कानगिरि, ओडिशा
36	2014 का 117	कृषक	अग्निसाल	चावल	गोलापा पटेल एवं अन्य, बालीजोरी, ब्लॉक टंगारपाली, जिला सुंदरगढ़, ओडिशा
37	2014 का 118	कृषक	असुमो कुंदो	चावल	रामो डोलेई एवं अन्य, दहानी, ब्लॉक गुदारी, जिला रायगाडा, ओडिशा
38	2014 का 119	कृषक	बकका	चावल	संजय कुमार नायक एवं अन्य, तालापडार, ब्लॉक मैथिली, जिला मल्कानगिरि, ओडिशा
39	2014 का 120	कृषक	मांगुरा	चावल	राजेन्द्र नाग, भूतिबहल, ब्लॉक गैशिलेट, जिला बारगढ़, ओडिशा
40	2014 का 121	कृषक	कान्हेई	चावल	दामू नायक एवं अन्य, डुंडियापुट, ब्लॉक मैथिली, जिला मल्कानगिरि, ओडिशा

क्र.सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म	फसल	आवेदक का नाम
41	2014 का 122	कृषक	छेलीगुड़ी	चावल	कुशांधर मुंडा, नौगांव, ब्लॉक चम्पुआ, जिला क्योंझार, ओडिशा
42	2014 का 123	कृषक	बसंती भोग	चावल	सत्याबती, दाहुरी एवं अन्य, ठाकुर निकितमल, ब्लॉक कुविंद्रा, जिला सम्बलपुर, ओडिशा
43	2014 का 124	कृषक	बगार हुंडार	चावल	रविन्द्र साहू एवं अन्य, लिमागांव, ब्लॉक केसिंगा, जिला कालाहांडी, ओडिशा
44	2014 का 125	कृषक	के—लालकैन	चावल	रविन्द्र साहू एवं अन्य, लिमागांव, ब्लॉक केसिंगा, जिला कालाहांडी, ओडिशा
45	2014 का 126	कृषक	बारहगल्ली	चावल	बेन्धुर खटुआ एवं अन्य, बिंधानिमा, ब्लॉक टिगिरिया, जिला कटक, ओडिशा
46	2014 का 127	कृषक	अग्नि साली	चावल	चक्रधर नाइक, संताहलिया, ब्लॉक चम्पुआ, जिला क्योंझार, ओडिशा
47	2014 का 128	कृषक	बूटा चुड़ी	चावल	पिताभर पदियामी एवं अन्य, झारापाली, ब्लॉक मल्कानगिरि, जिला मल्कानगिरि, ओडिशा
48	2014 का 129	कृषक	पंडाकाया	चावल	बिपिन विहारी नाईक एवं अन्य, सताहलिया, ब्लॉक चम्पुआ, जिला क्योंझार, ओडिशा
49	2014 का 130	कृषक	दशहरा धान	चावल	सन्यासी पिडिकाका एवं अन्य, दीसैरीपोडा, ब्लॉक बिस्समकटक, जिला रायगढ़ा, ओडिशा
50	2014 का 131	कृषक	बैदहुना	चावल	संतोष कुमार नैल एवं अन्य, चाचरभाटा, ब्लॉक खरियार, जिला नौपाड़ा, ओडिशा
51	2014 का 132	कृषक	साधना	चावल	पबन माझी एवं अन्य, पाडिगांव, ब्लॉक कलामपुर, जिला कालाहांडी, ओडिशा
52	2014 का 133	कृषक	भट्टासाकुली	चावल	केतन साहू एवं अन्य, बांकम्बा, ब्लॉक कासीपुर, जिला रायगढ़ा, ओडिशा
53	2014 का 134	नई	रानीधान (आईईटी—19148)	चावल	उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
54	2014 का 135	नई	केएसएल—210011	चावल	कृषिधान सीड़स प्राइवेट लिमिटेड
55	2014 का 136	नई	एसवाईएन—आरई— एनआर—7356	चावल	सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड
56	2014 का 137	विद्यमान (वीसीके)	जेके चामुंडी (जेके सीएचबी 211)	चतुर्गुणित कपास	जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड
57	2014 का 138	नई	रसिका सलेक्शन	चावल	कृषिधान सीड़स प्राइवेट लिमिटेड
58	2014 का 139	नई	एनपी— 742	चावल	नुजीवीडु सीड़स लिमिटेड
59	2014 का 140	विद्यमान	गुजरात तिल—4 (जी—तिल—4)	तिल	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, गुजरात
60	2014 का 141	विद्यमान	विश्वास (नुल—7)	उड्डद	निर्मल सीड़स प्राइवेट लिमिटेड
61	2014 का 142	विद्यमान	एसकेएल—8 (एसकेएल—11—28— 2—55)	चावल	डॉ. पंजाब राव देशमुख, कृषि विद्यापीठ

क्र.सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म	फसल	आवेदक का नाम
62	2014 का 143	विद्यमान	फुले—688 (आरएचसी—688)	चतुर्गुणित कपास	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
63	2014 का 144	विद्यमान	एलएलएम—079	भारतीय सरसों	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय
64	2014 का 145	विद्यमान	डब्ल्यूएच—1021	गेहूं	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय
65	2014 का 146	विद्यमान	पूसा मस्टर्ड—21 (एलईएस—1—27)	भारतीय सरसों	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
66	2014 का 147	विद्यमान	जेकेजीवीआर—2 (आईईटी 19795)	चावल	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (सीजी) कृषक नगर, लाभांडी, रायपुर
67	2014 का 148	विद्यमान	अग्रणी (एसईजे—2)	भारतीय सरसों	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
68	2014 का 149	विद्यमान	आईजीकेवीआर—1 (आईईटी 19569)	चावल	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (सीजी) कृषक नगर, लाभांडी, रायपुर
69	2014 का 150	विद्यमान	सीओ पंत 97222	गन्ना	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
70	2014 का 151	विद्यमान	अक्षयधान (आईईटी 19367)	चावल	चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद
71	2014 का 152	विद्यमान	पूसा मस्टर्ड—27 (ईजे—17)	भारतीय सरसों	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
72	2014 का 153	विद्यमान	पूसा मस्टर्ड—26 (एनपीजे—113)	भारतीय सरसों	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
73	2014 का 154	नई	एनपीएच—25	चावल	नुजीवीडु सीडस लिमिटेड
74	2014 का 155	नई	एनपी' 3112	भारतीय सरसों	नुजीवीडु सीडस लिमिटेड
75	2014 का 156	नई	सीएसवी 22	ज्वार	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
76	2014 का 157	नई	सीएसवी 23	ज्वार	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
77	2014 का 158	नई	एनपीएच 8899	चावल	नुजीवीडु सीडस लिमिटेड
78	2014 का 159	नई	सीएसवी 18	ज्वार	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
79	2014 का 160	विद्यमान (वीसीके)	एसवाईएन— आरआई—5017	चावल	सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड
80	2014 का 161	विद्यमान	ठीजी—51	मूंगफली	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
81	2014 का 162	विद्यमान	अजय (सीआरएचआर—7) (आईईटी—18166)	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
82	2014 का 163	विद्यमान	अरावली (आरएन 393)	भारतीय सरसों	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
83	2014 का 164	विद्यमान	पदमिनी (एलएमएच—62)	अलसी	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
84	2014 का 165	विद्यमान	ठीजी—37—ए	मूंगफली	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
85	2014 का 166	विद्यमान	पार्वती (एलएमएच—16—5)	अलसी	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
86	2014 का 167	विद्यमान	पंत पीली सरसों—1	तोरिया	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

क्र.सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म	फसल	आवेदक का नाम
87	2014 का 168	विद्यमान	नव गोल्ड (वाईआरएन-6)	तोरिया	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
88	2014 का 169	नई	केएसएल-333	चावल	कृषिधान सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
89	2014 का 170	नई	केबीआर-780	बाजरा	कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड
90	2014 का 171	विद्यमान	नरेन्द्र-8002 (आईईटी-15848)	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
91	2014 का 172	विद्यमान (वीसीके)	सीआरएमएस 31ए	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
92	2014 का 173	विद्यमान	फुले कुसुमा (जेएलएसएफ-414)	कुसुम	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी
93	2014 का 174	नई	सीएसवी 21एफ	ज्वार	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
94	2014 का 175	विद्यमान	नवीन (आर-749-2-2) (आईईटी-14461)	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
95	2014 का 176	विद्यमान	शारदा (एलएमएस-4-27)	अलसी	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
96	2014 का 177	विद्यमान	वीएल-धान-208 (वीएल 9632)	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
97	2014 का 178	विद्यमान	डब्ल्यूएच-1025	गेहूं	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय
98	2014 का 179	विद्यमान	वीएल धान-207 (वीएल-97-9729)	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
99	2014 का 180	विद्यमान	सम्पदा (आईईटी 19424)	चावल	चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद
100	2014 का 181	विद्यमान	केबीएसएच-53	सूरजमुखी	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, जीकेवीके कैम्पस, बंगलुरु
101	2014 का 182	विद्यमान	केबीएसएच-41	सूरजमुखी	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, जीकेवीके कैम्पस, बंगलुरु
102	2014 का 183	विद्यमान	पीएयू-881 (एएल-1507)	अरहर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
103	2014 का 184	विद्यमान	केबीएसएच-42	सूरजमुखी	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, जीकेवीके कैम्पस, बंगलुरु
104	2014 का 185	विद्यमान	केबीएसएच-44	सूरजमुखी	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, जीकेवीके कैम्पस, बंगलुरु
105	2014 का 186	विद्यमान	कुफरी सदाबहार (एमएस / 93-1344)	आलू	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
106	2014 का 187	विद्यमान	कुफरी शैलजा (एसएम / 87-185)	आलू	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
107	2014 का 188	विद्यमान	स्वर्ण श्यामली	बैंगन	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
108	2014 का 189	विद्यमान	स्वर्ण मणी (एचबीआर-1)	बैंगन	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
109	2014 का 190	विद्यमान	एनआरसीएचबी 101	भारतीय सरसों	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

क्र.सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म	फसल	आवेदक का नाम
110	2014 का 191	विद्यमान	एनआरसीडीआर-02	भारतीय सरसों	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
111	2014 का 192	विद्यमान	स्वर्ण प्रतिभा (सीएच-309)	बैंगन	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
112	2014 का 193	विद्यमान	जीजी-16 (जेएसपी-39)	मूँगफली	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
113	2014 का 194	विद्यमान	गंगा-1 (जमनत्री)	मूँग	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
114	2014 का 195	विद्यमान	विवेक मटर-10 (वीपी 101)	मटर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
115	2014 का 196	विद्यमान	स्वर्ण श्री	बैंगन	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
116	2014 का 197	विद्यमान	बीआरजी-2	अरहर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
117	2014 का 198	विद्यमान	डब्ल्यूएच 1080	गेहूं	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय
118	2014 का 199	विद्यमान	आशीर्वाद (आरके-01-3)	भारतीय सरसों	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
119	2014 का 200	विद्यमान	वसुंधरा (आरजीएल-2538)	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
120	2014 का 201	विद्यमान	गिरनार-3 (पीबीएस 12160)	मूँगफली	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
121	2014 का 202	विद्यमान	पीएयू-911 (एमएल-1265)	मूँग	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
122	2014 का 203	विद्यमान	सीएस 54 (सीएस 614-4-4-4)	भारतीय सरसों	सीएसएसआरआई करनाल, हरियाणा
123	2014 का 204	विद्यमान	वर्धन (आईईटी 18940)	चावल	चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद
124	2014 का 205	विद्यमान	एनआरसीएचबी 506	भारतीय सरसों	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
125	2014 का 206	विद्यमान	राजलक्ष्मी (सीआरएचआर-5)	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
126	2014 का 207	विद्यमान	कुफरी अरुण (एमएस /82-717)	आलू	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
127	2014 का 208	विद्यमान	कुफरी हिमालिनी (एसएम /91-1515)	आलू	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
128	2014 का 209	विद्यमान	कुफरी हिमसोना	आलू	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
129	2014 का 210	विद्यमान	कुफरी कंचन	आलू	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
130	2014 का 211	विद्यमान	कुफरी आनंद (एमएस /82-717)	आलू	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
131	2014 का 212	विद्यमान	कुफरी गिरधारी (एसएम 193-237)	आलू	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
132	2014 का 213	विद्यमान	कुफरी पुष्कर (जेडब्ल्यू-160)	आलू	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
133	2014 का 214	विद्यमान	बीआईओ 9544 (बयो 151)	मक्का	बायोसीड रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म	फसल	आवेदक का नाम
134	2014 का 215	विद्यमान	कुफरी सूर्या (एचटी/ 92–621)	आलू	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
135	2014 का 216	विद्यमान	कुफरी गिरि राज (एसएम/ 85–45)	आलू	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
136	2014 का 217	विद्यमान	कुफरी ख्याति (जे 93–86)	आलू	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
137	2014 का 218	विद्यमान	कुफरी चिपसोना-3 (एमपी/ 97–583)	आलू	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
138	2014 का 219	विद्यमान	नंदयाल कॉटन हाइब्रिड-240	चतुर्गुणित कपास	आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद
139	2014 का 220	विद्यमान (वीसीके)	बीजीएस 801	ज्वार	बायर बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड
140	2014 का 221	नई	जेकेएसएसएच 02	ज्वार	जे.के. एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड
141	2014 का 222	नई	एनपी- 6013	चावल	नुजीवीडु सीडस लिमिटेड
142	2014 का 223	नई	26पी26	चावल	पायनियर ओवरसीस कारपोरेशन
143	2014 का 224	नई	कैएसएमएस 263	ज्वार	कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड
144	2014 का 225	नई	केजे-एच 6363	ज्वार	कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड
145	2014 का 226	विद्यमान (वीसीके)	पीकेवी 809	ज्वार	मराठवाडा कृषि विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र
146	2014 का 227	विद्यमान	यूएएस-415	गेहूं	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय
147	2014 का 228	विद्यमान	यूएएस-304	गेहूं	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय
148	2014 का 229	विद्यमान	डीडीके-1025	गेहूं	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय
149	2014 का 230	विद्यमान	डीडीके-1029	गेहूं	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय
150	2014 का 231	विद्यमान	यूएएस-428	गेहूं	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय
151	2014 का 232	कृषक	नृपति भोग	चावल	आनंद हाटी एवं अन्य, अमंदा, ब्लॉक पदमपुर, जिला बारगढ़, ओडिशा
152	2014 का 233	कृषक	गोविंदा भोग	चावल	श्यामसुंदर सिस्टर निवेदिता संघ (पंजीकरण सं 0 एस/ 1एल / 5721), 2001, ग्राम व पो. ओ. श्यामसुंदर, जिला— बर्दवान, थाना रैना, पिन-713424, पश्चिम बंगाल
153	2014 का 234	कृषक	युबाराजा	चावल	अचुतनंदा सिंह एवं अन्य, जामुतबहल, ब्लॉक गैइसिलट, जिला बारगढ़, ओडिशा
154	2014 का 235	कृषक	जेरचआईएलएल आई— बी	चावल	गोगुल नंदा मेहर एवं अन्य, बारिकेल, ब्लॉक पदमपुर, जिला बारगढ़, ओडिशा
155	2014 का 236	कृषक	एमएएचआईपीए एल— बी	चावल	महेन्द्र बाग एवं अन्य, संधिबहल, ब्लॉक गैसिलेट, जिला बारगढ़, ओडिशा
156	2014 का 237	कृषक	रंगा हगारी	चावल	सुकल दास हरिजन एवं अन्य, जमुना हांडी, ब्लॉक कोटपैड, जिला कोरापुट, ओडिशा
157	2014 का 238	कृषक	हुंदार—बा	चावल	शंभुनाथ साहू एवं अन्य, भूतिबहल, ब्लॉक गैसिलेट, जिला बारगढ़, ओडिशा

क्र.सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म	फसल	आवेदक का नाम
158	2014 का 239	कृषक	भूलो	चावल	बेदाब्यासा सामल एवं अन्य, ताल, ब्लॉक पदमपुर, जिला बारगढ़, ओडिशा
159	2014 का 240	कृषक	जयफुला	चावल	दसमंता पात्र एवं अन्य, लालुपाली, ब्लॉक अम्बाभोना, जिला बारगढ़, ओडिशा
160	2014 का 241	कृषक	काठी धान	चावल	समारू छेयूलुपाडिया एवं अन्य, जागमपुट, ब्लॉक सिमिलिगुडा, जिला कोरापुट, ओडिशा
161	2014 का 242	कृषक	मयूरकांथा – के	चावल	बीरा किशोर बिस्वाल एवं अन्य, मेंघसाला, ब्लॉक भुवनेश्वर, जिला खुर्दा, ओडिशा
162	2014 का 243	कृषक	चीनामत	चावल	सुकुरू सा, हल्दीपाली, ब्लॉक सोनपुर, जिला सुर्बर्णपुर, ओडिशा
163	2014 का 244	कृषक	बांदा	चावल	लाखी खोरा एवं अन्य, डुंगियापुट, ब्लॉक मैथिली, जिला मल्कानगिरि, ओडिशा
164	2014 का 245	कृषक	धुलिया—ओआर	चावल	रत्नाकर प्रधान एवं अन्य, नौगांव, ब्लॉक रेमुना, जिला बालासोर, ओडिशा
165	2014 का 246	कृषक	माडिया	चावल	गदाधर नायक एवं अन्य, घागरापल, ब्लॉक रेमुना, जिला बालासोर, ओडिशा
166	2014 का 247	कृषक	नालीगुंथा	चावल	निशामनी बेहरा एवं अन्य, बालीसाही, ब्लॉक नरसिंहपुर, जिला कटक, ओडिशा
167	2014 का 248	कृषक	कै-लुचेई	चावल	रामा नाईक एवं अन्य, झूडिंग जौर, ब्लॉक-तहसील रामपुर, जिला कालाहांडी, ओडिशा
168	2014 का 249	कृषक	खुदार्ज्ज—बोलागढ़—बासुमती	चावल	पर्वाकर बलियार सिंह एवं अन्य, डिग्हिरी, ब्लॉक बोलागढ़, जिला खुर्दा, ओडिशा
169	2014 का 250	कृषक	सुंदरगढ़ गुआकाटी	चावल	सेबाका साहू एवं अन्य, तालिटा, ब्लॉक बोनाई, जिला सुंदरगढ़, ओडिशा
170	2014 का 251	कृषक	कारपुरमोटी	चावल	अख्या कु साहू एवं अन्य, डिंगार, ब्लॉक बेगुनिया, जिला खुर्दा, ओडिशा
171	2014 का 252	कृषक	कलामा	चावल	सुरेन्द्र महाराणा एवं अन्य, मेंघसाला, ब्लॉक भुवनेश्वर, जिला खुर्दा, ओडिशा
172	2014 का 253	कृषक	करंजी	चावल	पुतु माझी एवं अन्य, रानीडुमेर, ब्लॉक तहसील रामपुर, जिला कालाहांडी, ओडिशा
173	2014 का 254	कृषक	सोरिशफुल	चावल	डोलागोविंदा महाला एवं अन्य, बंधापाली, ब्लॉक डांगरपाली, जिला सुब्रणपुर, ओडिशा
174	2014 का 255	कृषक	गंजमगेडी	चावल	नरेन्द्र राउत एवं अन्य, नौगांव, ब्लॉक बांकी, जिला कटक, ओडिशा
175	2014 का 256	कृषक	झुलपाया	चावल	गंगा पदियामी एवं अन्य, दुदामिता, ब्लॉक कोरुकोंडा, जिला मल्कानगिरि, ओडिशा
176	2014 का 257	कृषक	पटिनी—आर	चावल	उपेन्द्र प्रधान एवं अन्य, नौगांव, ब्लॉक रेमुना, जिला बालासोर, ओडिशा
177	2014 का 258	कृषक	गोविंदा धान	चावल	चपादी सामा एवं अन्य, जागमपुट, ब्लॉक सिमिलीगुडा, जिला कोरापुट, ओडिशा

क्र.सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म	फसल	आवेदक का नाम
178	2014 का 259	कृषक	केंसाफुल	चावल	प्रदीप कुमार मिश्रा एवं अन्य, सोरगोल, ब्लॉक तराभा, जिला सुब्रणपुर, ओडिशा
179	2014 का 260	कृषक	कमला सांकरी	चावल	अशोक कुमार साहू एवं अन्य, भूतियाबहल, ब्लॉक गैइसीलेट, जिला बारगढ़, ओडिशा
180	2014 का 261	कृषक	धुबा असाना	चावल	रामाकांता जेना एवं अन्य, जमालपुर, ब्लॉक बस्ता, जिला बालासौर, ओडिशा
181	2014 का 262	कृषक	काकिरी	चावल	गोविंदा परिदा एवं न्य, नौगांव, ब्लॉक रेमुना, जिला बालासौर, ओडिशा
182	2014 का 263	कृषक	चम्पा— के	चावल	मीनाकेतन रौटरी एवं अन्य, दिया, ब्लॉक टांगी, जिला खुर्दा, ओडिशा
183	2014 का 264	कृषक	सोलारी	चावल	मधाबा साहू एवं अन्य, कोटाकाना, ब्लॉक बालीपाटना, जिला खुर्दा, ओडिशा
184	2014 का 265	कृषक	बंगाली	चावल	भाबाग्राही मांगाराज एवं अन्य, जरीपुट, ब्लॉक खुर्दा, जिला खुर्दा, ओडिशा
185	2014 का 266	कृषक	पासाकाठी	चावल	अदवेता खिल्लर एवं अन्य, छोटियाम्बा, ब्लॉक अथागढ़, जिला कटक, ओडिशा
186	2014 का 267	कृषक	बूटासोरी	चावल	भगवाना पदियामी एवं अन्य, झारापल्ली, ब्लॉक मल्कानगिरि, जिला मल्कानगिरि, ओडिशा
187	2014 का 268	कृषक	राधाजुगाल	चावल	मित्राभानु सिंह एवं अन्य, जामुतबहल, ब्लॉक गैइसीलेट, जिला बारगढ़, ओडिशा
188	2014 का 269	कृषक	मालपात्री	चावल	गरिबा महाकुर एवं अन्य, गोंडाबहल, ब्लॉक उलांडा, जिला सुब्रणपुर, ओडिशा
189	2014 का 270	कृषक	बायाभांडा	चावल	त्रिलोचन पांडा एवं अन्य, बादाबाना, ब्लॉक बादम्बा, जिला कटक, ओडिशा
190	2014 का 271	कृषक	बैकानी—सी	चावल	पंचानन साहू एवं अन्य, बालीसाही, ब्लॉक नरसिंहपुर, जिला कटक, ओडिशा
191	2014 का 272	कृषक	जंगलीजाटा	चावल	महेन्द्र बारिक एवं अन्य, नौगांव, ब्लॉक रेमुना, जिला बालासौर, ओडिशा
192	2014 का 273	कृषक	जुबाफुल	चावल	शकुंतला साहू एवं अन्य, भूतियाबहल, ब्लॉक गैइसीलेट, जिला बारगढ़, ओडिशा
193	2014 का 274	कृषक	बुरोमल	चावल	मिथेइलाल अमारी एवं अन्य, जामुतबहल, ब्लॉक गैइसीलेट, जिला बारगढ़, ओडिशा
194	2014 का 275	कृषक	मुंगई	चावल	पूर्णचंदा मोहंती, ओदांगी, ब्लॉक सदर बालासौर, जिला बालासौर, ओडिशा
195	2014 का 276	कृषक	पिमुदीबासा	चावल	दीप्ति चरन प्रधान एवं अन्य, राजस, ब्लॉक बालीपाटना, जिला खुर्दा, ओडिशा
196	2014 का 277	कृषक	गेलहेईकांति	चावल	सरोज सेठ एवं अन्य, नाथापाली, ब्लॉक गैइसीलेट, जिला बारगढ़, ओडिशा
197	2014 का 278	कृषक	चंदन	चावल	खुशीराम बाघ एवं अन्य, मरादुगोच्छ, ब्लॉक तराभा, जिला सुब्रणपुर, ओडिशा

क्र.सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म	फसल	आवेदक का नाम
198	2014 का 279	कृषक	गेलहेई	चावल	नेत्र साहु एवं अन्य, कुटसीरा, ब्लॉक तारभा, जिला सुबर्णपुर, ओडिशा
199	2014 का 280	कृषक	लाडु	चावल	बृज बिहारी दसाधिकारी, गोपिनाथपुर, ब्लॉक भगराई, जिला बालासौर, ओडिशा
200	2014 का 281	कृषक	रूपापानी	चावल	प्रमोद कुमार पात्र एवं अन्य, बालीसाही, ब्लॉक नरसिंहपुर, जिला कटक, राज्य ओडिशा
201	2014 का 282	कृषक	मेनका	चावल	पुलु माझी एवं अन्य, नाकरुंडी, ब्लॉक तहसील रामपुर, जिला कालाहांडी, ओडिशा
202	2014 का 283	कृषक	राजाहंसा	चावल	अच्युतानंद मलिक एवं अन्य, बालीजोडा, ब्रह्मपुर, ब्लॉक टांगी, जिला कटक, ओडिशा
203	2014 का 284	कृषक	नैलीकालामलाता	चावल	रायदास सरदार एवं अन्य, बदापोखरी, ब्लॉक टांगी, चौदवार, जिला कटक, ओडिशा
204	2014 का 285	कृषक	आकुल—बी	चावल	अनीता साहू एवं अन्य, भूतियाबहल, ब्लॉक गैइसीलेट, जिला बारगढ़, ओडिशा
205	2014 का 286	कृषक	चम्पीसाली	चावल	कपिला बेहरा एवं अन्य, रसूलपुर, ब्लॉक सदर बालासौर, जिला सुबर्णपुर, ओडिशा
206	2014 का 287	कृषक	कालकाटी—डी	चावल	सुदर्शन त्रिपाठी, लांगलकाटा, ब्लॉक डुंगरीपाली, जिला सुबर्णपुर, ओडिशा
207	2014 का 288	कृषक	ओडासियाली—बी	चावल	रविन्द्र साहू सदानंदपुर, ब्लॉक बस्ता, जिला बालासौर, ओडिशा
208	2014 का 289	कृषक	गांठिया सिकिला	चावल	कुबेर दास, फुलमुथी, ब्लॉक बिनका, जिला सुबर्णपुर, ओडिशा
209	2014 का 290	कृषक	लुहुदी	चावल	दाउद भेंगरा एवं अन्य, देहिरीपुर पाड़ा, ब्लॉक बमारा, जिला सम्बलपुर, ओडिशा
210	2014 का 291	कृषक	कंठा कामुला	चावल	नकुला जेना, आनंदपुर, ब्लॉक आनंदपुर, जिला क्योंझार, ओडिशा
211	2014 का 292	कृषक	धिनकियासियाली	चावल	जगत जीवन बेहरा, एना, ब्लॉक हटादिही, जिला क्योंझार, ओडिशा
212	2014 का 293	कृषक	मयूरकंठा—सी	चावल	प्रभाकर बेहरा एवं अन्य, मुरारीपुर, ब्लॉक नरसिंहपुर, जिला कटक, ओडिशा
213	2014 का 294	कृषक	बाली भूता	चावल	जगन्नाथ सेठी एवं अन्य, ओदांगी ब्लॉक सदर, बालासौर, जिला बालासौर, ओडिशा
214	2014 का 295	कृषक	लुंछु कांकरिया	चावल	जगदीश प्रधान, जामुरा, ब्लॉक सोनेपुर, जिला सुबर्णपुर, ओडिशा
215	2014 का 296	कृषक	बौद्ध — लुचेई	चावल	गणेश रणबिदा एवं अन्य, काटमसिंह, ब्लॉक बौद्ध, ओडिशा
216	2014 का 297	कृषक	कटकाला	चावल	मनमथ पात्रा, बदास, ब्लॉक बलियापाल, जिला बालासौर, ओडिशा
217	2014 का 298	कृषक	सुनाखाडी	चावल	हरिहर पारिदा, नुआगांव, ब्लॉक रेमुना, जिला बालासौर, ओडिशा

क्र.सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म	फसल	आवेदक का नाम
218	2014 का 299	कृषक	दो—भाजोना	चावल	अशोक कु. साहू हर्सापुर, ब्लॉक सदर, क्योंझार, जिला क्योंझार, ओडिशा
219	2014 का 300	कृषक	रसपंजार	चावल	धनंजादास अधिकारी, गोपिनाथ पुट, ब्लॉक भोगाराई, जिला बालासौर, ओडिशा
220	2014 का 301	कृषक	निमेझ	चावल	देबेन्द्र जेना एवं अन्य, महादेव सराय, ब्लॉक बरता, जिला बालासौर, ओडिशा
221	2014 का 302	कृषक	सीतासाली	चावल	राधाशयम गिरि, कुलिडा, ब्लॉक बस्ता, बालासौर, ओडिशा
222	2014 का 303	कृषक	मझाली झुली	चावल	चक्रधर बाग एवं अन्य, गणेशपुर, ब्लॉक बिरका, जिला सुवर्णपुर, ओडिशा
223	2014 का 304	कृषक	धुसुरा	चावल	गदाधर सामंतराया, रामाबिल्ली, टांगी, जिला खुर्धा, ओडिशा
224	2014 का 305	कृषक	कालाकैंचा	चावल	प्रभात कु. दास एवं अन्य, दिया (कोलहा साही), ब्लॉक टांगी, जिला खुर्धा, ओडिशा
225	2014 का 306	कृषक	सागिरी	चावल	पंकज महंती, कालिया खिया, ब्लॉक ब्लईपल, जिला बालासौर, ओडिशा
226	2014 का 307	कृषक	मालझालका	चावल	शत्रुघ्न प्रधान, जनमुरा, ब्लॉक सोनेपुर, जिला सुवर्णपुर, ओडिशा
227	2014 का 308	कृषक	बुंदे	चावल	नेपाल मल्लिक, हल्दीपाली, ब्लॉक सोनेपुर, जिला सुवर्णपुर, ओडिशा
228	2014 का 309	कृषक	वेलेरी	चावल	नाकुला जेना, पुरकुरा, ब्लॉक आनंदपुर, जिला क्योंझार, ओडिशा
229	2014 का 310	कृषक	अंकुल	चावल	लक्ष्मण बारिक एवं अन्य, गेंडाबहल, ब्लॉक उलुंडा, जिला सुवर्णपुर, ओडिशा
230	2014 का 311	कृषक	लघुसांनली	चावल	गोपीनाथ सामंतराय एवं अन्य, रामाबिल्ली, ब्लॉक टांगी, जिला खुर्धा, ओडिशा
231	2014 का 312	कृषक	मुगुधी—एस	चावल	भारामर नाईक एवं अन्य, मारादुगोच्छा, ब्लॉक तराभा, जिला सुवर्णपुर, ओडिशा
232	2014 का 313	नई	डीएसवी 6 (सीएसवी 25)	ज्वार	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
233	2014 का 314	नई	सीएसवी 24एसएस	ज्वार	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
234	2014 का 315	विद्यमान	जीजी— 14 (जीएसपी— 28)	मूंगफली	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
235	2014 का 316	विद्यमान	जीजी—7	मूंगफली	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
236	2014 का 317	विद्यमान	गुजरात जूनागढ़ ग्राउंडनट 9 (जीजेजी—9) (जे—69)	मूंगफली	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
237	2014 का 318	विद्यमान	जीजेजी—एचपीएस —1 (जीएसपी— एचपीएस — 44)	मूंगफली	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

क्र.सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म	फसल	आवेदक का नाम
238	2014 का 319	विद्यमान	गुजरात जूनागढ़ ग्राउंडनट 31 (जीजेर्जी-31) (जे 71)	मूंगफली	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
239	2014 का 320	विद्यमान	जीजी-8 (जे-53)	मूंगफली	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
240	2014 का 321	विद्यमान	पीएसी 835 (पीएसी 80035) (आईईटी 18178)	चावल	एडवेंटा इंडिया लिमिटेड
241	2014 का 322	कृषक	के-पुआगी	चावल	त्रिलोचन राउत, बृंदाबहल, ब्लॉक गोलामुंडा, जिला कालाहांडी, ओडिशा
242	2014 का 323	कृषक	मलाटा	चावल	पिताम्बर महंत, कथासार, ब्लॉक पाटना, जिला क्योंझार, ओडिशा
243	2014 का 324	कृषक	राजमणी-के	चावल	गजेन्द्र दोरा एवं अन्य, कंदामा ब्लॉक लांजीगढ़, जिला कालाहांडी, ओडिशा
244	2014 का 325	कृषक	कालामुलिया	चावल	भक्त बत्सल मंगाराज एवं अन्य, भाटीमुंडा, ब्लॉक टांगी- चौदवार, जिला कटक, ओडिशा
245	2014 का 326	विद्यमान	पूसा विजय (एनपीजे - 93)	भारतीय सरसों	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
246	2014 का 327	विद्यमान	पूसा मस्टर्ड 28 (एनपीजे- 124)	भारतीय सरसों	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
247	2014 का 328	विद्यमान	पूसा मस्टर्ड 22 (आईईटी-17)	भारतीय सरसों	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
248	2014 का 329	विद्यमान	पूसा महक (जेडी-6)	भारतीय सरसों	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
249	2014 का 330	विद्यमान	पूसा ईजे-9912-13	भारतीय सरसों	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
250	2014 का 331	विद्यमान	पूसा आदित्य (एनपीसी-9)	भारतीय सरसों	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
251	2014 का 332	विद्यमान	पूसा करिश्मा (एलईएस- 39)	भारतीय सरसों	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
252	2014 का 333	विद्यमान	पूसा मस्टर्ड-25 (एनपीजे-112)	भारतीय सरसों	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
253	2014 का 334	विद्यमान	पूसा मस्टर्ड- 24 (एलईटी-18)	भारतीय सरसों	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
254	2014 का 335	विद्यमान	पूसा स्वर्णम (आईजीसी-01)	भारतीय सरसों	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
255	2014 का 336	विद्यमान	पीकेवी ग्रीन गोल्ड	मूंग	पीडीकेवी
256	2014 का 337	विद्यमान	जेएकेआई - 9218	चना	पीडीकेवी
257	2014 का 338	विद्यमान	एकेयू-15	उड्डद	पीडीकेवी
258	2014 का 339	विद्यमान	गुलक-1 (गुलाबी अकोला-1)	चना	पीडीकेवी
259	2014 का 340	कृषक	कंठामधुआ	चावल	नरोत्तम माझी एवं अन्य, अचलाकोटे, ब्लॉक टिकड़िया, जिला कटक, ओडिशा

क्र.सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म	फसल	आवेदक का नाम
260	2014 का 341	कृषक	झूली पुआगी	चावल	प्रसांत प्रधान एवं अन्य, खुंटलापाली, ब्लॉक उलुंडा, जिला सुवर्णपुर, ओडिशा
261	2014 का 342	कृषक	कोरापुट— दसमंतपुर — असम चुड़ी	चावल	आशुतोष नंदा, दसमंतपुर, ब्लॉक बाइपरीगुडा, जिला कोरापुट, ओडिशा
262	2014 का 343	कृषक	देउला भोग	चावल	डमरुधर मांझी एवं अन्य, दकाटा, ब्लॉक तहसील रामपुर, जिला कालाहांडी, ओडिशा
263	2014 का 344	कृषक	नीलापारी	चावल	भगतराम अधवारी एवं अन्य, पकानगुडा, ब्लॉक के गुम्मा, जिला मल्कानगिरि, ओडिशा
264	2014 का 345	कृषक	मुरगई— बी	चावल	मनमथ पात्रा, बदास, ब्लॉक बालियापाल, जिला बालासौर, ओडिशा
265	2014 का 346	कृषक	बीरामणी	चावल	इंद्रमणि पाणिग्रही एवं अन्य, दर्लीपाड़ा, ब्लॉक थिकपाली, जिला नौपाड़ा, ओडिशा
266	2014 का 347	कृषक	हिरन	चावल	बिहारी काटा एवं अन्य, धुंगीयामुंडा, ब्लॉक सिनापाली, जिला नौपाड़ा, ओडिशा
267	2014 का 348	कृषक	लतामाहू	चावल	मायाधर साहू एवं अन्य, गोदीझारिया, ब्लॉक तिगरिया, जिला कटक, ओडिशा
268	2014 का 349	कृषक	पुगाकाल्स	चावल	श्री रामचन्द्र मदकामी एवं अन्य, किचिपल्ली, ब्लॉक कोरुकुंडा, जिला मल्कानगिरि, ओडिशा
269	2014 का 350	विद्यमान	धारा मस्टर्ड हाइब्रिड—1 (डीएमएच—1)	भारतीय सरसों	नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड एवं दिल्ली विश्वविद्यालय, दक्षिणी परिसर
270	2014 का 351	विद्यमान	जवाहर मस्टर्ड—3 (जे.एम.ए.म—915)	भारतीय सरसों	राजमाता विजय राजे सिंधिया, कृषि विश्वविद्यालय
271	2014 का 352	विद्यमान	जवाहर मस्टर्ड—2 (जे.एम.डब्ल्यूआर—941—1—2)	भारतीय सरसों	राजमाता विजय राजे सिंधिया, कृषि विश्वविद्यालय
272	2014 का 353	विद्यमान	मालवीय रत्ना (एचडी 4672)	गेहूं	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
273	2014 का 354	विद्यमान	एचआई 8627 (मालवा कीर्ति)	गेहूं	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
274	2014 का 355	विद्यमान	पोषाण (एचआई 8663)	गेहूं	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
275	2014 का 356	नई	केएसआर 6203	ज्वार	मैसर्स कावेरी सीड लिमिटेड
276	2014 का 357	विद्यमान	एमएसीएस 2971	गेहूं	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
277	2014 का 358	विद्यमान	डीपीडब्ल्यू 621—50 (पीबीडब्ल्यू 621 एवं डीबीडब्ल्यू 50)	गेहूं	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
278	2014 का 359	विद्यमान	पंत सोया 1092	सोयाबीन	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
279	2014 का 360	विद्यमान	पंत सोयाबीन 1225 (पीएस1225)	सोयाबीन	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

क्र.सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म	फसल	आवेदक का नाम
280	2014 का 361	विद्यमान	पंत सोयाबीन (पीएस-1347)	सोयाबीन	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
281	2014 का 362	विद्यमान	फुले हरित (आरएचआरबी-16)	बैंगन	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुड़ी
282	2014 का 363	कृषक	के—टीएच—रामपुर— असन चुड़ी	चावल	गोपाल पुजारी एवं अन्य, जागेस पाडर, ब्लॉक —तहसील रामपुर, जिला कालाहांडी, ओडिशा
283	2014 का 364	कृषक	रघुचिनामल	चावल	गुप्तेश्वर, एसएचजी, रेशमा बिड़ी एवं अन्य, रघुचिनामल, ब्लॉक बोद्ध, जिला बोद्ध, ओडिशा
284	2014 का 365	कृषक	अथोगाड़िया	चावल	दुर्संता राउत एवं अन्य, सिमलीपाल, ब्लॉक पल्लाहारा, जिला अंगुल, ओडिशा
285	2014 का 366	कृषक	भूतिया	चावल	कृपासिंधु बरार एवं अन्य, गुड़डापुट, ब्लॉक ओडागांव, जिला नयागढ़, ओडिशा
286	2014 का 367	कृषक	मकाधाना	चावल	बागुन हो, ब्लॉक आनंदपुर, जिला क्योंझार, ओडिशा
287	2014 का 368	कृषक	रामकृष्णा बिलाशा	चावल	गंधर्भ साहू एवं अन्य, कुरुडल, ब्लाक भारापाल, जिला अंगुल, ओडिशा
288	2014 का 369	कृषक	बारेझ	चावल	बृजबंधु माझी एवं अन्य, कुकुड़ी, पास्तीपाड़ा, ब्लॉक भवानी पाटना, जिला कालाहांडी, ओडिशा
289	2014 का 370	कृषक	तुरी काह्वेझ	चावल	टंकाधर प्रधान एवं अन्य, हटिया डांडा, ब्लॉक कलिका, जिला अंगुल, ओडिशा
290	2014 का 371	कृषक	सूर्याकांति	चावल	तरुणसेन बिस्वाल एवं अन्य, बागादारी, ब्लॉक पल्लाहारी, जिला अंगुल, ओडिशा
291	2014 का 372	कृषक	कलाके टाकी (कलाकृष्णा)	चावल	श्री गोकुल चंद्र पुजारी, नार्ला, ब्लॉक नार्ला, जिला कालाहांडी, ओडिशा
292	2014 का 373	कृषक	नाली जगन्नाथ	चावल	प्रमोद ब्राड एवं अन्य, गोंडापुट, ब्लॉक ओडागांव, जिला नयागढ़, ओडिशा
293	2014 का 374	कृषक	कुसुमा कुंदा	चावल	उपेन्द्र कुमार साहू एवं अन्य, बिरुदा, ब्लॉक नयागढ़, जिला नयागढ़, ओडिशा
294	2014 का 375	कृषक	प्रथूराज	चावल	बिमल पात्रा, माठिया, ब्लॉक धर्मगढ़, जिला कालाहांडी, ओडिशा
295	2014 का 376	कृषक	कलामा	चावल	सिसिर कुमार, भांजा एवं अन्य, खाटिया, ब्लॉक रानापुर, ब्लॉक नयागढ़, ओडिशा
296	2014 का 377	कृषक	गिधान पाखी	चावल	दुर्मन माझी, उछला, ब्लॉक जयपाटना, जिला कालाहांडी, ओडिशा
297	2014 का 378	कृषक	बी—हुनर	चावल	धबलेश्वर भोई, बाद डुगगरीगुड़ा, ब्लॉक कार्लामुंडा, जिला कालाहांडी, ओडिशा
298	2014 का 379	कृषक	काला कुसुमा	चावल	नबधन बहुका, बालसिंगा, ब्लॉक नार्ला, जिला कालाहांडी, ओडिशा
299	2014 का 380	कृषक	कदालिया चैम्पा	चावल	हरमोहन पात्रा एवं अन्य, खैइरापाटी, ब्लॉक नयागढ़, जिला नयागढ़, ओडिशा

क्र.सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म	फसल	आवेदक का नाम
300	2014 का 381	कृषक	झालियामेंजु	चावल	धनमंत माझी एवं अन्य, दुम्बेरबहल, ब्लॉक भवानी पाटना, जिला कालाहांडी, ओडिशा
301	2014 का 382	कृषक	कलामुगजय	चावल	संजय साहू एवं अन्य, दलाबेहरा साही, ब्लॉक अंगुल, जिला अंगुल, ओडिशा
302	2014 का 383	कृषक	नग—बैगाना मांजी	चावल	जय कृष्ण साहू एवं अन्य, पाड़ेरीपाटना, ब्लॉक नयागढ़, जिला नयागढ़, ओडिशा
303	2014 का 384	कृषक	मालहुंडार	चावल	पुरुषोत्तम राणा, बारागांव, ब्लॉक कांटामल, जिला बौद्ध, ओडिशा
304	2014 का 385	कृषक	परिजाता	चावल	बालमुकुंद महाकुंड एवं अन्य, अम्बा गांव, ब्लॉक एम. रामपुर, जिला कालाहांडी, ओडिशा
305	2014 का 386	कृषक	लांदा	चावल	मोतीराणा, ब्राह्मणी मुंडा, ब्लॉक कार्लामुंडा, जिला कालाहांडी, ओडिशा
306	2014 का 387	कृषक	बिलई खुजी	चावल	दयानिधि नायक, सर्गीगुडा, ब्लॉक गोलामुंडा, जिला कालाहांडी, ओडिशा
307	2014 का 388	कृषक	काकुड़ी मांजी—एम	चावल	धुरंदर धकाड़ एवं अन्य, खाड़ीमाटी, ब्लॉक माथिनी, जिला मल्कानगिरि, ओडिशा
308	2014 का 389	कृषक	बौद्ध—रानीसियाली	चावल	अचुत राणा, बौद्धरसिंहपुर, ब्लॉक कांटामल, जिला बौद्ध ओडिशा
309	2014 का 390	कृषक	कै—गुनपुर—काला कृष्णा	चावल	चिन्नाराव दिशाहारी एवं अन्य, गुनपुर, ब्लॉक तहसील रामपुर, जिला कालाहांडी, ओडिशा
310	2014 का 391	कृषक	नबाबी (बासुमती)	चावल	हरीबंधु पारिदा, तालाशी बेगुनिया, ब्लॉक बेगुनिया, जिला खुर्दा, ओडिशा
311	2014 का 392	कृषक	भोगी	चावल	श्यामापुज्जारी एवं अन्य, गुनपुर, ब्लॉक तहसील रामपुर, जिला कालाहांडी, ओडिशा
312	2014 का 393	कृषक	लांडी	चावल	कैलाश चत्र बेहरा एवं अन्य, सनागार, ब्लॉक राणापुर, जिला नयागढ़, ओडिशा
313	2014 का 394	कृषक	पीपलबासा	चावल	रविन्द्र कुमार पारिदा, तृतीयापाड़ा, ब्लॉक बोलगढ़, जिला खुर्दा, ओडिशा
314	2014 का 395	कृषक	बुधि	चावल	लाकियामाझी एवं अन्य, पुरुनगुमा, ब्लॉक रामपुर, जिला कालाहांडी, ओडिशा
315	2014 का 396	कृषक	गोरुखिया धान	चावल	सुना माझी एवं अन्य, लाटियागुडा, जामगुडा, ब्लॉक थाना रामपुर, जिला कालाहांडी, ओडिशा
316	2014 का 397	कृषक	चिप्तीफाल	चावल	अमर सिंह माझी एवं अन्य, लाटियागुडा, जामगुडा, ब्लॉक थाना रामपुर, जिला कालाहांडी, ओडिशा
317	2014 का 398	कृषक	रामपुर लोकल	ज्वार	नीरज कल्याण समिति, ग्राम चकरपुर, ब्लॉक बाजपुर, जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड राज्य
318	2014 का 399	नई	तुलसी—118	कपास	मैसर्स तुलसी सीडस प्राइवेट लिमिटेड
319	2014 का 400	नई	तुलसी—7	कपास	मैसर्स तुलसी सीडस प्राइवेट लिमिटेड
320	2014 का 401	विद्यमान	पीकेवी सुवर्णा (एकेडीएच—5)	द्विगुणित कपास	डॉ. पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ

क्र.सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म	फसल	आवेदक का नाम
321	2014 का 402	विद्यमान (वीसीके)	25पी25	चावल	पायनियर ओवरसीस कारपोरेशन
322	2014 का 403	विद्यमान (वीसीके)	आरएस 585	ज्वार	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
323	2014 का 404	विद्यमान (वीसीके)	104ए	ज्वार	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
324	2014 का 405	विद्यमान (वीसीके)	27ए	ज्वार	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
325	2014 का 406	नई	27पी77	चावल	पायनियर ओवरसीस कारपोरेशन
326	2014 का 407	नई	वीबीसीएच—1520 बीजी—II	कपास	सेंट्रोमियर बायो सेल्यूशन प्राइवेट लि.
327	2014 का 408	कृषक	गंजम—बासुमतिधाना	चावल	भीमाजानी, निवासी पालुआखाल्ला, ब्लॉक सेनाखेमुंड, जिला गंजम, ओडिशा
328	2014 का 409	कृषक	मयूरचुलिया	चावल	सरत च. नायक, निवासी बादांगी, ब्लॉक भांजनगर, जिला गंजम, ओडिशा
329	2014 का 410	कृषक	रूपासाली	चावल	हरिबोल बारिक एवं अन्य, गाबागोंडा, ब्लॉक भोबन, जिला धनकनाल, ओडिशा
330	2014 का 411	कृषक	नडालघंटा	चावल	संजय कुमार धनपद एवं अन्य, निवासी सुनागाड़िया, ब्लॉक बिसोई, जिला मयूरभंज, ओडिशा
331	2014 का 412	कृषक	जागाबलिया	चावल	लक्ष्मीधर मुदुली एवं अन्य, निवासी दिना उधारण, ब्लॉक पिपली, जिला पुरी, ओडिशा
332	2014 का 413	नई	निर्मल—30 (एनपीएच—30)	चावल	निर्मल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
333	2014 का 414	नई	सीएसएच 24 एमएफ	ज्वार	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
334	2014 का 415	विद्यमान	फुले अनुरद्ध (आरएसवी 458)	ज्वार	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुड़ी
335	2014 का 416	कृषक	बालियाडाढा	चावल	रहसा महापात्र एवं अन्य, निवासी नानकेरा, ब्लॉक कनास, जिला पुरी, ओडिशा
336	2014 का 417	कृषक	एंगल—कुंभियाबहल—गंजेझाटा	चावल	कपिला प्रधान एवं अन्य, कुंभीबहल, ब्लॉक पल्लाहारा, जिला अंगुल, ओडिशा
337	2014 का 418	कृषक	धाला जीरा	चावल	जितेन्द्र प्रधान, भानपुरे, ब्लॉक नार्ला, जिला कालाहांडी, ओडिशा
338	2014 का 419	कृषक	बाली भजाना—टी	चावल	राजेश धनपत एवं अन्य, निवासी बादसियाजंग, ब्लॉक ट्रिंग, जिला मयूरभंज, ओडिशा
339	2014 का 420	कृषक	मटियाखोजा	चावल	सुधाकर स्वैन एवं अन्य, जिला पलाशपिथिया, ब्लॉक भुबन, जिला धेनकनाल, ओडिशा
349	2014 का 421	कृषक	नान्हू	चावल	फुलारानी देहरी एवं अन्य, जिला दिहाड़ोल, ब्लॉक पारिंग, जिला धेनकनाल, ओडिशा
341	2014 का 422	कृषक	कनाका चम्पा	चावल	कांडिया नायक एवं अन्य, दिहाड़ोल, ब्लॉक पारिंग, जिला धेनकनाल, ओडिशा
342	2014 का 423	कृषक	कालाचम्पा—डी	चावल	मनमोहन दाश एवं अन्य, निवासी कारागोला, ब्लॉक कनकदाहेड़ जिला धेनकनाल, ओडिशा

क्र.सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म	फसल	आवेदक का नाम
343	2014 का 424	कृषक	एन—उमेरचुड़ी	चावल	परसुराम नायक एवं अन्य, जाताबल, ब्लॉक पापड़ाहाड़ी, जिला नवरंगपुर, ओडिशा
344	2014 का 425	कृषक	गुंजीमणिक	चावल	सुजीत कुमार बेहरा एवं अन्य, कंदरासुनी, ब्लॉक हिंडोल, जिला धेनकनाल, ओडिशा
345	2014 का 426	कृषक	सरस्वती	चावल	पूर्णा च. पारिदा एवं निवासी पोदांगा, ब्लॉक पीपली, जिला पुरी, ओडिशा
346	2014 का 427	कृषक	जादूमोनी	चावल	मंगलुजानी, निवासी पालुआखल्ला, ब्लॉक सेनाखेमुंड, जिला गंजम, ओडिशा
347	2014 का 428	कृषक	केन्द्रबाली	चावल	जोगीपात्रा एवं अन्य, निवासी बुद्धिबिली, ब्लॉक कामाख्या नगर, जिला धेनकरनाल, ओडिशा
348	2014 का 429	कृषक	श्री बालाराम	चावल	हादू दलबेहरा, निवासी कोलाथीगांव, ब्लॉक रांगेझुंडा, जिला गंजम, ओडिशा
349	2014 का 430	कृषक	चिनामाली—के	चावल	श्री विनोद सिंह एवं अन्य, बोरभाटा, ब्लॉक एम रामपुर, जिला कालाहांडी, ओडिशा
350	2014 का 431	कृषक	धोहिया बांकोई	चावल	राज किशोर मार्था एवं अन्य, निवासी आउपाड़ा, ब्लॉक बेलांग, जिला पुरी, ओडिशा
351	2014 का 432	कृषक	सीताभोग	चावल	जितेन्द्र प्रसाद दाश, धर्मगढ़, ब्लॉक धर्मगढ़, जिला कालाहांडी, ओडिशा
352	2014 का 433	कृषक	धनारेखा	चावल	श्री बी बृंदाबन निवासी सुनारेड़डी, ब्लॉक पात्रपुर, जिला गंजम, ओडिशा
353	2014 का 434	कृषक	धनाश्री	चावल	श्रीमती एस. सरोजिनी राव, निवासी सुनापुर, ब्लॉक चिकिटी, जिला गंजम, ओडिशा
354	2014 का 435	कृषक	मालपा	चावल	कृष्ण च. नाईक, सार्गागुडा, ब्लॉक जयपाटना, जिला कालाहांडी, ओडिशा
355	2014 का 436	कृषक	हुंडा	चावल	नटबर नायक एवं अन्य, निवासी काटापाड़ा, ब्लॉक कनास, जिला पुरी, ओडिशा
356	2014 का 437	कृषक	पुरी—चम्पा—ओ	चावल	रविन्द्र कुमार भोई एवं अन्य, निवासी आधेसिया, ब्लॉक सतबारी, जिला पुरी, ओडिशा
357	2014 का 438	कृषक	रुक्साल	चावल	नरेन्द्र नाईक एवं अन्य, निवासी बिरुधिही, ब्लॉक बारीपाड़ा, जिला मध्यूरभंज, ओडिशा
358	2014 का 439	कृषक	सफारी	चावल	प्रहलाद सौरा एवं अन्य, पांडिकोट, ब्लॉक पापदाहांडी, जिला नवरंगपुर, ओडिशा
359	2014 का 440	कृषक	रतन माली	चावल	कुमार हरपाल, नासीगांव, ब्लॉक केसिंगा, जिला कालाहांडी, ओडिशा
360	2014 का 441	कृषक	भटामाकाडा	चावल	सुभाष चन्द्र साहू एवं अन्य, विक्रमपुर, ब्लॉक नवरंगपुर, जिला नवरंगपुर, ओडिशा
361	2014 का 442	कृषक	सर्लचिना	चावल	अलेखा नायक एवं अन्य, निवासी बाउलपुर, ब्लॉक ओडापाड़ा, जिला धेनकनाल, ओडिशा
362	2014 का 443	कृषक	सालूगाजा	चावल	लिंगराज पाणिग्राही, निवासी नारायण पाठना, ब्लॉक भाँजानगर, जिला गंजम, ओडिशा

क्र.सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म	फसल	आवेदक का नाम
363	2014 का 444	कृषक	खजारा	चावल	विजय पारिदा एवं अन्य, निवासी पांचुखेड़ा, ब्लॉक सतबाली, जिला पुरी, ओडिशा
364	2014 का 445	कृषक	लक्ष्मीविलाश	चावल	चन्द्रशेखर बेहरा एवं अन्य, निवासी बिजाबंदली, ब्लॉक मुनिगुडा, जिला रायगढ़ा, ओडिशा
365	2014 का 446	कृषक	धोइया मधोई	चावल	लिंगराज पारिदा एवं अन्य, निवासी बोलाकाना, ब्लॉक देलांगा, जिला पुरी, ओडिशा
366	2014 का 447	कृषक	सालाफुला	चावल	मोती लाल साहू, निवासी रायडांडिया, ब्लॉक उड़ाला, जिला मयूरभंज, ओडिशा
367	2014 का 448	कृषक	लुना	चावल	संजीव मोहंता, निवासी मैत्रापुर, ब्लॉक बादशाही, जिला मयूरभंज, ओडिशा
368	2014 का 449	कृषक	काकिरी	चावल	अशोक बेहरा निवासी पेडासाढी, ब्लॉक काटेपाड़ा, जिला मयूरभंज, ओडिशा
369	2014 का 450	कृषक	सरुभजाना	चावल	पदमलोचन विधानी, निवासी पेडासाढी, ब्लॉक केटापाड़ा, जिला मयूरभंज, ओडिशा
370	2014 का 451	कृषक	चम्पानेयूली	चावल	दिलिप कुमार बेहरा एवं अन्य, राय मोहनपुर, ब्लॉक हिंडोल, जिला धेनकनाल, ओडिशा
371	2014 का 452	कृषक	ब्रह्मानिवारी	चावल	सूरत साहू, देवपाली, ब्लॉक लरहानपुर, जिला झारसुगुडा, ओडिशा
372	2014 का 453	कृषक	इच्छाबाटी	चावल	दुल्लूभो सौरा एवं अन्य, तारागांव, ब्लॉक नवरंगपुर, जिला नवरंगपुर, ओडिशा
373	2014 का 454	कृषक	टारेस	चावल	दामन मरंडी एवं अन्य, निवारी कालाबादिया, ब्लॉक बांगरीपेसी, जिला मयूरभंज, ओडिशा
374	2014 का 455	कृषक	संकरचिनी	चावल	बेन्धर साहू एवं अन्य, निवासी गोलोगाडिया, ब्लॉक कांकादहेड़, जिला धेनकनाल, ओडिशा
375	2014 का 456	कृषक	सांलिमाधोई	चावल	बाबूबहन पारिदा एवं अन्य, निवासी बरादा, ब्लॉक कानस, जिला पुरी, ओडिशा
376	2014 का 457	कृषक	के—लांगिगढ़—महिपाल	चावल	ऋषि मांझी एवं अन्य, लकटाखमान, ब्लॉक लंगीगढ़, जिला कालाहांडी, ओडिशा
377	2014 का 458	कृषक	नालिकालामा	चावल	दीपक कुमार चौधरी, निवासी मल्लाहारपाड़, ब्लॉक खाटो, जिला मयूरभंज, ओडिशा
378	2014 का 459	कृषक	पहाड़ भांगा	चावल	सुनाराम मुरामु एवं अन्य, निवासी अंधारी, ब्लॉक रस गोविंदपुर, जिला मयूरभंज, ओडिशा
379	2014 का 460	कृषक	गंगाबाली	चावल	मोहन गोडा, निवासी गोपालपुर, ब्लॉक शोरोदा, जिला गंजम, ओडिशा
380	2014 का 461	कृषक	लंबानगलाटा	चावल	दिलिप बेहरा एवं अन्य निवासी तारागुला, थाना कनका दहाद, जिला धेनकनाल, ओडिशा
381	2014 का 462	कृषक	गेथू—के	चावल	पर्वत क्षत्रीय, सार्गुल मालपाड़ा, ब्लॉक कर्लामुडा, जिला कालाहांडी, ओडिशा
382	2014 का 463	विद्यमान (वीसीके)	इंदौर 12	ज्वार	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
383	2014 का 464	विद्यमान (वीसीके)	एमएस7ए	ज्वार	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)

क्र.सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म	फसल	आवेदक का नाम
384	2014 का 465	विद्यमान (वीसीके)	27बी	ज्वार	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
385	2014 का 466	विद्यमान (वीसीके)	एनबीसीएच—206	अरण्ड	नवभारत सीडस प्राइवेट लिमिटेड
386	2014 का 467	विद्यमान (वीसीके)	टीएलजी—45	मूंगफली	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
387	2014 का 468	विद्यमान (वीसीके)	104बी	ज्वार	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
388	2014 का 469	विद्यमान (वीसीके)	जीजी—21 (जे.एस.एस.पी. 15)	मूंगफली	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
389	2014 का 470	विद्यमान (वीसीके)	एकेआर 354	ज्वार	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
390	2014 का 471	विद्यमान (वीसीके)	वर्षाधान (सीआरएलसी—899) (आईईटी— 16481)	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
391	2014 का 472	विद्यमान (वीसीके)	एमएस7बी	ज्वार	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
392	2014 का 473	विद्यमान (वीसीके)	करिश्मा एनपी 111	चावल	नुजीवीडु सीडस लिमिटेड
393	2014 का 474	विद्यमान (वीसीके)	सिल्की—277	चावल	कृषिधान सीडस प्राइवेट लिमिटेड
394	2014 का 475	कृषक	कनियार	चावल	सुधीर पालटा सिंह एवं अन्य, निवासी कखारुबास्ता ब्लॉक कनास, जिला पुरी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
395	2014 का 476	कृषक	पानीरोही	चावल	सुभाष नायक, निवासी तानापाड़ा, ब्लॉक बादशाही, जिला मयूरभंज, ओडिशा
396	2014 का 477	कृषक	मोहन भोग	चावल	श्री धनुर्जया बेहरा, धानशाली, ब्लॉक जयपाटना, जिला कालाहांडी, ओडिशा
397	2014 का 478	कृषक	गंजम— तुलासिबासा	चावल	भास्कर पति, निवासी बाम्कोई, ब्लॉक पात्रापुर, जिला गंजम, ओडिशा
398	2014 का 479	कृषक	धुसुरा	चावल	सरत च. बेहरा एवं अन्य, निवासी बुदीबिली, ब्लॉक कामाख्या नगर, जिला धेनकनाल, ओडिशा
399	2014 का 480	कृषक	काबरी	चावल	किशोर बास्की एवं अन्य, निवासी केडुआ, ब्लॉक बहालदा, जिला मयूरभंज, ओडिशा
400	2014 का 481	कृषक	मुगदी—के	चावल	सूरतसाहू, खालियापाली, ब्लॉक कार्लामुंडा, जिला कालाहांडी, ओडिशा
401	2014 का 482	कृषक	चुड़ी—डी	चावल	पदम सिंह माझी एवं अन्य, डाक केटीए ब्लॉक तहसील रामपुर, जिला कालाहांडी, ओडिशा
402	2014 का 483	कृषक	पर्बत जीरा	चावल	ब्रसव नायक गोलामुंडा ब्लॉक गोलामुंडा, जिला कालाहांडी, ओडिशा
403	2014 का 484	कृषक	के—बालीसारा—लक्ष्मिमाई	चावल	जया नायक एवं अन्य, बालीसारा, ब्लॉक तहसील, रामपुर, जिला कालाहांडी, ओडिशा
404	2014 का 485	कृषक	टिकीमासुरी	चावल	उदयनाथ प्रधान, निवासी मदनमोहनपुर, ब्लॉक डिगापहांडी, जिला गंजम, ओडिशा
405	2014 का 486	विद्यमान	पीकेवी काबुली—2	चना	डॉ. पंजाबराव देशमुख विद्यपीठ
406	2014 का 487	विद्यमान (वीसीके)	आरएस 673	ज्वार	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
407	2014 का 488	नई	सीआर बोरो धान 2	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)

क्र.सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म	फसल	आवेदक का नाम
408	2014 का 489	विद्यमान (वीसीके)	एकेएमएस 14ए	ज्वार	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
409	2014 का 490	विद्यमान (वीसीके)	2219 बी	ज्वार	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
410	2014 का 491	विद्यमान (वीसीके)	स्वदेशी 5	द्विगुणित कपास	अंकुर सीडस प्राइवेट लिमिटेड
411	2014 का 492	विद्यमान	एनएआरआई—एच—15	सूरजमुखी	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
412	2014 का 493	नई	नुआ कालाजीरा	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
412	2014 का 493	नई	नुआ कालाजीरा	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
413	2014 का 494	विद्यमान (वीसीके)	296बी	ज्वार	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
414	2014 का 495	नई	सीआर धान 70	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
415	2014 का 496	विद्यमान	एनएआरआई—एनएच—1 (पीएच—6)	कुसुम	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
416	2014 का 497	विद्यमान (वीसीके)	सी 43	ज्वार	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
417	2014 का 498	नई	केएसएफ—260ए	सूरजमुखी	कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड
418	2014 का 499	कृषक	दामोदरभोग	चावल	सीता देहुरी एवं अन्य, निवासी पलाशपिथिया, ब्लॉक भुवन, जिला धेनकनाल, ओडिशा
419	2014 का 500	कृषक	कालाकादम्बा	चावल	विचित्र नंद जेना एवं अन्य, गोविंदपुर, ब्लॉक सदर, जिला धेनकनाल, ओडिशा
420	2014 का 501	कृषक	लताचुनरी	चावल	सरत चंद्र डांडपात एवं निवासी सोनागाडिया, ब्लॉक विसोई, मयूरभंज, ओडिशा
421	2014 का 502	कृषक	सारूचिनामली	चावल	गाटीकृष्णा साहू एवं अन्य, निवासी तालाबार्कोट, ब्लॉक सदर, जिला धेनकनाल, ओडिशा
422	2014 का 503	कृषक	बिष्णुप्रिया	चावल	प्रणब बंधु पात्रा एवं अन्य, कनकादा सोदा, ब्लॉक पारंगग, जिला धेनकनाल, ओडिशा
423	2014 का 504	कृषक	कलमकाठी	चावल	मनमोहन नाईक एवं अन्य, निवासी बादसियाजंग, ब्लॉक तिरिंग, जिला मयूरभंज, ओडिशा
424	2014 का 505	कृषक	मधुरिसोना	चावल	सत्रुघन नायक एवं अन्य, निवासी गोविंदनगर, ब्लॉक चिकिटी, जिला गंजम, ओडिशा
425	2014 का 506	कृषक	लक्ष्मी—पी	चावल	फकीरा बेहरा एवं अन्य, निवासी कुसुमेश्वर, ब्लॉक सतवादी, जिला पुरी, ओडिशा
426	2014 का 507	कृषक	बुधामुँडा	चावल	सुधांशु रथा एवं अन्य, निवासी भूमपुर, ब्लॉक सतवारी, जिला पुरी, ओडिशा
427	2014 का 508	कृषक	रंगास्यूली	चावल	चबीनारायण देहरी एवं अन्य, निवासी बांगालो, ब्लॉक गोडिया, जिला धेनकनाल, ओडिशा
428	2014 का 509	कृषक	माधवी	चावल	नरसिंह च.साहू एवं अन्य, निवासी ओरिसिंगा, ब्लॉक गोडिया, जिला धेनकनाल, ओडिशा
429	2014 का 510	कृषक	सनरासी	चावल	शिबनाथ मोहंता एवं अन्य, निवासी पानसी, ब्लॉक रारनान, जिला मयूरभंज, ओडिशा
430.	2014 का 511	कृषक	मकरकांड	चावल	नबघन महंत एवं अन्य, निवासी गोपालपुर, ब्लॉक बारीपाड़ा, जिला मयूरभंज, ओडिशा

क्र.सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म	फसल	आवेदक का नाम
431	2014 का 512	कृषक	बसुधा—आर	चावल	हाटु दलबेहरा एवं अन्य, निवासी कोलाठी गांव, ब्लॉक रंगेइनुंडा, जिला गंजम, ओडिशा
432	2014 का 513	कृषक	सरियान— के	चावल	पूर्ण चंद्र नाईक एवं अन्य, जिला कालाहांडी, ओडिशा
433	2014 का 514	कृषक	धोब लुचे	चावल	अभि जानी एवं अन्य, दानगिरीपाड़र, ब्लॉक भवानी पाटना, जिला कालाहांडी, ओडिशा
434	2014 का 515	कृषक	भाटामल्ली	चावल	देबो अमनत्थ एवं अन्य, डॉगेरवेजा, ब्लॉक नंदाहांडी, जिला नवरंगपुर, ओडिशा
435	2014 का 516	कृषक	कुटियारासी	चावल	जुबराज जानी एवं अन्य, डांगरीपाड़र, ब्लॉक भवानी पाडना, जिला कालाहांडी, ओडिशा
436	2014 का 517	कृषक	करपुरजीरा	चावल	रघु बाग एवं अन्य, देयपुर, ब्लॉक कलामपुर, कालाहांडी, ओडिशा
437	2014 का 518	कृषक	पद्म केशरी	चावल	श्रीमती ममता प्रधान, निवासी करचुली, ब्लॉक बुगुडा, जिला गुजम, ओडिशा
438	2014 का 519	कृषक	मेहर	चावल	दामू सौरा एवं अन्य, डॉगेरवेजा, ब्लॉक नंदा हांडी, जिला नवरंगपुर, ओडिशा
439	2014 का 520	कृषक	तुलसीबास	चावल	बीरबल दलपती एवं अन्य, बाटियागुडा, ब्लॉक कालाहांडी, ओडिशा
440	2014 का 521	कृषक	कै—बादामहिपाल	चावल	बिनोद साहू एवं अन्य, कालियामल, ब्लॉक भवानीपाटना, जिला कालाहांडी, ओडिशा
441	2014 का 522	कृषक	अलेक्षोरी	चावल	बिश्वनाथ नाईक, महिमा, ब्लॉक कोकसारा, जिला कालाहांडी, ओडिशा
442	2014 का 523	कृषक	हलदीगुंडी — एम	चावल	जोगेन्द्र नाथ नाईक एवं अन्य, निवासी चयनबियांगी, ब्लॉक ठाकुरमुंडा, जिला मयूरभंज, ओडिशा
443	2014 का 524	कृषक	मोटाहल्काल	चावल	सुकुल हेमब्राम एवं अन्य, निवासी परमानंद, ब्लॉक मोरादा, जिला मयूरभंज, ओडिशा
444	2014 का 525	कृषक	नार्दी	चावल	संकर नाईक एवं अन्य, निवासी चयनबाइंगी, ब्लॉक ठाकुरमुंडा, जिला मयूरभंज, ओडिशा
445	2014 का 526	कृषक	पडारबांकी	चावल	मंगलू जानी एवं अन्य, निवासी पालुआखल्ला, ब्लॉक सेनाखेमुंड, जिला गंजम, ओडिशा
446	2014 का 527	कृषक	सम्बलपुरी	चावल	तुलसी मांझी एवं अन्य, जुराखामन, ब्लॉक एम रामपुर, जिला कालाहांडी, ओडिशा
447	2014 का 528	कृषक	गंगाराम	चावल	बालाभाद्र मोहंत एवं अन्य, निवासी गंभारियापाल, ब्लॉक सुकुली, जिला मयूरभंज, ओडिशा
448	2014 का 529	कृषक	रास	चावल	साहराई मोहंत एवं अन्य, निवासी झाडाडुमनिया, ब्लॉक बादादेवली, जिला मयूरभंज, ओडिशा
449	2014 का 530	कृषक	भालूसादी	चावल	श्री गदाधर मांझी एवं अन्य, निवासी मनकादाज्जोला, ब्लॉक कासीपुर, जिला रायगाडा, ओडिशा
450	2014 का 531	कृषक	भूतमुंडी	चावल	बसंत मरांडी एवं अन्य, निवासी परमानंद, ब्लॉक मोरादा, जिला मयूरभंज, ओडिशा

क्र.सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म	फसल	आवेदक का नाम
451	2014 का 532	कृषक	नंदी	चावल	धर्मपाड़ा गौड़ा एवं अन्य, निवासी साना आनला, ब्लॉक कृष्ण प्रसाद, जिला पुरी, ओडिशा
452	2014 का 533	कृषक	दिमापुर	चावल	सिंबराम गोड़ा, निवासी झालिया गोच्छा, ब्लॉक भांजानगर, जिला गंजम, ओडिशा
453	2014 का 534	कृषक	कालाहीरा	चावल	पदमानव मांझी निवासी साहेबी, ब्लॉक नकटीदेयोल, जिला सम्बलपुर, राज्य ओडिशा
454	2014 का 535	कृषक	हबीरा	चावल	बिपिन बिहारी बिस्वाल एवं अन्य, निवासी पाला बास्ता, ब्लॉक काकटपुर, जिला पुरी, ओडिशा
455	2014 का 536	कृषक	केउठिया	चावल	महेश्वर तराई एवं अन्य, निवासी कुआपाड़ा, ब्लॉक ब्रह्मगिरि, जिला पुरी, ओडिशा
456	2014 का 537	कृषक	जेएसजी—कालागिरा	चावल	सरत कुमार पटेल, किरमिरा, ब्लॉक किरमिरा, जिला झारसुगुड़ा, ओडिशा
457	2014 का 538	कृषक	दाल	चावल	घना साही एवं अन्य, नियाती, ब्लॉक लांजीगढ़, जिला कालाहांडी, ओडिशा
458	2014 का 539	कृषक	अभीरमन	चावल	नबघन महंत एवं अन्य, निवासी गोपालपुर, ब्लॉक बरीपाड़ा, जिला मयूरभंज, ओडिशा
459	2014 का 540	कृषक	लता चुनरी—एम	चावल	दुसमंत कुमार राऊत एवं अन्य, निवासी बधालदिया कांड, ब्लॉक कुलियाना, जिला मयूरभंज, ओडिशा
460	2014 का 541	कृषक	धोबा भाजना	चावल	प्रताप च नाईक एवं अन्य, निवासी दिनपोसी, ब्लॉक जरीपुर, जिला मयूरभंज, ओडिशा
461	2014 का 542	कृषक	मांगुरमांजी	चावल	गौरांग कु नायक एवं अन्य, निवासी ओहाला, ब्लॉक निमपाड़ा, जिला पुरी, ओडिशा
462	2014 का 543	कृषक	गेलहेइगुटी	चावल	मंजु नाईक एवं अन्य, निवासी रेंटापाट, ब्लॉक पारंगंग, जिला धेनकनाल, ओडिशा
463	2014 का 544	कृषक	यादा	चावल	सत्यवादी बिस्वाल एवं अन्य, डुमेरगुड़ा, ब्लॉक एम रामपुर, जिला कालाहांडी, ओडिशा
464	2014 का 545	कृषक	कांटा कपुरा	चावल	जनमेयजॉय गिरि एवं अन्य, निवासी बाद भालियाडिहा, ब्लॉक कुलियाना, जिला मयूरभंज, ओडिशा
465	2014 का 546	कृषक	रूपापाटिया	चावल	गुलिया हेमब्राम एवं अन्य, निवासी टेलटांगिया, ब्लॉक बिजातोला, जिला मयूरभंज, ओडिशा
466	2014 का 547	कृषक	कटाराउली	चावल	बसुदेव तराई एवं अन्य, निवासी कुआपाड़ा, ब्लॉक ब्रह्मगिरि, जिला पुरी, ओडिशा
467	2014 का 548	कृषक	बृंदाबन	चावल	जयप्रकाश राउल एवं अन्य, निवासी सिलदा, ब्लॉक मोराधा, जिला मयूरभंज, ओडिशा
468	2014 का 549	विद्यमान	पीबीआर—210	भारतीय सरसों	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय
469	2014 का 550	विद्यमान	वीएसएल—5	भारतीय सरसों	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
470	2014 का 551	विद्यमान	गुजरात ग्राउंड नट—5 (जीजी 5)	मूंगफली	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
471	2014 का 552	विद्यमान	वरणा	हल्दी	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)

क्र.सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म	फसल	आवेदक का नाम
472	2014 का 553	नई	सीआर सुगंध धान—3	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
473	2014 का 554	विद्यमान	पीएसएच—569	सूरजमुखी	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय
474	2014 का 555	विद्यमान	सोना	हल्दी	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
475	2014 का 556	विद्यमान	आरएस—2013	कपास	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर
476	2014 का 557	विद्यमान	आरएस—810	कपास	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर
477	2014 का 558	नई	वीबीसीएच—1516 बीजी—II	कपास	सेंट्रोमियर बायर सोल्यूशन प्रा. लि.
478	2014 का 559	कृषक	बांकोई—पी	चावल	प्रभात कुमार मंत्री एवं अन्य, निवासी ओडासामल, ब्लॉक पुरीसदर, जिला पुरी, ओडिशा
479	2014 का 560	कृषक	पुरी—गोप—बांकोई	चावल	साहू च. सामंतराय एवं अन्य, निवासी खरगान, ब्लॉक गोप, जला पुरी, ओडिशा
480	2014 का 561	कृषक	गहमाफुला	चावल	सशिभूषण पटेल एवं अन्य, निवासी बामफेझ, ब्लॉक बामरा, जिला सम्बलपुर, ओडिशा
481	2014 का 562	कृषक	करपुरगुंडी	चावल	रुकमण गार्टिंग एवं अन्य, निवासी ए—काटापल्ली, ब्लॉक धानकौड़ा, जिला सम्बलपुर, ओडिशा
482	2014 का 563	कृषक	रायगाडा—लोकल बासुमती	चावल	रविन्द्र कांदो एवं अन्य, निवासी बारीगुडा, ब्लॉक बिस्सान, कटक, जिला रायगाडा, ओडिशा
483	2014 का 564	कृषक	कादलीपेंडी	चावल	प्रशांत प्रधान एवं अन्य, निवासी डांगापाल, ब्लॉक जुजुमोरा, जिला सम्बलपुर, ओडिशा
484	2014 का 565	कृषक	सम्ब—झुली	चावल	सत्यनारायण बधेझ एवं अन्य, निवासी ए—काटापल्ली, ब्लॉक धानकोडा, जिला सम्बलपुर, ओडिशा
485	2014 का 566	कृषक	चाइना	चावल	मनबोध पटेल एवं अन्य, निवासी मिर्धापाली, ब्लॉक बालनगिर, जिला बालनगिर, ओडिशा
486	2014 का 567	कृषक	जाता	चावल	हरेश पात्रा एवं अन्य, निवासी सलुआदाहर, ब्लॉक सुलियापाड़ा, जिला मयूरभंज, ओडिशा
487	2014 का 568	कृषक	बुदियाचम्पा—एस	चावल	बकुली साहू, निवासी साहेबी, ब्लॉक नकटीदेयोल, सम्बलपुर, ओडिशा
488	2014 का 569	कृषक	गगनधुली	चावल	दीनामणी नायक, निवासी टिकिबा, ब्लॉक टिकिबा, जिला सम्बलपुर, ओडिशा
489	2014 का 570	कृषक	सम्ब करपुर क्रांति	चावल	नवीन कुमार पटेल एवं अन्य, निवासी जामनकिरा, ब्लॉक जामनकिरा, जिला सम्बलपुर, ओडिशा
490	2014 का 571	कृषक	जाल गुडी	चावल	थॉमस कुजुर, निवासी झारपाड़ा, ब्लॉक रायराकोल, जिला सम्बलपुर, ओडिशा
491	2014 का 572	कृषक	हांडा	चावल	आनंद च. स्वैन एवं अन्य, निवासी कादोबहल, ब्लॉक नकटीदेयोल, जिला सम्बलपुर, ओडिशा
492	2014 का 573	कृषक	गुदुबा	चावल	सामिया सबारा एवं अन्य, निवासी पाटिली, ब्लॉक गुनुपुर, जिला रायगाडा, ओडिशा
493	2014 का 574	कृषक	बुबाइलाच्छा	चावल	विश्वामित्र बारिक एवं अन्य, निवासी कुंडाहंसा, ब्लॉक जामदा, जिला मयूरभंज, ओडिशा

क्र.सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म	फसल	आवेदक का नाम
494	2014 का 575	कृषक	बेलामांजी	चावल	बसंत प्रधान, निवासी डांगापाल, ब्लॉक जुजुमुरा, जिला सम्बलपुर, ओडिशा
495	2014 का 576	कृषक	कंडारझाली	चावल	नबीन कालो एवं अन्य, निवासी लाडंगपाली, ब्लॉक जामुनकिरा, जिला सम्बलपुर, ओडिशा
496	2014 का 577	कृषक	खांडा सागर	चावल	बुद्धदेव नायक एवं अन्य, निवासी घाटमल, ब्लॉक रंगालु, जिला सम्बलपुर, ओडिशा
497	2014 का 578	कृषक	सम्ब—सापरी	चावल	टिकेश्वर नाईक एवं अन्य, निवासी नुआगान, ब्लॉक जामुनकिरा, जिला सम्बलपुर, ओडिशा
498	2014 का 579	कृषक	सम्ब— जयफुला	चावल	सुरेन्द्र धुरुआ एवं अन्य, निवासी सिहिरिया ब्लॉक जामनकिरा, जिला सम्बलपुर, ओडिशा
499	2014 का 580	विद्यमान	यूएस312 (आईईटी 19513)	चावल	सीड वर्क्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
500	2014 का 581	विद्यमान	ठीपीजी—41	मूंगफली	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
501	2014 का 582	विद्यमान	टीजी— 38 (टीजी—38बी)	मूंगफली	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
502	2014 का 583	विद्यमान (वीसीके)	296ए	ज्वार	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
503	2014 का 584	नई	केएसएफएच—9004	सूरजमुखी	कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड
504	2014 का 585	विद्यमान	एकेएडब्ल्यू—4627	गेहूं	डॉ. पंजाबराव देशमुख विद्यापीठ
505	2014 का 586	विद्यमान	राजेन्द्र भगवती	चावल	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय
506	2014 का 587	नई	केएसएफ— 282ए	सूजरमुखी	कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड
507	2014 का 588	विद्यमान (वीसीके)	एनएस 203आर	ज्वार	नुजीवीडु सीडस लिमिटेड
508	2014 का 589	विद्यमान	एनएआरआई—6	कुसुम	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
509	2014 का 590	विद्यमान (वीसीके)	सीआरएमएस 32ए	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
510	2014 का 591	विद्यमान	जीजी— 6	मूंगफली	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
511	2014 का 592	नई	केएसएफ—117ए	सूरजमुखी	मैसर्स कावेरी सीड लिमिटेड
512	2014 का 593	नई	केएसएफ—003आर	सूरजमुखी	मैसर्स कावेरी सीड लिमिटेड
513	2014 का 594	नई	केएसएफ—292ए	सूरजमुखी	मैसर्स कावेरी सीड लिमिटेड
514	2014 का 595	नई	केएसएफ—004आर	सूरजमुखी	मैसर्स कावेरी सीड लिमिटेड
515	2014 का 596	विद्यमान	आरएजेडीएच —9	कपास	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर
516	2014 का 597	नई	केएसएफ—290ए	सूरजमुखी	मैसर्स कावेरी सीड लिमिटेड
517	2014 का 598	नई	केएसएफ—149ए	सूरजमुखी	मैसर्स कावेरी सीड लिमिटेड
518	2014 का 599	कृषक	रघुसेन	चावल	प्रहलाद पात्रा एवं अन्य, मुंडा गांव, ब्लॉक कासीपुर, जिला रायगढ़ा, ओडिशा
519	2014 का 600	कृषक	मल्लीफूलझुली	चावल	विभूति प्रधान एवं अन्य, निवासी पार्देसारा, ब्लॉक अगलपुर, जिला बालनगिरी, ओडिशा
520	2014 का 601	कृषक	खजूरीकांधी	चावल	गजेन्द्र नाथ सोरेन एवं अन्य, निवासी झालियामारा, ब्लॉक सुलियापाड़ा, जिला मधूरभंज, ओडिशा

क्र.सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म	फसल	आवेदक का नाम
521.	2014 का 602	कृषक	तुलसीमल्ली	चावल	सहदेव मिनियाका एवं अन्य, निवासी पाइका रानीपिंडा, ब्लॉक मुनिगुडा, जिला रायगढ़ा, ओडिशा
522	2014 का 603	कृषक	बिराडिया बांकोई	चावल	लक्ष्मीधर तराई एवं अन्य, निवासी कुआपाडा, ब्लॉक ब्रह्मागिरि, जिला पुरी, ओडिशा
523	2014 का 604	कृषक	दुबराज —एस	चावल	दिलिप कुमार पटेल एवं अन्य, निवासी लाइडा, ब्लॉक रेंगली, जिला सम्बलपुर, ओडिशा
524	2014 का 605	कृषक	केरासाल	चावल	नवीनखादिया एवं अन्य, निवासी निकटीमल, ब्लॉक बामरा, जिला सम्बलपुर, ओडिशा
525	2014 का 606	कृषक	गंजेइकाली	चावल	नंदकिशोर प्रधान एवं अन्य, निवासी बारकोटे, ब्लॉक बारकोटे, जिला देवघर, ओडिशा
526	2014 का 607	कृषक	धाला श्री— बी	चावल	भीमा उदुरकुलिया, निवासी मिर्धापाली, ब्लॉक बालनगिरि, जिला बालनगिरि, ओडिशा
527	2014 का 608	कृषक	झालकाकेरी	चावल	आनंद चंद्र स्वैन एवं अन्य, निवासी कादुबहल, ब्लॉक नेकटीदेयोल, जिला सम्बलपुर, ओडिशा
528	2014 का 609	कृषक	जबाफूला	चावल	अशोक प्रधान निवासी कुसुली ब्लॉक जामनकिरा, जिला सम्बलपुर, ओडिशा
529	2014 का 610	नई	केएसएफ— 133 ए	सूरजमुखी	मैसर्स कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड
530	2014 का 611	नई	केएसएफ— 141ए	सूरजमुखी	मैसर्स कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड
531	2014 का 612	नई	सीआर धान 10	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
532	2014 का 613	विद्यमान	एल— 604	कपास	आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद
533	2014 का 614	नई	केएसएफ— 145ए	सूरजमुखी	मैसर्स कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड
534	2014 का 615	नई	केएसएमएस 241	ज्वार	मैसर्स कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड
535	2014 का 616	नई	वीबीसीएच—1511 बीजी प	कपास	नुसुन जेनेटिक रिसर्च लिमिटेड
536	2014 का 617	नई	केएसएफ—119ए	सूरजमुखी	कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड
537	2014 का 618	नई	वीबीसीएच 1017 (रेस बीजी)	चतुर्गुणित कपास	विभा एग्रोटेक लिमिटेड
538	2014 का 619	विद्यमान	विवेक मटर—8	खेत मटर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
539	2014 का 620	विद्यमान	वीएल टमाटर—4	टमाटर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
540	2014 का 621	नई	वीबीसीएच—1519 बीजी—II	चतुर्गुणित कपास	विभा एग्रोटेक लिमिटेड
541	2014 का 622	विद्यमान	विवेक मटर—9	खेत मटर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
542	2014 का 623	नई	एनपीएच— 23	चावल	नुजीवीदु सीड्स लिमिटेड
543	2014 का 624	नई	पीबीसीएच— 1008 बीजी (मिस्ट बीजी)	कपास	नुसुन जेनेटिक रिसर्च लिमिटेड
544	2014 का 625	नई	जेकेबीएच 768	बाजरा	जे.के. एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड
545	2014 का 626	नई	केएसएफ—270ए	सूरजमुखी	मैसर्स कावेरी सीड लिमिटेड

क्र.सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म	फसल	आवेदक का नाम
546	2014 का 627	नई	केडीसीएचएच—507 बीजी—।	चतुर्गुणित कपास	कृषि धान सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
547	2014 का 628	नई	केएसएफ—294ए	सूरजमुखी	मैसर्स कावेरी सीड लिमिटेड
548	2014 का 629	नई	केएसएफ— 016आर	सूरजमुखी	मैसर्स कावेरी सीड लिमिटेड
549	2014 का 630	विद्यमान	वीएल बीन—2	राजमा	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
550	2014 का 631	विद्यमान (वीसीके)	एसवाईएन—एसएफ — 207	सूरजमुखी	सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड
551	2014 का 632	नई	केएसएफ—101 आर	सूरजमुखी	मैसर्स कावेरी सीड लिमिटेड
552	2014 का 633	विद्यमान	विवेक मटर—11 (वीपी 233)	खेत मटर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
553	2014 का 634	नई	वैष्णवी (एनआर:241)	चावल	निर्मल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
554	2014 का 635	विद्यमान	पीकेवी मकरौद	चावल	डॉ. पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ
555	2014 का 636	कृषक	हरिभोग	चावल	बिरांची नायक एवं अन्य, निवासी भायरपुर, ब्लॉक कामख्यानगर, जिला धेनकनाल, ओडिशा
556	2014 का 637	कृषक	के—ठाकुरभोग	चावल	घासीराम नाईक, लुहागांव, ब्लॉक धर्मगढ़, जिला कालाहांडी, ओडिशा
557	2014 का 638	ई	केएसआर 6194	ज्वार	कावेरी सीड कंपन लिमिटेड
558	2014 का 639	नई	463ए	ज्वार	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
559	2014 का 640	नई	एचजे 513	ज्वार	सीसीएस हरियाण कृषि विश्वविद्यालय
560	2014 का 641	नई	सौरव (सीओ—58)	पटसन	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
561	2014 का 642	विद्यमान	सीएसएच—19आर (सीपीएच 1010आर)	ज्वार	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
562	2014 का 643	नई	एचडी 2987 (पूसा बहार)	गेहूं	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
563	2014 का 644	विद्यमान	एसएमएल 832	मूंग	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय
564	2014 का 645	विद्यमान	डीयू—1	उड़द	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय
565	2014 का 646	विद्यमान	माश 479 (केयूजी 479)	उड़द	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय
566	2014 का 647	नई	एचडी 2967	गेहूं	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
567	2014 का 648	नई	केएसएफ — 116बी	सूरजमुखी	मैसर्स कावेरी सीड लिमिटेड
568	2014 का 649	नई	केएसएफ—279ए	सूरजमुखी	मैसर्स कावेरी सीड लिमिटेड
569	2014 का 650	विद्यमान	स्वर्णा विजया	टमाटर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
570	2014 का 651	विद्यमान	आईपीएल 406	मसूर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
571	2014 का 652	विद्यमान (वीसीके)	आईएमएस 9बी	ज्वार	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
572	2014 का 653	विद्यमान (वीसीके)	आरएस 29	ज्वार	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
573	2014 का 654	नई	कैआरएल— 213	गेहूं	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
574	2014 का 655	नई	एचडी 2985 (पूसा बसंत)	गेहूं	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

क्र.सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म	फसल	आवेदक का नाम
575	2014 का 656	विद्यमान	एडीटी (आर) 47	चावल	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय
576	2014 का 657	विद्यमान	एडीटी (आर) 46	चावल	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय
577	2014 का 658	विद्यमान	एनआरसीवाईएस 05— 02	तोरिया	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
578	2014 का 659	विद्यमान	पीकेवी मूँग — 8802	मूँग	डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ
579	2014 का 660	विद्यमान	आरआरएन— 505 (आरएन 505)	भारतीय सरसों	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
580	2014 का 661	विद्यमान	प्रुथा (डीएच—86)	मूँगफली	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़
581	2014 का 662	विद्यमान	एमएसीएस—3125	गेहूं	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
582	2014 का 663	विद्यमान	वसुंधरा (डीएच 101)	मूँगफली	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़
583	2014 का 664	विद्यमान	टीजीएलपीएस—3 (टीडीजी—39)	मूँगफली	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़
584	2014 का 665	नई	बीसीटी 3701	चतुर्गुणित कपास	बायर बायोसाइंसिस प्राइवेट लिमिटेड
585	2014 का 666	विद्यमान	बीजीडी 103	चना	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़
586	2014 का 667	विद्यमान	जीपीबीडी 5	मूँगफली	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़
587	2014 का 668	नई	एनएमएच— 713	मक्का	नुजीवीडु सीडस लिमिटेड
588	2014 का 669	विद्यमान	जीपीबीडी—4	मूँगफली	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़
589	2014 का 670	विद्यमान	वल्लभ बासमती 21 (आईईटी 19493) (एमएयूबी— 21)	चावल	सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
590	2014 का 671	कृषक	भुदोकाकेर	चावल	जागा महामंडा एवं अन्य
591	2014 का 672	कृषक	सुशील लक्ष्मी	चना	बालासाहेब अप्पासाहेब पाटिल
592	2014 का 673	कृषक	बादी काबेरी	चावल	अर्जुन पराजा एवं अन्य, निवासी माहुली, ब्लॉक बोईपालगुडा, जिला कोरापुट, ओडिशा
593	2014 का 674	कृषक	सूर्याकांति	चावल	मनोरंजन जेना, निवासी बांदलो, ब्लॉक भंडरीपोखारी, जिला भद्रक, ओडिशा
594	2014 का 675	कृषक	मकरकाम	चावल	सदानंद कन्हार, निवासी खाजुरीपाडा, ब्लॉक खाजुरी पाडा, जिला कांधामल, ओडिशा
595	2014 का 676	कृषक	तुम्बा	चावल	श्री सागर कहार, निवासी मेडियाकिया, ब्लॉक बल्लीगुडा, जिला कांधामल, ओडिशा
596	2014 का 677	कृषक	कलासु	चावल	रुद्र पटेल एवं अन्य, निवासी धुबलापाडा, ब्लॉक पटनागढ़, जिला बालनगिर, ओडिशा
597	2014 का 678	कृषक	मानेपुरी	चावल	लक्ष्मी बधेक, निवासी थुंटिपीपल, ब्लॉक बालियासंकर, जिला सुदरगढ़, ओडिशा
598	2014 का 679	कृषक	पठारा	चावल	सुमंत प्रधान एवं अन्य, निवासी बालीसाही, ब्लॉक नरसिंहपुर, जिला कटक, ओडिशा
599	2014 का 680	कृषक	सालेकाथी	चावल	प्रेमराजा राणा एवं अन्य, निवासी तेलगाच्छ, ब्लॉक बालनगिर, जिला बालनगिर, राज्य ओडिशा

क्र.सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म	फसल	आवेदक का नाम
600	2014 का 681	कृषक	हीराखानी	चावल	चन्द्रधर नायक, निवासी कोल्हा, ब्लॉक तिहिदी, ब्लॉक भद्रक, ओडिशा
601	2014 का 682	कृषक	भुंदी— के	चावल	निगमानन्द स्वैन एवं अन्य, निवासी खांडेइपाड़ा, ब्लॉक राजनगर, जिला केन्द्रपाड़ा, ओडिशा
602	2014 का 683	कृषक	झाली	चावल	बिद्याधर थानापाटी एवं अन्य, निवासी कुंडापठार, ब्लॉक बालनगिर, जिला बालनगिर, ओडिशा
603	2014 का 684	कृषक	लोटोसोरा	चावल	फुगू कुजुर एवं अन्य, निवासी कादोबहल, ब्लॉक कुआमुंडा, जिला सुंदरगढ़, ओडिशा
604	2014 का 685	कृषक	कन्हाव	चावल	बुधु च. मेर्ली, निवासी बैदीपाली, ब्लॉक बालनगिर, जिला बालनगिर, ओडिशा
605	2014 का 686	कृषक	धोबगायनी	चावल	कसल बरिहा, निवासी कंसडोल, ब्लॉक गैइसीलेट, जिला बारगढ़, ओडिशा
606	2014 का 687	कृषक	नानगुड़ी	चावल	बाटा कृष्णा साहू एवं अन्य, निवासी जफरपुर, ब्लॉक जाजपुर, जिला जाजपुर, ओडिशा
607	2014 का 688	कृषक	कादलकेरा	चावल	गजेन्द्र पटेल एवं अन्य, निवासी कालोबहल, ब्लॉक टंगरपाली, जिला सुंदरगढ़, ओडिशा
608	2014 का 689	कृषक	झुमेर	चावल	सुरेन प्रधान एवं अन्य, निवासी भैंसा, ब्लॉक पाटनगढ़, जिला बालनगिर, ओडिशा
609	2014 का 690	कृषक	लाहुनी लुहुंडी	चावल	पवित्र बाघ एवं अन्य, निवासी फिलिंगबहल, ब्लॉक सदर, ब्लॉक जिला सुंदरगढ़, ओडिशा
610	2014 का 691	कृषक	खादियासोला	चावल	बिचित्र मोहलिक, निवासी बालीगांव, ब्लॉक चंदाबली, जिला भद्रक, राज्य ओडिशा
611	2014 का 692	कृषक	बाइदी हुंडार	चावल	पवित्र धारुआ, निवासी चानमुठमल, ब्लॉक मुनिबहल, जिला बालनगिर, राज्य ओडिशा
612	2014 का 693	कृषक	मोती	चावल	कार्तिक कलसई, निवासी धुबलापाड़ा, ब्लॉक पाटनगढ़, जिला बालनगिर, राज्य ओडिशा
613	2014 का 694	कृषक	जीराधान	चावल	मार्शल एक्सेस एवं अन्य, निवासी पटुआ, ब्लॉक लठीकाटा, जिला सुंदरगढ़, ओडिशा
614	2014 का 695	कृषक	कंडालय	चावल	श्री जोहन प्रधान, निवासी, टोपेरीकिया, ब्लॉक के, नुआगांव, जिला कांधामल, ओडिशा
615	2014 का 696	कृषक	नंदियासीता	चावल	श्री इंदिरा साहू एवं अन्य, निवासी कुसुमेंडी, ब्लॉक चाकाड़, जिला कांधामल, ओडिशा
616	2014 का 697	कृषक	मुक्ता कियारी	चावल	तुसारकांति बाल, निवासी घाटपुर, ब्लॉक चंदाबली, जिला भद्रक, ओडिशा
617	2014 का 698	कृषक	बालनगिरि मुग्धी	चावल	पूर्णा च. राजत, निवासी बंधन भादी, ब्लॉक पाटनगढ़, जिला बालनगिर, राज्य ओडिशा
618	2014 का 699	कृषक	भटटा	चावल	दामा पुजारी, निवासी तुमुडी बंध ब्लॉक तुमुडी बंध, जिला कांधामल, राज्य ओडिशा
619	2014 का 700	कृषक	मुगुधी झिल्ली	चावल	अनंतराव साहू, निवासी चाचर बेंग, ब्लॉक बेलपाड़ा, जिला बालनगिर, राज्य ओडिशा

क्र.सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म	फसल	आवेदक का नाम
620	2014 का 701	कृषक	मोगरा	चावल	चूड़ामड़ी पटेल, निवासी चानूटमल, ब्लॉक मुनिबहल, जिला बालनगिर, राज्य ओडिशा
621	2014 का 702	कृषक	कपन्नथी	चावल	छंदा प्रधान, निवासी बैदीपाली, ब्लॉक बालनगिर, जिला बालनगिर, ओडिशा
622	2014 का 703	कृषक	सारेआ	चावल	घनश्याम धारुआ, निवासी धंधा मुंडा, ब्लॉक बेलपाड़ा, जिला बालनगिर, ओडिशा
623	2014 का 704	कृषक	पुस्तक	चावल	प्रसन्न प्रधान, निवासी आमपाली, ब्लॉक बालनगिर, जिला बालनगिर, राज्य ओडिशा
624	2014 का 705	कृषक	झुप झुपा	चावल	भरत चन्द्र कुमुरा, निवासी झारबेदा, ब्लॉक गुरुंडिया, जिला सुंदरगढ़, ओडिशा
625	2014 का 706	कृषक	रानीसाहेब	चावल	प्रफुल्ल कुमार साहू, निवासी बेदापाड़ा, ब्लॉक बंगोमुंडा, जिला बालनगिर, राज्य ओडिशा
626	2014 का 707	कृषक	पानीकोइली	चावल	अमृत रंजन गिरि एवं अन्य, निवासी बारकोली खाला, ब्लॉक महाकाल पाड़ा, जिला केन्द्र पाड़ा, राज्य ओडिशा
627	2014 का 708	कृषक	बिंदु संकरी	चावल	आनंदी साहू निवासी डेड गांव, ब्लॉक बांगोमुंडा, जिला बालनगिर, ओडिशा
628	2014 का 709	कृषक	चामरमणी	चावल	बसुधा, बिनोदबाटी, डाकघर लेइकबंध, बांकुरा – 722157, पश्चिम बंगाल
629	2014 का 710	कृषक	महुलरानी	चावल	जुगराज खमारी, निवासी कुंडा पठार, ब्लॉक बालनगिर, जिला बालनगिर, राज्य ओडिशा
630	2014 का 711	कृषक	समुद्रा बाली	चावल	ताला राम बालिया एवं अन्य, निवासी कासीगुड़ा, ब्लॉक बोईपारीगुड़ा, जिला कोरापुट, ओडिशा
631	2014 का 712	कृषक	मागरा—पी	चावल	मित्र बंधु राणा एवं अन्य, निवासी सुरदा, ब्लॉक बालनगिर, जिला बालनगिर, ओडिशा
632	2014 का 713	कृषक	गोरुमणी	चावल	आनंदेश्वर कन्हार एवं अन्य, निवासी मेडियाकिया, ब्लॉक बालीसुदा, जिला कांधामल, राज्य ओडिशा
633	2014 का 714	कृषक	साथिया (काला साथिया)	चावल	बिरेश चन्द्र द्विवेदी एवं अन्य, बेटांडा, ब्लॉक रसूलपुर, जिला जाजपुर, ओडिशा
634	2014 का 715	कृषक	बालगिरी— पारिजात	चावल	मेघनाथ प्रधान, निवासी राताखांडी, ब्लॉक देवगांव, जिला बालनगिर, राज्य ओडिशा
635	2014 का 716	कृषक	भालुंकी	चावल	प्रदीप जेना, निवासी बारकोलीखाला, ब्लॉक महाकालपाड़ा, जिला केन्द्रपाड़ा, ओडिशा
636	2014 का 717	कृषक	लुची	चावल	मुरली महानंदा, निवासी आमपाली, ब्लॉक सेँताला, जिला बालनगिर, राज्य ओडिशा
637	2014 का 718	कृषक	चिनागिरी	चावल	विजय कुमार पाल एवं अन्य, निवासी केंदुडिपि, ब्लॉक दानागाड़ी, जिला जाजपुर, ओडिशा
638	2014 का 719	कृषक	लालगुंडी	चावल	जगन्नाथ महामल्लीक, निवासी धुबालपाड़ा, ब्लॉक पाटनगढ़, जिला बालनगिर, ओडिशा
639	2014 का 720	कृषक	लांगुड़ी	चावल	करुणाकर बगाती, निवासी कुम्भेकला, ब्लॉक सेँताला, जिला बालनगिर, ओडिशा

क्र.सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म	फसल	आवेदक का नाम
640	2014 का 721	नई	एनएमएच-731	मक्का	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड,
641	2014 का 722	नई	कैएसएमएस -234	ज्वार	मैसर्स कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड
642	2014 का 723	विद्यमान	डीआरएमआर 601 (एनआरसीडीआर 601)	भारतीय सरसों	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
643	2014 का 724	विद्यमान (वीसीके)	डीवाईएनए	चतुर्गुणित कपास	विभा एग्रो टेक लिमिटेड
644	2014 का 725	विद्यमान	वल्लभ बासमती 22 (एमएयूबी- 162)	चावल	सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
645	2014 का 726	विद्यमान (वीसीके)	सगुना (एनआर 28)	चावल	निर्मल सीड प्राइवेट लिमिटेड
646	2014 का 727	नई	जी 9650798	चतुर्गुणित कपास	मोनसेंटो जेनेटिक्स इंडिया प्रा. लि.
647	2014 का 728	विद्यमान	वरुण (एसीपीआर- 94040)	राजमा	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
648	2014 का 729	नई	कैएमएच-3426	मक्का	मैसर्स कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड
649	2014 का 730	विद्यमान	अरुण (आईपीआर 98-3-1)	राजमा	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
650	2014 का 731	विद्यमान (वीसीके)	पलक	भारतीय सरसों	निर्मल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
651	2014 का 732	विद्यमान	मालव शक्ति (एचआई8498)	झ्यूरम गेहूं	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
652	2014 का 733	नई	कैएसएमएस 237	ज्वार	मैसर्स कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड
653	2014 का 734	विद्यमान	एच-1300	चतुर्गुणित कपास	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा
654	2014 का 735	विद्यमान	एच 1236	चतुर्गुणित कपास	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा
655	2014 का 736	विद्यमान (वीसीके)	पारसमणी-1 ⁺	भारतीय सरसों	मैसर्स शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, हरियाणा
656	2014 का 737	नई	तुलसी-4	चतुर्गुणित कपास	मैसर्स तुलसी सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
657	2014 का 738	विद्यमान (वीसीके)	दुर्गा (एनटीएल-30)	अरहर	निर्मल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
658	2014 का 739	विद्यमान	एच 1098 - इम्पूल्ड	चतुर्गुणित कपास	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा
659	2014 का 740	नई	सी 5197	चतुर्गुणित कपास	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी लिमिटेड
660	2014 का 741	कृषक	गंगा भालू	चावल	हजार मल्लिक एवं अन्य, निवासी फाता मुंडा, ब्लॉक पदमपुर, जिला बालगढ़, ओडिशा
661	2014 का 742	कृषक	बेनाबहार	चावल	जगबंधु साहू एवं अन्य, निवासी माटियापाड़ा, ब्लॉक बारम्बा, जिला कटक, ओडिशा

क्र.सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म	फसल	आवेदक का नाम
662	2014 का 743	कृषक	बिरु	चावल	गोपाल अमात एवं अन्य, निवासी मुसाबिरा, ब्लॉक लेफरीपाड़ा, जिला सुंदरगढ़, ओडिशा
663	2014 का 744	कृषक	बादी	चावल	चम्पी दानु एवं अन्य, निवासी बाड़ा बालसा, ब्लॉक पोत्तांगी, जिला कोरापुट, ओडिशा
664	2014 का 745	कृषक	रंगामहाराज	चावल	विनोद कुमार साहू, निवासी खाजुरीपाड़ा, ब्लॉक खाजुरीपाड़ा, जिला कांधामल, ओडिशा
665	2014 का 746	कृषक	बिरियाजना	चावल	श्रीमती कमलिनी सामल, निवासी धर्मपुर, ब्लॉक बिझारपुर, जिला जाजपुर, ओडिशा
666	2014 का 747	कृषक	बुदी बांको	चावल	घनकेरी भोई, निवासी मुनिबहल, ब्लॉक मुनिबहल, जिला बालनगिर, राज्य ओडिशा
667	2014 का 748	कृषक	उदासियाली	चावल	तिलक ज्ञानेन्द्र बेहरा, निवासी ब्राह्मणीगांव, ब्लॉक बसुदेवपुर, जिला भद्रक, ओडिशा
668	2014 का 749	कृषक	मुतुरा—बी	चावल	कर्छेरी पांडा, निवासी ब्राह्मणी गांव, ब्लॉक बसुदेवपुर, जिला भद्रक, ओडिशा
669	2014 का 750	कृषक	दशरागिरी	चावल	पूर्णनंद बेहरा, निवासी ब्राह्मणी गांव, ब्लॉक बसुदेवपुर, जिला भद्रक, ओडिशा
670	2014 का 751	नई	एनबीसीएच—2008—2	अरण्ड	नवभारत सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
671	2014 का 752	विद्यमान	एचडी 432	द्विगुणित कपास	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा
672	2014 का 753	विद्यमान (वीसीके)	जवाहर ज्वार 1022	ज्वार	राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय
673	2014 का 754	कृषक	तुलसीफूल	चावल	लालदेव सिंह एवं अन्य, निवासी बाउसजोरे, ब्लॉक नुआगांव, जिला सुंदरगढ़, राज्य ओडिशा
674	2014 का 755	नई	विवेक संकुल मक्का 35 (वीएल 113)	मक्का	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
675	2014 का 756	नई	एचएम—11 (एचकेएम—1237)	मक्का	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
676	2014 का 757	विद्यमान	पूसा कैबेज —1 (केजीएमआर—1)	बंदगोभी	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
677	2014 का 758	विद्यमान	बौर 9502 (शिवनी)	भारतीय सरसों	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची, बिहार
678	2014 का 759	विद्यमान	सत्या (एमएच—2—50)	मूंग	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
679	2014 का 760	विद्यमान	पूसा मस्टर्ड 29 (आईईटी—36)	भारतीय सरसों	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
680	2014 का 761	विद्यमान	कल्प प्रकाश (सीसीएस—7)	नारियल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
681	2014 का 762	विद्यमान	डीएलएस—17	द्विगुणित कपास	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड
682	2014 का 763	विद्यमान (वीसीके)	लाडली	भारतीय सरसों	शक्ति वर्धक सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
683	2014 का 764	नई	डीबीडब्ल्यू 39	चपाती गेहूं	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

क्र.सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म	फसल	आवेदक का नाम
684	2014 का 765	विद्यमान (वीसीके)	ब्लैक गोल्ड (एनएमएल-100)	भारतीय सरसों	निर्मल सीड़स प्राइवेट लिमिटेड
685	2014 का 766	कृषक	उजादांगा	चावल	बर्नब प्रधान, निवासी रापदाबादी, ब्लॉक दारिंगबादी, जिला कांधामल, ओडिशा
686	2014 का 767	कृषक	बांकुरी	चावल	उदयनाथ मल्लिक, निवासी अरादा, ब्लॉक रसूलपुर, जिला जाजपुर, ओडिशा
687	2014 का 768	कृषक	कुलिहा	चावल	परसु राउत एवं अन्य, निवासी धर्म सागर, ब्लॉक कोमना, जिला नौपाड़ा, ओडिशा
688	2014 का 769	कृषक	तुम्बाधान	चावल	सनातन प्रधान एवं अन्य, निवासी गुंजीगांव, ब्लॉक नुआगांव, जिला कांधामल, ओडिशा
689	2014 का 770	कृषक	संकरी बांको	चावल	स्वर्ण हरिपाल एवं अन्य, निवासी बांझानगर, ब्लॉक गैइसीलेट, जिला बारगढ़, ओडिशा
690	2014 का 771	कृषक	कालियासरू	चावल	बाल्मिकी पाधी, निवासी बल्ली गुड़, ब्लॉक कांधामल, जिला कांधामल, ओडिशा
691	2014 का 772	कृषक	पुनिया	चावल	रविन्द्र भुगता, निवासी नुआपाड़ा, ब्लॉक फिरिणिया, जिला कांधामल, राज्य ओडिशा
692	2014 का 773	कृषक	नीलाबाती	चावल	सरत कुमार रखैन, निवासी खांडेइपाड़ा, ब्लॉक राजनगर, जिला केन्द्रपाड़ा, ओडिशा
693	2014 का 774	कृषक	दुधासारा	चावल	श्री संखाली नाईक, निवासी बारिया, ब्लॉक झुम्परा, जिला कर्णज्ञार, ओडिशा
694	2014 का 775	कृषक	सुआनतुनी	चावल	खामा गाहिर एवं अन्य, निवासी जमसर, ब्लॉक बालनगिर, जिला बालनगिर, ओडिशा
695	2014 का 776	कृषक	धोब सरियन	चावल	ऋषिकेश पटेल एवं अन्य, निवासी आमपाली, ब्लॉक बालनगिर, जिला बालनगिर, ओडिशा
696	2014 का 777	कृषक	रबाना	चावल	पर्वत कुमार रे, निवासी ईश्वर पुर, ब्लॉक दसरथपुर, जिला जाजपुर, ओडिशा
697	2014 का 778	कृषक	भजना	चावल	जाथु महानंदा, निवासी जामुतबहल, ब्लॉक गैइसीलेट, जिला बारगढ़, ओडिशा
698	2014 का 779	कृषक	सेलुआपाना	चावल	कासीनाथ बारिक एवं अन्य, निवासी लुंगा, ब्लॉक बसुदेवपुर, जिला भद्रक, ओडिशा
699	2014 का 780	कृषक	लक्ष्मी विलाश	चावल	बिरंची मेहर एवं अन्य, निवासी बेलपाड़ा, ब्लॉक बेलपाड़ा, जिला बालनगिर, ओडिशा
700	2014 का 781	कृषक	दुमेरफुल—बी	चावल	रुद्रधर प्रधान एवं अन्य, निवासी बालिखामा, ब्लॉक बेलपाड़ा, जिला बालनगिर, ओडिशा
701	2014 का 782	कृषक	भुता	चावल	कैलाश नायक एवं अन्य निवासी बांजा, ब्लॉक सुकिंदा, जिला जाजपुर, ओडिशा
702	2014 का 783	कृषक	एस्पित	चावल	बिश्वनाथ पात्रो एवं अन्य, निवासी अलनगुड़ा, ब्लॉक दसमंतपुर, जिला कोरापुट, ओडिशा
703	2014 का 784	कृषक	बोडो होल्डी रोपा	चावल	लक्ष्मण बोडानाईक एवं अन्य, निवासी गोदीहोनियोर ब्लॉक लम्टापुट, जिला कोरापुट, ओडिशा

क्र.सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म	फसल	आवेदक का नाम
704	2014 का 785	कृषक	कालामारा	चावल	जगनाथ खारा एवं अन्य, निवासी उम्बेल, ब्लॉक लाम्टापुट, जिला कोरापुट, ओडिशा
705	2014 का 786	कृषक	मोहिपाल	चावल	उपेन्द्र नाईक एवं अन्य, निवासी बाखलीखुंती, ब्लॉक बोदेने, जिला नौपाड़ा, ओडिशा
706	2014 का 787	कृषक	रंगो लचाई	चावल	सदन गुरुमाई एवं अन्य, निवासी बादापाड़, ब्लॉक नंदपुर, जिला कोरापुट, ओडिशा
707	2014 का 788	कृषक	नादिया रासा	चावल	दुल्लावा पुजारी एवं अन्य, निवासी कामरा, ब्लॉक बोरीगुमा, जिला कोरापुट, ओडिशा
708	2014 का 789	कृषक	कोरापुट – कुंदरा – असमचुड़ी	चावल	हरी खिलो एवं अन्य, निवासी करनगुडा, ब्लॉक कुंदरा, जिला कोरापुट, ओडिशा
709	2014 का 790	कृषक	उमरियाचुड़ी	चावल	नरहरि गौडा एवं अन्य, निवासी कादलीमुंडा, ब्लॉक कुंद्रा, जिला कोरापुट, ओडिशा
710	2014 का 791	कृषक	भात्ता धानो	चावल	प्रसाद पांगी एवं अन्य, निवासी कुसुमा ब्लॉक पोतांगी, जिला कोरापुट, राज्य ओडिशा
711	2014 का 792	कृषक	महकमती	चावल	सिद्धार्थ जोशी एवं अन्य, निवासी देवबहल, ब्लॉक खरियार, जिला नुआपाड़ा, ओडिशा
712	2014 का 793	कृषक	कोरापुट– कुंदरा हल्दी चुड़ी	चावल	दामोदर प्रधानी एवं अन्य, निवासी प्रधानी गुडा, ब्लॉक कुंद्रा, जिला कोरापुट, ओडिशा
713	2014 का 794	विद्यमान	डीडीएचरी–11	द्विगुणित कपास	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़
714	2014 का 795	विद्यमान (वीसीके)	अल्बेली–1	भारतीय सरसों	शक्ति वर्धक सीडस प्राइवेट लिमिटेड
715	2014 का 796	विद्यमान (वीसीके)	पारसमणी–8	भारतीय सरसों	शक्ति वर्धक सीडस प्राइवेट लिमिटेड
716	2014 का 797	विद्यमान	पूसा मस्टर्ड 30 (ईलईएस–43)	भारतीय सरसों	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
717	2014 का 798	कृषक	नौपाड़ा – जयफुल्ला	चावल	जगदीश साहू एवं अन्य, निवासी सालिहा, ब्लॉक नुआपाड़ा, जिला नुआपाड़ा, ओडिशा
718	2014 का 799	कृषक	पुटियाचिना	चावल	भारती महानंदा एवं अन्य, निवासी जामुतबहल, ब्लॉक गैइसीलेट, जिला बारगढ़, ओडिशा
719	2014 का 800	कृषक	बालनगिर–थालबाघ– हरिशंकर	चावल	नंदी किशोर नाईक, निवासी थालबंध, ब्लॉक देवगांव, जिला बालनगिर, ओडिशा
720	2014 का 801	कृषक	नेहरू	चावल	भगबाना पालेई एवं अन्य, फुलझार, ब्लॉक लाहुनीपाड़ा, जिला सुंदरगढ़, राज्य ओडिशा
721	2014 का 802	कृषक	सोला	चावल	धुव चरण सेथी एवं अन्य, निवासी महिसासुर, ब्लॉक राजनगर, जिला केन्द्रपाड़ा, ओडिशा
722	2014 का 803	कृषक	नलिलाटाकली	चावल	महेश्वर साहू एवं अन्य, निवासी बंधाहुदा, ब्लॉक नरसिंहपुर, जिला कटक, राज्य ओडिशा
723	2014 का 804	कृषक	कुजा	चावल	जय कृष्ण भोई एवं अन्य, निवासी बाराघाटी, ब्लॉक देवगांव, जिला बालनगिर, राज्य ओडिशा
724	2014 का 805	कृषक	रतन कांता	चावल	पंचानन मोहंता एवं अन्य, निवासी कालरांगी, ब्लॉक जाजपुर, जिला जाजपुर, ओडिशा

क्र.सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म	फसल	आवेदक का नाम
725	2014 का 806	कृषक	पालासक्ति	चावल	राजेन्द्र किशन, निवासी नागदो, ब्लॉक टिलैबानी, जिला देवगढ़, ओडिशा
726	2014 का 807	कृषक	नौपाड़ा सिनापाली जीईएलईआई	चावल	बिक्रम काटा एंव अन्य, निवासी धुगियामुंडा, ब्लॉक सिनापाली, जिला नौपाड़ा, ओडिशा
727	2014 का 808	कृषक	बुधाकाकुरी	चावल	सुदेव बकुल, निवासी बालाघाटी, ब्लॉक देवगांव, जिला बालनगिर, ओडिशा
728	2014 का 809	कृषक	भुलुशंकरी	चावल	सुरेन्द्र कु. साई, निवासी भानुकुंडा, ब्लॉक देवगांव, जिला बालनगिर, ओडिशा
729	2014 का 810	कृषक	प्रेमझुली	चावल	दिंगारा महानंदा एंव अन्य, निवासी जामुतबहल, ब्लॉक गैइसीलेट, जिला बारगढ़, ओडिशा
730	2014 का 811	विद्यमान	जेजी—99—213 (गुजरात गार्लिंक)	लहसुन	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, गुजरात
731	2014 का 812	कृषक	सितारा श्रृंगार	भारतीय सरसों	श्री हुकुम सिंह लोढा, ग्राम सितारा, तहसील कुम्हर, जिला भरतपुर, राजस्थान
732	2014 का 813	विद्यमान	जीएनआर—2	चावल	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय
733	2014 का 814	विद्यमान	कल्प संकरा (सीजीडी X डब्ल्यूसूटी हाइब्रिड)	गेहूं	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
734	2014 का 815	विद्यमान	एएयूडीआर—1 (आईईटी—19258)	चावल	आनंद कृषि विश्वविद्यालय, गुजरात
735	2014 का 816	नई	कैआरएल 210	गेहूं	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
736	2014 का 817	विद्यमान	एनएयूआर—1	चावल	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय
737	2014 का 818	विद्यमान	कल्पश्री (चौघाट ग्रीन डवार्फ)	नारियल	आनंद कृषि विश्वविद्यालय, गुजरात
738	2014 का 819	विद्यमान	जीआर—8	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
739	2014 का 820	विद्यमान	नुआ चीनीकामनी (आईईटी 18394) (सीआर 2580)	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
740	2014 का 821	विद्यमान	फाल्युनी (आईईटी 18720) (सीआरएसी 2224—1041)	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
741	2014 का 822	विद्यमान	लुना सुवर्णा (आईईटी 18697)	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
742	2014 का 823	विद्यमान	पीटीबी—52 (ऐश्वर्या)	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
743	2014 का 824	विद्यमान	पीएच—348 (यमुना)	चतुर्गुणित कपास	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र
744	2014 का 825	नई	एनपीएच—24	चावल	नुजीवीडु सीडस लिमिटेड
745	2014 का 826	विद्यमान	एनएच—545	चतुर्गुणित कपास	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र
746	2014 का 827	विद्यमान	जीएआर—13 (आईईटी—20930)	चावल	आनंद कृषि विश्वविद्यालय, गुजरात

क्र.सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म	फसल	आवेदक का नाम
747	2014 का 828	विद्यमान	कल्प धेनू (आईएनडी 2005 एस) (सीसीएस-6)	नारियल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
748	2014 का 829	विद्यमान	जीएआर-1 (आईईटी-21276)	चावल	आनंद कृषि विश्वविद्यालय, गुजरात
749	2014 का 830	विद्यमान	कल्प प्रतीभा (आईएनडी 0168) (सीसीएस 4)	नारियल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
750	2014 का 831	विद्यमान	लूना सम्पद (आईईटी 19470)	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
751	2014 का 832	विद्यमान	कल्पमित्रा (आईएनडी 022 एस) (सीसीएस 5)	नारियल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
752	2014 का 833	नई	केएसएल 120007	चावल	कृषिधन सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
753	2015 का 1	कृषक	जी-पदमा	चावल	हादू दलबेहरा एवं अन्य
754	2015 का 2	कृषक	बालनगिर—घाइसियन—काला कृष्ण	चावल	चतुर्मुज अग्रवाल
755	2015 का 3	कृषक	हल्दी सापुरु	चावल	गाडुआ कोटा एवं अन्य
756	2015 का 4	कृषक	पदमाबती	चावल	हरि नायक एवं अन्य
757	2015 का 5	कृषक	मिर्चामती	चावल	माधव नाग एवं अन्य
758	2015 का 6	कृषक	प्रधान	चावल	बैद्यनाथ गोडोविसी एवं अन्य
759	2015 का 7	कृषक	बालनगिर—बारघाटी—महिपाल	चावल	जयकृष्ण भोई
760	2015 का 8	विद्यमान	साहना (जेके—276-8-2)	चतुर्गुणित कपास	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़
761	2015 का 9	विद्यमान	एमएयूएस 158	सोयाबीन	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
762	2015 का 10	विद्यमान	प्रात (एमएयूएस 61)	सोयाबीन	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
763	2015 का 11	विद्यमान	एमपी—7792 (एमएच 1609)	बाजरा	मेटाहेलिक्स लाइफ साइंस लिमिटेड
764	2015 का 12	विद्यमान	पूसा 9712 (डीएस 9712)	सोयाबीन	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
765	2015 का 13	विद्यमान	एमपी—7872 (एमएच 1610)	बाजरा	मेटाहेलिक्स लाइफ साइंस लिमिटेड
766	2015 का 14	विद्यमान	सीओ (आर) 50 (आईईटी 19321) (सीबी 01001)	चावल	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय
767	2015 का 15	विद्यमान	एमएयूएस—81	सोयाबीन	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
768	2015 का 16	विद्यमान	सीओ (आर) 49	चावल	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय

क्र.सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म	फसल	आवेदक का नाम
769	2015 का 17	विद्यमान	गोदावरी (एनआईडीडब्ल्यू 295)	ड्यूरम गेहूं	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुड़ी
770	2015 का 18	कृषक	बुदांगा	चावल	श्री बालेश्वर मल्लिक
771	2015 का 19	कृषक	कुंदा धान	चावल	मधूसूदन प्रधान
772	2015 का 20	कृषक	धोसारा	चावल	सुरेन्द्र केसारी रे एवं अन्य
773	2015 का 21	कृषक	साल झांती	चावल	श्रीमती भालेरयि बाला एवं अन्य
774	2015 का 22	कृषक	मुथिसामुली	चावल	महेन्द्र मोहलिक
775	2015 का 23	कृषक	सुनामणी	चावल	अभी खिलो
776	2015 का 24	कृषक	कातकी तम्पा	चावल	सरत गौड़ा
777	2015 का 25	कृषक	बिती सापरी	चावल	राधे श्या माझी एवं अन्य
778	2015 का 26	कृषक	सिक्का	चावल	भीमा मदकामी
779	2015 का 27	कृषक	नौपाड़ा – तारबोद – सेतका	चावल	गौरा चन्द्र प्रधान एवं अन्य
780	2015 का 28	विद्यमान (वीसीके)	यूपीएमसी 503	ज्वार	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
781	2015 का 29	नई	एसएफ 4048	सूरजमुखी	महाराष्ट्र सीड्स कंपनी लिमिटेड
782	2015 का 30	नई	निर्मल— 150 (एनपीएच 150)	चावल	निर्मल सीड प्राइवेट लिमिटेड
783	2015 का 31	नई	जेकेबीएच 778	बाजरा	जे.के. एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड
784	2015 का 32	विद्यमान (वीसीके)	आकाश (वीबीबीएच 350)	बाजरा	विभा एग्रो टेक लिमिटेड
785	2015 का 33	नई	केएसआर 6192	ज्वार	कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड
786	2015 का 34	नई	सिग्नेट— 44	चावल	सिग्नेट क्रॉप साइंसेस इंडिया, प्रा. लिमिटेड
787	2015 का 35	नई	सिग्नेट—5051	चावल	सिग्नेट क्रॉप साइंसेस इंडिया प्रा. लिमिटेड
788	2015 का 36	नई	सुवर्णा (एनएसआरआर— 259)	ज्वार	निर्मल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
789	2015 का 37	नई	एनपी— 208	चावल	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
790	2015 का 38	नई	एमआईजे — 010	ज्वार	देवेगन एनवी, बैल्जियम
791	2015 का 39	नई	एनबी—3 (मधुमती)	चावल	निर्मल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
792	2015 का 40	विद्यमान	एकेएमएस 14बी	ज्वार	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
793	2015 का 41	नई	बजुआरा मक्का 1	मक्का	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
794	2015 का 42	विद्यमान (वीसीके)	पारसमणी—2	भारतीय सरसों	मैसर्स शक्ति वर्धक हाइब्रिड सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, हरियाणा
795	2015 का 43	नई	डीजीजे 014	ज्वार	देवेगन एनवी, बैल्जियम
796	2015 का 44	विद्यमान (वीसीके)	एमआईएचआर 001	चावल	देवेगन एनवी, बैल्जियम
797	2015 का 45	नई	निर्मल — 101 (एनपीएच—101)	चावल	निर्मल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म	फसल	आवेदक का नाम
798	2015 का 46	विद्यमान (वीसीके)	अंकुर— सोनम	चावल	अंकुर सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
799	2015 का 47	कृषक	लाचैई	चावल	कृष्णा साउंता एवं अन्य
800	2015 का 48	कृषक	रंगा लुचाई	चावल	जुम्बेना गुंथा
801	2015 का 49	कृषक	दुबराज भोग	चावल	श्रीमती मरियन बागे एवं अन्य
802	2015 का 50	कृषक	सुंदरगढ़— कृष्णाभोग	चावल	जयंत कु सिंह एवं अन्य
803	2015 का 51	कृषक	नालीधुसुरी	चावल	भगीरथी बेहरा एवं अन्य
804	2015 का 52	विद्यमान (वीसीके)	एमआईएचआर— 002	चावल	देवेगन एनवी, बैल्जियम
805	2015 का 53	नई	एसवाईएन— एसएफ 293	सूरजमुखी	सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड
806	2015 का 54	नई	सिग्नेट — 505	चावल	सिग्नेट क्रॉप साइंसिस इंडिया प्रा.लि.
807	2015 का 55	विद्यमान (वीसीके)	अंकुर— रबीना	चावल	अंकुर सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
808	2015 का 56	विद्यमान (वीसीके)	अजय (एनडब्ल्यू 72)	चपाती गेहूं	निर्मल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
809	2015 का 57	विद्यमान	आईपीएम 02—3	मूग	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
810	2015 का 58	विद्यमान (वीसीके)	मानिक—एनपी 14	चावल	नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड
811	2015 का 59	विद्यमान (वीसीके)	जेकेसीएच—666	कपास	जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड, हैदराबाद
812	2015 का 60	विद्यमान (वीसीके)	जेके ईश्वर (जेकेसीएच 634)	कपास	जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड, हैदराबाद
813	2015 का 61	कृषक	खर्चिया लोकल	गेहूं	खार्ची गांव का कृषक समुदाय
814	2015 का 62	कृषक	बैगानामांजी के	चावल	बृज दनसाना एवं अन्य
815	2015 का 63	कृषक	वहाइट तुआरा	अरहर	सोम पंचायत (झाडोल ब्लॉक का प्रतिनिधि कृषक)
816	2015 का 64	कृषक	रिचा 2000	अरहर	राजकुमार राठौर
817	2015 का 65	कृषक	इरामाच्छा कांडी	अरहर	बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, झारी
818	2015 का 66	नई	केपीपी 008	अरहर	मैसर्स कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड
819	2015 का 67	विद्यमान	सीएसआर—36 (नैना) (आईईटी 17340)	चावल	केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल
820	2015 का 68	विद्यमान	सीएसआर 30	चावल	केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल
821	2015 का 69	नई	केपीपी 006	अरहर	कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड
822	2015 का 70	विद्यमान	गुजरात ओकरा हाइब्रिड—2	भिणडी (एबेलमॉर्स्कस एस्क्यूलैंट्स)	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, गुजरात
823	2015 का 71	नई	केएसएफ 097 आर	सूरजमुखी	मैसर्स कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड
824	2015 का 72	विद्यमान	जेबीजीआर— 995	बैंगन	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, गुजरात
825	2015 का 73	विद्यमान	एनआईडीडब्ल्यू— 15 (पंचवटी)	झ्यूरम गेहूं	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुड़ी
826	2015 का 74	कृषक	सुंदरगढ़ — लुंगडी	चावल	इसाक लाकरा एंव अन्य
827	2015 का 75	कृषक	कांधामल — झालका	चावल	आनंदी प्रधान

क्र.सं.	पंजीकरण सं.	किस्म की श्रेणी	प्रत्याशी किस्म	फसल	आवेदक का नाम
828	2015 का 76	कृषक	सापिरी	चावल	अभिराम साबर एवं अन्य
829	2015 का 77	कृषक	बालनगिर— भालुकुना — लुचे	चावल	ओम प्रकाश प्रधान
830	2015 का 78	कृषक	बालनगिर — खालियापाली — भारती	चावल	विद्याचरण सुना एवं अन्य
831	2015 का 79	विद्यमान	केबीआर — 870	बाजरा	मै० कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड
832	2015 का 80	विद्यमान	फोनघाट—1	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
833	2015 का 81	विद्यमान (वीसीके)	जेके जुर्गा (जेकेसीएच 10)	कपास	जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड
834	2015 का 82	नई	केबीएमएस 293	बाजरा	मैसर्स कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड
835	2015 का 83	विद्यमान	करजत—6	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
836	2015 का 84	नई	विनय (एन डब्ल्यू 404)	चपाती गेहूं	निर्मल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
837	2015 का 85	विद्यमान	कर्जत 184	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
938	2015 का 86	विद्यमान	कर्जत—5	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
839	2015 का 87	विद्यमान	कर्जत—7	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
840	2015 का 88	विद्यमान (वीसीके)	44एस 01	भारतीय सरसों	पॉयनियर ओवरसीस कारपोरेशन
841	2015 का 89	नई	केएसआर 6176	ज्वार	मैसर्स कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड
842	2015 का 90	नई	विवके संकुल मक्का 31	मक्का	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

संक्षिप्तियां

ए आई सी आर पी	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना
बी ए यू	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय
बी एम सी	जैवविविधता प्रबंध समिति
बी सी आई एल	बायोटैक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड
सी ए जी	भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक
सी ए आर आई	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान
सी बी डी	जैविक विविधता पर सम्मेलन
सी एम डी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सी एस आई आर	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद
सी एच ई एस	केन्द्रीय बागवानी प्रायोगिक केन्द्र
सी एस एस आर आई	केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान
डी ए सी	कृषि एवं सहकारिता विभाग
डी यू एस	विशिष्टता, एकरूपता एवं स्थायित्व
ई वी आर सी	विद्यमान किस्म संस्तुति समिति
जी ए टी टी	सीमा शुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता
आई ए आर आई	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
आई सी ए आर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
आई सी एफ आर ई	भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद
आई एफ एफ सी ओ	भारतीय किसान उर्वरक संघ लिमिटेड
आई एन डी यू एस	डीयूएस दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय सूचना प्रणाली
आई पी जी आर आई	बायोवर्सिटी इंटरनेशनल
आई टी पी जी आर एफ ए	खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधन पर अंतरराष्ट्रीय संधि
के ए यू	केरल कृषि विश्वविद्यालय

के वी के	कृषि विज्ञान केन्द्र
एन ए एस सी	राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र
एन जी ओ	गैर-शासकीय संगठन
एन ओ आर वी	भारत की अधिसूचित एवं जारी की गई किस्में
एन एस ए आई	नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया
एन आर सी पी बी	राष्ट्रीय पादप जैवप्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र
एन एस आर टी सी	राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र
एम एस ई जैड	मंगलौर स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड
ओ ई सी डी	आर्थिक सहकारिता एवं विकास संगठन
पी एस	प्रधान वैज्ञानिक
पी डी	परियोजना निदेशक
पी जी आर	पादप आनुवंशिक संसाधन
पी पी वी एंड एफ आर ए	पौधा किस्म सुरक्षा एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
पी वी ई	पौधा किस्म परीक्षक
पी वी आई एस	पौधा किस्म सूचना प्रणाली
पी वी जे	भारतीय पौधा किस्म जरनल
आर एंड डी	अनुसंधान एवं विकास
आर टी आई	सूचना का अधिकार
एस ए औ	वरिष्ठ लेखा अधिकारी
एस ए यू	राज्य कृषि विश्वविद्यालय
एस टी ओ	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी
टी आर आई पी एस	बौद्धिक सम्पदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू
यू पी ओ वी	पौधों की नई किस्मों की सुरक्षा की अंतरराष्ट्रीय यूनियन
वी सी के	सामान्य ज्ञान की किस्म
डब्ल्यू टी ओ	विश्व व्यापार संगठन

Approved in 24th Meeting vide Agenda Item No. 02 of the
Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority
held on 26th November, 2015 in New Delhi.

PROTECTION OF PLANT VARIETIES & FARMERS' RIGHTS AUTHORITY

NASC Complex, DPS Marg, New Delhi-110 012

www.plantaauthority.gov.in

100 Copies